(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5) सप्तम् विधान सभा के पंचम सत्र का 12वां दिवस (संख्या 10

1] [2

शुक्रवार

दिनांक 17 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचंद बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री यदुनाथसिंह, श्री गोपाल पचेरवाल

विद्युत संकट निराकरण

267. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) व **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में ऊर्जा उत्पादन के किन-किन साधनों से ऊर्जा शक्ति का उत्पादन होता है और कुल उत्पादन क्षमता क्या है?

(2) वर्ष 1981-82 में राज्य में कितनी विद्युत की आवश्यकता थी एवं कितनी उपलब्ध हुई? राज्य में विद्युत खपत की वर्तमान आवश्यकता कितनी है और सम्भावित आवश्यकता क्या है ?

(3) राज्य में कुल बिजली उत्पादन की इन्स्टाल्ड क्षमता कितनी है तथा उक्त अवधि में कितना उत्पादन हुआ ? उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत क्या रहा ?

(4) वर्ष 1981-82 के अन्त तक राज्य के समस्त बिजली घरों में कितनी पूंजी लगी हुई थी ?

(5) सरकार की राज्य में विद्युत कमी तथा सम्भावित आवश्यकता की पूर्ति की क्या ठोस योजना है ? यदि है तो क्या ? कृपया योजना का विवरण सदन के पटल पर रखें।

ऊर्जा मन्त्री (**श्री परसराम मदेरणा**):

(1) राजस्थान राज्य में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन अणु, जल तथा तापीय साधनों से होता है तथा राज्य की (अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में हिस्से सहित) कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 1240.34 मेगावाट है।

(2) वर्ष 1981-82 में राज्य में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की कुल अप्रतिबन्धित मांग 59990 लाख यूनिट थी तथा वर्ष में कुल उपलब्धि लगभग 42725 लाख यूनिट थी। आंकड़ों का सत्यापन होना है। राज्य की वर्ष 1982-83 की विद्युत खपत की आवश्यकता 68080 लाख यूनिट्स आंकी गई है। आगामी तीन वर्षों में ग्यारहवें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार सम्भावित आवश्यकता निम्न प्रकार है:–

वर्ष	सम्भावित आवश्यकता (लाख यूनिट में)
1	2
1983-84	75620

Page No 2

(2)

(श्री परसराम मदेरणा)

1	2
1984-85	85900
1985-86	97330

(3) राज्य की बिजली उत्पादन की वर्तमान मे कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 1240.34 मेगावाट है। वर्ष 1981-82 मे राज्य को विभिन्न स्रोतों से वास्तविक विद्युत उपलब्धि, जिसम पड़ोसी तन्त्रों से खरीदी की हुई बिजली भी शामिल है, लगभग 42725 लाख यूनिट हुई। उपरोक्त क्षमता से वर्ष 1981-82 मे 43454 लाख यूनिट बिजली उत्पादित हुई जो प्रतिष्ठापित क्षमता का 40 प्रतिशत है।

(4) वर्ष 1981-82 तक राज्य के समस्त बिजली घर, कामन पूल बिजली घरों सहित, म 369.0 लाख रुपयों की पून्जी लगी हुई थी। यह अभी अस्थायी है क्योंकि वर्ष 1981-82 के लेखों का अभी अंकेक्षण नहीं हुआ है।

(5) राज्य मे विद्युत की कमी तथा सम्भावित आवश्यकता की पूर्ति के लिये कोटा थर्मल पावर स्टेशन एव माही जल विद्युत परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। देहर व पोंग जल विद्युत परियोजनाओं में 5 वीं व छठी परियोजनाए निर्माणाधीन हैं। जिसमें से पोंग पर 5 वीं यूनिट का मैकेनिकल रन कर लिया गया है। इन नये यूनिट्स से उत्पादित बिजली में राज्य को क्रमश: 20 प्रतिशत और 58.5 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। सिंगरोली सुपर थर्मल परियोजना में 200 मेगावाट की पहली इकाई चालू हो चुकी है जिससे राजस्थान को 8.8 प्रतिशत यानि 17 मेगावाट बिजली प्राप्त होनी है। सिंगरोली की दूसरी व तीसरी यूनिट्स, जो प्रत्येक 200 मेगवाट की है और अक्टूबर, 1982 व मार्च, 1982 व मे तैयार हो जाने का अनुमान है, इन इकाइयों से भी प्रत्येक से 17 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलेगी। अनूपगढ़ लघु परियोजना के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही चालू कर ली गई है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के पास विनियोजन स्वीकृति के लिये विचाराधीन है। इन योजनाओं की प्रतिष्ठापित क्षमता एवं चालू होने के निर्धारित लक्ष्यों के बारे में विद्युत जानकारी तालिका 'अ' मे सदन के पटल पर रखदी गई है। कुछ अन्य परियोजनायें यथा पम्पड स्टोरज स्कीम कोटा दायीं मुख्य नहर (चम्बल) लघु विद्युत परियोजना व लघु परियोजना आदि के लिये प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं जसे नाथपा झाकड़ी, थीन, आनन्द पुर साहिब एव मुकेरियन हाइडल परियोजना से भी राजस्थान को हिस्सेदारी में बिजली मिलने की आशा है। इनके अलावा राज्य को हिमाचल प्रदेश सरकार से वहां के बांधों पर प्रस्तावित, निर्माणाधीन परियोजनाओं—पार्वती कोल, संजय पन विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान को हिस्सा देने के लिये सहमति हुई है जिसके अनुसार इन परियोजनाओं से राजस्थान को पर्याप्त बिजली मिलने की आशा है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भैरो सिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): इस पर तो, अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट हाउस में होना चाहिये। इसके बाद में मेरा निवेदन यह है कि इस पर कोई पूरे समय के लिये चर्चा हो तब काम चलेगा।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पर आप एक दिन चर्चा रखेंगे तो ही ठीक रहेगा। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड (1) में जो पूछा है, "राज्य में ऊर्जा उत्पादन के किन-किन साधनों से ऊर्जा शक्ति का उत्पादन होता है और कुल उत्पादन क्षमता क्या है ?" दूसरे खण्ड में पूछा है "राज्य में कुल बिजली उत्पादन की इनस्टाल्ड क्षमता कितनी है ?" जो उत्तर में बतायी गई है वह अलग है और जो डाकूमेन्ट हमें दिये गये हैं उनमें अलग है। बजट स्टडी में दिया है वह अलग है, इसमें दिया है 1268.7 मेगावाट और आपने जो जवाब दिया है उसमें आपने बताया है 1240.34 मेगावाट। यह फिगर्स जो दिये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, क्षमता के वह अलग हैं और दूसरे अकाउन्ट में जो फिगर्स हैं वह तो 879 मेगावाट ही है। इसके अलावा सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना में डिपार्टमेन्ट ने दिया वह अलग है और मन्त्री ने जो जवाब दिया है वह अलग है।

इसके अलावा दूसरे राज्य से जो बिजली मिलेगी उसमें अलग-अलग बताया है लेकिन उनकी शर्तें पूरी नहीं हैं जो पलाना की जो बात की गई है, पता नहीं वह कैसे मिलेगी। इसके अलावा जो आपने सिंगरोली से बिजली मिलने की बात कही है उसमें यह पता नहीं कि यह बिजली हमें कब मिलेगी और कितनी मिल सकेगी। इसके अलावा अनूपगढ़ योजना की कोई सैंक्शन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने नहीं दी। पलाना ताप बिजली योजना और अन्य योजनायें हैं इसके अतिरिक्त

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का आप अल्पावधि प्रश्नोत्तर के माध्यम से सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए....

श्री यदुनाथसिंह : क्वेश्चन पहले कर लें।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न और भी लम्बे हो रहे हैं। प्रश्न का उत्तर पहले ही लम्बा था थोड़े से समय के अन्दर इतना बड़ा विषय है ...

श्री यदुनाथ सिंह : आधा घन्टे की चर्चा अभी हो जाये। बाद में दो घन्टे चर्चा हो। मेरा बड़ा पर्टीनेन्ट सवाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 20 तारीख को बहस होगी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर।

श्री अध्यक्ष : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर बहस वाले दिन पूछ लें।

श्री यदुनाथ सिंह : उस दिन जवाब नहीं आयेंगे। या तो आधा घन्टे की चर्चा रख दें....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे बता दें उन प्रश्नों का जवाब मैं दिला दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं तो पर्टीनेन्ट सवाल पूछ लेता हू ।

श्री अध्यक्ष : उसके साथ ही ले लें ।

श्री यदुनाथ सिंह : उसके साथ नहीं हो पायेगा । एक साथ जवाब नहीं दे पायेंगे । आधा घन्टे की चर्चा रख दें ।

श्री अध्यक्ष : समय की बचत करने की सोच रहा हू । वैसे आधा घंटे की चर्चा का या अन्य कोई नोटिस दे दें ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अभी आधा घन्टे की चर्चा हो जायेगी क्योंकि 15 मिनट तो अभी हो ले लिये ।

अगला प्रश्न । श्री सुरजा राम ।

बीकानेर जिले में वनपालों एवं वन रक्षकों के पदों पर नियुक्तियां

268. **श्री सुरजाराम टाक** (नोखा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बीकानेर में वन विभाग में वनपालों एव वन रक्षकों के कितने-कितने पदों को सत्र 1981-82 एव अगस्त, 1982 तक भरा गया और उसमें अनुसूचित जाति । अनुसूचित जनजाति का क्या अनुपात है तथा कितने-कितने पद रिक्त पड़े है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वन विभाग के अधीन गार्ड एवं कैटल गार्ड के पदों पर भर्ती हेतु क्या योग्यता रखी गयी है ? बीकानेर में उक्त कितने-कितने पदों को पिछले दो वर्षों में भरा गया और किस प्रकार ?

(3) क्या उपरोक्त पदों की भर्ती में रोस्टर प्रणाली द्वारा आरक्षित अनुसूचित जाति । अनुसूचित जनजाति का निर्धारित कोटा पूरा कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्वेश्चन संख्या 268 और 273 इन दोनों का विषयक करीब-करीब सा ही है इसलिए दोनों प्रश्नों को एक साथ पूछने की इजाजत दे देता हूं । 268 श्री सुरजाराम ने पूछ लिया । श्री भैरूसिंह गुर्जर, श्री शिवदानसिंह और श्री गोकुलचन्द शर्मा का प्रश्न संख्या 273 है । इन दोनों का उत्तर साथ में ही दे दें ।

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) : (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) वन विभाग में वन रक्षकों लिए सैकण्डरी पास योग्यता निर्धारित है । चूंकि कैटल गार्ड वन विभाग के नियमित पद नहीं हैं तथा उनके लिए कोई योग्यता निर्धारित नही है । बीकानेर जिले में गत दो वर्षों में वन रक्षकों के 26 पद नियमानुसार नियोजन कार्यालय से नाम मांगे जाकर चयन समिति द्वारा चयन कर भरे गये हैं ।

(3) रोस्टर प्रणाली द्वारा आरक्षित कोटा पूरा किया जा रहा है । परन्तु वन रक्षक के पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ आरक्षित पद रिक्त हैं ।

(श्री गोविंदसिंह गुर्जर)

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

जिला पाली में वनपालों एवं वन रक्षकों के पदों पर नियुक्तियां

273. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची), श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण), श्री गोकुल चन्द शर्मा (पाली) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में वर्ष 1981 के अन्त तक वनपालों व वन रक्षकों के कितने पद रिक्त थे तथा माह अगस्त, 1982 तक कितने शेष पद रिक्त रहे ?

(2) पाली जिले में जनवरी, 1981 से अगस्त, 1982 तक वनपालों एवं वन-रक्षकों की कितनी नियुक्तियां स्थाई व कितनी अस्थाई की गई ? कृपया नामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त नियुक्त अधिकारियों के पद क्या हैं ?

राज्य मंत्री, वन (**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर**) : (1) पाली वन मण्डल के अधीन वर्ष 1981 के अन्त तक वनपालों के तीन पद तथा वन रक्षक का एक पद रिक्त था। माह अगस्त, 1982 तक वनपालों के दो पद रिक्त रहे तथा वन रक्षक का कोई पद रिक्त नहीं रहा।

(2) पाली वन मण्डल के अधीन जनवरी, 1981 से अगस्त, 1982 तक वनपालों एवं वन रक्षकों की कोई स्थाई नियुक्ति नहीं की गई। अस्थाई तौर पर पांच वनपालों के पद सीधी भर्ती व दो पद पदोन्नति द्वारा भरे गये तथा 5 वन रक्षकों की नियुक्ति की गई।, नामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त पदों के नियुक्ति अधिकारी उप वन रक्षक हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री सुरजाराम टांक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची सदन की मेज पर नहीं रखी गयी है। 1981–82 में जिन पदों को भरा गया था, वनपालक और वनरक्षक के कौन से पद थे ? माननीय मंत्री महोदय ने यह सूची सदन की मेज पर नहीं रखी है।

दूसरे इन पदों को सीधी भर्ती से भरा गया और आरक्षित पद एक भी नहीं भरा गया। माननीय मंत्री महोदय इसका स्पेसिफिक जवाब दें। जो सीधी भर्ती से पद भरे गये उनमें केवल एक पद अनुसूचित जनजाति द्वारा भरा गया।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर वन मण्डल में वर्ष 1981–82 व अगस्त, 1982 तक 2 वन-पालों के पद भरे गये जिनमें से एक अनु-सूचित जाति का था व एक अन्य। अब बीकानेर वन मण्डल में 5 वनपालों के पद रिक्त हैं। इसी अवधि में छतरगढ़ वन मण्डल

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

में 8 पद वनपालों के भरे गये जिनमें से एक अनुसूचित जाति एवं दो अनुसूचित जनजाति के थे। अब छतरगढ़ वन मण्डल में 2 पद वनपाल के रिक्त हैं। वन मण्डल बैंरियांवाली में इसी अवधि में 4 पद वन पालों के भरे गये हैं जिनमें से 2 अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जनजाति के थे। अब वन मण्डल बैंरियावाली में 11 पद वनपाल के रिक्त हैं। वर्ष 1981-82 एवं अगस्त, 1982 तक कुल 4 पद वनरक्षक के भरे गये जिनमें से 1 अनुसूचित जाति का था। अब वन रक्षक का कोई पद रिक्त नहीं है। उक्त अवधि में छतरगढ़ वन मण्डल में 10 पद वन रक्षक के भरे गये जो समस्त अन्य जाति के थे। छतरगढ़ वन मण्डल में अब 9 पद वन रक्षक के रिक्त हैं। बैंरिया-वाली में उक्त अवधि में 12 पद वनरक्षक के भरे गये थे जिनमें अनुसूचित जाति का एक व अनुसूचित जनजाति का एक प्रत्याशी था। अब वहां 4 पद वनरक्षकों के रिक्त हैं। बाकी जो अनुसूचित जाति के रह गये हैं उन पर हम भर्ती कर रहे हैं। अभी 6 तारीख तक आवेदन मांगे थे। सारे ही पद जो आरक्षित हैं वह भरने की कोशिश की जायेगी। वन, रक्षक और वनपाल के पद हैं उन पर भी प्राथमिकता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जायेगी।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या रोर्स्टर प्रणाली के अनुसार लिये गये हैं ?

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, नम्बर एक तो माननीय सदस्य, श्री सुरजाराम ने प्रश्न पूछा उसका सप्लीमेंट्री पूछना चाहूंगा कि वनरक्षक की योग्यता 10वीं पास रखी है जब कि पहले यह मिडिल पास थी। कहीं वनपाल और कहीं वनरक्षक हैं, इसका कहां औचित्य है ?

मेरे सवाल के उत्तर में आपने खाली जगह बताई 1981 के अन्त तक और अगस्त, 82 तक, 3 फॉरेस्टर एक गार्ड। उसके बाद में आपने सीधी भर्ती से पद भरे हैं वह कुल बताये 7 फारेस्टर और 5 गार्ड। जो सूची मुझे दी गयी है उसमें 8 वनपालों की सीधी भर्ती की बात लिखी गयी है। तो आपकी बात सही मानें या सूची की ? 8 भरे गये या 7 ?

नम्बर दो, जब कि विभाग का नियम है, नियोजन कार्यालय से नाम मांगे जाकर ही वनपाल और वनरक्षकों के पद भरे जायेंगे तो फिर सीधी भर्ती से भरने का क्या औचित्य था ? यह सीधी भर्ती किसने की ? यह सही थी या नहीं ? और नहीं थी तो जिसने सीधी भर्ती की उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि मेरे आने से पहले यह तय हो गया था कि फारेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए 10वीं क्लास की योग्यता होनी चाहिए। मेरे आने के बाद

(श्री गोविंदसिंह गुर्जर)

यह अनुरोध किया गया कि दूसरे जो पहले से ही फारेस्ट गार्ड के पदों पर काम कर रहे हैं उनको भर्ती करने में असुविधा होगी। इसलिए मैंने पुनः विभाग को आदेश दिये हैं कि इनकी योग्यता में परिवर्तन कर दिया जाय। जहां तक दूसरा सवाल है, माननीय सदस्य बतायेंगे कि कोई नियुक्ति गलत की है?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : गलत नहीं। क्या यह नियम है कि वन पाल और वन-रक्षक के पदों पर नियोजन कार्यालय से नाम मांगे बिना सीधी भर्ती की जा सकती है? विभाग में सीधी भर्ती के नियम हैं क्या?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आवश्यकता पड़ती है तो सीधी भर्ती भी कर सकते हैं। अकाल वगैरह का कई बार काम पड़ता है। कोई अनियमितता होगी तो जांच करवा लूंगा।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : माननीय मंत्री महोदय की भावनायें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन देने की, उनकी सीधी भर्ती करने की है लेकिन अधिकारियों की यह मंशा नहीं है। पूरे राजस्थान में फारेस्ट गार्ड और रेन्जर की भर्तियों में अनियमितताएं बरती जाती हैं। जब कि पोस्ट वेकेन्ट थी फिर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नियुक्ति नहीं दी। एलीजिबल केन्डीडेट होते हुए भी उनकी भर्ती नहीं की गई। मेरा निवेदन है कि क्या कन्सर्ड अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय सदस्य, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं एक साल में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पोस्टें हैं, उनकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

एक माननीय सदस्य : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जिला पाली और जिला बीकानेर में वन पाल और वन रक्षकों की जो पोस्ट एडवर्टाइज की हैं उनके लिये शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोगों ने आवेदन किये? यदि आवेदन नहीं किये तो रोस्टर सिस्टम के आधार पर जो पोस्टें बनती थीं, क्या आपने उनको केरी फार्वर्ड किया है?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री सुरजाराम टांक : अध्यक्ष महोदय, वन रक्षक के जो पद भरे गये हैं, समाज

(श्री सूरजाराम टांक)

कल्याण से 200 आदमियों की लिस्ट मांगी थी उनमें से शिड्यूल्ड कास्ट की केवल एक पोस्ट भरी है। यह अनियमितता क्यों बरती गई ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गुर्जर साहब के वन मंत्री बनने के बाद में....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

राज्य में आयातित तेल का आवंटन

269. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) नवम्बर, 1981 से अगस्त, 1982 तक राजस्थान में कौन कौनसा व कितनी कितनी मात्रा में आयातित तेल कब कब आवंटित किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त आवंटित आयातित तेल कितनी कितनी मात्रा में किन किन तिथियों में उठाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य अपने हिस्से का आवंटित आयातित तेल पूरा और समय पर नहीं उठा सका ? यदि हां, तो किस कारण ?

(4) इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, खाद्य व आपूर्ति (**श्री घासी राम यादव**) : (1) नवम्बर, 1981 से अगस्त, 1982 तक राजस्थान को आवंटित आयातित खाद्य तेल की तिथि वार सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त आवंटित आयातित खाद्य तेल विभिन्न महीनों में जिन तिथियों में उठाया गया, उसकी सूची संलग्न है।

(3) 26 मई, 1982 से 14-7-82 तक एस. टी. सी. डिपो जयपुर में माल बिलकुल उपलब्ध न होने के कारण पूरा आवंटित तेल नहीं उठाया जा सका।

(4) आवंटित आयातित खाद्य तेल को पूर्ण मात्रा में नहीं उठाने के लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन बहुत इम्पार्टेन्ट है। सूची तो दी है, क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि कितना तेल आवंटित हुआ और कितना तेल उठाया ? कम से कम वह तो सदन में बता दें।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, सूची मैंने सदन की मेज पर रख दी है। कितना तेल आवंटित हुआ और कितना उठाया, यह भी मैं बता दूंगा। किसी भी अधिकारी की इसमें गलती नहीं है। तेल अभी लैप्स नहीं हुआ है और अब भी उठा सकते है। क्या इम्पार्टेन्स निकलती है इसमें, बता दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा बताया कि पूरा कोटा एस. टी. सी. के गोदाम से नहीं उठाया गया। मैं पूछना चाहता हूं इस एस. टी सी. के गोदाम से डालडा फैक्ट्री के मालिकों ने ही केवल तेल उठाया है। मई-जून, जिस समय घी तेल की मार्केट रेट में चार हजार रुपये टन का फर्क था, में हमने केवल इसलिये नहीं उठाया कि पूरा कोटा डालडा वालों ने उठाया है। 1120 टन कम उठाकर 50 हजार का घाटा उठाया यह तो मैं नहीं कहता लेकिन शाप्स के माध्यम से जो तेल उपभोक्ताओं को उपलब्ध होना चाहिये था वह नहीं करवाया गया, इससे जनता में भारी परेशानी हुई।

श्री घासीराम यादव : अगर हमारे डिपार्टमेंट ने जान बूझकर तेल नहीं उठाया तो आप बता दें, मैं कार्यवाही कर लूंगा। वहां तेल उपलब्ध होने के बाद डालडा फैक्ट्री वालों ने उठाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से ही उठाया जाय, यह कोई जरूरी नहीं है। कहीं से भी तेल उठाया जा सकता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट देती है एक महीने का सवाल नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनवरी में 30 टन, मई में 400 मैट्रिक टन–200 मैट्रिक टन कम उठाया, जून में 400 मैट्रिक टन बिलकुल नहीं उठाया, जुलाई में 80 टन कम उठाया और अगस्त में 285 टन कम उठाया। इस तरह करीब 425 मैट्रिक टन कम उठाया है। इसकी रेट में चार हजार रुपये मैट्रिक टन का फर्क है। इस प्रकार उपभोक्ताओं के साथ जो कमिटमेंट था उससे कम उठाया है। इसके पहले तेल का आवंटन कम हुआ उसके लिये भी सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। और प्रदेशों के मुकाबले में जो कम आवंटन हुआ वह भी नहीं उठाया।

श्री घासीराम यादव : मैं निवेदन कर चुका हूं तेल का कोटा अभी लैप्स नहीं हुआ है अभी भी उठा सकते हैं। यह 31 अक्टूबर तक नहीं उठाते हैं तब लैप्स होता है। 26 मई से 14-7-82 तक एस. टी. सी. के गोदाम में तेल नहीं था। बाहर से तेल नहीं मंगवाया जाता है, यहीं से हमेशा उठाते रहे हैं। हमने उनको तार भेजा, चिटठी भेजी कि मई का माल भेजें। उन्होंने कहा, 14 जुलाई तक तेल मिलेगा। अगर यह बात हो कि डालडा फैक्ट्री वालों को दिया इसलिये हमारे डिपार्टमेंट वालों ने नहीं उठाया, यह बात आपने उठाई है। अगर

(श्री घासीराम यादव)

आप लिखकर देंगे तो जांच करवा लूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके इशारे पर हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : समय निकल जाने पर उठाने से क्या फायदा। जिस समय उठाना चाहिये था, उस समय तो नहीं उठाया गया....

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे सुनने का मौका दें मैंने सुना नहीं ये क्या-क्या कह रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पहले भी इन्होंने इल्जाम लगाया था कि सीमेंट में दो लाख का घोटाला है। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य को जिम्मेदारी से बोलना चाहिये। इस तरह झूठी बातें कहने से कोई फायदा नहीं या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या फिर इनसे ले लेना....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट में दो लाख का घोटाला हुआ है, यह पहले भी इन्होंने मुझ पर चार्ज लगाया है। मैंने जांच नहीं कराई। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक मेरे पास कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया....

(व्यवधान)

या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या फिर झूठ निकले तो ये इस्तीफा दे दें। इस्तीफा भी नहीं दें तो फिर इनसे कहिये कि सदन से माफी मांगें। माननीय सदस्य, कितनी गैर जिम्मेदारी से बोलते है....

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह रेस्पान्सिबिलिटी किसकी है ?

श्री घासीराम यादव : दो लाख का घोटाला सीमेंट में बताते हैं और कहते हैं मिली भगत है। मैं ऐसी बातें सुनने को तैयार नहीं हूं। जो कुछ भी बोलें जिम्मेदारी से बोलें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अरे, इस्तीफा तो दे दो पहले।

श्री घासीराम यादव : आप माफी मांग लेना।

शिक्षित बेरोजगारों का नियोजन

270. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिसिंह)

(1) राज्य में दिनांक 31-12-1981 तथा 31-3-1982 को स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कितने युवक बेरोजगार पंजीकृत थे और यह संख्या पूर्व वर्ष की इन्हीं तारीखों की संख्या से कितनी अधिक है ?

(2) रोजगार कार्यालय के माध्यम से वर्ष 1981-82 में कितने हायर सैकण्डरी पास तथा कितने स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त युवकों को राजकीय सेवाओं में नौकरी मिली तथा कितने हायर सैकण्डरी पास व कितने स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त पंजीकृत युवकों को गैर सरकारी नौकरियां मिलीं ?

राज्य मन्त्री, श्रम (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) राज्य में दिनांक 31-12-81 तथा 30-6-82 को स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त क्रमशः 48069 तथा 37035 युवक बेरोजगार पंजीकृत थे। यह संख्या पूर्व वर्ष की इन्ही तारीखों से कमशः 9622 अधिक एवं 4092 कम हैं।

(2) रोजगार कार्यालय के माध्यम से वर्ष 1981 (जनवरी से दिसम्बर) में 3170 हायर सैकण्डरी पास तथा 2770 स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त युवकों को राजकीय सेवाओं में नौकरी मिली तथा 160 हायर सैकण्डरी एवं 188 स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त पंजीकृत युवकों को गैर सरकारी नौकरियां मिलीं। वर्ष 1982 में जून तक 1315 हायर सैकण्डरी पास एवं 1388 स्नातक स्तर शिक्षा प्राप्त युवकों को राजकीय सेवा में नौकरी मिली तथा 84 हायर सैकण्डरी एवं 86 स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त पंजीकृत युवकों को गैर सरकारी नौकरियां मिलीं। नियोजन कार्यालयों में इस प्रकार के आंकड़ों का संकलन छमाही होता है।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो कि अभी मन्त्री महोदय ने अकांड़े प्रस्तुत किये हैं उनसे स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के और हायर सैकण्डरी स्तर के बेरोजगारों की संख्या बढती जा रही है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा क्या इस बेरोजगारी के बढ़ाने का एक कारण यह भी है कि राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती पर बैन लगा रखा है? क्या सरकार बैन हटाने का सोचती है?

दूसरी बात, आपने जो आंकड़े दिये हैं सरकारी नौकरियों के उसमें स्टेट कार्पोरेशन, गैर सरकारी नौकरी शामिल हैं?

तीसरी बात आप जब सरकारी सेवाओं से लोगों की बेरोजगारी नहीं मिटा रहे हैं तो गैर सरकारी एवेन्यूज में बढ़ोतरी करने की सोचते हैं? अभी साल भर में जितने बेरोजगारों की नौकरी लगायी है इसको बढ़ाने के लिये क्या सरकार सोच रही है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय,

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं, वह सदन के सामने हैं।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने पूछा कि राज्य सरकार ने कोई नौकरियों पर बैन लगा रखा है। बैन है। राज्य सरकार का मन्त्रिमण्डल और राज्य सरकार ही उस पर निर्णय कर सकती है। मैं अकेला तो कोई घोषणा नहीं कर सकता इसलिए वह बैन है।

माननीय सदस्य ने जो भावनाएं व्यक्त की है, उस पर विचार करेंगे। आपने जो पूछा कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है उसमें राज्य सरकार किस प्रकार से कमी करना चाहती है। हमने नियोजन कार्यालयों के माध्यम से शिक्षित लोगों को बैंकों से ऋण लेकर काम धन्धे कराने की कोशिश की है उसमें भी हमने काफी उपलब्धियां की हैं। इसके अलावा जो बाहर के देशो में जाते हैं उनके लिए भी हमने एक सैल खोला है। उसके द्वारा भी हमने लोगों को गल्फ कन्ट्रीज में प्रथम बार भेजने का प्रयास किया है। मैं कह दूं कि 19 आदमियों को हमने गल्फ कन्ट्रीज में भेजने का प्रयास किया है। इस तरह हम जागरुक हैं।

जैसा माननीय सदस्य ने पूछा, कार्पोरेशन और दूसरी जगह दी गई नौकरियां भी सम्मिलित हैं। यह ठीक है कि राजस्थान के अन्दर ऐसा चल रहा है जिसको हम रोकना चाहते हैं। एप्लीकेशन लेकर डायरेक्ट भर्ती कर लेते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले एक वन विभाग का प्रश्न था। डायरेक्ट एप्लीकेशन लेकर इन्टरव्यू लेने की परम्परा के बारे में हमने लिखा हुआ है। मैं स्वयं राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी ओर से लिख रहा हूं कि जितने पदों पर भर्ती की जाय, यदि उनकी क्वालिफिकेशन के लोग नियोजन कार्यालय में पंजीकृत हों तो कार्पोरेशन और जितने सरकारी दफ्तर हैं वह उसके माध्यम से ही भर्ती करें और सीधी भर्ती नहीं करें जिससे जो लोग बहुत दिनों से इन्तजार कर रहे हैं, उनको न्याय मिल सके।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ऐसा नहीं होता....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बेरोजगारी जैसी समस्या का हल केवल एक प्रश्न के माध्यम से होना सम्भव नहीं है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : जो लोग ओवर एज हो जाते है क्या उनका नाम नियोजन कार्यालय में काट दिया जाता है? क्या वह इसमें सम्मिलित हैं?

श्री छोगाराम बकोलिया : अनुसूचित जातियों के लोगों की कुछ लोग कम भर्ती करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिए तो यह लागू नहीं होता।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग ओवर एज हो जाते हैं उनके नाम कार्यालय से काटे नहीं जाते हैं लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए उनके नाम भिजवाये नहीं जाते हैं। क्वालिफिकेशन और उम्र नाम भेजते समय लिखते हैं तो कैसे भेज दें। जैसा एक माननीय सदस्य ने एस. सी. और एस. टी. के बारे में कहा तो उनके नाम उसी रेश्यो में भिजवाये जाते हैं जितना रेश्यो उनका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूरक प्रश्न बनावें तो बहुत बन जाते हैं। एक दिन में ऐसा नहीं होता....

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुन लीजिये।

मेरा निवेदन है, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि सैल के द्वारा हमने गल्फ कन्ट्रीज में 19 आदमियों को भेजा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अलग है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मन्त्री महोदय ने जवाब दिया तो मैं चाहूंगा कि गल्फ कन्ट्रीज में जाने वाले श्रमिकों को राज्य सरकार इस सैल के द्वारा बाहर भेजने की व्यवस्था करेगी और प्राइवेट एजेन्सियों पर रोक लगायेगी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : हम प्रयत्न करेंगे। गल्फ कन्ट्रीज में हम अपने नियोजन कार्यालय के माध्यम से भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरों पर हम बैन तो लगा नहीं सकते....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लगा सकते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उन्होंने तो तमाम हिन्दुस्तान में अपना क्षेत्र बना रखा है इसलिये राजस्थान में बैन नहीं हो सकता।

कार्यालय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भीलवाड़ा

271. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कार्यालय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भीलवाड़ा ने इस वर्ष कितना सीमेंट, किन-किनको किस-किस को प्रयोजनार्थ आवन्टित किया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय में नये राशन कार्ड बनाने के मामले विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्यों और कितने ? सरकारी कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर चैकिंग उपरान्त राशन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई ?

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) भीलवाड़ा में इस वर्ष विभिन्न प्रयोजनार्थ आवन्टित सीमेन्ट की सूची संलग्न है।

(2) दिनांक 20-7-81 से सरकारी कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर चैकिंग उपरान्त राशन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 8-3-82 से प्रत्येक वार्ड के लिये कर्मचारी नियुक्त कर घर-घर जाकर नये राशन कार्ड वितरण करने का कार्य प्रारम्भ किया गया। दिनांक 18-3-82 से राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हो जाने परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया के अनुसार राशन कार्ड वितरण नहीं किये जा सके तथा जिला रसद कार्यालय से ही यह कार्य सम्पादित कराया गया। दिनांक 30-6-82 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर दिनांक 31-7-82 तक राशन कार्ड तैयार कर वितरित किये गये। प्राप्त आवेदन पत्रों में से एक हजार राशन कार्ड ऐसे आवेदकों के पैंडिंग हैं जिनके आवेदन पत्रों में अंकित पते पर वे उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे आवेदन या नये आवेदक यदि उपलब्ध होते हैं तो उनके राशन कार्ड जांच करने के पश्चात अब भी बनाये जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महीनों में 115 मैट्रिक टन सीमेंट लघु सिंचाई, 40 मैट्रिक टन गोबर गैस के लिए और 200 मैट्रिक टन राहत कार्यों के लिए वितरित की गई। मेरा दोषारोपण मन्त्री महोदय पर तो नहीं है कि वह गलत उत्तर दे रहे हैं। मैंने ऐसी बात नहीं कही थी। जब संस्था की कार्यवाही की बात है तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि 3 महीने में लघु सिंचाई, गोबर गैस, राहत कार्यों के लिए सीमेंट वितरित किया गया वह सीमेन्ट जिन कार्यों के प्रयोजनार्थ दिया गया, एक तो प्रश्न यह है कि उसकी यूटिलिटी हुई क्या? मैं नहीं कहता कि सभी बेच दिया गया। लेकिन यूटिलाइजेशन बहुत कम है। जिन प्रयोजनार्थ दिया गया था, गोबर गैस के लिए मैं समझता हूं कि जो सीमेंट दिया जा रहा है उसका सेवन्टी फाइव पर्सेंट उपयोग में नहीं आया। अकाल राहत कार्यों के लिए जो सीमेंट दिया गया है ...

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : जिन अकाल राहत कार्यों के लिए सीमेंट दिया गया है वहां पर भी प्रोपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। मैं आपको निवेदन करूं कि महेशपुरा और सलंकिया के खेड़ा के बीच में जो काजवे है वह भी टूट गया है ...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : दूसरा मेरा प्रश्न राशन कार्डों के बारे में है। राशन कार्ड जो बनाए गए हैं, कुछ नहीं बनाए हैं। मेरा निवेदन है कि पिछली बार राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हुई, कर्मचारी राशनकार्ड वितरण के लिये लगाये गए थे। एक बार इस तरह के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये वे पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो राशन कार्ड अभी तक नहीं बनाए गए हैं उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और कमजोर वर्ग के हैं। उनके राशनकार्ड पुराने होते हुए भी नहीं बनाए गए हैं। मैं जानता हूं, मेरे स्वयं के वार्ड के अन्दर जिस क्लर्क को डेप्यूट किया गया है वह वहां पर आया नहीं इसलिये उनके राशनकार्ड बनाए नहीं गए हैं। मुझे लोगों को ले जाकर के राशन कार्ड बनवाने पड़े हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जो आवेदन पत्र पेंडिंग हैं उनका निपटारा कब तक हो जाएगा? इसके अन्दर जो प्रासिजर है क्या उसमें सुधार करेंगे। सीमेंट के सम्बन्ध में जो मैंने निवेदन किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री घासीराम यादव : हमने जो सीमेंट आवंटित किया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है। हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि इसका मिस यूटिलाइजेशन हुआ है। जिस काम के लिए सीमेंट भेजी गई थी....

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, मंत्री महोदय।

श्री घासीराम यादव : उसी के अन्दर उसका यूटिलाइजेशन है, मिसयूज की कोई शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, माननीय मंत्री महोदय, उत्तर की जरूरत नहीं है।

श्री घासीराम यादव : मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को जानकारी हो कि सीमेंट का मिसयूज हुआ है तो वे मुझे बता दें मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

जहां तक राशनकार्ड की बात है, माननीय सदस्य ने कहा, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की भिन्नता का कोई प्रश्न नहीं है। राशन कार्ड बनाने में अनुसूचित जाति, शिड्यूल्ड कास्ट का कोई सवाल नहीं है। मैंने बताया है कि एक हजार राशन कार्ड पड़े हुए हैं उन लोगों का पता सही नहीं है। अगर उनको राशन कार्ड चाहिए तो वे आकर ले जायं। गलत पते लिख रहे हैं और अनुसूचित जाति के नाम पर आपके व्यापारी लाभ उठाना चाहें तो यह नहीं होगा।

श्री बंशीलाल पटवा : मैंने आपसे निवेदन किया कि राशन कार्डों में बहुत बड़ा झमेला है। मेरा एक ही सवाल है कि ये कब तक बन जायेंगे?

श्री घासीराम यादव : मैंने आपको कह दिया है कि उनके पते सही नहीं हैं। जो

(श्री घासीराम यादव)

पते उन्होंने दिये हैं उस पर वे मिले नहीं हैं। अगर उनको राशन कार्ड चाहिए तो वे खुद आकर ले लें।

श्री बंशीलाल पटवा : विभाग की शिथिलता के बारे में आप क्या कहते हैं। वे राशन कार्ड लेना चाहते हैं लेकिन उनको दिए नहीं जा रहे हैं।

श्री घासीराम यादव : उन्होंने गलत पते दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : माननीय मंत्री ऊंचे पद पर बैठे हैं तो इस तरह से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : ....आवेश में क्यों आ रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : × × ×

श्री अध्यक्ष : इस तरह से बाधा नहीं डालें, माननीय सदस्य। आप उत्तर नहीं दे, मंत्री महोदय।

श्री भगवानदास शास्त्री : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री रामसिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि देश में सीमेंट की बहुत कमी है। हिन्दुस्तान के अन्दर और हमारे यहां पर भी बहुत कमी है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे जोधपुर जिले में चार साल से सीमेंट नही दिया गया है। किसी को एक कट्टा सीमेंट नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। अगला प्रश्न, श्री छीतरलाल आर्य।

ग्राम मोतीपुरा, तहसील अटरू के कृषकों को खातेदारी के अधिकार

272. **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 में तहसील अटरू के मोतीपुरा ग्राम के कुछ किसानों से खातेदारी अधिकार छीन लिए गये थे ? यदि हां, तो किन किन के और क्यों ?

(2) क्या किसान श्री मोडसिंह, श्री कालू धाकड़ व अन्य जिनसे खातेदारी अधिकार छीने गये थे, उन सभी किसानों को

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री छीतरलाल आर्य)

सरकार द्वारा वापस खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार इनको वापस खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जी हां। 18 किसानों, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है, ने अवैध तरीके से सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि क्रय की थी। इन बेचानों को गैर कानूनी होने से अवैध माना गया है।

(2) इनमें से 7 खातेदार किसान जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, इन्हें पुनः भूमि नियमानुसार आवंटित कर दी गई है। श्री मोडसिंह व कालू धाकड भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः इन्हें अधिग्रहीत भूमि आवंटित नहीं की गई।

(3) जी नहीं। 11 व्यक्ति भूमिहीन नहीं हैं, अतः इन्हें नियमानुसार आवंटन नहीं किया जा सकता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या यह सत्य है कि यह जमीन इन्होंने 1958 में खरीदी थी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह भूमि इन्होंने 58, 59, 60 और 61 में खरीदी थी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जी ?

श्री परसराम मदेरणा : 58, 59, 60 और 61 में खरीदी थी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपने कहा कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि गरीब किसानों ने खरीदी है जब कि सीलिंग कानून में जो प्रावधान है उसमें आपने 1970, 69 और 66 तक खरीदी भूमि वैध माना है। यह जमीन 1958 में खरीदी गई थी तो यह सीलिंग में किस तरह से आ गई ? यह जमीन सीलिंग आफिसरों ने गलत ढंग से ली है....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह विधि के इण्टरप्रिटेशन का प्रश्न है। जैसा कि बारां से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि टिनेंसी एक्ट के सेक्शन 3 (बी) के अन्तर्गत भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में है, 58, 59 में सेल हुई है उनको अवैध माना जाएगा। इन भूमियों के सम्बन्ध में ये लोग अपील में गए और रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी ने एस. डी. ओ. द्वारा किए गए अधिग्रहण को वैध माना है। यह कानून का मामला है, मैं कानून की धाराओं के इण्टरप्रिटेशन में अभी नहीं जा सकता।

श्री छीतरलाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस. डी. ओ. और तहसीलदार द्वारा इन किसानों को जो सजायें सुनाई गई है, या जो सजायें दी है, माननीय अध्यक्ष

(श्री छीतरलाल आर्य)

महोदय, क्या इन किसानों को उससे मुक्त किया जाएगा ? उन पर पन्द्रह पन्द्रह सौ रुपया प्रति बीघा जुर्माना हो गया है और तीन तीन सौ रुपया बीघा उनसे मुआवजे का मांग रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से क्या इन किसानों को इन सजाओं व जुर्माने से मुक्त किया जाएगा ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो सैक्शन 91 की कार्यवाही की गई है और यह कार्यवाही भी जूडिशियल मैटर है। जूडिशियल मैटर होने से अपीलेबल है। उनको कोर्ट में जाकर रेमेडी सीक करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री अमरा-राम।

कल्याणपुरा–समदड़ी सड़क का निर्माण

274. **श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पचपदरा से थोब और थोब से आगोलाई तक डामर सड़क स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो कुल कितनी किलोमीटर सड़क डामर बनाई गई है ? यदि कुछ शेष रह गई है, तो कब तक पूरी हो जायेगी ?

(2) क्या कल्याणपुरा से समदड़ी डामर सड़क बनाने हेतु पिछले दो साल से कार्य चल रहा है ? यदि हां तो क्या सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री चेतराम मीणा) : (1) पचपदरा से थोब तक मिल्क रूट के तहत डामर सड़क स्वीकृत हुई थी एवं थोब से आगोलाई तक की सड़क अकाल राहत में इस वर्ष स्वीकृत की गई थी। पचपदरा से थोब 21 कि. मी. तक डामर की सड़क बनाई जा चुकी है। थोब से माडपुरा व आगोलाई जिला सीमा तक 39 कि० मी० में से सिर्फ मैटल व ग्रेवल का ढुलाई का कार्य ही हो पाया है व कुछ हिस्से में कुटाई भी हो चुकी है। यह सड़क योजनान्तर्गत नहीं होने के कारण पूर्ण करने हेतु अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। सड़क निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। यह कार्य केवल अकाल राहत कार्यक्रम के तहत चला था और राहत कार्य बन्द होने से कार्य पूरा नहीं किया जा सका। कार्य पूर्ण किये जाने की इस विभाग की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सड़क ग्रेवल सम्वत् 1996 में बनी थी ? एक सवाल। उसके बाद में क्या इस सड़क पर करीब तीस साल से हमेशा दो बसें आती हैं और दो बसें बालोतरा से आगोलाई के बीच में चलती हैं ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय,

(श्री चेतराम मीणा)

माननीय सदस्य ने दो सवाल किये हैं। एक सवाल तो मैं समझता हूं कि उस सड़क के बारे में है ...

श्री ग्रमराराम चौधरी : थोव से ग्रागोलाई के वारे में है ?

श्री चेतराम मीणा : मैंने अपने उत्तर में कहा कि थोब से माडपुरा व ग्रागोलाई सड़क की लम्बाई 39 किलोमीटर है और इस सड़क में....

श्री ग्रमराराम चौधरी : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि पचपदरा से थोब की जो सड़क है क्या वह सम्वत् 1996 में बनी थी यानि 43 साल पहले बनी थी ? क्या यह आपकी जानकारी में है ?

श्री चेतराम मीणा : मैंने निवेदन किया कि पचपदरा और थोब तक सड़क मिल्क रूट के तहत स्वीकृत हुई थी 80-81 में ...

श्री ग्रमराराम चौधरी : इसका मतलब यह है कि यह ग्रेवल सड़क 80-81 में बनी ?

श्री चेतराम मीणा : पचपदरा से आकोडा रोड है वह 80-81 में बनी थी।

श्री यदुनाथ सिंह : आपके गांव की सड़क तो आपके मिनिस्टर बनते ही बन गई थी।

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : थोब से माडपुरा व ग्रागोलाई सड़क पर कुटाई की गई थी और चार किलोमीटर तक मेटल किया गया है। थोब से आगे 21 किलोमीटर तक मेटल रोड बनाई जा चुकी है। माडपुरा से 38 और 43 किलोमीटर पर मेटल रोड है और बाकी ग्रेवल रोड है।

श्री ग्रमराराम चौधरी : इस प्रकार का मेटल डाला गया है कि इस रोड पर गड्ढे हो गए हैं हर रोज उस पर दो बसें आती जाती हैं। यातायात का आवागमन बड़ा मुश्किल हो गया है। आप अच्छी तरह से मेटल डालते नहीं है इसके कारण बस वालों के टायर हमेशा फूटते रहते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इस सड़क का जो अधूरा काम है, उसको इस साल पूरा करवायेंगे।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, यह सड़क अकाल राहत कार्य के तहत बनवायी गयी थी। 31 जुलाई को अकाल राहत कार्य बन्द हो गये हैं इसलिये स्थिति वैसी ही बनी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अमीन खां।

परिवहन निगम की बसों का निरीक्षण

275. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमीन खां)

(1) वर्ष 1981–82 में राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसेज का मोबाइल मजिस्ट्रेट्स् ने चैकिंग किया? कुल कितने यात्री बिना टिकट पाये गये?

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के डिपोज के अधीन मोबाइल मजिस्ट्रेट्स ने कितनी बार वर्ष 1981–82 में बसेज का निरीक्षण किया?

(3) क्या बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को सजा दी गई? यदि हां, तो कहां कहां? नहीं, तो क्यों?

(4) बाड़मेर व जैसलमेर में बस स्टेण्ड कब तक बनाये जायेंगे? नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, यातायात **श्री जयकृष्ण शर्मा :** (1) वर्ष 1981–82 में मोबाइल मजिस्ट्रेट्स द्वारा निगम के कुल 3975 वाहनों का चैकिंग किया गया। इन वाहनों में कुल 1840.30 यात्री बिना टिकट पाये गये।

(2) 1981–82 में मोबाइल मजिस्ट्रेट ने बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के अधीन डिपोज के क्षेत्राधिकार में 23 बार वाहनों का निरीक्षण किया है।

(3) जी हां। जोधपुर, बाली, फालना बाड़मेर, बोसियां, मथनिया, जालौर, बालेसर, शेरगढ़, पाली, जाडन, सोजत एवं नागौर के मार्गों पर सजाएं दी गई हैं।

(3) निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर ही बाडमेर व जैसलमेर में स्वयं के बस स्टेण्ड बनाया जाना संभव होगा।

श्री अमीन खां : क्या पैसेन्जर को सजा देने का प्रावधान है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : प्रावधान है तभी तो सजा दी गई है।

श्री अमीन खां : बाड़मेर, जोधपुर डिपो में कितने पैसेन्जर को अर्थ दण्ड दिया गया और कितना वसूल हुआ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : 23 बार चैकिंग हुई। 1750/– रुपये वसूल किया गया है। जो बिना टिकट पाये जाते हैं उनसे अर्थ दण्ड लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आपके मजिस्ट्रेट ने जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर से इतना ही वसूल किया? पार्टीज पर खर्चा बहुत अधिक हो रहा है। प्रश्नकर्ता।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं। मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जो चैकिंग की व्यवस्था है, उसको भविष्य में और भी अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : 23 बार चैकिंग करने में कितना खर्चा हुआ?

श्री छोगाराम बकोलिया : जैसा अभी मंत्री महोदय ने प्रश्न के जवाब में बताया है कि बाड़मेर, जैसलमेर में बस स्टेण्ड निगम की स्थिति सुधरने के बाद में बनाये

(श्री छोगाराम बकोलिया)

जायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि निगम की वित्तीय स्थिति कब सुधरेगी ? यह माननीय मंत्री महोदय बतावें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि एक हजार रुपया पैसेन्जर से जुर्माना वसूल किया गया है। परन्तु जो बस कन्डक्टर होता है, क्या उसको भी सजा दी गई है ? वे पैसेन्जर को टिकट नहीं देते हैं। यह पैसेन्जर की गलती थोड़े ही है। कन्डक्टर को भी सजा देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, बस स्टेण्ड नहीं है। इसका जवाब मंत्री महोदय बतावें कि कौन से साल में बाड़मेर में बस स्टेण्ड बनेगा ? वहां पर काफी पापुलेशन है और बार्डर एरिया है। पैसेन्जर को तकलीफ होती है। मंत्री महोदय ने घुमा फिराकर जवाब दिया है। मैं कान्क्रीट जवाब चाहता हूं कि आप बाड़मेर में कब बस स्टेण्ड बनाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया उत्तर आने दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि जुर्माना तो वसूल किया गया पैसेन्जर से परन्तु कन्डक्टर को क्या सजा दी गई। अध्यक्ष महोदय, जिस बस से विदाउट टिकट पैसेन्जर पकड़े जाते हैं, जुर्माना तो पैसेन्जर से ही वसूल किया जाना है परन्तु कन्डक्टर को या तो सस्पेन्ड कर दिया जाता है और या उसको नोटिस दिया जाता है। जिन बसेज में अनियमितताएं हुई हैं उनमें जो कन्डक्टर और कर्मचारी होते हैं उनके खिलाफ अलग से एक्शन लिया जाता है। वह इसमें सम्मिलित नहीं है।....

श्री अध्यक्ष : बस स्टेण्ड के बारे में।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आज कहने की स्थिति में नहीं हूं, बाड़मेर और जैसलमेर में कब बस स्टेण्ड बनेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है, जैसे ही रोडवेज की वित्तीय स्थिति ठीक होगी, प्राथमिकता के आधार पर इनके बारे में विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है मोबाइल मजिस्ट्रेट द्वारा चैकिंग में हजारों पैसेन्जर को बिना टिकट पकड़ा। यह भी बताया कि कन्डक्टर को सजा दी गयी। मेरा छोटा सा सवाल है कि आज तक आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कितने कन्डक्टर्स भर्ती हुए और उनमें से सेवा निवृत्त सही रूप में कितने हुए ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बाड़मेर, जैसलमेर की जनता को इन सुविधाओं से वंचित रखने का

Page No 22

(22)

(श्री चन्द्रवीरसिंह)

क्या कारण है जब कि सब जगह बस स्टेण्ड बने हुए है ? रामदेवरा का मन्दिर है वहां पर कितनी ही बसेज आती हैं। हजारों यात्री वहां पर आते हैं परन्तु उनके लिये कोई सुविधा नहीं है । जैसलमेर पर्यटन स्थल है परन्तु वहां पर कोई बस स्टेण्ड की सुविधा नहीं है। आपके बस का डिपो है। कृपया मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सीधा यह प्रश्न करना चाहता हूं कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो जुर्माना वसूल किया गया है वह क्या राजकोष में जमा होता है या निगम के कोष में जमा होता है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : पहले राजकोष में जमा होता था अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि निगम के कोष में जमा होगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री चन्द्रवीरसिंह : निगम के पास सुविधा नहीं है तो भी आपको सुविधा देनी पड़ेगी। आप भेदभाव करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न नं० 276 । श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

उदयपुर शहर में जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी सीमेन्ट के परमिट्स

276. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी, उदयपुर के कार्यालय से दिनांक 31-3-1981 से 31-3-1982 तक सीमेन्ट के फर्जी परमिट काटे गये ? क्या उसकी जांच सरकार ने करायी ? यदि हां, तो कृपया उसकी जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, उदयपुर के नाम से भी फर्जी परमिट जारी किये गये ? यदि हां, तो कृपया उसकी भी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें ?

(3) अब तक राज्य सरकार ने किन किन अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति जो जनता के हैं, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ।

राज्य मंत्री, आपूर्ति (**श्री घासीराम यादव**) : (1) जिला रसद अधिकारी, उदयपुर के कार्यालय से दिनांक 31-3-81 से 31-3-82 तक सीमेन्ट के कोई फर्जी परमिट जारी नहीं किये गये । जिला रसद कार्यालय, उदयपुर के नाम से जारी फर्जी परमिटों पर सीमेन्ट विक्रय किये जाने के मामले की एफ आई. आर. दर्ज कराई गई थी । विवादाग्रस्त दस्तावेजात हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट के पास जांच हेतु भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से प्रकरण पुलिस अनुसंधान में पैन्डिंग है । अतः जांच पूर्ण नहीं होने के अभाव में रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने में असमर्थता है ।

(श्री घासीराम यादव)

(2) नगर विकास न्यास, उदयपुर के नाम से जारी फर्जी परमिटों की भी एफ. आई आर. दर्ज कराई गई थी। तफतीश के दौरान थाना सूरजपोल पर गिरफ्तार मोहम्मद यूनुस ने इन्ट्रोगेशन पर बतलाया कि जाली परमिट श्री मदनमोहन श्रीवास्तव से प्राप्त हुए थे। श्री मदनमोहन फरार है जिसकी तलाश जारी है। अतः जांच पूर्ण नहीं होने से सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थता है।

(3) जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो फर्जी परमिट, का सवाल है, पिछले ड़ेढ साल से इसका विरोध हो रहा है। 87 फर्जी परमिट अध्यक्ष महोदय, दिये गये। पुलिस तफतीश में उन लोगों के नाम दर्ज हैं। फिर भी केवल एक आदमी की छानबीन की गई है बाकी कहां गायब हैं, यह विभाग की आपस की बात है। जांच जो आप कर रहे हैं उसे जान बूझकर डिले कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सारे अधिकारी फंसे हुए हैं। जांच रिपोर्ट आपको दी गई है आप बतायें कि किस किस अधिकारी ने दस्तखत किये हैं। यदि फर्जी परमिट उन्हीं नम्बरों के जिला रसद अधिकारी से इश्यू हुए हैं तो डबल क्यों हो गये? अगर डबल हुए हैं तो सीमेन्ट कम पड़नी चाहिये। जो दोषी अधिकारियों का पता लगा है उनके खिलाफ आप क्या करना चाहते हैं? यह बतायें।

श्री घासीराम यादव : आप यह कैसे मानते हैं हमको पता लग गया है कि दोषी अधिकारी कौन हैं। मेरा यह मानना है कि हमारे विभाग का कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अगर पुलिस तफतीश से मालूम होता कि मुल्जिमों से कोई हमारे अधिकारी मिले हुए हैं तो हम उनकी जांच करवाते। मैंने डी. एस. ओ. को बुलाया। मैं जानता हूं, माननीय सदस्य ने पहले भी यह सवाल उठाया था, मैंने सदन में हां भरी आपने कहा, पिछले डेढ़ साल से इसका विरोध चल रहा है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात मालूम पड़ेगी तो उच्च अधिकारी भेजकर जांच कराऊंगा। मैंने नये डी. एस. ओ. पुराने डी.एस.ओ. को बुलाया उनसे क्या पिछले साल से ऐसा चल रहा है। उन्होंने कहा, रिकार्ड से ऐसा मालूम नहीं पडता। पुलिस की जांच हुई, गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछा गया, इण्ट्रोगेशन किया किसी ने यह नहीं बताया कि किस आदमी से मिलीभगत थी। आप तो यह भी कहेंगे यू. आई. टी. में भी मिली भगत थी, और आपको इंजीनियर ने भी मिलीभगत से दस्तखत किये। नम्बर ले आये। मान लो किसी की मिलीभगत होगी भी तो पुलिस रिकार्ड पर किसी का नाम आया नहीं तो जांच किसकी कराऊंगा। मैं आज भेज दूं आपके साथ जांच अधिकारी, क्या जांच करायेंगे आप?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

Page No 24

(24)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मदन मोहन शर्मा का नाम आपने बताया, इस व्यक्ति के बारे में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री घासीराम यादव : पुलिस में तफतीश हुई....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं।

श्री घासीराम यादव : आप भ्रष्टाचारियों की पैरवी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सब भ्रष्टाचारियों को संरक्षण आपका है, आपकी मिलीभगत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, आरोप प्रत्यारोप न लगायें अनावश्यक रूप से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक लाख का सीमेन्ट तो इन फर्जी परमिटों से पकड़ा गया, उसके बाद भी यह बात है। अध्यक्ष महोदय, एक नाम का पता लगाया वह भी कहीं गुम हो गया हिन्दुस्तान से बाहर चला गया ? यह कौनसी जांच है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने कहा, परमिट में नाम लिखा हुआ है, मकान नम्बर लिखा हुआ है, व्यक्ति का नाम लिखा है। आपने उनको जाकर क्यों नहीं पकड़ा जिनके नाम से सीमेंट निकला है - आखिर यह बताये जांच कब तक पूरी कर लेंगे ? 6 महीने हो गये आपको जांच करते करते।

श्री घासीराम यादव : वह पुलिस में तो है नहीं....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, मैं इजाजत नही दे रहा हूं।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सेवा पूजा दाखिल खारिज स्वीकार करना

257. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):--क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(1) क्या यह सही है कि श्री माधोलाल आत्मज बिहारी लाल मेहर के नाम श्री देव नारायण गांव किशनपुरा एवं श्री देवनारायण जी बोरदा की सेवा पूजा का दाखिल खारिज स्वीकार कराने हेतु सहायक आयुक्त कोटा, ने दिनांक 27-9-1977 को आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर को लिखा है ?

(2) यदि हां, तो उक्त व्यक्ति के नाम अभी तक दाखिल खारिज नहीं किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस हेतु जानकारी कर उचित व्यवस्था हेतु आदेश प्रदान करेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह दोनों मन्दिर देवस्थान विभाग द्वारा न तो प्रबन्धित राजकीय मन्दिर हैं और न ही सहायता प्राप्त अराजकीय मंदिर हैं। अतः इनके लिये देवस्थान विभाग की दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जानी है।

भरतपुर शहर में आवासन मण्डल द्वारा भवन निर्माण

258. श्री हरिसिंह (कुम्हेर):—क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या भरतपुर शहर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा मकान निर्माण किये जाने हेतु हुडको देहली से ऋण अथवा अन्य रूप में धनराशि मिली है? यदि हां, तो कितनी ?

(2) राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अब तक भरतपुर शहर में कितने मकानों का निर्माण किया गया है और उनमें से कितनों का आवंटन किया जा चुका है ? कृपया आवंटियों की सूची, नाम व पते सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भरतपुर शहर में आवासन मंडल द्वारा मकान निर्माण किये जाने की कोई भावी योजना है ? यदि हां, तो किस वर्ग के कितने मकान किस स्थल पर बनाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, भरतपुर शहर में राजस्थान आवासन मण्डल को मकानों के निर्माण हेतु 24.37 लाख रुपये ऋण के रूप में हुडको से प्राप्त हुए हैं।

(2) भरतपुर शहर में आवासन मंडल ने अभी तक 229 मकानों का निर्माण किया है। उपरोक्त 229 मकानों में से 164 आवंटित हो चुके हैं। आवंटियों की सूची नाम एवं पते परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) भरतपुर शहर में कुल पंजीकरण 446 मकानों के लिए हुआ है। उसमें से 229 मकान बने हुए हैं। 217 मकान बनाने हेतु जमीन के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है। इन मकानों को बनाने हेतु नगर विकास न्यास भरतपुर से रणजीत नगर कालोनी में जमीन उपलब्ध करवाने के लिए बातचीत कर ली गई है। इसके अतिरिक्त फतेहपुर सीकरी रोड पर भी जमीन अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जो मकान बनाने हैं एवं बन चुके हैं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र. सं.	आय वर्ग	पंजीकरण	मकान बन चुके हैं	मकान बनाने हैं
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग ।	218	164	54
2.	अल्प आय वर्ग	121	14	107
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	79	23	56
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	28	28	–
5.	उच्च आय वर्ग	–	–	–
		446	229	217

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखे)

घनोप–केकड़ी मार्ग पर बस चलाना

259. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के घनोप–केकड़ी मार्ग पर बस चलाने हेतु परमिट स्वीकृत किया गया था ?

(2) यदि हां, तो वह परमिट किसके पक्ष में कब स्वीकृत किया गया और उस बस ओपरेटर द्वारा इस मार्ग पर दिनांक 1-4-1981 के बाद कब तक बस चलाई गई और अब कब से बन्द है ?

(3) अब इस मार्ग पर बस सेवा कब से नियमित उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । दो परमिट स्वीकृत किये गये थे ।

(2) ये दोनों परमिट दिनांक 24-11-78 को श्री मदन लाल शर्मा व श्री बजरंग लाल को स्वीकृत किये गये थे । श्री मदन लाल की बस सितम्बर, 81 में चलना बन्द हो गयी थी एवं श्री बजरंग लाल की बस दिनांक 5-6-82 तक चली थी । बसें तभी से बन्द हैं ।

(3) 6-8-82 को एक अस्थाई अनुज्ञा पत्र प्राप्त नहीं किया है । शेष कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है । प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जयपुर में टेम्पो एवं मिनी बसों के परमिट्स

260. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में कितने टेम्पो स्वीकृत किये गये हैं ? मार्गवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) मिनी व मेटाडोर बसेज के कितने परमिट दिये गये हैं ? कृपया मार्गवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) उक्त परमिटों के वितरण के निर्णय कब हुए ? क्या सभी मार्गों का गजट नोटिफिकेशन हुआ है ? यदि हां, तो कब कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त टेम्पो व मिनि बसेज के एक ही स्टेण्ड हैं, जिससे आये दिन झगड़ा होता है ? क्या सरकार इस व्यवस्था में कोई सुधार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में 260 टेम्पो का स्कोप निर्धारित है जिसमें से 257 परमिट जारी हैं। ये अनुज्ञापत्र नामवार स्वीकृत नहीं किए गये हैं।

(2) मिनी बस व मेटाडोर के 166 परमिट दिये गये हैं। जिनमें से 41 स्थायी व 125 अस्थाई अनुज्ञापत्र है। मार्गवार सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) टेम्पो के अनुज्ञापत्र कोन्ट्रेक्ट केरेज के अन्तर्गत जारी किये गये हैं। जिनके लिये मार्ग निर्धारित नहीं होकर नगर परिषद सीमा के लिए है जिसके लिये नियमानुसार मोटर व्हीकल अधिनियम के अन्तर्गत गजट नोटिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है। टेम्पो के जारी किये गये अनुज्ञापत्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

1966–7, 1667–4, 1968–3, 1969–37, 1970–35, 1971–36, 1972–20, 1973–2, 1974–15, 1975–59, 1976–2, 1979–17, 1980–5, 1981–15, कुल योग 257 मिनी बसों के स्थायी मार्ग 1 से 10 का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 28-3-81 को हो चुका था तथा इन पर परमिट स्वीकृत करने का निर्णय 18-9-80, 21-1-81 एवं 26-12-81, 26-2-82, 4-5-82, 13-5-82 व 21-5-82 को लिया गया।

(4) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा टेम्पो व मिनी बसों के अलग अलग स्टेण्ड निर्धारित किए हुए हैं तथा इसकी अधिसूचना भी जारी की गयी है। फिर भी इन वाहन स्वामियों के बीच कभी कभी झगड़ा हो जाता है। इस व्यवस्था में सुधार हेतु जिला प्रशासन एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य में गोडावण पक्षी

261. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के पक्षी घरों में गोडावण पक्षी कितने कहां-कहां पर हैं ?

(2) गोडावण पक्षी को मारने की शिकायत क्या विभाग को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य के पक्षी घरों में गोडावण पक्षी कुल पांच हैं। जिनमें से एक जयपुर जन्तुआल में तथा चार जोधपुर जन्तुआलय मे हैं।

(2) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य की वन विकास योजना

262. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य मे वन विकास की क्या योजना है? कृपया योजना का मूल्य ब्ल्यू प्रिन्ट सदन के पटल पर रखें

(2) सरकार ने वर्तमान में वनों की लकड़ी की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं? विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) राजस्थान में कितनी भूमि वनों के अन्तर्गत आरक्षित है और वह राजस्थान की कुल भूमि का कितना भाग है? क्या यह रेंज पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस रेंज को बढ़ाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वन विकास हेतु मुख्य रूप से निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :—

1. मरु विकास कार्यक्रम।
2. सूखा सम्भावित कार्यक्रम
3. सामाजिक वानिकी
4. राजस्थान नहर योजना
5. परिगणित क्षेत्र उप योजना
6. भू-संरक्षण परियोजनायें

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) वनों से लकड़ी की चोरी करने के लिए स्थानीय अमले के अतिरिक्त सात वानिकी उड़न दस्तों का गठन किया जा कर उन्हें चोरी के सम्भावित स्थानों के आसपास तैनात किया गया है। वन अपराधों के मुकदमों के तुरन्त निपटारे हेतु मोबाइल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन है?

(3) राजस्थान में कुल वन भूमि 30,905,62 वर्ग कि० मी० है जो राज्य की कुल भूमि का 9·03 प्रतिशत है। इसमें से आरक्षित वन क्षेत्र 12,445,06 वर्ग कि० मी० है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुल भू-भाग के 33 प्रतिशत भाग पर वनों का होना आवश्यक है। भूमि पर अत्यधिक दबाव को देखते हुए सामाजिक वानिकी डीडीपी आदि योजनाएं आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत अधिकाधिक सम्भव खाली

(वन मन्त्री)

भूमि को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

वन मण्डल अधिकारी, अजमेर द्वारा पौध का विवरण

263. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मण्डल वन अधिकारी, अजमेर द्वारा 1-4-80 से 31-3-1981 एवं 1-4-1981 से 31-3-1982 तक फलदार एवं फूलदार पौधे किस-किस को कब-कब कहां-कहां लगाने हेतु कीमतन या मुफ्त दिये गये? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

मकराना से बोरावड़ सड़क की मरम्मत

264. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर) : क्या सार्वजनिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में मकराना से बरबड़ सड़क पर वर्षा के समय पानी भरने से वाहनों का आवागमन बन्द हो जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसी स्थिति सड़क के दोनों ओर फैक्ट्रीज वालों द्वारा मिट्टी व कचरा डालने से उत्पन्न हुई है?

उत्तर

(1) अधिक वर्षा के समय वर्षा का पानी सड़क के कुछ स्थानों पर भर जाने से वाहनों के आवागमन में असुविधा होती है।

(2) जी हां।

(3) वर्षा बन्द हो जाने के बाद मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है तथा आवागन चालू है।

तहसील भीलवाड़ा में बनास नदी पर काज वे निर्माण हेतु आरक्षित सीमेंट का विक्रय

265. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा तहसील के महेशपुरा तथा सोलंकियों के खेडे के बीच बनास नदी पर काज-वे बनाने हेतु सन् 1981–82 में 2000 (दो हजार) सीमेंट की बोरियां आरक्षित की गयी थीं? यदि हां, तो वे कहां गईं? क्या उनका

(श्री बंशीलाल पटवा)

विक्रय कर दिया गया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के सटल पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा तहसील के महेशपुरा तथा सोलंकियों के खेडे के बीच बनास नदी पर काज-वे बनाने हेतु सन् 81-82 में 1960 सीमेंट के कट्टे अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. अकाल राहत खण्ड-तृतीय भीलवाड़ा द्वारा आरक्षित किये गये थे। इन में से 1660 सीमेंट के कट्टे अधिशाषी अभियन्ता, सा० नि० वि०, खण्ड-प्रथम भीलवाड़ा ने अपने अधीन लेकर दूसरे कार्यों पर आवश्यकतानुसार उपयोग किये। शेष 300 सीमेंट के कट्टे अधिशाषी अभियन्ता अकाल राहत खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा ने अन्य कार्यों में आवश्यकतानुसार उपयोग किये। 1960 सीमेंट के कट्टे में से एक भी कट्टे का विक्रय नहीं किया गया।

रामगंजमण्डी के विश्राम गृह में पेय-जल व्यवस्था

266. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज-मण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के रामगंजमंडी विश्राम गृह में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या जन-स्वास्थ्य विभाग ने पानी की लाइन देने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से तीस हजार रुपये की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? कब तक विश्राम गृह में पानी की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

(3) यदि हां, तो जन-हित में सड़कों को सुधारने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

पेयजल की उचित व्यवस्था है।

(2) जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की लाइन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से लगभग उक्त कथित राशि की मांग की गई थी। जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग (उप खण्ड रामगंजमंडी) के पत्र क्र. 368-70 दिनांक 19-6-82 से प्राप्त तखमीना में जेल भवन, उप जिलाधीश, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, तहसील कार्यालय एवं डाक बंगले में पानी की व्यवस्था बाबत राशि देय हेतु मांग की गई थी जिसे स्थानीय कार्यालय द्वारा संशोधन हेतु कार्यालय के पत्रांक आर०आर० 1813 दिनांक 9-7-82 से पुनः सहायक अभियन्ता जन-स्वास्थ्य उप खण्ड रामगंजमंडी को लौटा दिया गया है जो अभी तक प्राप्त होना शेष है। संशोधित तखमीने की प्राप्ति पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

अनुदान प्राप्त छात्रावासों का बन्द होना

267. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के अनुदान प्राप्त छात्रावासों में से वर्ष 1982–83 में कितने छात्रावास किन-किन संस्थाओं द्वारा परिवर्तित व्यवस्था के कारण बन्द कर दिये गये हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जिन संस्थाओं ने वर्ष 1982–83 से छात्रावास बन्द कर दिये हैं, उनकी एवज में राज्य सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटन पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) जहां सम्भव हो सका छात्रों को राजकीय छात्रावास में प्रवेश दिया गया। छात्रों की दी जाने वाली सुविधा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है और संस्थाओं द्वारा छात्रावास पुनः प्रारम्भ कराने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जयपुर जिले में सांसी जाति के व्यक्ति

268. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जयपुर जिले में सांसी जाति के कितने-कितने परिवार किस-किस तहसील में रहते हैं, तहसीलवार सांसी जाति की जन संख्या क्या है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें ;

(2) क्या यह सही है कि सांसी जाति के अधिकांश परिवारों की आय का कोई स्तोत नहीं है और उन्हें जीवन यापन के लिए चोरी करने को मजबूर होना पड़ता है।

(3) सांसी जाति के परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये ?

(4) क्या यह सही है कि इस जाति के संस्कार सुधार एवं भावी पीढ़ी को चोरी की आदत से बचाने के लिये समाज कल्याण विभाग ने कोई योजना ही नहीं बनायी और न इस ओर कोई प्रयास किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में सांसी जाति की जनसंख्या तहसीलवार (1971 की जनगणना के आधार पर) संलग्न परिशिष्ट "क" मेज पर रख दी गई है। परिवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

Page No 32

(32)

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

(2) जी नहीं। आय स्रोत कार्य करने से बनता है।

(3) सांसी जाति राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित है और उनके शैक्षणिक, आर्थिक, तथा सामाजिक उत्थान के लिये उन सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध है जो राज्य में अनुसूचित जाति के लिये हैं।

(4) जाति विशेष के लिये कोई योजना नहीं बनाई किन्तु अनुसूचित जाति के पूर्ण समुदाय के लिये योजना बनाई गई है।

राष्ट्रीय हरिजन किसान छात्रावास डीडवाना

269. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री राष्ट्रीय हरिजन किसान छात्रावास, डीडवाना, जिला नागौर को पिछले तीन साल अर्थात् वर्ष 1978-79, 1979-80 एवं 1980-81 में कुल कितना अनुदान दिया गया है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि समाज-कल्याण विभाग के बार बार लिखने पर भी समाज कल्याण अधिकारी, नागौर इस संस्था के अनुदान चुकाने सम्बन्धी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और निदेशालय द्वारा भेजे गये पत्र संख्या 2078, दिनांक 21-1-81 अ० शा० पत्र संख्या 15319 दिनांक 25-3-81 एवं पत्र संख्या 33955 दिनांक 14-6-82 की पालना कर रिपोर्ट भी नहीं भेज रहे हैं ?

(3) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के छात्रों के इस छात्रावास को समय पर नियमानुसार अनुदान देने में बाधा डालने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और संस्था को बकाया अनुदान का भुगतान कब तक कर देगी ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय हरिजन किसान छात्रावास डीडवाना को वर्ष 78-79 में 18,645 रु० का अनुदान दिया गया। वर्ष 79-80 एवं 80-81 में कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

(3) जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण नागौर ने पत्रोत्तर में विलम्ब किया है। अनुदान का औचित्य के आधार पर भुगतान किया जाता है।

अधीक्षण एवं अधिशाषी अभियन्ताओं के रिक्त पद

271. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में अधीक्षण तथा अधिशाषी अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों में से कुल कितने स्थान रिक्त हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री यदुनाथसिंह)

(2) दीर्घकाल से रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशाषी अभियन्ताओं के क्रमशः 10 एवं 13 पद रिक्त है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार यथा सम्भव इन रिक्त पदों को भरने के लिये प्रयत्नशील है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

तहसील कामां भरतपुर के विभिन्न बांधों पर बेलदारों की नियुक्ति

272. **श्री चाव खां** (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील कामां आलमपुर-पापड़ा-सतवाड़ी पथराली-रॉफ-पांचोंबांधों पर 1980-81 तथा 1981-82 में जुलाई, अगस्त व अक्टूबर में कितने बेलदार रखे गये तथा उन्हें माहवार कितना वेतन दिया गया ? विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(तहसील कामां के आलमपुरा पापड़ा सतवाड़ी पथराली एवं रॉफ पांचों बांधों पर रख-रखाव हेतु रखे गये आकस्मिक श्रमिकों की संख्या एवं वेतन भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	माह का नाम	श्रमिकों की सं०	श्रमिक दिवस	वेतन भुगतान की राशि रुपये में
1.	जुलाई, 1980	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अगस्त, 1980	29	890	6230·00
3.	अक्टूबर, 1980	शून्य	शून्य	शून्य
4.	जुलाई, 1981	33	608	4256·00
5.	अगस्त, 1980	42	1225	8575·00
5.	अक्टूबर, 1981	शून्य	शून्य	शून्य

अधीनस्थ अभियंताओं को राजपत्रित स्तर प्रदान करना

273. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बंगाल, केरल व बिहार राज्य में अधीनस्थ अभियन्ताओं को राजपत्रित स्तर प्रदान किया हुआ है ? यदि हां, तो राजस्थान सरकार इस विषय में क्या विचार रखती है ?

(35)

(श्री समर्थलाल)

(2) क्या राज्य सरकार डिग्री व डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं के बीच भेदभाव रखती है, जबकि केन्द्र सरकार में एक ही कार्य पर कार्यरत डिग्री व डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं को समान वेतन व पदनाम दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं के भविष्य एवं भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इनके आठ सूत्रीय मांग-पत्र पर विचार कर रही है, अब क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) बंगाल, केरल व बिहार राज्य मे अधीनस्थ अभियन्ताओं को राजपत्रित स्तर प्रदान करने की विभाग को कोई जानकारी नहीं है ।

(2) जी नहीं । केन्द्र सरकार के प्रावधानों के सम्बन्ध में विभाग को जानकारी नहीं है ।

(3) जी हां । राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

अधिशासी अभियंता का सृजित पद

274. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मोरेल बांध के पुनः निर्माण के लिये सृजित अधिशासी अभियन्ता का पद कितने दिनों से रिक्त है ? क्या यह भी सही है कि सवाईमाधोपुर के अधिशासी अभियन्ता के पास अतिरिक्त चार्ज होने से उक्त बांध के पुनर्निर्माण हेतु आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सवाई-माधोपुर स्थित मोरेल के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में खण्ड खुलने के 8 माह तक स्टाफ ने कोई कार्य न कर उचित निर्देशों के अभाव में समय व्यतीत किया ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त रिक्त पद की पूर्ति का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मोरेल बांध के पुनर्निर्माण के लिए अधिशासी अभियन्ता का पद राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ-15 (1) 33 सिचाई/80, दिनांक 18-12-81 द्वारा सृजित किया गया था तथा यह पद अभी तक रिक्त है । यह सही नहीं है कि सवाई माधोपुर के अधिशासी अभियन्ता के पास अतिरिक्त चार्ज होने से उक्त बांध के पुनर्निर्माण हेतु आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं हुआ है ।

(2) जी नहीं । अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद को शीघ्र भरने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है ।

टोंक जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों का पुनर्निर्माण

275. **श्री महावीरप्रसाद जैन** (टोंक): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

(1) क्या यह सत्य है कि टौंक जिले में आई बाढ़ के कारण 209 गांवाई तालाब व बांध टूटे थे ? यदि हां, तो उनमें से कुल कितनों का पुनः निर्माण कराया गया ? इसके पुनर्निर्माण हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई थी तथा कितनी राशि दिनांक 1 अगस्त, 1982 तक व्यय की जा चुकी है ?

(2) पंचायत समिति, टौंक के टूटे 60 गांवाई बांधों की मरम्मत हेतु राशि आवंटित करने के क्या मापदण्ड थे और उनके अनुसार केवल 10 बांधों की मरम्मत करने का क्या कारण है व शेष बांधों की मरम्मत अब कब तक करवा दी जायेगी ?

(3) टौंक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बांधों की मरम्मत करने में व राशि स्वीकृत करने में भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि टौंक जिले में गत वर्ष आई बाढ़ से 209 गांवाई तालाब व बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं उनमें से अब तक कुल 66 तालाब/बांधों के पुनः निर्माण हेतु 3,69,830/-रु० की राशि स्वीकृत की गई है। यह समस्त राशि जिलाधीश कार्यालय से पंचायत समितियों को आवंटित की गई है।

(2) पंचायत समिति टौंक के टूटे हुए 9 तालाबों/बांधों की मरम्मत हेतु 84,447/-रु० स्वीकृत किये गये हैं। यह राशि सभी पंचायत समितियों हेतु स्वीकृत राशियों में सबसे अधिक है। तालाबों की मरम्मत हेतु राशियां जिला बाढ़/अकाल राहत परामर्शदात्री समिति के निर्णयानुसार स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति टौंक ने रा० ग्रा० रो० योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि में से शेष राशि 1,66,000/-रु० 40 तालाबों की मरम्मत में व्यय किये है।

(3) टौंक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बांधों की मरम्मत करने में व राशि स्वीकृत करने में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक धन-राशि स्वीकृत की गई है जो निम्नांकित स्वीकृतियो से स्पष्ट है :—

नाम पंचायत समिति	तालाबों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपयों में)
टौंक	9	84447
निवाई	16	82000
अलीगढ़	27	76703
देवली	4	58960
मालपुरा	10	67720
योग	66	3,69,830/-

(सिंचाई मंत्री)

इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में अंकित है पंचायत समिति टोंक ने राष्ट्रीय ग्रामीण योजनान्तर्गत 40 तालाबों की मरम्मत पर रुपये 1,66,000/–खर्च किये हैं। दोनों स्रोतों से टोंक पंचायत समिति के तालाबों पर इस प्रकार कुल स्वीकृत/खर्च राशि 2,50,447/– रु० है।

टीडी पंचायत (उदयपुर) के टीडी तालाब की मरम्मत

276. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत टीडी के टीडी तालाब का निर्माण 40 वर्ष पहले हुआ था और उसमें पानी भी उसकी क्षमता के अनुसार रहता है, परन्तु उसका निकास द्वार खराब होने के कारण सारा पानी निकल जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तालाब से निकलने वाली नहरें कच्ची बनी हुई हैं, जिसके कारण एक या दो पिलाई के बाद ही बांध में पानी की कमी हो जाती जाती है ? यदि हां, तो उक्त बांध की नहरों को पक्का कब तक बना दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत टीडी तालाब को गोज्यां तालाब के नाम से जाना जाता है तथा गोज्या गांव के पास स्थित हैं। इसमें पानी इसकी क्षमता के अनुसार रहता है। इसका वेस्टवियर तथा गेट ग्राम पंचायत टीडी द्वारा इस साल दुरुस्त करा दिया गया है।

(2) इस तालाब की नहरे कच्ची बनी हुई हैं। नहर के पक्के कराने के लिये 75,000/–रु० की धन राशि की आवश्यकता होगी। धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य शुरू करा दिया जायेगा।

गलवा बांध की आधुनिकीकरण योजना

277. **श्री महावीरप्रसाद जैन** (टोंक): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गलवा बांध के आधुनिकीकरण हेतु योजना कब तैयार की गई एवं इसकी स्वीकृति कौन से वर्ष में कितनी राशि की की गई ?

(2) उक्त बांध के आधुनिक-करण करने से पूर्व इस बांध से कुल कितनी हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती थी तथा अब इससे कुल कितनी भूमि की सिंचाई की जाती है ?

(3) इतनी धनराशि के व्यय किये जाने के उपरान्त भी सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़ने के लिये कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) उक्त बांध की आधुनिकीकरण योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

(1) गलवा बांध के आधुनिकरण का आंकलन जून 1980 में तैयार किया गया था। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रथम बार वर्ष 1978-79 में 10 लाख रुपये की दी गई थी। इसके पश्चात् प्रति वर्ष वजट आंवटन के अनुसार स्वीकृति दी गई है।

(2) इस बांध के आधुनिकीकरण के पहले तीन वर्ष तथा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् के वास्तविक सिंचाई के आंकड़े परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(3) आधुनिकीकरण कार्य प्रारम्भ करने के बाद वास्तविक सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है।

(4) योजना का कार्य आवश्यक धन-राशि उपलब्ध होने पर पांच वर्षों में पूरा किया जा सकेगा।

(आंकड़ों के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

तहसील सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन (पाली) में काश्तकारी अधिनियम की धारा 60 को लागू करना

278. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली की तहसील सोजत व मारवाड़ जंक्शन के तहसीलदार द्वारा 1-1-1981 से 31-7-1982 तक किस किस गांव में कितनी भूमि के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 60 का उपयोग किया ?

(2) उक्त तहसीलों के किस-किस गांव में उक्त समय में आवंटित भूमि पर आवंटियों का कब्जा व काश्त नहीं है और कब से तथा तहसीलदार को इसकी जानकारी कब मिली ?

(3) क्या तहसीलदार द्वारा इस मामले में धारा 61 व 62 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला पाली की तहसील सोजत व मारवाड़ जंक्शन के तहसीलदार द्वारा दिनांक 1-1-81 से 31-7-82 तक की अवधि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 60 का उपयोग किसी भी गांव में नहीं किया गया है।

(2) ग्राम कंटालिया में दिनांक 25-6-82 को 12 व्यक्तियों को भू आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन पर स्थगन आदेश देते हुए आवंटित भूमि का कब्जा न देने के निर्देश तहसील को दिए गए हैं।

(3) इस प्रकार का कोई मामला ही नहीं था इसलिए धारा 61 व 62 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गई है।

ग्राम पंचायत कठोर घोलेट में कस्टोडियन भूमि का आवंटन

281. **श्री चाव खां** (कामां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर की तहसील कामां में ग्राम पंचायत कठोल तथा ग्राम पंचायत घोलेट में 1980 81 तथा 1981–82 में कस्टोडियन भूमि का आवंटन हुआ है? यदि हां, तो किन किन आदमियों को किस किस गांव में कितनी कितनी आराजी दी गई? गांव तथा नाम वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो रकवा कस्टोडियन का आवंटित किया गया है वे सब ही भूमि हीन हैं? यदि हां, तो इनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने कितने व्यक्ति हैं?

(3) क्या यह सही है कि आवंटियों में सब ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके खुद के नाम तथा उनके मां-बाप के नाम कोई जमीन नहीं है?

उत्तर

(1) तहसील कामां की ग्राम पंचायत कठोल एवं घोलिट क्षेत्र में सन् 1980–81 एवं 1981–82 में कस्टोडियन भूमियों का आवंटन हुआ है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विनियम एवंक्लेमों के मामलों को छोड़कर भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन किया गया है। केवल 4 अनुसूचित जाति के परिवारों को ही आवंटन हुआ है। इस क्षेत्र में मेवान ही अधिक संख्या में रहते हैं।

आवंटियों में ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिनके मां-बाप के नाम तथा स्वयं के नाम भी जमीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

पशुगणना प्रतिवेदन का मुद्रण

282. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पशुगणना प्रतिवेदन ग्रामवार के मुद्रण हेतु राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा गत दिनांक 5–11–1981 को निविदा सूचना दिनांक 25–11–81 तक आमन्त्रित की गई थी? यदि हां, तो कृपया निविदा सूचना एवं टेण्डर को शर्तों की प्रतियां सदन के पटल पर रखें।

(2) इस आमन्त्रण के उत्तर में किस किस ने, कब कब किन किन शर्तों के साथ निविदायें प्रस्तुत कीं और उनमें से किसकी निविदा किन शर्तों पर स्वीकृत की जाकर उसे मुद्रण आदेश कब प्रदान किया? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) यह मुद्रण कार्य पूरा हो गया है अथवा अभी तक चल रहा है? क्या उसकी देखरेख मण्डल का कोई अधिकारी कर रहा

(श्री कैलाश मेघवाल)

हैं ? मुद्रण कार्य निविदा सूचना में वर्णित एवं टेण्डर की शर्तों के अनुसार ही हुआ हैं या हो रहा है ?

(4) क्या इस मुद्रण कार्य के बारे में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात होने की शिकायतें राजस्व मण्डल को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कृपया शिकायतों की प्रतियां उन पर की गई कार्यवाही के विवरण सहित सदन के सटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

निविदा सूचना एवं टेण्डर की शर्तों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) निविदा के उत्तर में निम्नलिखित ने उनके सामने अंकित दिनांक पर टेण्डर प्रस्तुत किये :—

(1) चावला प्रिन्टर्स खाइलैण्ड, अजमेर दिनांक 25-11-81 को ।

(2) केशव आर्ट्स प्रिन्टर्स, अजमेर दिनांक 25-11-81 को ।

(3) प्रिन्ट हाउस बाबू मोहल्ला, अजमेर दिनांक 25-11-81 को ।

(4) फाइन आर्ट्स प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर, दिनांक 25-11-81 को ।

(5) माडर्न प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर दिनांक 25-11-81 को ।

(6) टाइम्स प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर दि. 25-11-81.

(7) जोब प्रिन्टिंग प्रेस. अजमेर दि० 25-11-81 को ।

(8) टेण्डर की शर्ते संलग्न हैं :— मुद्रकों द्वारा दी गई रेट्स संलग्न तालिका में अंकित हैं ।

(3) क्रम संख्या 1,2,6, व 7 के मुद्रकों ने पूरा कार्य स्वयं अकेले पूरा करने मे असमर्थता प्रकट करते हुए इस शर्त पर टेण्डर दिया था कि यह कार्य बांट दिया जावे । इन्होंने यह भी सूचित किया कि वे न्यूनतम दर जो भी स्वीकृत हुई उस पर कार्य करने को तैयार हैं ।

(4) क्रम संख्या 4 के मुद्रक का टेण्डर स्वीकृत किया गया तथा उसको निविदा स्वीकृत सूचना दिनांक 3-12-81 को दी गई तथा एग्रीमेन्ट 8-12-81 को किया गया । मुद्रण कार्य पूरा हो गया है । निविदा में दो बातें अन्य बातों के साथ साथ उल्लिखित थीं :—

(क) मुद्रण कार्य 8 पाइंट इटेलिक व बोल्ट टाइप का है । कार्य पाण्डुलिपि के अनुसार कराया गया है :- इटेलिक एव बोल्ट टाइप में छपाई उन अंशों की हुई है जो पाण्डुलिपि में इस रूप में अंकित थे । नमूना पहले ही बता दिया गया था ।

(ख) 18 × 22 आकार में टेब्यूलर कार्य है :-इस रूप में आकार का उल्लेख

(राजस्व मन्त्री)

है। कार्य 18 × 22/4 आकार में हुआ है। परन्तु यह भी बताये गये नमूने के अनुसार है। इस प्रकार निविदादाताओं को निविदा देने से पूर्व इन बातों की भली प्रकार जानकारी थी।

राजस्व मण्डल को शिकायतें प्राप्त हुई थीं राजस्व मण्डल ने इन शिकायतों को सही नहीं माना। शिकायतों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।
(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

तहसील सोजत में नाजायज भू-राजस्व अधिभार की वसूली

283. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली की तहसील सोजत में 1-1-1981 से 31-7-1982 तक नाजायज भू-राजस्व अधिभार की वसूली बाबत तहसीलदार को कितने शिकायत पत्र दिये गये व तहसीलदार ने उन प्रार्थना-पत्रों पर कब व क्या क्या आदेश दिया ?

(2) जिन मामलों में भू-राजस्व अधिभार की गैर कानूनी वसूली की गई उसकी स्वीकृति किस अधिकारी ने दी व किस कानून के तहत दी ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रश्न के भाग (1) में अंकित अवधि में तहसीलदार ने गलत मतालबों को स्वीकृति दी, जबकि बन्दोबस्त द्वारा जारी पर्चे लगान में खातेदारान् के अलग अलग हिस्से दर्ज हैं ? सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) सरकार गलत भू-राजस्व अधिभार की नाजायज वसूली को क्या एक माह की अवधि में लौटाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्या जब तक रकम नहीं लौटा दी जाती तब तक खातेदारान को होने वाले ब्याज की हानि की क्षतिपूर्ति करेगी ?

उत्तर

(1) जिला पाली की तहसील सोजत में दिनांक 1-1-81 से 31-7-82 तक नाजायज भू-राजस्व अधिभार की वसूली बाबत तीन प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत को प्राप्त हुए थे। उन पर अधिक से अधिक 10 दिन के अन्दर अन्दर सम्बन्धित पटवारियान को भू-राजस्व अधिभार की मांग कायम नहीं करने की कार्यवाही के आदेश दिये गये थे। पर्चा लगान संशोधित होने के पश्चात् कोई मांग कायम नहीं की गई। किसी भी मामले में भू-राजस्व अधिभार की गैर कानूनी वसूली नहीं की गई।

(2) तहसीलदार द्वारा कोई गलत मतालबों को कायम करने की स्वीकृति नहीं दी गई।

(3) जब गलत भू-राजस्व अधिभार नाजायज वसूली ही नहीं की गई तो उसे

(राजस्व मंत्री)

लौटाने या ब्याज की हानि की क्षतिपूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में नई गठित उप तहसीलें

284. श्री हरिसिंह (कुम्हेर):-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में वर्ष 1981-82 व 1982–83 में कौन-कौन सी नई उप तहसीलों को तहसील का दर्जा दिया गया है?

(2) क्या अभी और उप-तहसीलों को तहसील का दर्जा दिये जाने का मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो कितनी व कौन-कौन सी?

उत्तर

(1) सन् 1981–82 में कोई भी नई उप तहसील स्थापित नहीं की गई है। सन् 1982–83 में स्थापित की गई नई उप-तहसीलों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

जयपुर जिले की तहसील आमेर की उप तहसील गोविन्दगढ़ को क्रमोन्नत कर नई तहसील चौमू में, जिला बाड़मेर की उप तहसील गुड़ामालानी को क्रमोन्नत कर नई तहसील गुड़ामालानी में एवं जिला जोधपुर की उप तहसील भोपालगढ़ को क्रमोन्नत कर नई तहसील भोपालगढ़ में स्थापित की गई है।

(2) सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में तीन और नई तहसीलें व चार उपतहसीलें स्थापित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। उप तहसील को क्रमोन्नत किया जा सकता है व नए स्थान पर भी तहसीलें स्थापित की जा सकती हैं। चूंकि सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है, स्थान बताना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

पंचायत समिति खमनोर की जल योजना

285. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि पंचायत समिति खमनोर की पंचायत शिशोदर, पंचायत ओसीवाड़ा, पंचायत मेमाकमेड़, पंचायत सलोटा ने जल योजना हेतु जन-सहयोग से राशि राजकोष में जमा करा दी है? यदि हां, तो कब?

(2) उपरोक्त पंचायतों के क्षेत्र में जल योजना कब तक प्रारम्भ की जायेगी?

उत्तर

(1) पंचायत समिति खमनोर की पंचायत सीसोदा एवं पंचायत कोसीवाड़ा द्वारा जन सहयोग राशि जुलाई, 1972 में 2500/-रु० प्रत्येक ने जमा करा दी है।

(2) ग्राम सीसोदा में मार्च, 80 में परम्परागत जलस्त्रोत योजना चालू की गई थी एवं इसके उपरान्त 3 हैण्ड पम्प भी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

लगाये जा चुके हैं। ग्राम कोसीवाड़ा में मई 80 में परम्परागत जल स्त्रोत योजना चालू कर दी गयी। ग्राम भैंसाकमेड में वर्ष 81 82 में हैण्ड पम्प योजना चालू की जा चुकी है एवं ग्राम सलोदा में पम्प एण्ड टैंक योजना विचाराधीन है जिसकी प्राथमिकता एवं धन उपलब्धि के आधार पर स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।

चेलावास जल योजना

286. **श्री भैंरूसिंह गुर्जर (खारची)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के चेलावास गांव मे टंकी की जल क्षमता क्या है ?

(2) चेलावास गांव में विभाग के कितने ट्यूब वैल हैं एवं उनकी जल क्षमता क्या है ?

(3) चेलावास जल योजना से विस्तार योजना द्वारा किन-किन गांवों को जल वितरण किया जा रहा है ?

(4) क्या विस्तार योजना से हेमलियावास कलां व मारवाड़ जंक्शन को समय पर समुचित जल वितरण हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) हेमलियावास कलां को कब से जल वितरण नहीं हुआ है एवं इसके लिये क्या-क्या कार्यवाहियां की गई ?

(6) हेमलियावास में विस्तार योजना से कितने कनेक्शन दिये हैं ? टंकी की क्या हालत है ?

उत्तर

(1) चेलावास ग्राम के उच्च जलाशय की जल क्षमता 1 लाख गैलन है।

(2) चेलावास ग्राम में विभाग के कुल 5 नलकूप हैं, जिनमें से 2 की जल क्षमता 3,000 गैलन प्रति घण्टा, 2 की 500 गैलन प्रति घण्टा एवं एक नलकूप में पानी नहीं है।

(3) चेलावास के अन्तर्गत निम्न ग्रामों में जल वितरण किया जा रहा है :—

(1) चेलावास (2) खारची बाजार, मारवाड़ जंक्शन (3) नरसिंहपुरा (4) खारची गांव (5) काटोलिया, (6) रेवरिया (7) हेमालियावास कलां तथा (8) हेमलियावास खुर्द।

(4) जी, नहीं। वर्तमान जल स्रोत की कमी, विद्युत पूर्ण रूप से न मिलने के कारण एवं हेमालियावास में सतही जलाश्य चालू न होने के कारण समुचित जल वितरण नहीं हो पा रहा है।

(5) हेमलियावास कलां को दिनांक 17-8-82 से जल वितरण में व्यवधान अत्यधिक बरसात के कारण पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने से हुआ। उक्त पाइप लाइन को ठीक कर हेमलियावास में सार्वजनिक नल द्वारा जल वितरण 3 सितम्बर से प्रारम्भ कर दिया है। इससे पूर्व भी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

ग्रामवासियो द्वारा बीच-बीच में सार्वजनिक नल तोड़ दिये जाने के कारण जल वितरण में व्यवधान रहा। जो कि समय-समय पर टूटियां बदलने पर पुनः चालू किया गया।

(6) हेमलियावास में कोई निजी कनेक्शन नहीं दिया गया है। वहां की टंकी जल रिसाव के कारण काम नहीं आ रही है। टंकी की मरम्मत करने का कार्य प्रगति पर है।

जयपुर जिले में नलकूप लगाना

288. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में गत वर्ष और इस वर्ष कितने-कितने नलकूप लगाये गये हैं ? क्या योजना के अनुसार नलकूप पूरे लगाये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां कहां ? यदि नहीं, तो क्यों और कितने लगाये जाने शेष हैं ?

(2) उक्त लगाये गये नलकूपों में कितने चालू हैं और कितने बन्द पड़े है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त सूचना प्रश्न 1 की सूची में सम्मिलित है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

तहसील लाडपुरा एवं रामगंज मण्डी में हैण्ड पम्प की मरम्मत

289. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले की रामगंज मण्डी एवं लाडपुरा तहसील में किस-किस गांव के कितने-कितने हैण्ड पम्प खराब हैं ? खराब हैण्ड पम्पों को सरकार कब तक ठीक करवा देगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1981–82 में किस-किस गांव में कितने-कितने हैण्ड पम्प नये स्वीकृत किये ? सूची सदन की मेज पर रखें। यह हैण्ड पम्प कब तक लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) सन् 1981-82 में स्वीकृत ग्रामों एवं हैण्ड पम्पों की सूची संलग्न कर दी गयी है। स्वीकृत ग्रामों में से जिला परिषद् द्वारा अनुमोदित ग्रामों में प्राथमिकता से धन की उपलब्धि के अनुसार हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं। अगस्त, 1982 तक किये गये कार्य भी संलग्न सूची में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम झालरा तहसील रामगंज मण्डी व ग्राम अरलवा तहसील

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

लाडपुरा जिला परिषद् द्वारा अनुमोदित है। जिन पर कार्य इस वित्तीय वर्ष में करवा दिये जाने का लक्ष्य है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के ग्रामों का विद्युतन

290. **श्री सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा की पंचायत गूंजोल, पंचायत वाहनहेड़ा, पंचायत विजनोल एवं पंचायत बिलोता के कई गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों का ? कृपया गांवों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अब उक्त गांवों को किस किस वर्ष तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ? कृपया सूचना सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल में ग्राम पंचायत-वार विद्युतीकरण का रिकार्ड नहीं रखा जाता। ग्राम गूंजोल (कोड न. 20/7/50) बामनहेड़ा (कोड नं. 20/7/61), बिजनोल (कोड नं. 20/7/70) एवं बिलोता (कोड नं. 20/7/182) विद्युतिकृत ग्राम हैं। जिलाधीश कार्यालय से ज्ञात करने पर मालूम हुआ है कि ग्राम पंचायत गूंजोल में कुल 14 ग्राम, ग्राम पंचायत बामनहेड़ा में 9 ग्राम, ग्राम पंचायत बिजनोल में 8 ग्राम एवं ग्राम पंचायत बिलोता में 7 ग्राम हैं। इन 38 ग्रामों में से 18 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। बचे हुए 20 अविद्युतीत ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) शेष बचे हुए ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

जिला अजमेर, जोधपुर एवं कोटा के ग्रामों का विद्युतन

291. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के अजमेर, जोधपुर व कोटा जिलों के कितने गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है ? शेष गांवों में विद्युत की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

अजमेर जिले में दिनांक 31-3-82 तक 554 ग्रामों में बिजली पहुंचा दी गई है। इसके अतिरिक्त 48 ग्राम विद्युतीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत

(विद्युत मंत्री)

हैं। वर्ष 82–83 में 19 ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित हैं।

जोधपुर जिले में दिनांक 31–3–82 तक 355 ग्रामों में बिजली पहुंचा दी गई है। इसके अतिरिक्त 123 पोन्टेशियल तथा 8 नॉन–पोन्टेशियल ग्राम विद्युतीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। वर्ष 82–83 में 46 ग्रामों का विद्युतिकरण करना प्रस्तावित है।

कोटा जिले में दिनांक 31–3–82 तक 904 ग्रामों में बिजली पहुंचा दी गई है। इसके अतिरिक्त 267 पोन्टेशियल तथा 298 नॉन–पोन्टेशियल ग्राम विद्युतिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। वर्ष 82–83 में 110 ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है। उक्त जिलों के शेष ग्रामों में विद्युत की व्यवस्था कब तक करदी जावेगी इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

विद्युत मण्डल में वित्त सलाहकार का पद

292. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल में वित्त सलाहकार (सदस्य) का पद लम्बे समय तक खाली रहा है। यदि हां, तो क्यों और कब से कब तक ?

(2) इस अवधि में वित्त सलाहकार का कार्य किसके द्वारा सम्पन्न कराया गया ?

उत्तर

जी हां, सुयोग्य अधिकारी के चयन में विलम्ब होने के कारण विद्युत मण्डल में लेखा एवं वित्त सदस्य का पद दिनांक 1–4–1981 से 1–1–1982 तक खाली रहा।

विद्युत मण्डल में लेखा एवं वित्त सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक के पद पृथक-पृथक हैं। इस अवधि में लेखा एवं वित्त सदस्य के कार्यकारी कार्य मण्डल के अध्यक्ष द्वारा सम्पन्न किए गये।

तहसील चाकसू एवं सांगानेर के ग्रामों का विद्युतन

293. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील सांगानेर व चाकसू के ऐसे ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें, जहां कि अभी तक विद्युतीकरण स्वीकृत नहीं हुआ है ?

उत्तर

सांगानेर व चाकसू तहसीलों के ऐसे ग्रामों की, जो अभी विद्युतीकरण हेतु

Page No 46

(46)

(ऊर्जा मन्त्री)

स्वीकृत नहीं हुए है। सूची "अ" व "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखों)

राज्य विद्युत के विभिन्न स्रोत

294. **श्री गुलाबचन्द कटारिया**(उदयपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान को विद्युत् कहां कहां से कितनी कितनी मेगावाट प्राप्त होती है? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अप्रेल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक कितनी बिजली हमें वास्तव में प्राप्त हुई व कितनी हमारी मांग थी?

(3) क्या राजस्थान अपनी छोटी-छोटी नदियों पर भी विद्युत संयंत्र लगाकर विद्युत् उत्पादन करना चाहता है? यदि हां, तो किन किन पर?

(4) क्या राजस्थान की भविष्य में विद्युत् की मांग की पूर्ति के लिए क्या कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

उत्तर

(1) राजस्थान को निम्नलिखित स्रोतों से विद्युत प्राप्त होती है जिनकी प्रतिष्ठापित क्षमता निम्न है:—

क्र०सं०	स्रोत का नाम	प्रतिस्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज. राज्य का हिस्सा (मेगावाट में)
अ.	जल परियोजनायें		
1.	चम्बल	386.0	193.00
2.	भाखड़ा	1283	195.27
3.	देहर	660.0	132.00
4.	पोंग	240	140.40
ब.	तापीय तथा अणु विद्युत गृह		
1.	सतपुड़ा	312.5	125.00
2.	सिंगरौली	200.0	17.00
3.	राज. अणु विद्युत गृह	440	400.00
स.	स्थानीय पुराने बिजलीघर	37.67	37.67
		योग	1240.34

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) गत अप्रेल 1981 से 31 मार्च, 1982 तक राज्य को विभिन्न स्रोतों से वास्तव में लगभग 42725 लाख यूनिट (आंकड़ों का सत्यापन होना है) बिजली प्राप्त हुई। इस अवधि में अनुमानित मांग 59990 लाख यूनिट थी।

(3) जी हां। कोटा जिले में काली सिंध, पार्वती, परवन, इरू, बाहमी नदियों पर तथा उदयपुर जिले में बाकल तथा सेई नदियों पर छोटे पन-बिजली घर लगाने के बारे में आर्थिक तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है।

(4) राज्य में विद्युत की मांग पूर्ति के लिए कोटा थर्मल पावर स्टेशन एवं माही जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। देहर व पोंग जल विद्युत परियोजनाओं में 5वीं व 6ठी यूनिट्स निर्माणाधीन हैं जिसमें से पोंग पर 5 वीं यूनिट का मिकेनिकल रन कर लिया गया है। इन नये यूनिट से उत्पादित बिजली में राज्य को क्रमश: 58.5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। सिंगरोली सुपर थर्मल परियोजना में 200 मेगावाट की पहली इकाई चालू हो चुकी है जिससे राजस्थान को 8.8% यानि 17 मेगावाट बिजली प्राप्त होना है। सिंगरोली की दूसरी व तीसरी यूनिट्स, जो प्रत्येक 200 मेगावाट की है, अक्टूबर, 1982 व मार्च, 1983 में तैयार हो जाने का अनुमान है। इन इकाइयों से भी प्रत्येक से 17 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलेगी। अनूपगढ़ लघु परियोजना के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही करली गई है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तैयारियां की जा रही हैं। पलाना ताप परियोजना योजना आयोग के पास विनियोजन स्वीकृति के लिये विचाराधीन है। कुछ अन्य परियोजनायें यथा पम्प्ड स्टोरेज स्कीम, कोटा, दायीं मुख्य नहर (चम्बल) लघु विद्युत परियोजना व सूरतगढ़ लघु परियोजना आदि के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य की हिमाचल प्रदेश सरकार से वहां के बांधों पर प्रस्तावित/निर्माणाधीन परियोजनाओं—पार्वती, कोल, संजय पन विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान को हिस्सा देने के लिए सहमति हुई है, जिसके अनुसार इन परियोजनाओं से राजस्थान को पर्याप्त बिजली मिलने की आशा है।

जिला उदयपुर में राहत कार्यों पर कार्यरत मजदूर

295. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में जनवरी, 1982 से 31 जुलाई, 1982 तक राहत कार्यों पर प्रतिमाह कितने मजदूर काम पर लगाये गये? पंचायत समिति के अनुसार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) उदयपुर जिले की कौन-कौन सी पंचायत समितियां पूर्णरूप से अकालग्रस्त थीं व कौन-कौन सी आंशिक रूप से ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही व जालौर जिलों में भी अकाल राहत कार्य चलाये गये ? यदि हां, तो प्रत्येक में प्रतिमाह कितने मजदूरों को काम पर लगाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में जनवरी, 1982 से 31 जुलाई, 1982 तक राहत कार्यों पर प्रतिमाह लगाये गये मजदूरों की पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सम्वत् 2038 के अभाव वर्ष में उदयपुर जिले की 17 तहसीलों में से एक तहसील भीम के सभी 94 ग्राम अभावग्रस्त घोषित हुए थे, शेष 16 तहसीलें सं. 2038 में आंशिक रूप से अभावग्रस्त घोषित हुई। तहसीलवार ग्रामों की कुल संख्या व सम्वत् 2038 में अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। अभावग्रस्त ग्रामों की घोषणा पंचायत समितिवार नहीं की जाकर तहसीलवार की जाती है।

(3) जी हां। जनवरी, 1982 से जुलाई, 1982 तक अकाल राहत कार्यों पर बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही व जालौर जिलों में लगाये गये मजदूरों का माहवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची एवं विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

ग्राम पंचला (सांचौर) को सड़क से जोड़ना

296. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचला को सड़क से जोड़ने की गत वर्ष अकाल में व इस वर्ष में भी 6 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो गत वर्ष इस पर कहां से कहां तक व कितना कार्य हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी यह कार्य शुरू हुआ व इस पर रु. 11000/- खर्च भी हो गये थे ? हां, तो कितनी दूरी में ?

(3) क्या यह सही है कि यह कार्य वीरोल से शुरू किया था ? यदि हां, तो क्या इस ले-आउट में सिर्फ एक ही खेत श्री गुमना खांची का ही आता था जिसने लिख कर दिया था कि सड़क निकाल दी जाय ?

(4) क्या यह सही है कि सड़क जो शुरू हुई उसे बंद कर दिया गया ? यदि हां, तो उक्त व्यय का क्या औचित्य है ?

(श्री कनकराज मेहता)

(5) क्या यह सही है कि अब उस कार्य के छोड़ वीरोल से लूणीयासर कार्य शुरू हुआ है ?

(6) क्या यह सही है कि यह शुरू किया गया कार्य स्वीकृत शुदा कार्य में नहीं आता है ? यदि हां, तो इस हेराफेरी का क्या कारण है ?

(7) अब पंचला सड़क से कब तक जुड़ जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। अभाव वर्ष सम्वत् 2037 में अकाल राहत कार्य के रूप में ग्राम पंचला से ग्राम बावलिया तक कच्ची सड़क के निर्माण हेतु 2 लाख रुपये की स्वीकृति की गई थी एवं इस सड़क के मिट्टी के कार्य हेतु रुपये 16216 का व्यय हुआ तथा आधा किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया गया। काश्तकारों द्वारा मौके पर खेत मिला देने से गलत अलाइनमेंट हो जाने के फलस्वरूप उक्त कार्य को बन्द कर दिया गया। अभाव वर्ष सम्वत् 2038 में अप्रोच रोड पंचला हेतु अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत स्वीकृति हुई थी।

(2) अभाव वर्ष सम्वत् 2038 में प्रारम्भ हुए इस कार्य पर 42685 रुपये का व्यय हुआ तथा 3-1/2 कि० मी० में मिट्टी डालकर सड़क कार्य किया गया।

(3) जी नहीं। यह कार्य लूणियासर की ओर से शुरू किया गया था। ले-आउट के समय किसी व्यक्ति के खेत आये थे अथवा नहीं एवं किसी ने सड़क निकालने के लिए लिखकर दिया था अथवा नहीं, अभिलेख पर यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(4) यह सड़क कार्य पूर्व में परीक्षण राहत कार्य के रूप में स्वीकृत किया गया था किन्तु ग्राम पंचला अकालग्रस्त नहीं होने से इस कार्य को बन्द करना पड़ा। अप्रोच रोड पंचला का कार्य राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। गलत अलाइनमेन्ट की शिकायत होने पर उक्त कार्य कुछ समय बन्द रहा एव सहायक जिलाधीश, सांचोर से जांच कराये जाने पर विवादग्रस्त अलाइनमेंट का निस्तारण किया जाकर उक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से दिनांक 8-7-82 को चालू करवाया गया एवं राज्य सरकार द्वारा समस्त राहत कार्य दिनांक 31-7-82 से बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप यह कार्य स्वतः ही बन्द हो गया।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। अप्रोच रोड पंचला का स्वीकृत कार्य का अलाइनमेंट मौके की स्थिति के अनुसार सही है।

(7) राहत कार्य दिनांक 31-7-82 को बन्द किये जाने के कारण सहायता विभाग द्वारा फिलहाल इस काम को आगे चलाया जाना संभव नहीं है।

तहसील सांगानेर व चाकसू बाढ़ग्रस्त ग्राम

297. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जुलाई, 1981 में सांगानेर व चाकसू तहसीलों में आई बाढ़ से कितने कुएं कितनी कृषि भूमि व कितने परिवार व पशु प्रभावित हुए ?

(2) राज्य सरकार ने क्या अभी तक सबको राहत नहीं दी है ?

(3) उक्त बाढ़ में दोनों तहसीलों में कितने पशु व व्यक्ति मरे ? कृपया व्यक्तियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार ने तहसील सांगानेर व चाकसू के लगभग सभी प्रभावितों को राहत स्वीकृत कर उपलब्ध करा दी है। तहसील चाकसू के 9 मृतकों के आश्रित न होने के कारण अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया जा सका है।

(3) इस बाढ़ से तहसील सांगानेर में 1450 पशु व 11 व्यक्ति मरे। तहसील चाकसू मे 10980 पशु तथा 114 व्यक्ति मरे। मृत व्यक्तियों की सूची संलग्न है। चाकसू तहसील में मृत पाये गये 10 व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकी।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 सितम्बर, 1982)

बाड़मेर-जैसलमेर जिले में पटवारियों के पेंडिग बिल

127. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर-जैसलमेर में कितने पटवारियों के बिल पेंन्डिग हैं और कब से हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पटवारियों के बिल अधिक पेंडिग किसकी लापरवाही से रहे हैं तथा उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में 44 पटवारियों के एवं जिला जैसलमेर में 69 पटवारियों के बिल पेंन्डिग है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अधिकांश पटवारियों के बिल उनके द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं करने, कुछ बजट के अभाव में और कुछ बिल समयावधि बाहर होने के कारण पेन्डिग रहे हैं। जो बिल किसी की लापरवाही से अधिक समय तक पेंन्डिग रहे हैं, उनकी जांच करा

(राजस्व मंत्री)

के लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जिलाधीश द्वारा की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

(दिनांक 10 सितम्बर, 1982)

जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत छात्रावास

145. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

जन जाति उपयोगता में चलने वाले तृतीय श्रेणी के छात्रावासों में वर्ष 1980–81, 81–82 में कितने कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया? कृपया जिलेवार व छात्रावासवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "क"

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री केसरीसिंह पाटौदी, भूतपूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोकाभिव्यक्ति

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

माननीय श्री केसरीसिंह भूतपूर्व, सदस्य के निधन पर शोकाभिव्यक्ति।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री केसरीसिंह का 2 सितम्बर, 1982 को देहावसान हो गया।

श्री केसरीसिंह फलौदी निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी राजस्थान विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे राम राज्य परिषद् के सदस्य थे।

श्री केसरीसिंह विधान सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या एवं आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से सदन में रखने में अत्यन्त जागरुक थे। वह प्रायः सभी विषय, जो सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत होते थे, पर अपने विचार व्यक्त करते थे।

परम पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिवार को उनके बिछोह को सहन करने की शक्ति दें।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट अपने स्थान पर मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थान प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) हाजी चाव खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला भरतपुर के क्षेत्र कामां में निकाली गई गुडगांवा नहर से सिंचाई की व्यवस्था जल्दी करने के विषय मे,

(2) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को जमीन आवंटित करने के लिए लाटरी सिस्टम को रद्द करके समस्त आवेदकों को प्लाट देने की मांग के विषय में,

(3) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी कोटा द्वारा शिक्षकों के भारी मात्रा में स्थानान्तरण से परेशानियां उत्पन्न होने के विषय में,

(4) श्री दाऊदयाल जोशी व श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा में गम्भीर मरीजों की उपेक्षा होने तथा गत 2 अगस्त को गजेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह की मृत्यु हो जाने के विषय में,

(5) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की नैनवा पंचायत समिति में भारी मात्रा में अध्यापकों के स्थानान्तरण के विषय में,

(6) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर के सैटलमेंट के कार्यों के लिये विभाग का कार्यालय सवाई माधोपुर में न खोलकर अलवर में खोलने से उत्पन्न कठिनाइयों के विषय मे।

(7) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गांव रघुनाथपुरा तहसील प्रतापगढ़ में सार्वजनिक कार्यों के लिये अवाप्त की जा रही भूमि पर एक गृह निर्माण समिति के माध्यम से कब्जा कर लेने की साजिश के सम्बन्ध में,

(8) श्री यदुनाथसिंह व श्री राजबहादुर सदस्य विधान सभा की ओर से भरतपुर तथा अलवर जिलों में बाजरा व ज्वार में कीड़ा लग जाने से फसल नष्ट होने के विषय में।

(9) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिकराय के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतों के विषय में,

(10) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती आर. सी. शाह. के नाम एक एस्बस्ट्स की खान को बिना नोटिस बन्द कर देने से मजदूरों के बेकार हो जाने के विषय में,

(11) श्री अगंनकुमार जैन, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में सन् 1981-82 के राहत कार्यों में लगे मजदूरों को पिछले 10 माह से भुगतान न मिलने के सम्बन्ध में,

(12) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर में पेयजल व रोशनी की व्यवस्था न होने के विषय में,

(13) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा की ओर से निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान के विरुद्ध भारी शिकायतें होने के विषय में।

(14) डा० उजला अरोड़ा व श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर में श्रीमती कान्ता खेमका की हत्या के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

(15) श्री देवीसिंह भाटी व श्री त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सूरतगढ़ के कुछ गांवों में भारी मात्रा में पानी जमा हो जाने के विषय में। इस विषय पर पूर्व में श्री यदुनाथसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से एक प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है और सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जायगा जिसकी तिथि बादमें तय की जायगी।

(16) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल की योजनाएं व्यावहारिक ढंग से क्रियान्वित न करने के विषय में। यह एक सामान्य प्रक्रिया का प्रस्ताव है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री देवीसिंह भाटी—जिला बीकानेर में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को भुगतान न करने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एक करोड़ 10 लाख रुपये की लागत में से 62 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है जिसमें 51 लाख रुपये मजदूरी के हैं। ऐसी स्थिति में 6 माह से भुगतान न होने और किसी मजदूर के भूखे मरने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(2) श्री भगवानदास शास्त्री—डी.ए.वी. कालेज अजमेर का छात्रावास बन्द कर देने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि यह छात्रावास गत वर्ष विद्यार्थियों के झगड़े के कारण बन्द कर दिया गया था और नई बस्ती रामगंज में छात्रावास स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है।

(3) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झालावड़ में गोचर

(श्री अध्यक्ष)

भूमि पर कब्जा। सरकार ने सूचित किया है कि झालावाड़ की तहसील पचपहाड़ के ग्राम कोटड़ा में दो व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है जिसको हटाने के लिए कानूनी कार्यवाही जारी है। ग्राम मिसरोली में कोई अतिक्रमण नहीं है।

(4) श्री चुन्नीलाल जेलिया—जयपुर शहर में सेंट एंजिला स्कूल के पीछे कचरा बस्ती के निवासियों को आवंटित भूमि का कब्जा न देना। सरकार ने सूचित किया है कि उक्त कचरा बस्ती की समस्या पर विचार करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति समिति के समक्ष आज मामला विचारार्थ लिया जायेगा।

उक्त तथ्यों के आधार पर मैं इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री राजबहादुर—उदयपुर के पिछोला झील के ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक को भ्रष्ट करना। सरकार ने सूचित किया है कि महाराणा उदयपुर ने इस स्थान में होटल निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया था जिसको राज्य सरकार ने कानूनी कार्यवाही करके रोक दिया और महाराणा उदयपुर की आपत्तियां राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। इस विषय में सरकार की ओर से सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर सरकार का जवाब आ गया है अथवा मैंने इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव जो आज ही प्रस्तुत किये गये और उनको अस्वीकार किया है उन मानीय सदस्यों को 2-2 मिनट बोलने की अनुमति दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज अखबारों में रावी-व्यास के सम्बन्ध में एक बहुत ही चिन्ताजनक खबर निकली है। मैं आशा करूंगा कि इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी हाउस को दें तो अच्छा है।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, महावीर प्रसाद एम० एल० ए० की गिरफ्तारी के बारे में तीन रोज पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका कोई जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष . मैं बार-बार हर रोज व्यवस्था देता हूं कि किसी माननीय सदस्य को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव के बारे में कोई शिकायत हो तो कृपया मेरे चैंबर में मिलने का कष्ट करें।

श्री त्रिलोकसिंह : यह एम० एल० ए० के प्रिविलेज का सवाल है, हमारे अधिकारों का सवाल है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप कृपया नियमों की किताब पढ़ने का कष्ट करें....

श्री त्रिलोकसिंह : यह मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री महाराम चौधरी ।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय । मैंने 15 तारीख को स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था इस पर आपने व्यवस्था दी कि सरकार से जानकारी मांगी है । आज दुबारा स्थगन प्रस्ताव डा० उजला अरोड़ा और श्रीमती विद्या पाठक का....

श्री अध्यक्ष : मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री नाथूसिह (बांदीकुई) : मैंने तीन दिन पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था कि गंगानगर तीन दिन से बन्द है, उस पर सरकार से वक्तव्य दिलावें ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी है, वह आने पर उसका अध्ययन करके व्यवस्था दूंगा ।

जो कोई भी महत्वपूर्ण विषय या गंभीर घटना के सम्बन्ध में प्रस्ताव लाये जाते हैं मैं इस दृष्टि से ही उनको लेता हूं और मेरी कोशिश यह होती है कि उन प्रस्तावों पर सरकार की ओर से मेरे पास उत्तर आ जाय, मैं उनका अध्ययन करके उस पर निर्णय दूं ।

श्री महाराम चौधरी ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, कृपया विराज जावें तो....

श्री अध्यक्ष : आप इतना ही नियमों का ध्यान रखते हैं तो कृपया विराज जायं ।

मैंने बार-बार माननीय सदस्यों के सामने व्यवस्था रखी है कि आप कृपया इसे प्रश्नकाल न बनावें । अध्यक्ष से प्रश्न पूछा जाय. ऐसा नहीं होना चाहिये । आपको कोई शिकायत हो तो कुछ समय बाद मुझसे मिल सकते हैं । तत्काल मैं जानकारी देने की स्थिति में नहीं होता । कोई स्थगन अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की मेरे पास सूचना आती है उस पर मैं व्यवस्था देता हूं । कृपया मुझसे अलग से मिलें ताकि उसकी व्यवस्था की जा सके । आप तत्काल प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, तत्काल नहीं, एक विधायक का मामला है । पुलिस ने झूठा मुकदमा बना कर उसे गिरफ्तार किया । इस पर सरकार से वक्तव्य दिलवाइये । अध्यक्ष महोदय, विधायक का मामला है । अगर इस तरह से पुलिस विधायक पर झूठा मुकदमा बना कर, गिरफ्तार करे तीन सौ कर्मचारी उसको गिरफ्तार करने जायं तो यह बहुत गम्भीर मामला है । फिर आम आदमी का क्या होगा । अध्यक्ष महोदय, हमारे रक्षक हैं हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं ।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज । मेरी बात

Page No 56

(56)

(श्री अध्यक्ष)

सुनें। यह प्रस्ताव मेरे सामने आ गया था। इस पर सरकार ने जानकारी लेकर इसी सत्र में वक्तव्य दिलवाऊंगा।

श्री त्रिलोकसिंह : यह जान बूझकर दबाया जा रहा है। यह पुलिस को .

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया है मैं वक्तव्य दिलवाऊंगा। कोई टालने का इरादा नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : कब दिलवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : समय मैं जुबानी कैसे बता दूं। किस प्रकार से एडजस्ट हो सकता है इसके लिये और भी कार्यों को देखना पड़ता है। सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाऊंगा सत्रावसान के पहले।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आप एक मिनट विराजें तो, माननीय अध्यक्ष महोदय।

आज गंगानगर बन्द है, आप वक्तव्य तो दिलायें। गंगानगर में आज इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि हड़ताल हो गई है, कालेज बन्द है। कल बन्द था। 15 हजार लोगों का जुलूस निकला, 93 लोग गिरफ्तार हुए। परसों बन्द था, 14 तारीख को बन्द था, लाठी चार्ज किया गया। लगातार 22 लोगों को चोटें आई हैं। घटना कैसी है उसके मेरिट में नहीं जाना चाहता। अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने स्थगन प्रस्ताव मूव किया, बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 6-6 दिन हो गये। क्या गंगानगर में कुछ और घटना हो जायेगी तब वक्तव्य आयेगा ? सरकार क्या कर रही है ? सो रही है ? आप वक्तव्य दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार के प्रतिनिधियों से बात करूंगा, पहले इस सम्बन्ध में जानकारी ले लूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जानकारी आपके पास आ गई है। चार दिन पहले से इस प्रकार की घटना चल रही है, किस स्थिति में गंगानगर पहुंच जायेगा....

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव तो आज दिया है आपने।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, चार दिन से गंगानगर बंद है, कल कलेक्टर का घेराव किया गया, एस० पी० का घेराव कर लिया, 11 बजे जुलूस आया, 3 बजे....

श्री अध्यक्ष : मैंने इसके महत्व को समझ लिया है....

श्री नाथूसिंह : महिलाओं को पीटा गया, अध्यक्ष महोदय। वहां पर....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप राज्य सरकार से कहें तो सही कि गंगानगर में स्थिति और खराब हो गई है।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार से इस सम्बन्ध में बात करूंगा, माननीय सदस्य। उसके पश्चात अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इससे तो मतलब ही खतम हो जायेगा। अगर कोई घटना हो गई तब क्या होगा, वह बतायें।

श्री नाथूसिंह : चार दिन से गंगानगर लगातार बन्द है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं। मुख्य मन्त्री जी बोलेंगे।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर की घटना के सम्बन्ध में संभवत: आप यहां पर जिक्र कर रहे थे वह जो घटना घटी....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप वक्तव्य दे रहे हैं क्या?

श्री शिवचरण माथुर : नही वक्तव्य नहीं दे रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, फिर तो हमको भी बोलने का अधिकार रहेगा....

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो लेटेस्ट जानकारी यह देना चाहता था कि डी० आई० जी० (सी०आई०डी०) की टीम को जांच के लिये मौके पर भेज दिया है ताकि कोई भ्रम न रहे। डी० आई० जी० (सी० आई०डी०) को तो भेज दिया है, अगर आप वक्तव्य चाहेंगे तो वक्तव्य देने में सरकार को कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप लोग एग्री कर लें तो उसके बाद भी मुझे तो कार्य सूची के अनुसार एडजस्ट करना होता है तभी मैं इजाजत दूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप केवल एक मिनट सुन लें। आप एक मिनट विराजें।

अध्यक्ष महोदय सदन के नेता महोदय ने जो कहा और जो कुछ एक्शन लिया है उसके लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो चार दिन से हो रहा है कहीं ऐसा न हो कि आज वहां बडा लाठीचार्ज करना पडे। कल 5 घंटे घेराव करने के बाद 93 लोग गिरफ्तार हुए। आज 15 हजार लोगों का जुलूस निकल रहा है। 10 बजे मैंने फोन पर बात की दूकानें, स्कूल, कालेज बन्द हैं, जुलूस निकल रहा है, कहीं खराब स्थिति न हो। आखिर सदन के सामने बात आ जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने व्यवस्था दे दी। मैं इसके लिये समय निश्चित् कर दूंगा। यह क्या बात हुई, जब सरकार कबूल करती है वक्तव्य देने के लिये।

श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है वह जिस घटनाक्रम से सम्बन्धित है उसमें समय पर जांच नहीं होगी तो अव्यावहारिक जल योजना बन जायेगी। मैं चाहता हूं कि

(श्री महाराम चोधरी)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ मे मुझे बोलने दिया जाय । इतना ही समय लूंगा जितना इस समय लिया है जिससे थोड़ा सा मन्त्री महोदय का जवाब भी आ जायेगा । अध्यक्ष महोदय, यह दोनों ही विषय बिलकुल जल प्रदाय से सम्बन्धित है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैण्ड पम्प का और पेयजल योजना का एक ही है । इस ध्यानाकर्षण पर इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिह भाटी ।

श्री देवीसिह भाटी*: अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने से पहले आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि कार्य सूची, जो हमें यह सूची दे दी जाती है, मे यह है कि मंत्री महोदय द्वारा यह वक्तव्य दिया जायेगा । रामसिह आयोग के बारे में वक्तव्य की तिथि तय कर दी थी उसके बावजूद अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : तिथि कौनसी निश्चित की थी ।

श्री देवीसिह भाटी : यह तो उस दिन की थी__

श्री अध्यक्ष : निश्चित नही की होगी । ऐसे कार्य को कब लेना है यह मैं तय करूंगा ।

श्री देवीसिह भाटी : कार्य सूची में आ गया था, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : कब आ गया था ?

श्री देवीसिह भाटी : तारीख तो अभी याद नहीं है लेकिन उसको मंत्री महोदय के कहने पर विशेष तौर मे स्थगित कर दिया गया था ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया था तो पेंडिंग मैटर है इसलिये आ जायेगा । मेरे से बात कर लेना ।

श्री देवीसिह भाटी : पांच छः दिन हो गये हैं ।

श्री अध्यक्षः : पांच छः दिन ही तो हुए हैं । कोई पांच साल तो हुए नहीं । फिर रामसिह आयोग तो बहुत पहले बना था । मैंने तो उसको उठवाया है, फिर ताकीद की है,* जवाब मंगवाया है, वक्तव्य दिलाना तय किया *है । किसी कारण से रह गया है तो आ जायेगा सत्रावसान से पहले ।

श्री देवीसिह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बीकानेर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत जो मजदूर थे उनको मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था। अध्यक्ष महोदय, उस पर सरकार की सूचना आयी है और मंत्री महोदय ने लिखा है कि जो बीकानेर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत काम हुआ था उसके लिये हाल ही में 61 लाख का भुगतान हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह है कि अभी जो भुगतान किया गया है वह पूरा भुगतान नहीं हुआ है। पंचों ने कहीं से उधार लेकर, कहीं और से व्यवस्था करके जो निर्माण कार्य करवाया था उनकी बडी खराब स्थिति है, उनको पैसा नहीं मिला है, लोग उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, लडाई कर रहे हैं परन्तु राज्य सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। जैसी कि अभी सरकार की ओर से सूचना आयी है उसमें बताया है कि कोई भूखा नहीं मर रहा है। आप ही कल्पना करें, अध्यक्ष महोदय, जो काम चले उसकी 6 महीने तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिले वे बिना मजदूरी के रहे, एक पैसा भी उनको नहीं मिले तो उनकी क्या स्थिति होगी। वे बार-बार चक्कर काट रहे हैं सरपंचों के, अधिकारियों से मिले हैं, परन्तु राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ही यह काम शुरू हुए थे, जिलाधीश ने निर्देश दिये थे, आज वे सारे काम अधूरे पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार के आदेशों से काम हुआ है तो फिर समय पर भुगतान क्यों नहीं किया जाता है? 6–6 महीने तक पैसा नहीं मिलता है तो इस प्रकार के काम कराने का क्या उद्देश्य रह जाता है? हमारा सारा पैसा एक प्रकार से व्यर्थ जाता है। आज सरपंचों की हालत इतनी खराब है। उसके लिए विशेष तौर पर निवेदन करूंगा। एक-एक सरपंच ने 25-25 हजार और 50–50 हजार रुपया कहीं से उधार लेकर काम कराया है। उनको आज तक भुगतान नहीं हो रहा है, इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय जिलाधीश कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, राज्य सरकार कहती है कि अभी केन्द्र से पैसा नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में सरपंच क्या करेगा? इस कारण से सरपंच गांव छोड़-छोड़ कर भाग गये हैं। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

(12.25 म० प०)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में जो कार्य हुए हैं उनका जो बकाया पैसा है उसका तुरन्त भुगतान होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार की खुद की यह पॉलिसी है इसलिये सरकार इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य के द्वारा यह सूचित करती कि हम फलां तारीख तक केन्द्र से पैसा लेकर या राज्य सरकार के किसी अन्य कोष से पैसे का भुगतान कर देंगे, इसका भुगतान 10 या 15 दिन में कर दिया जायेगा। इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आयी। अभी भी बीकानेर पंचायत समिति में ऐसे लोग हैं जिनको 6 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, एक पैसा नहीं मिला है। वहां के सरपंचों की ओर

(श्री देवीसिंह भाटी)

अधिकारियों की हालत बड़ी चिन्तनीय है। वहां जो हालत है उसको मैं उदाहरण देकर बता सकता हूं ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की और कहा कि तुमने काम चालू करवाये हैं अब भुगतान क्यों नहीं कर रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि जो बकाया भुगतान है उसका सरकार तुरन्त व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : भगवानदास शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में डी.ए.वी. कॉलेज में छात्रावास को बंद कर दिया गया है उसके बारे में और अन्य सुविधाओं के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। रामगंज नयी बस्ती में कम्पाउन्ड वाल कन्स्ट्रक्शन करके छात्रावास बनाना चाहते हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव इसलिये रखा है कि आप जानते हैं वर्तमान छात्रों से ज्यादातर लोग आतंकित भी हो जाते हैं। आज, सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्र समुदाय में रामगंज में छोटे-छोटे कमरों में किराये पर बच्चे रहते हैं चाहे वह गंगानगर से या बीकानेर से आते हों, वे छोटा-मोटा सामान अपने पास रखते है। ताला लगाकर कालेज चले जाते हैं तो पीछे से चोरी हो जाती है। वहां के निवासी उन्हें छेड़ते हैं, यह तो वे ही जानें, मेरा उद्देश्य यह है कि वास्तव में वे लोग विशुद्ध वातावरण चाहते है। इसलिये अजमेर जैसे वृहद सिटी में छात्रावास खोलना आवश्यक है। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है इसका यही उद्देश्य है कि दोराई हो या लबीची गांव हो, वहां पर काफी भूमि है जो यू. आई. टी. के अंडर में है, अभी उसने काफी भूमि अवाप्त भी की है। उस भूमि पर कम से कम डी.ए.वी. कॉलेज के द्वारा या गवर्नमेंट की तरफ से छात्रावास बनाया जाय जिसमें कि मनोरंजन की सुविधा हो, खेल का मैदान हो। वहां छात्र तभी अध्ययन कर सकते हैं जब उनके रहने के लिए छात्रावास हो, छात्रावास की सुविधा हो। आजादी के 38 साल पूरे होने के बाद भी विद्यार्थी को जो सुख सुविधा मुहैया करनी चाहिए वह नहीं करा रहे हैं, यह शर्म की बात है। एजूकेशन डिपार्टमेंट का यह कर्त्तव्य है, वह जब हायर सैकण्डरी या सैकण्डरी स्कूल वहां पर खोला जायेगा जहां पर कि खेल का मैदान हो तो उसको यह भी करना चाहिए कि कॉलेज में तो कम से कम छात्रावास की सुविधा हो। कालेज के पास नयी घनी बस्ती रामगंज है, वहां के लोग आंतकित रहते हैं। निर्माण कार्य के लिये सामग्री कम्पाउन्ड वाल के अन्दर पड़ी है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि रामगंज बस्ती में निर्माण नहीं करेंगे। स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके बारे में विश्वास से यही कहना चाहता हूं कि नयी बस्ती में रिहायशी उदण्ड छात्रों को हटा करके नगर के बीचों-बीच का जो एरिया है, वहां राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र छात्रावास का निर्माण करके बच्चों को, विद्यार्थियों

(श्री भगवानदास शास्त्री)

को राहत दिलावे, इतना ही कहकर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल जेलिया।

(अनुपस्थित)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अमीन खां।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर जिले की शिव तहसील में विद्युतीकरण के अभाव में पेयजल योजनाओं से जनता को पानी उपलब्ध न होना

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में इस वक्त 6 तहसीलें हैं जिनमें से शिव तहसील स्टेट के जमाने की है, रियासती हुकूमत के जमाने से सबसे पुरानी तहसील है। जिले में कुल 857 रेवेन्यू गांव हैं, उनमें से 85 रेवेन्यू गांव शिव तहसील के हैं, मगर क्षेत्रफल के लिहाज से शिव तहसील दूसरी तहसीलों से भी बड़ी है। पाताल तोड़ पानी शिव तहसील के अमुक गांवों में बहुत ज्यादा है, पंचायत समिति बायतू के गांवों को भी पानी पाइप लाइन के जरिए सप्लाई किया जाता है, पंचायत समिति बाड़मेर के रामसर सर्किल के गांवों को भी शिव तहसील के गांवों से पानी सप्लाई किया जाता है। मंत्री महोदय, आपको खुद को मालूम है कि गिरार खड़ी की स्कीम है, करीब डेढ़ करोड़ की स्कीम है, इस स्कीम में गिरार, उवेरी, खिड़ाणी, राणासर, देताणी, सियाई, कंटलिया का पार, रामसर, खारियाकल्ला, सेतराऊ चाड़ा चाडी गागरिया, आजवर गांव, हाजवर स्टेशन, तामलिया, बाबूसरिया, बबूकलेरिया, खड़ीम लिये गये हैं। हकीकत यह है कि इतने गांवों को भी आज तक पानी सुचारू रूप से नहीं, बड़ी मुश्किल से रामसर गांव तक पहुंचता है। मैंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से जिला स्तर पर जोधपुर में बार-बार कहा। उनका एक ही कहना है कि पहले जब यह स्कीम शुरू की गयी थी, बड़े-बड़े पावर के यहां जनरेटर सैट लगाये गये थे, डीजल के, उन दिनों गांव में पानी एक दो बार पहुंचा था। आज जो 11 के.वी. की लाइन आयी है, इससे हमें समय पर विद्युत पूरी न मिलने के कारण से इन गांवों को पानी की सप्लाई हम नहीं कर सकते। चाड़ा, चाडी, चितरांड, खारिया कल्ला, हाजवर गांव, हाजवर स्टेशन, बाबूसरिया, बाबूकलेरिया में कोई दो तीन बार पानी पिछले दस बरस में मिला है, वरना पानी कभी नहीं गया है। बहुत ज्यादा पाइप लाइन गांवों में बिछाई जायें क्योंकि लोगों में इस कारण से बड़ा असंतोष है। इसी प्रकार 1977 में गडरा, जयसिंदर

(श्री ग्रमीन खां)

की स्कीम स्वीकृत हुई। उसके बाद में ट्यूब वेल खोदे ग्रौर पाइप लाइन कम्प्लीट की गयी, मगर गडरा रोड पर भी 11 के वी. लाइन से एक दो ट्यूबवेल पर पावर मिलने से ग्रौर ट्यूबवेल नं० 5 है, उसको कनेक्शन न मिलने से जयसिंदर स्टेशन तक ग्राज तक भी पानी नहीं पहुंचा। इसके ग्रलावा ग्रब नयी ग्रापन स्कीम सैंक्शन की है। बाड़मेर तहसील के गांवों को जाते हैं तो नजदीक से नजदीक, मंत्री जी, ग्राप खुद जानते हो, शिव से गडरा पूर्व की तरफ चौहटन तक बीच में मीठे पानी का जमीन में कोई स्रोत नहीं। स्रोत मात्र शिव तहसील, गडरा रोड, खंडयाणी के सिवाय कहीं नहीं। इसी प्रकार बायतू पंचायत समिति के गांवों की स्कीम बनी हुई है, उंडू पीपलिया, उंडू पनावडा, उनमें से कई गांवों को पानी बराबर नहीं मिलता है जिसका कारण विद्युत की कमी बताया जा रहा है। जिले में यह भी हमने सुना है कि 8 पंचायत समितियों में से 6 पंचायत समितियों के तमाम गांवों के विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत हो चुकी है, मगर शिव तहसील के एक भी गांव की उस ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृति नहीं हुई है ग्रौर पंचायत समिति बाड़मेर की नहीं हुई। बाड़मेर तो जिला हैड क्वार्टर होने की वजह से उसके ग्रासपास ट्यूब वैल जिन गांवों में हैं उनमें तो पावर है, मगर शिव पंचायत समिति ऐसी रह गयी है जिसके लिए विद्युतीकरण स्कीम सैंक्शन नहीं है। मैंने यह भी सुना है कि स्कीम पंचायत समिति शिव के गांव की भी बनायी गयी थी मगर जैसे 74 पर्सेन्टेज गांव सैंक्शन हो रहे हैं तो वह कम किये जायेंगे क्योंकि दूसरे जिलों में इतने पर्सेन्टेज गांवों को नहीं लिया जा रहा है। उस वक्त सैक्रेटेरिएट लेवल पर तय कर लिया कि शिव पंचायत समिति को काट दो, बाकी की स्वीकृत कर दो, इसलिए हमारे यहां 33 के. वी. की विद्युत लाइन प्राप्त नहीं हुई। ग्रब मैं इतना चाहता हूं कि शिव तहसील के 85 गांव हैं, सारे गांव के विद्युतीकरण की स्कीम पास कराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वहां खेती नहीं होती है, खेती के कुएं भी नहीं है। गरज इस बात की है कि मात्र गिराज जयसिंदर, गडरा रोड, खानिया, उडू नियाणा पोशाड, कानासर गांव में ग्रगर 33 के वी की लाइन पहुंच जाती है तो शिव तहसील के गांवों की स्कीमें भी सुचारू रूप से चलेंगी ग्रौर गांवों को पाइप लाइन के जरिये से पानी पहुंचाया जाता है, उससे पचायत समिति के गांवों को भी पानी पहुंचेगा। गडरा, खनियाणी, नेदूसर, गांव में ग्रगर, 33 के वी लाइन जायेगी, तो चौहटन की सीमा तक भी पानी पहुंचेगा। वरना यह जितनी भी स्कीम है, सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके महसूस किया है कि जिन गांव के लोगों को पानी पहुंचाया जाना था उन तक हरगिज पानी नहीं पहुंचता है। मंत्री महोदय, पिछली दफा बरसात के पहले दो महीने गडरा, जयसिंदर, खड़ीद, उडू पीपलिया,

(श्री अमीन खां)

उड़ू पनावड़ा स्कीमें बंद रही, उसके बावजूद लोग पानी के अभाव से बच गये वह इस लिए बच गये कि मई के महीने में बरसात हो गयी, हरसाणी, बेताणी, उड़ू बिहाड़ के तालाबों में पानी आ गया, जिससे दिक्कत लोगों को महसूस नहीं हुई, तालाब के पानी से लोग बच गये। अगर मई में बरसात नहीं होती तो जानवर मर जाते और लोगों को भी अपना गांव छोड़कर हटना पड़ता। रामसर सर्किल के गांव गडरा के आसपास के गांव उस समय दो तालाबों पर आकर बस गये थे। इसलिए हमारा यह आपसे नम्र निवेदन है कि आप विद्युतीकरण स्कीम पंचायत समिति के लिये पास करें, ज्यादा पैसा खर्च कराने की हम कोई जरूरत नहीं समझते, उदू कानसर, बिहाड़ उधर के जयसिंदर गडरा, खानियाणी इन जगह ट्यूब वैल हैं, 10 हजार से लेकर 3 हजार गैलन तक इन ट्यूब वैलों में पानी आता है, इन ट्यूब वैलों के लिए आप मेहरबानी करके 33 के वी लाइन की व्यवस्था कराओ तो यह जो स्कीम 7-8 हैं जिनसे 150 गांव कवर होते हैं इन गांवों के लोग सुचारू रूप से पानी पी सकेंगे। मंत्री महोदय, मैं यह भी फील करता हूं कि बाड़मेर से रामसर 60 किलोमीटर है, वहां पर 33 के वी की लाइन थी। बाड़मेर रामसर के बीच में कोई ट्यूब वैल नहीं है रामसर से गडरा रोड सिर्फ 25 किलोमीटर है वहां 5 ट्यूब वैल हैं। फैमिन में 6 सौ टैंकर पानी गडरा रोड से जाता है। दूसरे गांव गडरा रोड की स्कीम में हैं वहां 33 के.वी. पावर न होने से 3 स्कीम्स को दिक्कत होती है। अभी आपके विभाग द्वारा 3 गांव और पुनर्वास की स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये थे और काम भी उनका समाप्त हो चुका है। गिरार खडिया जय-सिंदर सब-स्टेशन पहला है। दूसरे खुडानी में पुनर्वास की 4 स्कीम्स स्वीकृत हुई जिनका काम कम्पलीट हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक एक गांव खुड़ानी में ट्यूब वैल में कनेक्शन बिजली का मिला है जिससे ट्यूब वैल चल रहा है। आपके ही विभाग ने रामसर और खुड़ानी तक सुचारू रूप से पानी पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा ट्यूब वैल तैयार करा दिये। गांव खुडानी में जो लाइन बिजली की दी गई, आपकी लाइन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है फिर भी एक साल तक लगातार प्रयास करने के बाद एक ट्यूब वैल को कनेक्शन नहीं मिला इसके कारण वहां पानी नहीं पहुंचा। खुड़ानी से गिराब 20 किलोमीटर दूर रहता है। 20 किलो-मीटर पानी आने से रामसर पहुंचाने में आपके विभाग के अधिकारी ज्यादा दिक्कत महसूस करते हैं। खुड़ानी के ट्यूब वैल में सिर्फ 3 किलोमीटर लाइन देने के लिये सम्बन्धित विभाग पैसा जमा कराने के लिये तैयार है मगर विद्युत विभाग लाइन और कनेक्शन नहीं दे रहा है जिसके कारण वह ट्यूब वैल स्टार्ट नहीं हो रहा है, बन्द पड़ा हुआ है, जिससे आगे के 20 गांवों में पानी नहीं पहुंचता है।

(श्री ग्रमीन खां)

मेरा ग्रापसे निवेदन है कि ग्राप खुद वहां की हालत से वाकिफ है, वहां के गांव देखे हुए हैं सिर्फ इन 10–12 गांवों में ट्यूब वैल से जनता को पानी पिलाया जाता है इसलिये ग्राप 33 के०वी० लाइन की व्यवस्था करावें। फिलहाल 33 के०वी० लाइन डालने में ज्यादा दिक्कत हो तो 11 के०वी० लाइन डालकर जो गांव 3–4 किलोमीटर ट्यूब वैल से दूर हैं उनको कनेक्शन दिलावें। यह भी ग्रापको मालूम है कि तहसील शिव ग्रौर जिला जैसलमेर में बाडमेर जिले के सारे मवेशी ग्राकर जमा हो गये। इन इलाकों में मवेशियों का ज्यादा लोड पडता है। पुनर्वास के गांव होने से भी इस इलाके में ज्यादा लोड पड़ता है। हमें 8 वें हिस्से से भी पीछे रखा है, इसलिए मेहरबानी करके हमें ज्यादा सुविधा दिलाने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि ग्राप खुद वाकिफ हैं ग्रौर ग्रापका खुद का भी हमारी तरफ ध्यान है। इसलिये इतना ही मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप इसके लिए इंतजाम करें। ग्रकाल यहां भी है, पानी की सबसे बड़ी दिक्कत पशुग्रों ग्रौर इन्सानों को होगी। इसके लिए ग्राप विभाग को ताकीद करें। गत वर्ष बजट भाषण में ग्रापने फर्माया था कि गडरा रोड ट्यूब वैल नम्बर 5 को कनेक्शन दे दिया जायेगा, ग्रादेश दे दिये गये हैं मगर ट्यूब वैल नम्बर 5 में ग्राज तक कनेक्शन नहीं मिला है जिससे गडरा तहसील स्कीम में पानी ग्राज तक नहीं पहुंचा है। इतना ही कह कर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान ग्राकर्षित करता हूं। ग्रापने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : ऊर्जा मंत्री, श्री परसराम जी मदेरणा एक वक्तव्य देंगे।

श्री परसराम मदेरणा (ऊर्जा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, शिव से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव द्वारा जो राज्य सरकार का ध्यान ग्राकर्षित किया है, सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है :–

राजस्थान राज्य में कुछ 236 पंचायत समितियां हैं जिनमें से मात्र 94 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनके सम्पूर्ण ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं ग्रथवा विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये जा चुके हैं।

तहसील शिव में 1971 की जनगणना के ग्रनुसार कुल 79 ग्राबाद ग्राम हैं, जिनमें से 9 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष सभी ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये ग्रार०एम०एन०पी० श्रेणी की दो योजनायें बनाई गई थीं, जो ऋण सहायतार्थ स्वीकृत करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को माह नवम्बर, 1980 में भेजी गई थी, परन्तु वर्ष 1980–81 में निगम के पास, संशोधित न्यूनतम ग्रावश्यकता कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत ग्रावश्यक धनराशि कम

(श्री परसराम मदेरणा)

होने के कारण उक्त योजनायें स्वीकृत नहीं की गई। तत्पश्चात् ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ऐसी योजनाओं के लिए ऋण सहायता स्वीकार करने हेतु निर्धारित मानदण्डों में परिवर्तन कर देने से, वर्तमान मापदण्डों पर उक्त योजनायें साध्य नहीं पाई गई। विद्युतीकरण निगम के वर्तमान मापदण्डों के अन्तर्गत शिव तहसील के इन शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की योजनायें स्वीकृत होना संभव प्रतीत नहीं होता।

इसी कारण शिव तहसील के शेष ग्रामों के विद्युतीकरण करने की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति बायतू के सभी ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु दो योजनायें संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 (जनवरी) में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेजी गई थीं जो उस समय निगम द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर साध्य होने के कारण स्वीकृत हो चुकी हैं। पंचायत समिति बायतू की ग्रामीण विद्युतीकरण की दोनों योजनाओं के अन्तर्गत 69 ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है जिनमें से इस वर्ष मंडल के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है।

शिव तहसील के विद्युतीकृत ग्रामों में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ट्यूब वैल बूस्टिंग स्टेशनों पर विद्युत कनेक्शन पहले से ही दिये हुये हैं। जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के निम्न स्थानों पर विद्युत कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं :-

1. खुडानी	7.5 हा०पा०
2. गडरा रोड	10 हा०पा०
3. गिराव	30 हा०पा०
4. गिराव (6)	30 हा०पा०
5. हरसानी	7.5 हा०पा०

इन स्थानों को जोड़ने वाली 11 के.वी. लाइनों पर वोल्टेज रेगूलेशन पहले ही अधिक होने के कारण उक्त कनेक्शन देना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है। उक्त कनेक्शन देने हेतु 55 कि०मी० की 33 के० वी० लाइन रामसर से हरसानी तक एवं 33/11 के०वी० का सब स्टेशन हरसानी में बनाना आवश्यक होगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 27 लाख रुपये आंकी गई है। सीमित वित्तीय साधनों के कारण विद्युत मण्डल द्वारा यह कार्य किया जाना संभव नहीं है। ट्यूब वैल को बिजली देने हेतु विद्युत लाइन व उप चौकी का काम प्रगति पर है जिसके अगले सप्ताह पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है।

श्री अमीन खां : मैंने तो सिर्फ 6-7 गांवों को बिजली देने की बात कही है उनको बिजली देने में क्या ज्यादा दिक्कत है? यदि ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो जो गांव बताये हैं जिनमें 74 से लेकर आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा है, उनका क्या

(श्री अमीन खां)

इलाज करेंगे ? डीजल के जनरेटर सैट की व्यवस्था करावें।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जैसा कि आपको निवेदन किया 11 के० वी० लाइन पर वोल्टेज रेगूलेशन अधिक होने के कारण आगे कनेक्शन देना तो सम्भव नहीं होगा जब तक कि 33 के०वी० लाइन और सब-स्टेशन न बन जाय। इसके लिये जो धनराशि चाहिये, वह 27 लाख रुपये है जिसको जुटाना अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं है। विद्युत मण्डल वर्तमान स्थिति में सब स्टेशन भी बना सके और 33 के०वी० लाइन का निर्माण भी कर सके, यह वर्तमान मे अर्थाभाव को देखते हुए यह संभव नहीं है। अगले वर्ष अगर आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो निश्चित तौर पर आपके प्रस्ताव पर गौर करेंगे।

श्री महाराम चौधरी : शहरी क्षेत्रों में कमी की जाकर ग्रामीण क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण किया जा सके ऐसी व्यवस्था करें।

विश्व बैंक योजनान्तर्गत चल रही हैण्ड पम्प योजना में विभागीय अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भैरूंसिंह गुर्जर, श्री शिवदान सिंह, श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री घनश्याम तिवाड़ी, सुश्री पुष्पा जैन, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री रामकिशोर मीणा, श्री सी० पी० जोशी विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत लगाये जा रहे हैण्ड पम्प योजना में विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की ओर जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): ध्यान आकर्षित करते हैं उनको बोलने दें पहले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : नाम तो पहले मेरा है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई हर्ज नहीं आपका भी आ जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं अभी गवर्नमेन्ट का वक्तव्य आने दीजिये। गवर्नमेन्ट पहले जवाब दे।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : मुझे पहले केवल ध्यान आकर्षित करना है सिर्फ दो तीन प्वाइन्ट की ओर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रक्रिया यह है कि ध्यान आकर्षण करने पर गवर्नमेन्ट जो जवाब दे, उस पर आप बोलें। आप बोलें, उसमे मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पहले गवर्नमेन्ट की तरफ से रिप्लाई आना चाहिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट का वक्तव्य जारी

(श्री सुजानसिंह यादव)

होने से पहले मेरे दो स्पेसिफिक प्रश्न होंगे।

श्री माधवसिंह दीवान : इनका नाम ही नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : मैं विरोधी दल के नेता की बात को मानते हुए भूमिका के रूप में मैंने जो प्रश्न उठाये हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में उठा लेना।

श्री सी. पी. जोशी : मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय, जवाब दें उसमें निश्चित तौर से इन दो मुद्दों को भी इन्क्लूड कर दें। मैं ऐसा मानता हूं कि इन्क्लूड नहीं किये हैं, इसलिये मैं ब्रीफ में दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। बाकी आप प्रश्न उठायेंगे ही, मैं स्वयं इस बात को जानता हूं।

जो प्रश्न मैंने उठाये हैं, इस बात में मैं इन्ट्रस्टेड नहीं हूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेन मुद्दा, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि राजस्थान के इतिहास में शायद ब्यूरोक्रेट्स और कान्ट्रेक्टर्स का इससे बढ़िया तालमेल नहीं हो सकता। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मेन मुद्दा यह है कि आपका जो स्टेटमेन्ट होगा उसमें आप यही नहीं बतायें कि 7000 गांवों को 81 तक पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी, 23 हजार इसमें पाइन्ट लगा दिये 82–83 में 2700 विलेजेज को और कवर करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मेन जो मुद्दा है उसके सम्बन्ध में, मंत्री महोदय, मैं मोटी-मोटी बातें बताऊंगा। पहला मुद्दा मेरा यह है कि जो योजना सितम्बर, 1980 से प्रारम्भ की गई जिसका आपने 12 फर्मों को कान्ट्रेक्ट दिया, क्या उन्हें टेण्डर देने से पहले किसी भी न्यूज पेपर में आपने टेण्डर नोटिस पब्लिश किया था कि हम इस योजना के लिए टेण्डर मांग रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि टेण्डर देने की लास्ट डेट क्या थी ? वह भी बतायें और उसके बाद में प्रश्न पूछूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य, जिनके नाम पर यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

(12.52 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

श्री भैरूंसिह गुर्जर, आप ध्यान आकर्षित करिये प्रक्रिया के नियम 131 के अनुसार।

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) : सभापति महोदया, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के तहत पी. एच. ई. डी. के तहत विश्व बैंक योजना के अधीन हैण्ड पम्प योजना में कथित भ्रष्टाचार की ओर जन स्वास्थ्य

Page No 68

(68)

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

अभियांत्रिकी मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) : माननीय सभापति महोदया, प्रतिपक्ष के नेता ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो बात कही उसके बारे मे व्यवस्था आसन की तरफ से दी हुई है । यह बात ठीक है ध्यान आकर्षित कालिंग अटेन्शन मोशन देने वाले माननीय सदस्य को करना चाहिये जैसा कि रूल्स मे प्रावधान है। लेकिन यहां पर पिछले दो साल से मैं यह देख रहा हूं, जब मैने आपत्ति की तो अध्यक्ष महोदय ने आसन से यह रूलिंग दी कि ध्यान आकर्षित करते वक्त सबको बात कहने दी जाय....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको आपत्ति क्या हो रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : और माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम ध्यान आकर्षित आगे कर देंगे । वह कुछ पहले हमारी बात सुनना चाहते हैं और बाद में अपनी बात कहना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो अपना वक्तव्य दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य नाथद्वारा से आने वाले ने जो मुद्दे उठाये हैं उनका समावेश मेरे वक्तव्य में हैं। जिनका समावेश मेरे वक्तव्य में नहीं उनको बाद मे स्थिति स्पष्ट कर दूंगा । वक्तव्य इस प्रकार है राज्य सरकार का–

वर्ष 80–81 में राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से हैण्ड पम्प लगाने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम हाथ म लिया गया । उस समय यह अन्दाज लगाया गया कि लगभग 9700 गांवों में हैण्ड पम्प योजना प्रारम्भ की जा सकती है एव इनमे लगभग 3000 हैण्ड पम्पों की आवश्यकता होगी । सितम्बर, 80 म जब हैण्ड पम्प कार्यक्रम पूरा करने का काम निजी पार्टियों को देन का निर्णय लिया गया । यह अनुमान लगाया गया था विभागीय निधियों से 80–81 म तीन हजार नलकूप एव 81–82, 82–83 और 83–84 म प्रतिवर्ष 3200 नलकूप कुल 12000 नलकूप बनाये जा सकेंगे, उस समय यह निर्णय लिया गया था कि 83–84 तक केवल 30 हजार नलकूप बनाने की व्यवस्था की जाय एव शेष 17400 नलकूप निजी पार्टियों से बनवाय जाय। उक्त कार्य एम०एल०सी०, ए०पी०ए० एवं ए० आर० पी० कायक्रम के तहत भी किया जा रहा था । विश्व बैंक योजना के अन्दर वर्ष 81–82 में नलकूप निर्माण हेतु निविदायें विभाग के विभिन्न कार्यक्रमो द्वारा जून, 1980 में आमन्त्रित की गई । इसके अन्तर्गत 16 पेकेज को निविदायें सीकर, झुन्झुनू, नागौर, पाली अजमेर व कोटा जिलों के लिए आमन्त्रित की गई। इसके

श्री परसराम मदेरणा)

अतिरिक्त जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिलों में हैण्ड पम्प कार्य हेतु भी निविदायें आमन्त्रित की गई थीं। इनका पूरे देश के के स्तर पर मुख्य मुख्य अखबारो, टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, इण्डिया टाइम्स जर्नल, ट्रिब्यून राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत इत्यादि में निर्देशक जन सम्पर्क कार्यालय के माध्यम से प्रकाशन कराया गया एवं प्रत्येक पैकेज की तीन से 5 निविदायें प्राप्त हुई। इन निविदाओं की जांच के समय यह महसूस किया गया कि क्योंकि दर अधिक है अतः अगस्त, 1980 में मुख्य अभियन्ता कार्यालय में विभिन्न ठेकेदारों से नेगोसिएसन किया गया एवं उनसे दरें कम करवाई। इन निविदाओं की जांच करते समय एवं नेगोसिएसन के समय यह महसूस किया गया कि विभागीय स्तर पर इतना बड़ा कार्यक्रम समय से पूरा करवाने के लिए नई निविदायें आमन्त्रित करने से विशेष लाभ नहीं होगा बल्कि पूरे राज्य के लिए एक दो दरें अनुमोदित कर दी जायं जिनसे इन पार्टियों के मार्फत एवं अन्य पार्टियों के मार्फत भी उक्त एक सी दरों पर सीधे आदेश देकर कार्य करवाया जा सके। इससे कार्य की प्रगति बढ़ेगी और लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में दिनांक 4.2.80 को राजस्थान जलदाय एव मरु विकास प्रबन्ध मण्डल की वित्त समिति की बैठक हुई जिसमें विभिन्न कार्यों के लिये एक सी दरें निर्धारित करने पर विचार हुआ और एक दर अनुमोदित की गई। उक्त बैठक में शासन सचिव चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, वित्त सचिव, विशिष्ट योजना, शासन सचिव, मुख्य अभियन्ता, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी एवं दो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता उपस्थित थे। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार का अनुमोदन भी आदेश दिनांक 8 दिसम्बर, 1980 द्वारा प्रसारित किया गया।

उक्त किये गये अनुमोदन में निम्न मुख्य शर्तें थीं:—

1. हर किस्म की चट्टान में 100 मि. मि. व्यास का बोर बनाने के लिए 240/-रु. प्रति मीटर की दर देय होगी।

2. हर प्रकार की मिट्टी में प्रथम 10 मीटर खुदाई के लिए 150/-रु. प्रति मीटर एवं इसके उपरान्त 175/-रु. प्रति मीटर की दर मय केसिंग पाइप एवं खुदाई के देय होगी।

श्री परसराम मदेरणा : हैण्ड पम्पों से सम्बन्धित सिविल कार्य जैसे प्लेटफार्म पर 1-9-80 को लागू ई० एस० आर० में 50 प्रतिशत अधिक की दर से देय होगी।

4. इण्डिया मार्क दो हैण्ड पम्प, जो विभाग द्वारा दिये जायेंगे, को लगाने के लिये 145 रुपये प्रति हैण्ड पम्प देय होगा।

5. हैण्ड पम्प के लिये आवश्यक 32 मिलीमीटर का जी० आई० पाइप 30 रुपये प्रति मीटर की दर से देय होगा।

(श्री परस राम मदेरणा)

6. 13 किलो मीटर से अधिक की दूरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइप ले जाने के लिये 5 रुपये प्रति किलोमीटर देय होगा (15 किलो मीटर से अधिक की दर पर) 31 मार्च 1981 तक कोई कीमत की बढ़ोतरी लागू नहीं होगी एवं उपभोक्ता संघ सूचकांक के 10 प्रतिशत से कम पर बढ़ोतरी नहीं की जायेगी । अप्रेल और अक्टूबर में यह पुनर्मूल्यांकन करके 1-9-80 से मूल्य सूचकांक में कितनी बढ़ोतरी हुई है उस पर राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रस्तावित नियमों के अनुसार दर वृद्धि की जावेगी । उक्त अनुमोदन में जिन ठेकेदारों से उनकी कार्य क्षमता के बारे में जानकारी की गयी थी उनको तीन वर्ष के लिए उनकी क्षमता के अनुसार एवं विभागीय निगम की क्षमता के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में बजट स्वीकृत होने के अनुसार कार्य आवंटित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त आय होने पर अन्य मालिकों पर भी उनकी कार्य क्षमता जांचकर उनका कार्य किया जायेगा । कार्य को समय से पूरा करने के लिये पी० डब्ल्यू० डी० एफ० एम० ए० आर० पी० 11 के अनुसार शर्तें लागू की गई थीं । असफल नलकूपों के लिये मुख्य अभियन्ता के अनुमोदन होने के उपरान्त भुगतान का का प्रावधान रखा गया । इसके साथ ही विभागीय नलकूपों को बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाने के प्रयत्न किये जायेंगे । विभाग ने अपनी राशि से वहां से 16 हैण्ड पम्प बनाने की पुरानी निविदायें प्राप्त हुई हैं । केन्द्र सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से निविदा प्राप्त करके 33 निविदायें उपलब्ध की गई हैं । इसके अतिरिक्त विभाग के सतत् प्रयत्नों से अब तक 76 निविदायें उपलब्ध हो सकी हैं । इस क्षमता बढ़ने के कारण से विभाग में वर्ष 1980-81 में 2271, वर्ष 1981-82 में 5 63 एवं वर्ष 1982-83 में जुलाई तक 1300 और कुल मिलाकर 32,769 सफल नलकूप खोदने में सफल रहा । यह कार्य साधारणतः माने गये लक्ष्य से कहीं अधिक है । राजस्थान राज्य में निजी ठेकेदारों द्वारा 1980-81 में 3342, 1981-82 में 8434 एवं 1982 जुलाई में 1463,

(1.05 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

कुल 13 हजार 242 सफल नलकूप बनाये गये । इसके अतिरिक्त इसके पूर्व भू-जल विभाग द्वारा 1279 ग्रामों को हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित किया जा चुका है । इस प्रकार जुलाई 1982 में कुल मिलाकर 7209 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है । वर्ष 1980-81 से जुलाई 1982 तक 22 हजार 11 सफल नलकूप बनाये गये एवं इससे पूर्व बनाये गये 3395 नलकूपों को मिलाकर 32 हजार 406 नलकूप राज्य को उपलब्ध हुए हैं । यह जो उपलब्धियां हैं, राज्य में हुई है इसमें विभाग द्वारा नयी निविदायें प्राप्त करके एवं निजी

(श्री परसराम मदेरणा)

पार्टियों से कार्य करा कर ही यह कार्य सम्भव हो सका है। यदि इस प्रकार लगातार कार्य उपलब्ध होने के बाद निजी ठेकेदारों को नहीं दिये जाते तो वे इसके लिये आवश्यक मशीनें इत्यादि करने की स्थिति में नहीं होते और न ही हम अन्य राज्यों के ठेकेदारों को राज्य में कार्य करने के लिये प्रयत्न कर पाते। शुरू-शुरू में कार्य में प्रगति लाने के लिये ठेकेदार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे एवं उनको उपलब्ध कराने के लिये विभागीय अधिकारियों को अन्य राज्यों में भी भेजना पड़ा था। जहां तक दरों का प्रश्न है यह मात्र आज के सन्दर्भ में न देखी जाकर यदि पूर्व में राज्य में हैण्ड पम्प बनाने के लिये, कार्य करने के लिए पर्याप्त निजी पार्टियां उपलब्ध नहीं थी, सीमेंट की समस्या थी एव राज्य के सामने शीघ्र जल प्रदाय कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य था। अब प्रकाशित करके निविदायें प्राप्त की गई और यह दरें नियमित की गई। केन्द्र सरकार द्वारा जो ए. आर. पी. कार्यक्रम के तहत शत-प्रतिशत धनराशि पेयजल के लिये उपलब्ध कराई जाती है उसके सन्दर्भ में केन्द्र सरकार से जुलाई, 1982 में दो पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें उनको हैण्ड पम्प कार्यक्रम के लिये लिखा है एवं अन्य प्रकार की योजनाओं के लिये धनराशि देने मे अरूचि जाहिर की है। छठी पंचवर्षीय योजना के पूर्व में ए. आर. पी के तहत देश के बजट 600 करोड़ रुपये में से राजस्थान के लिये 79 करोड़ 72 लाख रुपये आवंटित किये थे। अब यह बढ़कर देश के लिये 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें राजस्थान के लिये सम्भवत: 40 या 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इस राशि का उपयोग करने के लिये राज्य में विभागीय पार्टियों और निजी पार्टियों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जा रहा है। ए. आर. पी. के तहत राज्य में पेयजल योजना हेतु वर्ष 1980–81 में 4 करोड़ 51 लाख रुपये खर्च किये गये। वर्ष 1981–82 में 14 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च किये गये। वर्ष 1982–83 के लिये वर्तमान में 19 करोड़ साढ़े 47 लाख रुपये का प्रावधान है।

यह चर्चा की गई है कि विभागीय ड्रिलिंग की दर निजी पार्टियों के मुकाबले बहुत कम है। सितम्बर 80 में जब यह कार्यक्रम गति पर लाया जा रहा था, विभागीय कार्यों के लिये तकमीना बनाया गया था जिसमें चट्टान में 100 मि. मि. व्यास की कूप की दर 266 रुपये प्रति मीटर आंकी गई थी। इसके उपरान्त अभी तक विभागीय ड्रिलिंग की लागत को अन्तिम रूप से नहीं आंका गया है। इस सन्दर्भ में मुख्य बात यह है कि हम विभागीय रिगों को पूर्ण क्षमता से ही काम में ले रहे हैं एवं शेष कार्यों को ही निजी पार्टियों से करवा रहे हैं। यदि हम पूरा कार्य नहीं कर सके तो केन्द्र से मिलने वाली सहायता का पूर्ण उपयोग नही कर सकेंगे।

नलकूप की पूरी खुदाई न होने बाबत

(श्री परसराम मदेरणा)

चर्चा की गई है। इस सन्दर्भ में मैं यह कहूंगा कि लगाये गये नल कूपों की जांच ओवरसियर के अलावा सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा भी की जाती है। यदि इसके बारे में कोई विशेष काम की शिकायत हो तो उसकी जांच की जा सकती है।

लगाये गये हैण्ड पम्पों के बन्द होने बाबत भी चर्चा की गई। यह स्थिति लगातार बदलती रहती है। हैण्ड पम्प बन्द होने पर विभाग को सूचना मिलने पर उसको ठीक करने का कार्य किया जाता है। अतः विशेष समय पर कितने हैण्ड पम्प बन्द हुए यह सूचना एकत्रित करना बहुत कठिन है। अनुमानतः किसी भी समय कुल लगाये गये हैण्ड पम्प में से 20 से 25 प्रतिशत हैण्ड पम्प बन्द हो सकते हैं, जिनकी पुनः मरम्मत की जाती है। मन्त्री मण्डल आज्ञा संख्या 10/82 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हैण्ड पम्प को रख-रखाव के कार्य स्थानीय पंचायतों को स्थानान्तरण कर दिये जायें। प्रत्येक स्थान्तरित नलकूप के रख-रखाव के लिये प्रतिवर्ष 150 रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 100 रुपये प्रशिक्षित मिस्त्री के भुगतान के लिये एवं 50 रुपये सामान के लिये दिया जावेगा।

मिस्त्रियों को प्रशिक्षण के लिये जिला ग्रामीण विकास अधिकारी के द्वारा ट्राइसम योजना के अन्तर्गत चयन किया जावेगा। साधारणतया एक मिस्त्री द्वारा 2 या 3 पंचायतों में 30 या 40 पम्प का साधारण कार्य देखा जावेगा। पंचायत द्वारा संधारण किये जाने वाले नल कूपों के लिये विभाग द्वारा तकनीकी सलाह दी जावेगी एवं आवश्यक स्पेयर्स पार्ट्स स्थानीय कार्यालयों पर उपलब्ध कराये जावेंगे। यह नलकूप सिर्फ चालू हालत में ही पंचायतों को हस्तान्तरित किये जावेंगे। अब तक विभाग द्वारा लगभग 4500 नलकूप पंचायतों को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं एवं शेष के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में काफी कुछ बताया लेकिन एक सवाल को बिलकुल ही गोल कर गये। इसकी क्या वजह है, मैं आपको निवेदन करूं, इसकी वास्तविकता यह है कि पी. एच. ई. डी. मन्त्रीजी के हाथ में हैण्ड पम्प के बाबत, हैण्ड पम्प खोदने के बाबत, उनकी रेट फिक्स करने के बाबत, कुछ भी तो इनके हाथ में नहीं है। नम्बर एक बात। दूसरी बात यह है कि इसका एक कारण यह है कि जिस प्रकार आर. एस. ई. बी. बना हुआ है उसी प्रकार हैण्ड पम्प खोदने के लिये राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया गया है। इस बोर्ड के चेयरमैन एक आई. ए. एस. अधिकारी हैं जो कि पी. एच. ई. डी. सैक्रेटरी हैं और मैम्बर, सैक्रेटरी जो होते हैं, वह दूसरे अधिकारी होते हैं। मन्त्री महोदय तक तो

(श्री भैरू सिंह गुंजर)

इसकी फाइल ही नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये पहली बात तो यह है कि मंत्री महोदय के यहां पर इस बात का जवाब ही नहीं देना चाहिये था क्योंकि यह सारा का सारा मामला, जो इनका बोर्ड है वही देखता है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं, जैसा कि हमने यहां पर सदन में आरोप लगाया था कि इस डिपार्टमेंट के जो हैण्ड पम्प खुदाये जाते हैं उनमें भारी घोटाले होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बोर्ड नौकरशाही का बना हुआ है इस बोर्ड में शुद्ध नौकरशाही है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भरे हुए हैं। जिस बोर्ड में ब्यूरोक्रेट होते हैं और ब्यूरोक्रेट उसका चेयरमैन नहीं होता हो जहां पर जन प्रतिनिधि चेयरमैन होता हो वहां पर घोटाले होना तो, अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है। जब बोर्ड बना तो बोर्ड बनाते ही हैण्ड पम्प खोदने के लिये ठेके देने शुरू कर दिये, मैं आपसे निवेदन करूं, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने बताया कि बोर्ड ने यह तय किया कि जहां पर रॉक्स हों, हैण्ड पम्प की खुदाई अगर वहां की जावेगी तो उनको 240 रुपये प्रति मीटर खुदाई के दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जब बोर्ड ने रेट्स तय नहीं की थीं तब चाहे मिटटी में खुदाई केवल 140 रुपये प्रति मीटर पर खुदाई की जाती थी। वर्तमान में जो ठेकेदार हैं उनमें से एक भी ठेकेदार काम पर नहीं था जो उस समय खुदाई करता हो। वह ठेकेदार यह सोच रहे थे और उनका यह प्रयत्न था कि पहले बोर्ड बन जावे तो बाद में उसकी रेट फिक्स कर दें क्योंकि उन ठेकेदारों के चहेते अधिकारी उस बोर्ड में चेयरमैन बन गये थे इसलिये उन ठेकेदारों ने, उसमें बाद में ठेके लिये। मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, बोर्ड बनने से पहले जो 140 रुपये ही खुदाई के लगते थे, लेकिन वह 100 रुपये बढाकर सीधे 240 रुपये कर दिये गये। अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में इतना आश्चर्यजनक उदाहरण आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक दम सौ रुपये रेट में बढ़ा दिये गये, और यह सब बोर्ड बनने के बाद किया गया। जहां पर 140 रुपये में काम हो रहा था वहां जो पार्टी 140 रुपये में काम कर रही थी वह पार्टी नये ठेकेदारों में एक भी नहीं थी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट होता है कि जो नये ठेकेदार थे वह विभाग के अधिकारियों से मिले हुए थे और उनकी मंशा थी कि उन नये ठेकेदारों से हैण्ड पम्प खुदाये जायं जो कि आगे भविष्य में हैण्ड पम्प की खुदाई होने वाली थी और उसमें लाखों करोड़ों रुपये का काम होने वाला था जो बाद में बोर्ड के अधिकारियों की जेबों में उन ठेकेदारों के द्वारा पहुंच जायेगा। इसमें, अध्यक्ष महोदय, वर्तमान जो ठेकेदार हैं वह सभी नये हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि वर्तमान में जो पी. एच. ई. डी. के मन्त्रीजी हैं उनका तो

(श्री भैरू सिंह गुंजर)

इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इसलिये उन्हें कम से कम यह तो बता देना चाहिये था, अपने जवाब में स्पष्ट, कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में बोर्ड के अधिकारियों ने बहुत सारे घोटाले किये हैं और जिस बोर्ड में जन प्रतिनिधि नहीं होता है वहां पर घोटाले तो होंगे ही। मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताया जाय कि इस बोर्ड बनाने का क्या कारण था जब कि विभाग के द्वारा काम हो रहा था, और पहले विभाग था तो इस राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज मैनेजमेन्ट बोर्ड की स्थापना ही क्यों की गयी ? इसकी क्या जरूरत थी ? यह सारे के सारे रेट किसने तय किये थे जो कि 140 रुपये के सीधे के सीधे 240 रुपये कर दिये गये। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा स्कैण्डल तो यह पहले ही हो गया जब कि अधिकारियों ने ठेकेदारों से करोड़ो रुपये डकार लिये। उसके बाद में मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, कि जब रिग्स गांवों में हैण्ड पम्प खोदने के लिये पहुंचाई जाती है और मिट्टी आने के बाद जब रोक आ जाती है तो वहां पर पहले स्टील का पाइप लगाया जाता है रोक आ जाने के बाद में। विशेष तौर से मेरे क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि वहां 15-16 फीट के बाद में रोक आ जाती है उसके बाद में मशान से खुदाई नहीं होती है फिर भी वहां पर पाइप नहीं लगाया गया हैं। तो यह सबसे बड़ा स्कैन्डल तो यही कर दिया गया है। इसमें छोटे स्तर का अधिकारी, जो जे. ईएन. होता है मेजरमेन्ट करता है, ए. ईएन. उसको वेरीफाई करता है और एक्स. ईएन. उसके बिल के पेमेन्ट के आर्डर करता है। अध्यक्ष महोदय, पानी आने के बाद कम से कम 25 मीटर खुदाई करनी चाहिये। लेकिन वहां पर इन्होंने पांच मीटर, सात मीटर या दस मीटर खुदाई करके छोड़ दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये चैलेन्ज कर सकता हूं, अगर आपको इसकी जांच करनी हो तो आप मेरे साथ बोर्ड के अधिकारी भेज दें, वह चलें। मैं आपको निवेदन करूं कि उनको वापस खुदाया जाय और उन हैण्ड पम्प्स को नपवा लिया जाय जितना उन्होंने बताया है उतना नाप नहीं निकलेगा। उसके बाद में जो भी पैसे बचते है वह पैसे मैजरमेंट होने के बाद ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिये गये और वह पैसे बाद में ठेकेदारों और जो वहां पर अधिकारी थे उन्होंने मिल कर बांट लिये। अध्यक्ष महोदय, आज कोई व्यक्ति अपने घर पर हैण्ड पम्प लगाना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा तीन हजार रुपये में खुदवा सकता है मय सामान के लेकिन सरकार ने जो हैण्ड पम्प खुदाये हैं उसमें एक हैण्ड पम्प खुदाने में 20 से लेकर 25 हजार रुपये खुदाई की लागत बतायी गयी है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका क्या आधार है। यह 20 से लेकर 25 हजार रुपये कहां पर लगाये गये, यह बताया जाय ?

Page No 75

(75)

(श्री भेरूसिंह गुंजर)

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास, जहां तक मेरी जानकारी है, हैण्ड पम्प खोदने के लिये रिग मशीनें 89 हैं। यह रिग मशीनें 89 हैण्ड पम्प खोदने के लिये काम करें तो एक साल में सात हजार हैण्ड पम्प खोदे जा सकते हैं और दो साल में 14 हजार हैण्ड पम्प खोदे जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 23 हजार हैण्ड पम्प खुदाये गये। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब 14 हजार हैण्ड पम्प उनकी मशीनों से ही खोदे जा सकते थे तो उनकी खुद की मशीनें हैण्ड पम्प खोदने के लिये काम में क्यों नहीं ली गयीं? उन मशीनों के द्वारा कितने ठेकेदारों के पास कितनी रिग्स राज्य सरकार की रहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। भीलवाड़ा में एक ठेकेदार, जिसका कि नाम श्री रामेश्वर जवर हैं, ने चार फर्जी नामों से हैण्ड पम्प खोदने के लिये ठेके ले रखे हैं। उस व्यक्ति के पास एक भी मशीन नहीं है और उस व्यक्ति ने आधे माडल में अपना जखीरा फैला रखा है और कहता है कि हैण्ड पम्प खोदने का काम करता हूं। उससे यह पूछा जाय कि उन चार फर्जी नामों से उसने जो ठेके ले रखे हैं उसने कितने हैण्ड पम्प खोदे हैं जबकि उसके पास हैण्ड पम्प खोदने की मशीन ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है। कई ठेकेदार इस बोर्ड के अधिकारियों से मिले हुए हैं, बोर्ड के सदस्यों से मिले हुए हैं, यह सब मिलकर आपस में कार्यवाही कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गांवों में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दूं, जहां पेयजल के लिए ओवरहैड टैंक बना हुआ है लेकिन वहां भी हैंड पम्प खोद दिए गए। वहां खारा पानी निकला है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में झाझरी एक गांव हैं जहां आलरेडी पेयजल का ओवरहैड टैंक बना हुआ है फिर भी इन्होंने 8–9 हैंड पम्प खोदे। खारा पानी है, खारा पानी निकला। यहां पर हैंड पम्प का कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसी जगह जहां हैंड पम्प खोद दिए उसका एक ही औचित्य था कि वह पहाड़ी एरिया था, वहां भी कम खुदाई को ही पूरा बताकर कि हमने 60–70 कुएं आपके खोद दिए, पूरा पैसा ले लिया। ऐसी एक जगह नहीं पूरे राजस्थान में इस प्रकार जगह–जगह इन्होंने हैंड पम्प खोदे हैं। कम खोदे हैं पैसे पूरे उठा लिये हैं। यह हालत हो रही है आज इस बोर्ड की ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भेरूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से अब यही निवेदन करूंगा कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके पास बोर्ड के द्वारा कोई फाइल भी नहीं आती, आप एक हैंड पम्प की भी स्वीकृति नहीं दे सकते तो आपको इस

(श्री भैरूंसिंह गुंजर)

सदन के अन्दर इसका जवाब नहीं देना चाहिए। अगर आप जवाब दे रहे हैं तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए कि आप बड़े हैं या आपका बोर्ड बड़ा है।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं उनको अवसर दूंगा।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। श्री सी० पी० जोशी।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रस्ताव नियम 130 के अन्दर आधा घन्टे की चर्चा का दिया गया है। जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के प्रस्ताव दिये हैं प्रथम मैं उनको अवसर दूंगा। उसके बाद में यदि कोई समय बच जाता है और किन्हीं माननीय सदस्यों के पास ऐसे मुद्दे हों, नयी बातें हों जिनसे अतिरिक्त जानकारी मिलती हो तो उनको सुनकर भी इजाजत दे दूंगा। लेकिन सदन के सब सम्माननीय सदस्य, क्योंकि सबके यहां कोई न कोई हैंड पम्प खुदे हैं इसलिए सभी उस पर विचार करने लग जायें, उचित नहीं है।

श्री चाव खां : एक छोटा सा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री सी० पी० जोशी।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मुझे नमाज अदा करने के लिए जाना है। एक ही मिनट में कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप नमाज अदा करके पधार जायें, मैं दुबारा अवसर दे दूंगा।

श्री चाव खां : एक मिनट में बता दूं अपनी बात। फिर भी एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। घड़ी लगा लें। घड़ी लगा लें—एक मिनट। आपका समय भी खराब नहीं होगा और अपनी बात को एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जो प्रसंग चल रहा है उसमें मैं अपनी आंखों देखी बात बताकर जा रहा हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर जितने भी हैंड पम्प लगाये गये हैं उनमें अधिकतर तो गांवों में ऐसी जगह हैं जहां बिलकुल खारा पानी है और ऐसा है जिसे जानवर नहीं पी सकते और अगर जानवर पी जाये तो उसी वक्त मर जाये। एक गांव में 6–6 और 7–7 हैंड पम्प लगाये हैं और पानी खारा है। वहां पर कहीं तीन पाइप लगा दिये होंगे नहीं तो दो पाइप से ज्यादा कहीं नहीं लगाये।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने आज से दो दिन पहले बताया था जब कि सदस्य कह रहे थे कि 80 पर्सेन्ट ठीक हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 80 नहीं 90 पर्सेन्ट हैण्ड पम्प काम नहीं कर रहे हैं। पैसों का घोटाला हो रहा है अगर सरकार इन्क्वायरी करे तो उसका खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। यह मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री सी० पी० जोशी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले नाम मेरा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पहले पीछे का निर्णय तो आसन को करना है। सुविधानुसार अवसर दे दूंगा।

श्री सी० पी० जोशी।

श्री सी० पी० जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कांक्रीट प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न तो यह है कि जो मुद्दा पहले विधान सभा में आया था वह यह था कि आजकी 240 की जो रेट है वह ज्यादा है; आज मार्केट में 140 में लोग बाग काम रहे हैं और वाटर बोर्ड डिपार्टमेन्ट ने 110 में काम किया है।

श्री अध्यक्ष : ग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेन्ट में तो सब्सिडाइज्ड रेट पर काम होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर यह विभाग चल रहा है। वह एक अलग प्रश्न है। बाजार भाव कम है और वास्तव में लागत कम लगती है उसके संबंध में कोई बात हो तो आप फरमायें।

श्री सी० पी० जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बताना चाहता हूं। आज भी 140 रुपया पर मीटर के अन्दर भी ड्रिलींग हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि जून, 1980 में टेन्डर्स इन्वाइट किये। 3 से 5 के बीच में लोगों के टेन्डर्स आते हैं। चूंकि 3 और 5 आदमियों ने टेन्डर्स दिये, उनकी रेट ज्यादा थी इसीलिए अगस्त, 1982 में उनकी निविदा को कैंसिल करके नेगोसियेट किया गया। इसका मतलब मैं यह मानता हूं कि मेरा अपना पिन-पाइन्ट यह है कि जून, 80 में जिन्होंने टेन्डर्स इनवाइट किये और टाइम्स आफ इन्डिया अखबार का नाम दिया उन्होंने अगस्त, 80 में बिना टेन्डर लिये चीफ इन्जीनियर के आफिस में नेगोसियेट किया, यह आपका जवाब है। यह मेरा स्पेसिफिक चार्ज है और मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब जून, 1980 में आपने नेगोशियेट किया तो उन 12 पार्टियों, जिन्होंने टेन्डर्स दिये हैं, से कितनी पार्टीज के पास रिग्स अवेलेबल थीं? रिग्स अवेलेबल नहीं थीं। इसमें लिखा है, उनकी केपेसिटी के अनुसार वर्क बांटा है, डिपार्टमेन्ट में रिग्स अवेलेबल होने के बाद जितना काम बचा उतना काम इन पार्टियों की क्षमता पर दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा स्पेसिफिक चार्ज है कि अगस्त, 1980 को जो नेगोसियेसन किया गया उस समय जो प्राइस 240 रुपया प्रतिमीटर की थी और बाद में यह कहा गया कि सितम्बर 80 में इवेल्यूएशन कराया तो उसकी कास्ट 266 थी जबकि उसका आज तक इवेल्यूएशन ही नहीं कराया है। यह स्पेसिफिक कनाइवेन्स है ब्यूरोक्रेट्स की। माननीय मंत्री महोदय, मैं ईमानदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की

(श्री सी० पी० जोशी)

हिस्ट्री में ब्यूरोक्रेट्स और कान्ट्रेक्टर के मिले जुले परिणाम का जितना सही उदाहरण यह है उतना दूसरा नहीं हो सकता। आप स्पेसिफिक जवाब दें इसका कि अगस्त, 80 में नेगोसियेशन किया गया और 240 रुपये रेट तय की गई। मध्यप्रदेश के जितने रिग्स काम करते हैं वहां की पार्टीज आई थीं। उन्होंने जो रेट नेगोसियेट की वह इससे कम थी। इसलिए पहला मुद्दा यह है कि जो रेट्स आप 240 की दे रहे हैं वह एक्सेस पेमेन्ट कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा रिग्स का है। मैं आपके खुद के आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। आपने जवाब दिया हाउस में कि डिपार्टमेन्टल रिग्स से 1980-81 में 2271, 1981-82 में 5161 और 1982-83 में 1336 नलकूप खोदे गये और निजी पार्टीज ने 1980-81 में 3345, 1981-82 में 8434 और 1982-83 में 1763 नलकूप खोदे। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेन्ट की रिग्स तो बढ़ती गयीं और काम कम होता गया, यह कैसे समझ में आ सकता है। आप अपने खुद के आंकड़े चैक कर लीजिए, एक दूसरे के बीच में। आप स्वयं कहते हैं कि हमारे पास रिग्स पहले 16 थीं, बाद में 33 हुई और फिर 76 रिग्स हुई। डिपार्टमेन्ट के पास में रिग्स बढ़ीं तो डिपार्टमेन्ट द्वारा काम भी ज्यादा होना चाहिए था। आपने आंकड़े बताये उससे स्पष्ट है कि आपकी निजी पार्टियों ने काम किया है उनका नम्बर 13242 है और और डिपार्टमेन्ट ने काम किया केवल 8709 का। जबकि टेन्डर का क्लाज है कि निजी पार्टियों को डिपार्टमेंटल रिग्स की क्षमता का पूरा उपयोग करने के बाद जो काम बचेगा वह काम देंगे। श्रीमान् मंत्री महोदय, यह स्पष्ट इस बात का द्योतक है कि आपके डिपार्टमेन्ट की रिग्स की पूरी क्षमता का आपने उपयोग नहीं किया। अगर उपयोग किया होता तो डिपार्टमेन्ट ने जितने हैंड पम्प खोदे हैं उनका नम्बर निजी पार्टी से ज्यादा होना चाहिए।....

श्री अध्यक्ष : ठेकेदारों की कुल मिलाकर रिग्स ज्यादा हैं या डिपार्टमेन्ट की हैं ?

श्री सी०पी जोशी : इन 12 ठेकेदारों के पास आज भी रिग्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं लेकिन रिग्स कितनी हैं ?

श्री सी०पी जोशी : 76 रिग्स डिपार्टमेन्ट के पास अवेलेबल हैं, उसका बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उनके पास कितनी हैं ?

श्री सी०पी जोशी : उनके पास तो 76 हैं।

श्री अध्यक्ष : उसके बगैर आप क्या कह सकते हैं। उनके पास 76 रिग्स हैं भी या नहीं ?

श्री सी०पी जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कान्क्रीट स्टेटमेन्ट है कि 76 रिग्स की जो केपेसिटी है उतनी केपेसिटी के आधार पर आप एक दिन में ...

श्री अध्यक्ष : प्राइवेट ठेकेदारों की कितनी रिग्स कार्यरत हैं यह होता तो मुकाबला करके देख लेते।

श्री सी०पी० जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसका निदान यह है कि एक रिग एक दिन में एक हैंड पम्प खोदती है।

श्री अध्यक्ष : उसमें ब्रेकडाउन भी हो जाता है, बीच में कई कारण भी....

श्री सी०पी० जोशी : 76 रिग्स की जो केपेसिटी है उसके हिसाब से जो आंकड़े दर्शाये हैं वह भी उतने नहीं हैं जितनी उनकी केपेसिटी है। यह इसलिए इम्पॉर्टेन्ट है कि....

श्री अध्यक्ष : केपेसिटी का तो, माननीय सदस्य, मालूम हो जाता है। यदि आप यह कह दें कि 40 रिग्स ही हैं कॉन्ट्रेक्टर्स की फिर भी उन्होंने 9 हजार या इतने कुएं खोद दिए और इनके पास 76 रिग्स हैं उन्होंने 5 हजार या कितने हो खोदे तो वह बात मालूम हो जाती।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लाज 14 है वह मैं पढ़ दूं डिपार्टमेन्ट की जितनी रिग्स हैं, उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के बाद में जो बचेगी वह प्राइवेट कान्ट्रेक्टर को दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को आप उठाना चाहते हैं तो प्रश्न ऐसा पूछते कि उनकी कितनी रिग्स कार्यरत हैं और उन्होंने कितना काम किया हैं और आपके पास कितनी रिग्स है।

अब कृपया समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। ऐसा है, आधे घन्टे की चर्चा का अवसर दिया है तो मुख्य बिन्दु हैं उस पर ही आप बोलें।

आपने पहला सवाल यह उठाया कि भू-जल मण्डल है वह 120 की रेट में काम करता है और ये कितने में करते हैं, 240 में। भू-जल मण्डल को आप जानते हो नो प्राफिट नो लास के बेस पर और कभी अपने ऊपर भार ले करके भी खुदवाता है। वह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि बाजार के अन्दर भाव क्या है, उसके मुकाबले में। आपने कहा, वहां सस्ता है तो जो मुख्य बिन्दु के इश्यूज हैं उनको ही स्पष्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर....

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं ओपन मार्केट में 110 रुपये पर मीटर में खोदने के लिये राजस्थान में आज भी आदमी तैयार हैं और आप 240) रुपये पे कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट आना चाहिये।

श्री सी. पी. जोशी : इस इश्यू को तो साइड ट्रेक किया गया है। मैं यह कह रहा था 110) रुपये में खोदने के लिये राज

(श्री सी. पी. जोशी)

स्थान के आदमी के पास रिग्स अवेलेबल हैं आपका कान्ट्रेक्ट ऐसा हो गया कि हम तीन साल तक कुछ नहीं कर सकते हैं इस लिये जिनके पास रिग्स अवेलेबल हैं और 110) रुपये में काम करना चाहते हैं उनसे तो हम काम करा नहीं रहे हैं और 240) रुपये में काम कराके जिसका अमाउन्ट 24 करोड़ का बनता है राजस्थान के राज कोष को लास दे रहे हैं। यह एक्सेस पेमेण्ट है।

दूसरा पाइन्ट जो मैंने कहा था, यह बात निश्चित तौर पर सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ए. आर. पी. ओ. में पैसा देती है बजट में डाइरेक्ट हैण्ड पम्प खोदने के लिये हम इस बात को भी मानते हैं कि राजस्थान सरकार को केन्द्र के द्वारा दी गई सहायता का पूरा उपयोग करना चाहिये लेकिन उपयोग करने का मतलब यह तो नहीं है कि...

श्री अध्यक्ष : आप उपदेश तो दो मत तथ्य बताओ।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न तो यह है कि रेट में तो डिफरेन्स है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह आपने कह दिया।

श्री सी. पी. जोशी : 20 करोड़ का वह आता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा आता है जो प्लेट फार्म बनाया गया है उस प्लेट फार्म की कास्ट इनके डिपार्टमेन्ट ने 1250 की एस्टीमेंट की थी जबकि एक्चुअल कास्ट होती है 350। 6 बोरी सीमेन्ट की उनको व्यवस्था की गई है जबकि सीमेंट की लगती है उसमें डेढ़ बोरी। कुल मिलाकर आपने 25406 हैण्ड पम्प में 1250 रुपये के हिसाब से पेमेन्ट किया है। 300 रुपये रेट है और 1250 का पेमेन्ट किया है इस तरह 900 रुपये पर प्लेट फार्म ज्यादा दिये हैं। यह कैसे हुआ? आप 6 बोरी सीमेन्ट दे रहे हैं जबकि उस में डेढ़ बोरी सीमेन्ट लगती है। साढ़े तीन बोरी सीमेन्ट इनके नाम से लेकर ब्लैक कर रहे हैं। तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि हैण्ड पम्प डिवीजन नाम से विभाग ने एस ई० एक्स० ई० एन०, ए० ई० एन० और जे ई एन की नयी पोस्ट डिपार्टमेन्ट में क्रियेट की हैं उसकी लायबिलिटी भी स्टेट पर है। इसलिये कुल मिलाकर, अध्यक्ष महोदय, यह स्वीपिंग मामला नहीं है। मंत्री महोदय घोषणा करते हैं...

श्री अध्यक्ष : आपको जानकारी हो तो हैन्ड पम्प कितना गहरा खोदा जाना बताया जाता है और जैसा मैटीरियल उसमें है चाहे पाइप है, सीमेन्ट है या और कुछ है वह स्पेसिफिकेशन तो ठीक है न?

श्री सी. पी. जोशी : वह स्पेसिफिकेशन तो इसलिये ठीक नहीं है कि जो हैण्ड पम्प की डेप्थ थी, जिस पर इन्होंने काम करने का लिखा है, उसमें लिखा है ड्राइ फोर टू फोर नहीं करेंगे। मेरा सीधा प्रश्न है मंत्री

(श्री सी. पी. जोशी)

महोदय बतायेंगे कि जो हैण्ड पम्प खोदा वह कितनी डैप्थ पर गया ?

(व्यवधान)

यह सर्टिफिकेट किसने दिया ? आपने 150 तक गहरा बताया। उसका 140 से 250 के बीच वेरिएशन है। मैं स्पेसिफिक कहना चाहता हूं, आपको साहब, कि 110) रु. मीटर का ज्यादा चार्ज किया गया है, उतनी डैप्थ नहीं है जितनी बताई गई है कुल मिला यह तीन मोटे मुद्दे बनते हैं। मेरा निवेदन कर करने का माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह उद्देश्य है, हम यह नहीं चाहते हैं कि राजस्थान में केन्द्र के पैसों का उपयोग न हो और उसके नाम पर कान्ट्रेक्टर खा जाय। यह कैसे हो सकता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैं अवसर दे दूंगा। पहले जिनके प्रस्ताव हैं उनको बोलने की इजाजत दी जाय। श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का जवाब दिया....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें कोई भाषण नहीं होगा। जो मुख्य बिन्दु हैं, उनके ऊपर आप बात कहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य बिन्दु ही बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय भूतपूर्व मंत्री जो पी. एच. ई. डी. के रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार ने और रुचि जाहिर की है, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। माननीय बनवारी लालजी शर्मा जिस समय पी. एच. ई. डी. के मंत्री थे, जब यहां पर विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था तब उन्होंने ऊपर बुलाकर कहा था कि तीन तीन हैण्ड पम्प की जगह एक एक पी. एस. एस. लगेगा। उसके साथ सीकर व झूंझनु दोनों जिलों की सतर्कता कमेटियों की मीटिंग, में जिलाधीश की अध्यक्षता में जो हुई थी, मैं सब विधायकों ने प्रस्ताव पास किया था कि हमारे यहां हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है और एक एक पी. एस. एस. लगा दिया जाय। जब तक वे थे कुओं पर लगाये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है कि पी. एस. एस. के माध्यम से पेय जल की समस्या का हल किया जाय अथवा हैण्ड पम्प अथवा और किसी माध्यम से। यहां प्रश्न तो यह है कि हैन्ड पम्पों के निर्माण के अन्दर कुछ अनियमितताएं हैं, उसके सम्बन्ध में ही आप कहें। आप लम्बी-चौड़ी भूमिका बान्ध रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह हैण्ड पम्प की अनुपयोगिता के बारे में कहना चाहता हूं जो ठेकेदारों को यह लगन थी कि हैण्ड पम्प लगेंगे, अधिकारियों को यह था कि हैण्ड पम्प लगेंगे। सीकर और झूंझनु जिले में एक एक हैण्ड पम्प के 16-16 हजार रुपये लिये हैं जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं, 8 हजार में आपको जितने हैण्ड पम्प चाहिये प्राइवेट पार्टी से सीकर और झूंझनु जिले में खुदवा कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : खुला कुआं कितने में पड़ता है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कुआं तो, साहब, 10 हजार में बनता है।

(व्यवधान)

20 हजार रुपये में मोटर पम्प सैट और कुआं तैयार होता है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सीकर में बता रहा हू, भाई। ये जो हैण्ड पम्प खुदवाये गये और जिन ठेकेदारों को ठेका दिया गया उन ठेकेदारों के पास कोई रिग्स नहीं थीं जो बोरिंग का काम करते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा उनको आधे पैसे 140 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से देकर बड़े ठेकेदारों ने काम करवाया है। सब कॉन्ट्रैक्टर बनकर काम किया है। उसका मैं प्रमाण दे सकता हूं और एक एक हैण्ड पम्प में आधे पैसे लगे हैं और आधे पैसे ठेकेदारों ने खाये हैं। यह मेरा स्पष्ट चार्ज है। मैं हर कीमत पर और हर स्तर पर किसी भी कमेटी को प्रमाणित करने को तैयार हूं, नम्बर एक दूसरा निवेदन इसके बारे में है, जो हैण्ड पम्प लगाये गये और उनसे जो पानी निकाला गया, पानी की हमारे जिले में, अध्यक्ष महोदय, दो पर्तें होती हैं। हमारे जिले में एक पर्त तो कम पानी की होती है जो बहुत कम खोदने से ही निकल आता है और 10–15 मीटर से अधिक खोदने पर बहुत ज्यादा पानी होता है उसमें रैली से पानी आता है। वहां तक खोदने का ठेका उनको दिया हुआ था लेकिन पानी की जो पहली पर्त है उस पर्त तक ठेकेदारों ने एक बार पम्प चलाकर पानी निकाल दिया। उसके बाद आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कई गांवों के नाम गिना सकता हूं जहां पर कि पहली पर्त तक ही खोदा गया है–कुण्डली, नील, राजपुरा गुढा का बास इन सब में जितने हैण्ड पम्प खोदे हैं, आज वे सब बेकार पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : बेकार हैण्ड पम्प का क्या प्रतिशत समझते हैं अपने इलाके में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 75 पर्सेन्ट हैण्ड पम्प आज के दिन बेकार पड़े हैं। मौके पर चलकर मैं बता सकता हूं बेकार पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : यान्त्रिक खराबी के कारण या पानी ही नहीं आ रहा है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो कारण हैं। अध्यक्ष महोदय, पहला तो यह है कि इनमें जिस प्रकार का मीटर प्रयोग किया गया है और जो वाशर लगाये गये हैं वह वाशर इतने जल्दी खराब हुए हैं कि उनसे पानी ही नहीं निकलता है। दूसरा, पहली पर्त में ही लगाया गया है और पहली पर्त में हमारे यहां मिट्टी आ जाती है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर)। वाशर खराब होता है हैण्ड पम्प में। आप समझते ही नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसका क्या खराब होता है ?

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : वाशर खराब होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसका तो वाशर खराब होता है और इधर बजारी जी का थोड़ा ××× ।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, यान्त्रिक खराबी के कारण नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं पहली पर्त से पानी निकाला गया जबकि हमारे यहां पहली पर्त के नीचे मिट्टी बहुत जल्दी आती है, इस कारण खराबी है। दूसरे, सरपंचों और पंचों ने हैण्ड पम्प लगाने के बारे में शिकायतें की हैं कि ठीक जगह पर नहीं लगाये गये हैं और कम खोदे गये हैं। इन्होंने किया यह कि ओवरसियर, इंजीनियर जो वहां काम पर लगाये थे उनके द्वारा यह प्रमाण पत्र ले लिया कि पानी आ गया है, किन्तु वहां के जो स्थानीय जन प्रतिनिधि हैं चाहे सरपंच हो, चाहे एम. एल. ए हो, चाहे पंच उनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि काम पूरा हो गया। इस तरह अधिकारियों और ठेकेदारों की इसमें मिली भगत हुई है। नम्बर तीन, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि किस स्थान पर हैण्ड पम्प लगाये जायें, उस स्थान का चयन भी पूर्णतया ठेकेदारों पर छोड़ दिया गया। एक एक हैण्ड पम्प की दूरी अगर आप देखेंगे, जैसे एक गांव में 6 हैण्ड पम्प लगने हैं तो एक गांव की भिन्न भिन्न बस्तियों में दूरी की नाप लेकर जहां आसानी से लगाये जा सकते हैं, जहां पर नीचे पत्थर नहीं आते, केवल बालू मिट्टी आती है, ऐसी जगह एक पम्प खोदा गया और उसी के आस पास 3-4 पम्प और खोद दिये गये। उसका उदाहरण देता हूं कुंडली गांव में जाकर देख लीजिए। कुंडली भागली, जगमालपुरा और सौंसिग और समरपुरा ग्राम पंचायत में हैं। लेकिन कुंडली में चार हैण्ड पम्प लगा दिये गये क्योंकि उस गांव में पानी नीचे नहीं था और पानी निकलने में दिक्कत नहीं थी,

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 84

(८५)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं नाम बता रहा हूं। तीसरे, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था और हमने यह कह दिया कि हमारे यहां अधिकांश हैण्ड पम्प खराब हो जाते हैं, नहीं लगते फिर भी राज्य सरकार ने नीति तय करके भेज दी और ठेकेदारों और अफसरों के दबाव में आकर राज्य सरकार ने हैण्ड पम्प लगाने की नीति कायम रखी। इससे साफ प्रकट होता है कि अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर राज्य सरकार को गुमराह किया है, या राज्य सरकार स्वयं गुमराह हुई है, कुछ भी हो, लेकिन इस मामले में बहुत बड़ा घपला किया गया है। इसलिए मैं मांग करता हू, अध्यक्ष महोदय. इस सारे घपले की जांच ऐसे अधिकारियों द्वारा करायी जाय जो बोर्ड के मेम्बर नहीं हैं, जो पी. एच. ई. डी. के मेम्बर नहीं हैं, जिनकी इन्टेग्रिटी पर कोई डाउट नहीं है ऐसे टैक्निकल अधिकारियों की नियुक्ति करके एक कमेटी से जांच करायी जाय। सारे घपले की जांच के बाद जो रिपोर्ट आये उसके ऊपर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

अनेक माननीय सदस्य : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : अवसर दूंगा। चालू कीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद कुछ ऐसा लगा जैसे सरकार ने हैण्ड पम्पस के मसले पर अपनी तरफ से किसी तरह से, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखायी है। और जो व्यवस्था करनी थी वह व्यवस्थाएं की गयी है। माननीय मन्त्री महोदय से मैं जानकारी करना चाहूंगा, कोई भाषण देने की दृष्टि से नहीं स्थिति का स्पष्टीकरण करने की दृष्टि से कि क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के पास 8 रोटरी मशीनें हैं, 6 मशीनें फर्ग्यूसन की हैं और इसी प्रकार से डी. टी. एच. 76 मशीनें है? टोटल मशीनों की संख्या 89 है। अब पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस-जिस साल में आपके पास मशीनें आयी हैं उस साल से ले कर आज तक इन मशीनों ने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य किया है या आपने अपनी मशीनों से क्षमता के अनुसार कार्य लिया है या नहीं? अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है, क्या यह सही है कि आपने अभी जो रेट्स बताये उन रेट्स में प्राइवेट कान्ट्रेक्टर्स को जो रेट्स आपने दी हैं, वह भी शामिल है? अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि डिपार्टमेन्टल रेट है 180 रुपया प्रति मीटर और प्राइवेट कान्ट्रेक्टर्स को हम 240 रु० प्रति मीटर के हिसाब से देते हैं 260 भी हो जाते हैं 10 मीटर से नीचे यदि खुदाई का काम हुआ तो रेट 260 रुपये प्रति मीटर होती है। माननीय मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है, टोटल ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : 260 से अधिक होने पर ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिक हो गया न। मैं तो अधिक होने की बात कह रहा हूं 240 से 260।

श्री परसराम मदेरणा : 260 कैसे हो गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि 10 मीटर से अगर ज्यादा खुदाई होगी तो रेट्स में परिवर्तन आ जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : वह राक में नहीं है, रेत के अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही मैं कह रहा हूं, 260 में रेत में....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, वह दूसरा था कि वह 175 रुपये हो जायेगा, जिसकी रेट 150 है। 240 तो राक का है। वह मीटर से नीचे होगा तो 175 हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो वक्तव्य दिया है मैंने उसी से नोट किया है, 260 रुपये।

श्री परसराम मदेरणा : 260 कहां हो गया ? 240 से 260 हो जायेगा, यह दूसरी केटेगरी की बात कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 175 रुपये रेट हो जायेगी। इन दोनों रेट्स के आधार पर आपका जो ड्रिलिंग डिवीजन है, उस ड्रिलिंग डिवीजन ने जो बिल्स आपके पास भेजे हैं वह सारे 180 रुपये की रेट के भेजे हैं। जो भी डिपार्टमेन्ट का एडजस्टमेन्ट होता है, अकाउन्ट्स के जो बिल्स उसमें भेजते हैं वह 180 रुपये के हैं। अब मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं। इस आधार पर, इस साल के तो मैं आंकड़े शामिल नहीं करता लेकिन 80–81 और 81–82 में 17 हजार हैण्ड पम्प्स बने हैं। 17 हजार हैण्ड पम्प्स में कान्ट्रेक्टर्स के थ्रू तो 12 हजार बने हैं और गवर्नमेंन्ट के थ्रू 5 हजार बने हैं। यह मोटा फिगर मैं दे रहा हूं, 600, 400 को निकाल कर दे रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने तो अपने स्टेटमेन्ट में बताया नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह फिगर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन से ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कि सरकार ने इतने खोदे हैं और प्राइवेट पार्टीज ने इतने खोदे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने शायद ध्यान नहीं दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं था नहीं, जब इन्होंने स्टेटमेन्ट दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अब बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए

(भैरोंसिंह शेखावत)

कहना चाहता हूं कि 12 हजार कान्ट्रेक्टर्स ने और 5 हजार गवर्नमेन्ट ने हैण्ड पम्प्स ड्रिल किये हैं। सरकार की ड्रिलिंग कास्ट और प्राइवेट कान्ट्रेक्टर्स की ड्रिलिंग कास्ट का एवरेज डिफरेन्स आता है, अगर आप डिफरेन्स निकालना चाहें तो, 3 हजार रुपये एक हैण्ड पम्प पर। इस हिसाब से 12 हजार हैण्ड पम्प पर कितना डिफरेन्स है, आप लगा लो। मेरा चार्ज है राजस्थान गवर्नमेन्ट के ऊपर कि सरकार के पास जो केपेसिटी है, इनकी ड्रिलिंग मशीन की केपेसिटी है उस केपेसिटी के हिसाब से सात हजार से आठ हजार हैण्ड पम्प तक प्रति वर्ष बोर किये जा सकते हैं। सात हजार से आठ हजार हैण्ड पम्प बोरिंग का काम प्रतिवर्ष हो सकता है। इनकी उस केपेसिटी के हिसाब से अगर यह काम करते तो मेरा विश्वास है कि प्राइवेट कान्ट्रेक्टर्स को काम देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनसे 12 हजार हैण्ड पम्प्स की ड्रिलिंग का काम कराया है, उसमें यदि तीन हजार रुपये प्रति हैण्ड पम्प की सेविंग होती तो तीन करोड़ साठ लाख रुपए राजस्थान की जनता के बचते। तो पहला चार्ज तो मेरा यह है कि राजस्थान सरकार ने अपनी मशीनरी की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करके कान्ट्रेक्टर्स को कान्ट्रेक्ट दिए और राजस्थान को तीन करोड़ साठ लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया है। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस हिसाब के आधार पर डिफरेन्स बता पायेंगे कि प्राइवेट कान्ट्रेक्टर्स से जो काम हुआ, उसका उनको कितना भुगतान किया गया और सरकार से जो काम हुआ उसमें कितना भुगतान किया गया? अध्यक्ष महोदय, सरकार बड़ी चतुराई से उत्तर देगी। मैं जानता हूं कि जो ड्रिलिंग आपरेशन्स में बिलिंग होती है, उसमें कई आइटम्स जोड़कर बताते हैं, डेप्रिसिएशन चार्जेज उसमें जोड़ेंगे, इन्ट्रेस्ट उसमें जोड़ेंगे, एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा उसमें जोड़ेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, जिस आधार पर सरकार ने यह निर्माण कराये हैं और जिन अधिकारियों ने इसका असेसमेन्ट किया है, उन सरकार को माननीय मन्त्री महोदय की मार्फत चुनौती देता हूं, एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा गलत लगाया, डेप्रिशिएशन गलत लगाया और इन्ट्रेस्ट गलत लगाया। केवल इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि प्राइवेट कान्ट्रेक्टर से हम काम कराते हैं तो सरकारी खर्चा, जो कम दिखता है वह वास्तव में कम नहीं होता। केवल उसको कैमाफ्लाज करने की दृष्टि से सारे मसलुई फिगर बनाकर डिपार्टमेन्ट से तैयार कराये गये हैं ताकि हम दुनिया में बता सकें कि 180 और 240 का जो डिफरेन्स है यह केवल दिखावटी है। अगर डेप्रिशिएशन और इन्ट्रेस्ट और एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेज भी शामिल करें तो 200 के ऊपर नहीं होगा। जिसमें मैं गवर्नमेंट को चेलेन्ज करता हूं, इस बात के ऊपर आप किसी भी फाइनेन्शियल एक्सपर्ट को बिठा लें, आपने जो मसलुई फिगर बनाये हैं, वह मसलुई फिगर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपने बनाये है वह, जो कान्ट्रेक्टर्स को काम दे दिया, केवल उनको जस्टिफाइ करने की गर्ज से बनाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस आधार पर, माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे जानना चहूंगा कि आपके विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नाम मैं शायद भूल रहा हूं, अजमेर का मगलानी है, उस मगलानी ने आपको कितने टेलीग्राम दिये, मगलानी ने कितनी बार चिट्ठी लिखी है कि हमारी ड्रिलिंग मशीन बेकार पड़ी हैं और आप कान्ट्रेक्टर्स को काम देते जा रहे हैं ? मैं चाहूंगा कि यह सरकार अगर ईमानदार है तो उस मंगलानी के पेपर हाउस की मेज पर रखे और यह आंकड़े बताये कि ड्रिलिंग मशीनें कितनी थीं, उनका कितना यूटिलाइजेशन किया गया। मंगलानी के लैटर्स पर क्या एक्शन लिया गया और अपने पास की मशीनरी को काम में नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया ?

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, प्लेटफार्म बनाने की बात थी। आज से दो दिन पहले मंत्री महोदय कह गए कि जांच करवाई जावेगी तो प्लेट-फार्म उखाड़ना पड़ेगा। मैं भी उस समय, अध्यक्ष महोदय, सकते में आ गया कि प्लेट-फार्म के नीचे कितना पाइप फिट है, पाइप का मैटीरियल किस प्रकार का है इसकी जांच करने के लिए कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा प्लेटफार्म तोडा जावे, पाइप को निकाला जावे। उस समय मंत्री महोदय कह गए बड़ी चतुराई से और मैं भी, अध्यक्ष महोदय, अपनी कमजोरी को मानता हूं कि इस सारी चतुराई का शिकार हो गया। लेकिन मैंने फिर जानकारी की कि इसकी तो आराम से जांच हो सकती है, कोई जरूरत नहीं है प्लेट फार्म तोडने की. मैगनेट के आधार पर जांच हो सकती है कि कितना लम्बा पाइप पड़ा हुआ है, पाइप का मैटीरियल कैसा है। दूसरे पाइप से इसकी जांच की जा सकती है। मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूरे मसले की जांच न करायें, एक की ही जांच करा लें। प्राइवेट पार्टीज ने जितना पाइप आपसे चार्ज किया है, कहीं सौ मीटर, कहीं दो सौ मीटर, कहीं तीन सौ मीटर, सामुहिक रूप से इसकी जांच करने के लिये मैगनेट की जो व्यवस्था है, उस मैगनेट की व्यवस्था से जांच करा लें, आपको इसमें लाखों रुपयों का घपला मिलेगा। जो पैसे चार्ज किए वह ज्यादा किए और जो पाइप है, वास्तव में वह पाइप कम है। अध्यक्ष महोदय, आपने इसी तरह से प्लेट फार्म की कीमत का बता दिया जो मेरी समझ में नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, आप प्राइवेट कांट्रेक्टर्स के बिल मंगा कर देख लें, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि 15 किलोमीटर के डिस्टेंस से पांच रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब में पैसों का भुगतान किया जावेगा। मेरी समझ में नहीं आता, आपने जो एग्रीमेंट किए हैं उस एग्रीमेंट में केवल इतना सा समझौता नहीं कर सकते थे कि एक बार में सीमेंट चली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाएगी, एक बार में मशीनरी चली जायेगी, एक बार में पाइप चले जायेंगे ? कई कॉंट्रेक्टर्स ने, अध्यक्ष महोदय, सीमेंट का एक बैग भी गया उसके लिए चार्ज किया है, पाइप गया उसके लिए चार्ज किया है, मशीन अलग से ले गए उसका भी चार्ज किया है। यह जो ट्रांसपोर्टेशन की लूजनेस इस एग्रीमेंट में रखी उसका उन्होंने फायदा उठाया और फायदा उठा कर, कुछ खर्चा भी नहीं हुआ तो भी चार्ज किया । कहीं-कहीं पर तो पांच सौ रुपये तक उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर वसूल किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं तो, अध्यक्ष महोदय, मिनिमम पर जाता हूं, छः सीमेंट के बैग्स एक हैंड पम्प के लिए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि डेढ़ लगता है, दो लगता है। मैं तो इतना कह सकता हूं, मैंने इंजीनियर्स से पूछा है, 1 : 2 : 4 ही इसका रेश्यो बनता है; एक सीमेंट, उसकी दुगुनी बजरी और फिर गिट्टी। इन चारों का रेश्यो इस प्रकार का बनता है। आप कैसा भी प्लेटफार्म बनवा लें और उस प्लेटफार्म को बनवाने के बाद में हिन्दुस्तान के अन्दर निश्चित रूप से चाहे दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई एक्सपर्ट कह दे तो भी मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि उसमें इस हिसाब से दो सीमेंट के बैग्स की बचत होती है। मैं जानना चाहता हूं कि वे बैग कहां गए ? अध्यक्ष महोदय, आज आपका सीमेंट और डीजल का प्रश्न है। सीमेंट के लिए भी कहना चाहूंगा। सीमेंट कहीं से लेना चाहें तो आपको नहीं मिलेगी लेकिन इन कांट्रेक्टर्स से यदि आप लेना चाहें तो आपको जितनी चाहिए उतनी सीमेंट मिल सकती है। यह तो बहुत बड़ा घपला हुआ है।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ा घपला हुआ है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं और, अध्यक्ष महोदय, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री जी आ जायं उस समय तक मैं बैठता हूं।

श्री अध्यक्ष : आ गए मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि हमने अपनी क्षमता देख कर प्राइवेट पार्टीज को बुलाया। मैं कुछ प्राइवेट पार्टीज के नाम लेना चाहूंगा। एक पार्टी है, जनरल एजेंसीज; एक है, मराठवाड़ा बोरिंग; एक है, एस. आर. ट्रेडर्स; एक है, कालूराम रामसुख एण्ड सन्स। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिस समय कांट्रेक्ट दिया गया था उस समय उनके पास कितनी मशीनें थीं ? आप जब किसी को कोई कांट्रेक्ट देंगे तो उसकी क्षमता का अनुमान आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : जो भी लाकर काम करवा दे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं हो सकता। सिस्टम यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पुराने जमाने में जैसे ट्रांसपोर्ट करना होता कि पांच सौ ऊंट का भार है तो पांच सौ ऊंट अगला ले आता था। काम होना चाहिए। बस।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं, मंत्री महोदय भी इसको समझते हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप भी इसको समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, कहीं से लाओ, उसको काम करना चाहिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह होता नहीं है। कोई आदमी करोड़ रुपये का कांट्रेक्ट ले ले, न उसके पास पांच रुपये हों, न पांच रुपये उधार लाने की क्षमता हो। क्या वह ले लेगा काम ?

श्री अध्यक्ष : पैठ हो सकती है उसके नाम की।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, पेठ वाले के लिए तो मैंने कहा कि पांच रुपया उधार लाने की जिसकी क्षमता नहीं है उसकी पैठ का सवाल ही नहीं होता है। मैं निवेदन कर रहा था कि जिस समय उनको काम दिया गया उनकी क्षमता कितनी थी, यह बता दें। खैर, उनकी पैठ के बारे में तो यह जानते होंगे, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हो यह नहीं रहा है। हो यह रहा है कि जैसा एक माननीय सदस्य ने किसी का नाम लिया रमेश झंवर। यह रमेश झंवर राजस्थान में एक मशहूर आदमी है, अध्यक्ष महोदय। जिस समय रामप्रसाद जी लड्ढा यहां सिंचाई मंत्री थे, कम्प्रेशर के नाम पर फेमिन का इतना पैसा खाया कि रिकार्ड कायम किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता महोदय, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध नाम ले करके ऐसे मामले उठायें मान हानिकारक, अपमानजनक तो वह शोभा नहीं देता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : किसी कम्पनी के हिसाब से कहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, उस कम्पनी का नाम ही यही है, मैं क्या करूं।

(व्यवधान)

यह कालूराम रामसुख नाम भी ऐसा ही है। अध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं तो नाम लेना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं, आपने व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है, लेकिन कई मशहूर आदमी हैं कम्पनी हो, चाहे खुद हों, वे जब काम करते हैं तो उन मशहूर आदमियों के नाम तो इस सदन में आने ही चाहिए। यह तो उनका प्रिविलेज है, यह तो उनकी इज्जत बढ़ रही है कि राजस्थान की विधान सभा में रमेश झंवर का नाम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिया जा रहा है । मैं इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे जानकारी करना चाहता हूं, क्या यह सही है कि रमेश झवर ने एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दावा करके इस बात का स्टे आर्डर आब्टेन कर लिया कि भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, अजमेर और बासवाड़ा डिस्ट्रिक्सट् में सिवाय मेरे और किसी कम्पनी को काम नहीं दिया जा सकता, इन्क्लूडिंग, डिपार्टमैण्ट ?

(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं, क्या इस तरह का स्टे आर्डर आब्टेन नहीं किया ? और क्या यह सही है कि स्टे आर्डर आब्टेन करने के पहले उन्होंने कलक्टर और डिपार्टमेंट को पार्टी नहीं बनाया ? और क्या यह सही है कि डिपार्टमेंट ने और कलक्टर ने सिवाय, अध्यक्ष महोदय, आज तक डेट लेने के, तारीख लेने के, इस स्टे आर्डर का वेकेट नहीं कराया ? जिसका परिणाम क्या निकलता है कि इन पांच डिस्ट्रिक्ट्स में न गवर्नमेंट घुस सकती है, न इन पांच डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कान्ट्रेक्टर घुस सकता है । यदि कोई घुसना चाहे तो तीस पर्सेंट पैसा इसको ज्यादा दीजिए जब वह एन. ओ. सी. देगा, उस समय जाकर दूसरी पार्टी घुसेगी । मैं पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से कि क्या यह बात सही है ? यदि सही है तो इसके समाधान के सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है ? अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं, अब एन. ओ. सी. की बात मेरी समझ में नहीं आती । अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में, उदयपुर में कुछ इंजीनियर्स हैं जो इस काम में शामिल हैं । जिस समय एन. ओ. सी. लेना चाहें, जिस आदमी को भी एन ओ. सी. दिलाना चाहें उस आदमी को दिला देंगे, नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट; जिसको नहीं दिलाना होगा उसको नहीं दिलायेंगे । मैं इसलिए कहना चाहता हूं इन श्रीमान जी से कि आपने अभी तक इस स्टे आर्डर को वेकेट कराने के लिए क्या कार्यवाही की ताकि दूसरी कम्पनीज, प्राइवेट कांट्रेक्टर्स उसमें घुसें, गवर्नमेंट उसके अन्दर घुसे ?

मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके लिए काम बहुत बढ़ रहा है । यह तो आप जानते हैं कि 13 करोड़ का प्रावधान, जैसा मंत्री महोदय ने बताया, 82–83 में है । आगे भी हजार करोड़ रुपयों का भारत सरकार ने इसके लिए प्रावधान रखा है तो राजस्थान का उसमें हिस्सा बढ़ेगा । अभी 82–83 में 13 करोड़ का प्रावधान है । नई-नई कम्पनियां खुल रही हैं....

श्री परसराम मदेरणा : मैंने 13 करोड़ का ए. आर. सी. के लिए कहा है । कुल प्रावधान तो 39 करोड़ का है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 39 करोड़ का है तो और भी घाटा हो गया । हैण्ड पम्प के लिये 39 करोड़ का है, इस स्कीम के मातहत 13 का प्रावधान है । आपके भाषण

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से यह फिगर लिये हैं। टोटल 39 करोड़ का है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, आपने दो कम्पनियों को, नाम नोट करिये, एक कूंजा एण्ड कम्पनी और दूसरी रहीम ड्रिलिंग कम्पनी, डूंगरपुर में कब काम दिया? डूंगरपुर में कितना काम दिया? क्या यह सही है कि जिस समय आपने नेगोसियेशन किये....

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी कम्पनी का क्या नाम बताया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रहीम ड्रिलिंग कम्पनी। एक है कूंजा एण्ड कम्पनी। इसके नाम-वाम में कोई थोड़ा बहुत फर्क हो जाय तो आप उस पर ध्यान मत देना। हो सकता है। मेरे पास गवर्नमेंट नहीं है, आपके पास है। कूंजा एण्ड कम्पनी हो, पूजा एण्ड कम्पनी हो, कुछ भी हो, आप बता सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डूंगरपुर में इन लोगों को जब काम दिया गया, क्या यह कम्पनियां उस समय एग्जिस्ट करती थीं? जिस समय आपने नेगोसियेशन किये क्या यह कम्पनियां उस समय एग्जिस्ट करती थीं? जिस समय आपने टेंडर इनवाइट किये क्या इन कम्पनियों ने कोई टेण्डर दिये थे? डूंगरपुर में यह कम्पनियां किस प्रकार पहुंची? आपके डिपार्टमेंट ने उन कम्पनियों को किस प्रकार काम दिया? अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहना चाहता, मैं माननीय मंत्री महोयद से पूछना चाहता हूं, इस सारे प्रकरण के अन्दर यह कम्पनियां किस प्रकार अवतरित हुई हैं, किस प्रकार इनका प्रकटीकरण हुआ है, किस प्रकार काम मिला है? मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध जानकारी दें, यह मेरा एक और क्वेश्चन होगा।

अध्यक्ष महोदय, कई बार फाइनेन्सिग कमेटी का नाम लिया गया कि फायनेन्सिग कमेटी ने अमुक प्रकार से काम दिया, अमुक प्रकार से नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्सिंग कमेटी ने अभी भीलवाडा जिले की 11 तहसीलों में पांच तहसीलें तो दी हैं, शायद प्राइवेट कांट्रेक्टर्स को, मन्त्री महोदय मुझे करेक्ट करें, और 6 तहसीलों का काम गवर्नमेंट के ड्रिलिंग डिवीजन को दिया है। अध्यक्ष महोदय, 6 तहसीलें जो डिफिकल्ट हैं, जहां पर आपरेशन की कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, वह तो दी हैं ड्रिलिंग डिवीजन को, और उस फाइनेन्सिग कमेटी ने 5 तहसीलें, जहां आसानी से हैण्ड पम्प तैयार किये जा सकते हैं, कम कास्ट के ऊपर दी हैं प्राइवेट कांट्रेक्टर्स को। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से, इस फाइनेन्सिग कमेटी ने किस क्राइटेरिया से जिले में इस प्रकार का डिवीजन किया है? कम से कम वह बताने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, गांवों का चयन किस प्रकार से होता है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छी तरह से कह दिया है। मैं कहना चाहता हूं, इसमें एक पूरा प्रश्न इनवाल्व्ड है कि जो पाइप डाला जाता है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस पाइप की क्वालिटी किस प्रकार की होती है; क्वालिटी होती है उसको टेस्ट कौन करता है ? और किस समय करता है ? पाइप डाल दिया उस समय टैस्ट नहीं किया, पाइप पर्चेज हुआ उस समय टैस्ट नहीं किया। पाइप जिस समय स्पाट पर ले गये उस समय टैस्ट नहीं हुआ । पाइप जिस समय पोल में रखा गया उस समय टैस्ट नहीं हुआ । इसका टैस्ट कौन करता है ? इस पाइप का किस प्रकार का मैटीरियल है, कितनी इसकी मोटाई है जिस हिसाब से चार्ज करता है, उस हिसाब से उसका टैस्ट किस प्रकार करते हैं ? क्या किसी ने इस बात को टेस्ट किया है ? क्या टैस्ट करने की कोई व्यवस्था है । अध्यक्ष महोदय, टैस्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है । जिस तरह से नीचे के स्तर पर ही प्रमाणीकरण कर दे कि ट्यूब-वैल लग गया और उसका पेमेन्ट कर दिया । मैं मंत्री महोदय से एक बात और पूछना चाहुंगा । अध्यक्ष महोदय, अभी माडा स्कीम में मेरे क्षेत्र में काम हुआ । वहां कुए खुद रहे हैं माडा स्कीम में । उसमें आप जाकर देख लें चाहे, काम नहीं होता है । वहां काम क्यों नहीं होता । एक बार मैंने खुद ने विधान सभा में प्रश्न उठाया था । जब मैं चीफ मिनिस्टर था मैंने वास्तव में मंगा कर देखा । बिजली और पानी की मीटर-रीडिंग होती थी वह मीटर रीडिंग कई बार सरकारी कर्मचारी नहीं करते थे या वे किसी को फायदा पहुंचाना हो, किसी को नुकसान पहुंचाना हो । एक बिल विधान सभा में भी पेश किया जिसमें 13 बार यह लिखा हुआ था कि मीटर के अन्दर सांप बैठा है इसलिये हम उसको खोल कर नही देख सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, वह मैंने देखा, सरकार ने भी उसको स्वीकार किया कि सांप बैठा रहता है । स्नेक, उसमें वर्ड यूज किया गया है, स्नेक । स्नेक का मतलब है, अन्दर मत जाओ, नहीं तो हाथ खाजायगा । वह मीटर पड़ते नहीं थे कि कितनी रीडिंग है, कितनी नहीं है । क्योंकि इसमें सांप बैठा है हम कैसे देखें । इस प्रकार माडा योजना में एक नया काम चलाया है, काश्तकार के बोरिंग करने का । मुफ्त में बोरिंग करने के लिये ड्रिलिंग मशीन भेजी जाती है । मुफ्त में ड्रिलिंग उनके तो नहीं होता, जो पैसा देते हैं उनका होता है । जिनका करना चाहिए था उनके लिये लिख देते हैं, कुआ खाली नहीं है । कुआं खाली कैसे होगा ? किसने मना किया आपको कुआं खाली कराने के लिये । कुआं खाली नहीं है । मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, लोग कहने लगे, हमारे काम नहीं करते हैं । मैंने पूछा, तुम्हारे काम क्यों नहीं करते हैं । कहने लगे, हमारे लिये तो लिख दिया, कुआं खाली नहीं हुआ । अब कुआं खाली नहीं है और दूसरे का कुआं खाली हो गया, जिसमें प्राइवेट रूप से काम करते हो । अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार अभी यह सारा जो काम चल रहा है, डीजल बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और बताना चाहता हूं। कई जगह तो इनकी संख्या में भी गलती हुई है। कई जगह बता दिया कि तीन खोद दिये, जब कि वहां तीन में सेएक भी नहीं है। अभी मैंने भी तलाश किया, एक गांव में। मैंने कहा, आंकड़े देखूंगा। मैं अभी तक आंकड़े देख नहीं पाया हूं। लेकिन वहां के सरपंच ने बताया, मेरे गांव में 3 हैण्ड पम्प लगाये, इस प्रकार का इन्द्राज है, जब कि वास्तव में उस गांव में एक ही था। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा, मन्त्री महोदय इसको व्यक्तिश: नहीं लें, यह इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, गडबड़ हो रही है। इस गड़बड़ी के आधार पर राज्य सरकार को नुकसान हुआ है, उसकी जांच निष्पक्ष रूप से करवायें। अध्यक्ष महोदय, आज हमने 25 हजार गांवों को प्रोब्लम विलेज माना है। इतने हैण्ड पम्प लगाने के बाद भी संख्या 25 हजार है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। अभी इन्होंने कमीशन के सामने अपनी जो योजना प्रस्तुत की है उस योजना में 25 हजार की जगह 22 हजार नहीं हुए हैं, 25 की जगह 31 नहीं हुए हैं। इसलिये नहीं हुए हैं कि वह हैण्ड पम्प ऐसे गांवों में खुद रहे हैं, जहां आलरेडी पानी है। मेरे गांव में, अध्यक्ष महोदय, घर-घर के पीछे कुआं है। मैं अपने गांव के लिये कह रहा हूं, हर पांच घरों के पीछे कुआं है, और उस जगह हैण्ड पम्प बन रहे हैं। हैण्ड पम्प, जैसा घनश्याम जी तिवाड़ी ने कहा, कोई हरिजनों के मोहल्ले में बन जाये, किसी को आपत्ति नहीं होगी, गरीबों के मोहल्ले में बन जाये किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मेरे जैसे आदमी के घर के सामने हैण्ड पम्प बन जाये और उसका फोटो खिंच जाये।

श्री अध्यक्ष : आपका तो लिहाज रख कर बना रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके गांव में खुदे और आपके घर के आगे नहीं खुदे, यह अच्छा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल उदाहरण के लिये कह रहा हूं। अभी तक मेरे गांव में हैण्ड-पम्प खुदा नहीं है और ना मेरे घर के सामने खुदा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, तो ध्यान रखेंगे आपका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने उदाहरण के स्वरूप कहा है। मेरे जैसे व्यक्ति के सामने हैण्ड पम्प आप तैयार कर दें और गरीबों के मोहल्ले में हैण्ड-पम्प तैयार नहीं हो तो यह सलेक्शन का काम भी कांट्रेक्टर को क्यों दे दिया? यह सबसे ज्यादा घातक है। यह हैण्ड पम्प का काम आप चाहे पंचायत समितियों या पंचायतों को ट्रांसफर करें या नहीं करें लेकिन सलेक्शन का काम पंचायतों को दीजिये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जहां पंचायत कहे, जहां उचित समझे उस जगह हैण्ड पम्प तैयार करें, इस प्रकार की व्यवस्था की जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पंचायत और डिपार्टमेंट के ऑफिसर कहें वहां खोदना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से विधान सभा के माननीय सदस्य बता दें कि मेरे यहां फलां-फलां जगह है वहां ज्यादा उचित होगा, वह न्यायसंगत आधार होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, पंचायत समिति का सरपंच, प्रधान, विधान सभा सदस्य और एक अधिकारी, यह चारों मिलकर एक पंचायत समिति या विधान सभा क्षेत्र के लिये तय कर लें। वहां-वहां, उस स्थान पर हैण्ड पम्प बन जायें तो सबसे ज्यादा अच्छा है। कांट्रेक्टर की सुविधा के आधार पर नहीं खोदना चाहिये। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हू मंत्री महोदय से कि वह जवाब दें और जवाब देने के साथ-साथ यह भी बता दें जो कुछ भी हो गया है, उसकी जांच किस प्रकार की जायेगी क्योंकि इस प्रकार जांच का उन्होंने कमिटमेंट कर लिया था। आपको याद होगा, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बड़े जोर शोर से कह दिया था कि टैक्निकल कमेटी से इसकी जांच करायेंगे। उस समय मैंने कहा था, टैक्निकल कमेटी डिपार्टमेंट की होगी तो उस डिपार्टमेंट की टैक्निकल कमेटी अपने डिपार्टमेंट की गलती के खिलाफ एक्शन ले सके इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। हो सकता है, उसका कांट्रेक्टर से किसी प्रकार का सम्बन्ध हो और वह अपना सम्बन्ध बिगाड़ना नहीं चाहे। आज कौन इस दुनिया में सम्बन्ध बिगाड़ना चाहता है। कोई यदि सरकारी अधिकारी सम्बन्ध बिगाड़ना नहीं चाहे तो निवेदन कर रहा हूं ऐसे आदमियों की एक कमेटी अपाइन्ट कर दें जो सारे मसले की शुरू से लेकर अब तक की जांच कर ले। निष्पक्ष जांच होगी तो उसके दो फायदे होंगे। एक जो हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उनकी मरम्मत हो जायेगी, वह जल्दी से अपना काम करना शुरू कर देंगे। जांच का और कुछ परिणाम निकले या नहीं निकले लेकिन कम से कम हैण्ड पम्प से पानी तो जरूर निकलने लग जायेगा। मैं निवेदन करूंगा, इस आधार पर जांच भी करायें और इसकी मरम्मत भी करायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आमन पैरों पर है। बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या काफी है। इसलिये मैं दो-दो मिनट का समय, इस तरफ से शुरू कर देता हूं।

(व्यवधान)

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता बाले रहे थे, या तो आप पार्टी वाइज समय दे दीजिये। जब उनको एक घंटे का

Page No 95

(95)

(श्री नानूराम कुमावत)

समय दे देते हैं और हमें एक मिनट का समय नहीं देते तो यह आपने न्याय क्या किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर,आॅर्डर । विषय कैसा है, किसी माननीय सदस्य की जानकारी कैसी है, उन सब बातों पर विचार करके उसके बाद में समय सीमा निश्चित करता हूं। दो मिनट का मैंने कह दिया, यहां पर माननीय सदस्य तथ्य बताते हैं, पानी नहीं आ रहा है, खारा है तो यह बात कई बार कही जा चुकी है। यदि आप नये तथ्य बतायेंगे,....

(व्यवधान)

मैं सब को समय एक साथ नहीं दे सकता।

श्री कटारिया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके पब्लिक वर्क्स फाइनेंस एकाउंट्स रूल्स बने हुए हैं उनमें क्या यह प्रोवीजन है कि यदि एक ही रेट फिक्स कर दें तो उसी का बहाना लेकर जब भी कहीं कोई काम हो तो उसी आधार पर रेट कायम कर दी जाय ? क्या यह रूल्स में प्रोवीजन है, एक बार 20 लाख का काम कराने की जरूरत पड़ी और आपने 240 की रेट तय कर दी।

श्री अध्यक्ष : वह कांट्रेक्ट है, रूल्स का नहीं है। तय कर दिया, मतलब समझौता हो गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जब भी कोई काम किया जाता है तो उसके लिये निविदाएं अलग से मांगी जाती हैं, उसके आधार पर वर्क-आॅर्डर मिलता है। तो फिर यह कौन सा करिश्मा हुआ ? आज तक तो राजस्थान में हुआ नहीं। तो क्या आप चाहेंगे, आपका सिंचाई विभाग इस प्रकार की रेट, ऐसा कांट्रेक्ट तय कर लेगा और उसके अनुसार ठेकेदारी चलती रहेगी ? तो पहली गलती तो मैं यह मानता हूं, जिसका बहाना करके स्थानीय नगरपालिका, यू. आई. टी. सबने इसको स्टेण्डर्ड मान कर चाहे जिसको काम दिया। श्रीमान, मेरे पास कुछ ऐसे लोगों की निविदाएं हैं जिनमें उन्होंने अपनी रेट उदयपुर नगरपालिका में प्रस्तुत की हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इससे 20 प्रतिशत कम में काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिला। स्टैण्डर्ड रेट राजस्थान में तय हो गई उसी का बहाना बना कर हर स्थान पर काम करवाया गया। तो क्या कोई ऐसा प्रोवीजन है, जिसके आधार पर ऐसा कर सकते हैं ? जिन्होंने उस समय अपना टेण्डर लिमिटेड एरिया में मांगा था, बाद में उन सभी लोगों ने देखा कि इस धन्धे में बहुत मार्जिन है इसलिये सभी लोग मशीनें खरीद-खरीद कर मैदान में आ गये।

(व्यवधान)

दूसरा प्रश्न मेरा और है कि उदयपुर जिले में 80-81 और 81-82 में केवल 20 लाख रुपये इसके लिये आवंटित किये गये

(श्री गुलाबचन्द कटारियां)

थे और क्या बिना आवंटन के एक करोड़ के पाइन्ट लग चुके, इन एडवांस एक करोड़ का आपने वहां पर काम करा लिया ? इसकी जांच भी आपने करवाई, आपके विभाग ने शिकायत की जांच करवाई कि 20 लाख का फण्ड अलॉट किया और एक करोड़ का काम एडवांस में करा लिया ? क्या यह इस बात को साबित नहीं करता कि इस धन्धे में बहुत अधिक कमाई है। इसलिये मेरा कहना है कि कम से कम 79 करोड़ में से, मेरे अनुमान से 12 से 1[illegible] करोड़, चाहे कोई भी खा गये हों लेकिन इसमें से खा गये। इसलिये इसमें जांच करना बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : श्री मालराम

श्री माला राम (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में आज दो साल से विभाग को बराबर पत्र लिखते हुए हो गये, पंचायत समिति, जिला परिषद् की ओर से भी पत्र दिला दिए, मैंने खुद भी दे दिये परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया। 45 हैण्ड पम्प हैं जिनमें एक तोला भी पानी नहीं आता है और उनका पैसा चुका दिया है। 45 ऐसी जगह है जहां पर एक तोला पानी नहीं आता है। बार बार लिख चुका हूं, आज तक विभाग ने वहां जाकर कोई जानकारी नहीं की है। मेरा तो यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प लगाने के बाद जो समस्या आई है वह यह आई है कि जो हैण्ड-पंप ठीक करने जाते हैं वे गलत रिपोर्ट देते हैं। इसका आधार एक बन सकता है, वह यह कि पंचायत से, सरपंच से सर्टिफिकेट लेकर आवें कि यहां मीटर लगाया, ठीक कराया या नहीं कराया। होता यह है कि यह सर्टिफिकेट लेते नहीं हैं और गलत रिपोर्ट दे देते हैं. इससे हैण्ड पंप खराब के खराब रहते हैं ठीक होते नहीं और आप समझते है, पंचायतों को अधिकार दे दिया ठीक कराने के लिये। अब उनके पास न तो कोई तकनीकी व्यक्ति है जो ठीक कर सके और न उनके पास पैसा हैं। पेय-जल विभाग वालों को शिकायत करते हैं तो कहते हैं, पंचायत के पास जाओ। वह उनका नाम लेते है और हैण्ड पंप खराब के खराब रहते है। इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में प्रश्न करूंगा कि आपने इस बारे में कोई हल सोचा है या नहीं सोचा है ? इन दोनों विभागों के बीच लड़ाई रही तो लोग प्यासे रहेंगे और आपके हैण्ड पंप खराब होते जायेंगे। उन पर कितना खर्चा हो चुका है इससे कोई हल नहीं निकल पायेगा। इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष ...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : मैं तो बहुत संक्षेप में बोलता हूं, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बोलने का समय आयेगा तो पूरा समय दे दूंगा। यह भाषण का समय नहीं है। यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री हरीश शर्मा : क्या यह सही है कि जिला परिषद्, जिला आयोजना समिति के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था कि इन-इन गांवों में हैण्ड पंप लगाना बहुत जरूरी है और उन गांवों में एक जगह भी हैण्ड पंप नहीं लगाया? अधिकारियों ने जहां मर्जी पडी, वहीं लगा दिये। इसका परिणाम यह हुआ कि समस्या जहां की तहां रह रह गई।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसमें हैण्ड पंप से पहले मेरी तहसील में जल प्रदाय योजनाओं की अव्यावहारिकता के के सम्बन्ध में काफी मामलों के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : वह नहीं, वह तो उस समय इजाजत दी थी। इस समय तो माननीय सदस्य हैण्ड-पम्प पर ही बोलें।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब से यह हैण्ड पम्प की योजना चालू हुई है तब से मैं हर स्थान पर विरोध करता आया हूं। हमारे क्षेत्र में हैण्ड पम्प की योजना चालू की गई है वह सरकार के....

श्री अध्यक्ष : आपके चुनाव क्षेत्र में कितने हैण्ड पंप खोदे हैं?

श्री महाराम चौधरी : मेरे चुनाव क्षेत्र में करीब 300 हैण्ड पंप खोदे हैं तहसील में उनमें से आज भी, मौके पर जाकर देख लीजिये, 90 प्रतिशत हैण्ड पंप खराब पड़े हैं। इसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय, इंजीनियर महोदय से कई दफा जाकर मिल चुका हूं परन्तु रत्ती भर कार्यवाही नहीं हुई है। यहां से लिख दिया जाता है, लेकिन स्थानीय अधिकारी इस सम्बन्ध में टालमटोल करके कतई परवाह नहीं करते। जिन जगहों पर दूसरी योजना कामयाब होनी चाहिये थी उसको कैंसल करके इस योजना को लागू कर दिया जिससे वहां पर व्यवस्था का ठिकाना ही नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हमारे यहां पर साथी का कठौड़ा. इस तरह के गांव हैं जहां 81-82 तक पानी उपलब्ध हो जाना चाहिये था। लेकिन इन गांवों के लिये हैण्ड पंप की प्लानिंग बना कर सरकार के पास में भेज दी और जिन गांवों में 82 तक पानी मिल सकता था वहां हैण्ड पम्प की अव्यावहारिकता के कारण आज तक पानी नहीं आया। इस सम्बन्ध में बराबर सवाल आया कि जो ठेकेदारों के द्वारा खोदे गये और जो स्थानीय अधिकारियों के द्वारा विभाग से खोदे गये है उनमें ठेकेदारों ने जो मार्जिन का पैसा लिया है उससे भी ज्यादा पैसे का मिस-यूज इन सरकारी अधिकारियों के द्वारा हुआ और चोरी हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मोदी।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अल्प अवधि का माध्यम है इसके द्वारा मैंने माननीय सदस्यों को इजाजत दी है। आर्डर प्लीज। कृपया विराज जायं। आसन पैरों पर है। श्री मोहन मोदी।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हैण्ड पंप को लगाने में कितना भ्रष्टाचार होता है।

(2.19 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में टोडा ग्राम है वहां टी. एस. एस. स्कीम मंजूर हुई थी। वहा पर तो इस स्कीम को कैंसिल कर दिया। कुल 13 हैण्ड पंप लगाये और एक एक पहाड़ी पर हैण्ड पंप लगा दिया। मैं सी.ई., एडि.सी.ई. और एस. ई. से मिला और मैंने हमारे सीकर जिले के अन्दर जो अभाव अभियोग की मीटिंग होती है उसके अन्दर यह प्रश्न रखा लेकिन आज तक उस प्रश्न की जांच नहीं हुई।

एक्स.ईएन. ने एक एक हजार रुपये लेकर एक एक परिवार के आगे हैन्ड पम्प लगा दिये है, इसकी जांच नहीं हुई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपकी यह स्कीम है, उससे मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिला है, उनकी जो आपत्ति है उसको भी आप दूर करें। मैं यह आपत्ति आपको यहां पर बताना चाहता हूं। एक तो जो मशीन ले जाते हैं, वहां के विधायक, सरपंच और गांव के सभी लोगों ने लिख दिया कि यह हैण्ड-पम्प यहां पर लगाना चाहिये परन्तु आपका जो ड्राइवर है वह कहता है कि हमारी मशीन यहां पर नहीं जा सकती है। यह आपकी जो व्यवस्था है इससे भ्रष्टाचार पनपता है। इसलिये इसको दूर करें। गांव के लोगों को जो सुविधा है वहां पर हैण्ड पम्प लगना चाहिये। जो बीच मोहल्ले का हो वहां हैण्ड पम्प लगावें, परन्तु एक आदमी के घर के सामने यह हैन्ड-पम्प लगा दिये गये हैं। एक हैण्ड-पंप की हरिजनों के मोहल्ले में आवश्यकता है परन्तु वहां न लगा कर किसी दूसरी जगह पर लगा देते है। जिस व्यक्ति के घर के आगे हैण्ड-पम्प लगायेंगे तो वह एक हजार रुपया आराम से दे सकता है क्योंकि उसके घर के आगे कुआं ही बन जाता है। कृपया इसमें सुधार करें। एक समस्या और है। किसी गांव में पेयजल की स्कीम है, वाटर वर्क्स की स्कीम है। उसकी आबादी पंचायत क्षेत्र में चौथाई है और 3/4 आबादी ढाणियों में रहती है। तो वे लोग कहां जायेंगे? मैं यह निवेदन करूंगा कि आप ऐसी योजना बनावें कि प्रत्येक ढाणी में, चाहे वहां 20 परिवार रहते हों, चाहे 100 परिवार रहते हों, चाहे 50 परिवार रहते हों, कम

(श्री मोहनलाल मोदी)

से कम एक हैण्ड पम्प जरूर दिया जायेगा, यह मेरा निवेदन करना है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। दो-दो मिनट सबको दिये जायेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सदस्य बोल रहे थे तब किसी ने बाधा नहीं डाली। अब मैं बोल रहा हूं तो माननीय सदस्य बाधा डाल रहे हैं। हम भी इनको नहीं बोलने देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है।

श्री मोहनलाल मोदी : अभी तो बोलना शुरू किया है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे यहां राजपुरा पंचायत है। उसके सरपंच ने लिखा है, ग्राम पंचायत ने लिखा है कि पंचायत घर पर हैण्ड-पम्प लगाया जाये लेकिन अधिकारियों ने मिल करके वह हैण्ड-पम्प पंचायत भवन के सामने न लगाकर दूसरी जगह पर लगा दिया। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन दोनों जगह की जांच करायें ताकि ग्राम लोगों को राहत मिले। हैण्ड-पम्प की यह योजना मेरे क्षेत्र में सफलतापूर्वक चल रही है, 20 पर्सेन्ट हैण्ड-पम्प्स खराब जरूर हैं, उनको सुधारने की व्यवस्था करें और हरएक ढाणी में हैण्ड-पम्प की व्यवस्था करें, यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक साथ न बोलें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपयास्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : पूर्वी राजस्थान का कोई नहीं बोला है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अब तक तो मैं अपनी बात समाप्त कर देता। मुख्य मन्त्री जी, बिराजिये। दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन को सहयोग करने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, नियम होते हैं। कृपया नियमों का पालन करने की कोशिश करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। जिनका नाम पुकारा जा चुका है वे ही बोलें।

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : हमें भी मौका मिलना चाहिये।

श्री सभापति : आपका नम्बर जरूर आयेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री यदुनाथ सिंह, कृपया दो मिनट में ही बात समाप्त करें। प्रश्न ही पूछें।

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदया, माननीय सदस्यों ने बहुत सी गड़बड़ी का यहां पर जिक्र किया है लेकिन हमारे यहां पर जो गड़बड़ी हुई है वह बात भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। हमारे यहां पर तो एक तमाशा हुआ। जिन गांवों में दस-दस, बीस-बीस, कुए मौजूद हैं वहां पर भी हैण्ड-पम्प लगाने की क्या जरूरत पड़ी इस सरकार को। जिस गांव में खारा पानी है, जिनकी सरकारी रिपोर्ट यह बताती है फिर भी उस गांव में भी हैण्ड पम्प्स लगाने की क्या जरूरत पड़ी? हमारे यहां पूरे जिले में एक भी हैण्ड-पम्प की आवश्यकता नहीं थी। जहां पर खारा पानी है वहां पर हैण्ड-पम्प किस तरह से उपलब्ध करावाये हैं, वह किस आधार पर लगवाये हैं, कृपया मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : सभापति महोदया, पाइन्ट आफ आर्डर। अभी माननीय सदस्य ने विधान सभा मे यह पाइन्ट आउट किया है मि० रामप्रसाद को कि मुख्य मन्त्री जी, बिराजिये। यह शब्द मेरे विचार से उपयुक्त नहीं है इसलिये इनको विधान सभा की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाये। आपने यह कहा है श्री रामप्रसाद को यह कहा है, विधान सभा में....

श्री सभापति : यह कोई असंसदीय बात नहीं है।

श्री भैरूंसि गुर्जर : पहाड़ियाजी के समय ये मिनी मुख्य मंत्री थे।

श्री यदुनाथ सिंह : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमेन्ट में घोटाला हुआ। न तो 80 पर्सेन्ट हैन्ड पम्प में ओटा बनाया गया है। जबकि भरतपुर जिले में ओटा, साक पिट नहीं बनाया गया है। फिर, एन0ओ0सी0 किस ने दे दिया इसकी जांच होनी चाहीये। हैन्ड पम्प के दो दो कट्टे सीमेन्ट के ही नहींलगे हैं बल्कि कई तो एग्जिस्ट ही नही कर रहे हैं। हमारे यहां पर बीस फीट पर पानी उपलब्ध है फिर तीस तीस फीट कि क्या जरूरत है। दो चार, इंच के पाइप से पानी आ जाता है। कई ट्यूब वैल चल रहे हैं। वहां पर कितने कितने फीट पर पेमेन्ट हुआ है, कितने हैन्ड पम्प लगे? इस बात में घपला हुआ है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो इन बातों का स्पष्टीकरण करें कि जहां कोई आवश्यकता नहीं थी वहां किस आधार पर आपने हैन्ड पम्प लगाये हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदया, मैं हैन्ड पम्प के बारे सुझाव देना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने बताया है कि 150 रुपये हर पंचायत को हैन्ड पम्प सुधारने के लिये अलाट किये हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। एक पंचायत को हैन्ड पम्प सुधारने के लिये 150 रुपया राज्य सरकार देती है। यह पंचायत के लिये दुर्भाग्य की बात है,

(श्री चतुर्भुज)

आपत्तिजनक है । कम से कम एक हैन्ड पम्प पर एक पंचायत को 300 रुपये का खर्चा आना मामूली बात है । चार मजदूर के बिना काम नहीं चलता है । एक हैन्ड पम्प की अगर टूंटी टूट गयी, या उसमे सीमेन्ट लगानी पड़ी, वासर, तार या और कोई पार्ट, जंजीर खराब हो जाये तो पंचायत 150 रुपये में क्या लायेगी । इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पंचायत के लिये एक हैन्ड पम्प पर कम से कम 300 रुपये से कम नहीं दिया जाये सुधारने के लिये । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं रेट के बारे में । पंचायत के द्वारा जितने कुए खुदवाये गये हैं वहां क्या रेट दी गयी है । सरपंच अधिकारियों के नीचे हैं । कुए खुदवाने को जो मजदूरी देते हैं, पानी देना चाहते हैं, उसकी दशा यह हो रही है ।

इसमें दोष यह है कि आपका जो प्रधान और विधायक हैं वे काम कैसे कर सकते हैं । इतने से पैसों में काम कैसे हो सकता है ? आप पंचायतों को जो अनुदान देते हैं वह 10-20 साल पुरानी रेट से देते हैं । आपने पचायतों को जो रेट देने की बात कही है उसमें पंचायतों द्वारा हैंड पम्प नहीं लगाये जा रहे हैं । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि अगर आप पंचायतों के द्वारा कुआं खुदवाना चाहते हैं तो उसके लिये उनको आज की रेट के अनुसार, वाजिब रेट के अनुसार अनुदान दिया जाय ।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदया, वास्तव मे हैण्ड-पम्प की स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो बात माननीय सदस्य कह रहे थे कि हैंड पम्प में पानी नहीं आया, बिलकुल गलत बात है । जिस हैंड पम्प में पानी नहीं आता है वह इस कारण नहीं आता है कि वहां पर प्लेटफार्म नहीं बनाया जाता है, चाहे जानबूझकर ही प्लेटफार्म नहीं बनाया जाता है । वैसे यह एक अच्छी योजना है लेकिन इसमें एक अनियमितता जरूर हुई है । जहां पर 200 फीट गहरा करना था वहां सिर्फ 150 फीट कर दिया, यह जरूर किया है । इसके लिये भी मैंने पूछा था तो पता लगा कि अगर ज्यादा गहरा हो जायेगा तो पानी खिंचेगा नहीं । हमने भी यह बात समझ ली । अब यह बात तो जरूर है कि हैंड पम्प बने हैं उनमें प्लेटफार्म नहीं बने हैं उसके लिये व्यवस्था जल्दी करनी चाहिए ।

दूसरा, सरकारी मशीनों के बारे में कह रहा हूं कि वे अच्छी नहीं हैं । यह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि ठेकेदारों ने जो काम किया है वह ठीक किया है । यह तो वे जानें उनका काम जाने लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जो सरकारी मशीनें हैं वे किसी काम की नहीं हैं । यह कहा गया कि सरकारी मशीनें लगा दो । मेरा निवेदन है, यह नहीं होना चाहिये । वे मशीनें काम ही नहीं करेंगी । अगर हमारे यहां पर प्राइवेट मशीनें नहीं होतीं तो मेरे जिले में हैंड पम्प

(श्री बिहारीलाल पारीक)

ही नहीं लगते। पता नहीं क्या कारण है कि सरकारी मशीनें किंचित मात्र भी काम नहीं करती हैं। उनसे जो प्रोग्रेस होनी चाहिये वह नहीं होती है। यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कहीं आप सोचें कि मेरा ठेका है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये कह रहा हूं और सही कह रहा हूं कि हमारे यहां पर जो सरकारी मशीनें लगायी हैं वे तीन दिन में एक पाइंट तक चलती हैं। इसलिये यह व्यवस्था नहीं करनी चाहिये। सरकारी मशीनें लगा दें, माननीय सदस्य इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। मैं इसका भुगतभोगी हूं। अगर सरकारी मशीनें लगा दीं तो कोई प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। यह कॉम्पीटिशन चलता है कि उस तहसील में इतनी लग गयी हैं इसलिये हमारे यहां पर भी इतनी लगनी चाहिये। जो सरकारी मशीनें हैं वे बीमार हो गई हैं इसलिये ही मैं यह सब कह रहा हूं। हमारे यहां पर सरकारी मशीनों को नहीं लगाया जाय अगर ठेका गलत चला गया है तो दूसरे को ठेका दे दिया जाय, पर काम प्राइवेट मशीनों से ही कराया जाना चाहिये। अगर रेट ज्यादा दी है तो कम कर दें। मैंने यह इसलिये कहा कि माननीय सदस्यों ने मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है। अगर वे ऐसा कर देंगे तो यह सारा मामला गड़बड़ा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप इसके बाद बोल लेना।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : सभापति महोदय, म्हारो एक ही निवेदन है, हैंड पम्प री बात अठे बराबर दिन भर सूं चाल री है, पहलां भी एक बार हैण्ड पम्प री बात चाली सी। म्हारो तो थे आप सब सूं सदन सूं और मंत्री गणां सूं एक ही निवेदन है कि यां हैण्ड पम्प रे बारे में जो बात कही है वा अकाल रे मौसम में बड़ा दुख री बात है। हमारी सरकार और इन्दिरा गांधी पानी की व्यवस्था करायेगी : या पानी री व्यवस्था रे बारे में बड़ा दुख गी बात है जो ठेकेदार लोग करी है। जठे भी हैण्ड पम्प की योजना बनी वठे प्रधान और एम.एल.ए. सब बैठ अर गांव वाइज लिस्ट बनायी है। कलेक्टर साहब भी थे। किन-किन गांवों में कितरां-कितरां हैण्ड पम्प लागे लां ऊंका बारे में श्रीमान् कलेक्टर साहब रे वठे मीटिंग बुलायी तो एवस. ईएन. साहब जिलाधीश महोदय, प्रधान साहब अर विधायकगण उपस्थित हा। वठे या तय कर्‌यो कि एक-एक विधायक रा क्षेत्र में 10-15 गांवां रे मायने हैण्ड पम्प लगाद्‌यो, यो काम दो-तीन महीना में हो जासी। पर, पांच-छः महीनां बाद जो मीटिंग व्ही वींके मायने विधायक या बात कही कि एक दो गांवां में ही हैण्ड पम्प लाग्या है। तो यो काम कर्‌यो है।

(श्री देवीलाल)

(2.55 म०प०),

(श्री ग्रहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी, बात या है कि कलेक्टर साहिब रे वठे जो लिस्ट बनी ग्रर दस्तखत करग्रर विधायक साहिबान ग्रर प्रधान ने दी वे गांव-गांव जार या कह दी कि ग्रापने या पंचायतां रे मायने फलांना महीना में फलांना-फलांना गांव में फलांनी फलांनी पंचायत में हैंड पम्प लाग जायला या व्यवस्था हो जायेली। पर एक्स.ईएन. साहब ग्रर ग्रो. सी. साहब ने जिन गांवों री लिस्ट दी तो वां गांवां, जीकां मायने विधायकगण कहता, में हैण्ड पम्प नहीं लाग्या। जद वां गांवां में हैण्ड पम्प चालू होता तो म्हारे जिले का लोग प्रधान सूं ग्रर विधायक सूं बराबर लड़ता कि ग्राप जद झूठ बोल्या कि पानी की व्यवस्था होवेलो। या नहीं हुई ग्रर दूसरा गांवां रे मायने हैंड पम्प लाग रिया है। मैं थाने सही कहूं कि मीटिंग रे मायने पहले या प्रधान सूं ग्रर विधायक सूं या बात होती ग्रर जिलाधीश भी वी में रहता। जठे लाग्या वठे भी तो ये चाल कोनी रिया हैं। म्हारे ग्रठे पानी री कोई व्यवस्था कोनी हो री है। व्यवस्था वठे हो री है जठे ये मनमानी कर लगा रिया हैं। म्हारे पानी पास ही है, ग्रसो है कि थोड़ो सो खोदतां ही पानी निकल जावे है। या भी सही है कि जमीन में जो पाइप लगायो है वा भी कम लगायो है। कठे कठे तो 40 फीट रे मायने ही पाइप लगार पंप चालू कर दियो है, तो ऊं में म्हारो या निवेदन है कि पूरी जांच कराग्रो।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री देवीलाल : एक निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं बार बार खड़्यो नहीं होऊं हूं दुख की बात है। जद खड्यो हो यों हूं तो थे चाहो तो सुनल्यो। मैं ग्रापसूं कहूं कि म्हारी जो समस्या है वा सारी कहकर बैठूं लो। तो जो भी ये हैण्ड पंप है याके माइने पहली बात तो या है कि ये जठे भी चालू हुया है वठे यामें पानी चढ़े कोनी। दूसरी बात या है कि जो पाइप लाग्या है, जरा सी बरसात हो जाये तो वामें कंकड़ ग्रर कादो ग्राबा लागे हैं। तो, पानी नहीं ग्रा रियो है ग्रर हैण्ड पंप खराब पड़्या है। तीसरी बात या है कि जिन गांवां में जो हैंड पंप लाग्या है वो दो तीन फीट खोदकर ढक्कन लगा दियो है। ग्राखिर ग्राखिर में जो पंचायत समिति है ऊं में एक भी हैण्ड पंप चालू नही हुयो है, खाली ढखना ही लग्या है। ग्राज की तारीख में भी वो ग्रयां की ग्रयां पड़्या है। गांव वाला कहवे है कि या ढखना री काई व्यवस्था होवेली ग्रर कद पानी री व्यवस्था होवेली, एम.एल.ए. साहब, म्हे तो प्यासा मर रिया हां। या बड़ा दुख री बात है। सरकार रा लाखां रुपया खर्च हो गिया, किरड़ों रुपया खर्च हो गिया पर व्यवस्था ऐसी हुयी है कि जठे पानी की जरूरत नहीं

(श्री देवीलाल)

है वठे तो हैण्ड पंप लाग गिया अर जठे जरूरत है वठे नहीं लाग्या है। कठे कठे तो ढखना ही लगा रक्खया है। म्हारो तो यो ही निवेदन करनो है कि या हैंड पंपा री जांच कराओ। रकम तो उठा ली है पर पानी कोनी आयो है। ईं की व्यवस्था कर जांच कराओ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें।

श्री देवीलाल : ठेकेदार मनमानी करी है। गांव वाला पंचायत ने, सरपंच ने, प्रधान ने अर विधायक ने कोस रिया है। ईं सूं जनता में रोष पैदा हो रिया है ईं की व्यवस्था कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनिए। प्लीज, बैठ जायं। कृपया बैठ जाइए मुझे अर्ज करना है।

जिस वक्त एक बजे-पौन बजे उठकर गया था तब से वही सब्जेक्ट मैटर अब तक चल रहा है। ढाई घण्टे से ज्यादा हो गया पौने तीन घण्टे हो गये। आप बैठिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इस पर भाषण नही होगा। एक-एक मिनट मैं सब माननीय सदस्यों को एकोमोडेट कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बजारी।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं से सम्बन्धित विषय है, इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाय। हम लोग जब गांवों में जाते हैं

श्री उपाध्यक्ष : I named him उनको आवाज दे दी है, कृपया बैठ जाइये। आखिर में आपको मौका दूंगा।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा. मेरे अजमेर जिले के अन्दर हैण्ड पम्प खोदे गये, अगर हैण्ड पम्प नहीं होते तो पूरा का पूरा अजमेर जिला खाली हो जाता। इसके लिये मैं राज्य सरकार, मंत्री महोदय और उनके विभाग में जो अधिकारी काम करने वाले हैं इन सबको मेरी ओर से और अजमेर जिले की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। अजमेर जिले में हैण्ड पम्प की स्कीम लागू नहीं होती....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अपना-अपना विचार है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, विपक्ष के नेता ने एक बात कही कि अजमेर के एक्स. ईएन. साहब के कई पत्र यहां पर आये। उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर के एक्स ईएन. साहब को मैंने चिट्ठी अपने क्षेत्र के लिए लिखी कि मेरे क्षेत्र के

(श्री विष्णु प्रकाश बंजारी)

अन्दर हैण्ड पम्प खराब हैं, उनको ठीक करने के लिए मशीनें दीजिए। लगातार दो महीने तक लिखने के बाद भी आज तक मशीनें नहीं भेजी गयीं इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि विभाग के पास जब मशीनें ही बिलकुल खराब पड़ी हैं तब अगर दूसरी पार्टियों से हैण्ड पम्प का काम नहीं कराया जायेगा तो राजस्थान को इस स्कीम के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है वह सारा लेप्स हो जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार भी सरकार चाहे इस योजना को लागू करे पर राजस्थान में जल्दी से जल्दी हैण्ड पम्प की व्यवस्था करावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : मुझे तो एक ही बात कहनी है। उपाध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प तो लगाये जा रहे हैं लेकिन उनमें माननीय सदस्यों ने इर्रेगूलेरिटीज बतायी हैं। राजस्थान में यह योजना किस प्रकार चल रही है विशेष बात यह है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, मंत्री महोदय, कई स्थान ऐसे हैं, जहां पर जमीन में चट्टानें हैं। जिन गांवों में जमीन में चट्टानें हैं उनमें कुओं की व्यवस्था नहीं है, विभाग की ओर से हैण्ड पम्पों की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। हैण्ड पम्पों की प्रापर मोनिटरिंग एवं केयर पंचायतों से हासिल नहीं होगा। उनके पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त कई स्थान ऐसे भी हैं जहां हैण्ड पंप लगाये ही नहीं जा रहे हैं। इस पर भी विशेष तौर से ध्यान दें।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : एक प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक का मैं आभारी हूं कि उन्होंने एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दी।

सुश्री पुष्पा जैन। लेडीज फर्स्ट।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम कितने भी आजाद ख्याल के क्यों न हों, कितने ही....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं करेंगी, आप।

सुश्री पुष्पा जैन : उसके बावजूद भी....

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखिये। प्लीज, बीच में नहीं बोलें।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हरिजनों के साथ आज भी सौतेला व्यवहार किया जाता है ऐसी सूरत में, मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगी कि आज कम से कम इस बात की घोषणा तो अवश्य कर दें कि और किसी जगह हैण्ड पंप लगें या न लगें लेकिन अनुसूचित जाति के मोहल्लों में हैण्ड पंप अवश्य लगा दिये जायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(सुश्री पुष्पा जैन)

बताना चाहूंगी, आज गांव में कुआ है हैण्ड पंप हैं, उसके बावजूद वहां हरिजन लोग पानी भरने के लिये तरसते हैं। दूसरी जाति के लोग उन्हें पानी भरने नहीं देते हैं। ऐसी सूरत में, मेरी दरख्वास्त है कि हरिजन मोहल्ले...

श्री उपाध्यक्ष : किसी पर्टीकूलर हरिजन मोहल्ले का नाम लीजिये, इनको बताइये।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जिन बस्तियों में हरिजन बहुतायत में रहते हैं उन बस्तियों में हैण्ड पंप निर्विवाद रूप से लगाये जायं। न तो किसी पंचायत से सिफारिश की आवश्यकता पड़े, न किसी पालिटिकल पार्टी की सिफारिश की आवश्यकता पड़े, राज्य सरकार नियम बना ले कि जहां हरिजन बहुतायत मे रहते है वहां एक हैण्ड पंप लगा दिया जायेगा।

दूसरा, एक सुझाव और देना चाहूंगी। मंत्री महोदय, छोटे-छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। 3 सौ बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं। वहां सिर्फ अध्यापक है, न चपरासी है, न कोई दूसरा साधन है। जून में बच्चे प्यास से मर जाते हैं। अगर स्कूल के बहार एक हैण्ड पम्प लगा दिया जाये तो निश्चित रूप से छोटे बच्चे, उनके अभिभावक और ग्रामीण आपके हार्दिक रूप से आभारी रहेंगे।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह।

(व्यवधान)

सबसे आखिर में मौका दूंगा आपको।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प्स के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो रेट इन्होंने पूरे स्टेट में सैंडी और राकी एरिया के लिये तय की वह 240 और 175 से तय की। हमारे जालौर डिस्ट्रिक्ट में भी हैण्ड पम्प खोदे गये हैं। जनरली सांचौर और भीनमाल तहसील में वाटर केवल इतना ऊंचा है, 30 फीट से ज्यादा गहराई नहीं है। प्राइवेट सैक्टर में हमारे यहां जो हैण्ड पम्प खोदे जाते हैं, उनकी कास्ट 1200 रुपये से ज्यादा नहीं आती है जबकि जो भी अनुबन्ध किये गये हैं, उनमें कान्ट्रेक्टर को रेट दी गई हैं 5-6 हजार रुपये का पेमेंट किया गया है। यह जो भुगतान किया गया है क्या इसके अन्दर कोई स्पेशलाइजेशन का या और कोई सवाल आया? जो भी टैण्डर दिये गये हैं कुएं खुदवाने के लिये, लोकल व्यक्ति 1200 रुपये का टैण्डर दे रहा था वहां कान्ट्रेक्टर ने टैण्डर 6 हजार का दिया है। कोई स्पेस्शलाइजेशन का सवाल नहीं था। ड्रिलिंग वहां करते हैं, कुएं भी खोदते हैं, 30 फीट पानी है, 4 इंच की पाइप डालकर एक रात में कुआं तैयार कर लेते हैं। इसकी जहां 5 सौ रुपये कास्ट नहीं

(श्री सूरजपालसिंह)

आती, वहां 6 हजार का पेमेंट हुआ। प्लेट फार्म बने वह 50 प्रतिशत बनाये नहीं गये हैं, न सीमेंट दी गई है। इस तरीके से से अनियमितताएं बरती गयी हैं। 50 प्रतिशत हैण्ड पम्प का सलेक्शन किया गया था, उनका काम भी अंधाधुन्ध कान्ट्रेक्टर्स पर छोड़ा गया. सही स्थानों पर हैण्ड पम्प लगाने चाहिये थे, शिड्यूल्ड कास्ट्स की लोकेलिटीज में लगाने चाहिए थे, वहां नहीं लगे। इस प्रकार सारे मामले के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री सूरजपाल सिंह : किसी के विरोध को या किसी पर आक्षेप की बात नहीं है, डिपार्टमेन्ट के द्वारा जो अनियमितताएं बरती गई हैं उनकी जांच की जानी चाहिये। राज्य सरकार के धन का दुरुपयोग हुआ है उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानूराम।

श्री नानूराम : मैं तो तीन बातें सुझाव के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय को। मैं आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, मंत्री महोदय लिख पढ़ रहे हैं, सुन नहीं रहे। सबसे पहले तो एक बात निवेदन करना चाहूंगा, जो प्राइवेट पार्टी की रिग्स के टैण्डर काल किये, ठेके दिये, यह बात सच है कि उसमें बड़ा घपला हुआ है। उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब डिपार्टमेंन्ट की रिग्स पड़ी हुई हैं, तो क्या कारण है कि उन्होंने काम पूरा नहीं किया ? मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट पार्टी को ठेके दिये गये उसमें उन्होंने काम सही किया है। लेकिन जो टेण्डर दिये और उसको जो रेट दी गई है उसकी जांच होनी चाहिए। काम सही किया है, वह दूसरी चीज है। उपाध्यक्ष महोदय, जो डिपार्टमेन्ट की मशीनें हैं उनके बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो मशीनों को ठीक नहीं करना चाहते हैं। जो कागजों की लोटा फेरी में मशीनें पड़ी रही हैं और काम नहीं किया है, राजस्थान के पैसे का दुरुपयोग किया है उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हैण्ड पम्प की स्कीम है वह चालू रहनी चाहिये, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि यह चालू नहीं होती तो गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता, इसलिये इस स्कीम को चालू रखा जाय। लेकिन उसी इलाके में चालू रखा जाय जहां पर पहाड़ी इलाका है क्योंकि पहाड़ी इलाके में यह सक्सेसफुल रही है।

तीसरी चीज, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जगह के चयन के बारे में जगह का जो चयन करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह टैक्निकल बात है, मंत्री जी जानते हैं कहां-कहां पर उपयुक्त होंगे या नहीं होंगे।

(व्यवधान)

श्री नानूराम : गांव के सरपंच गांव के प्रधान वहां के एम० एल० को इसके सम्बन्ध में सूचित कर दें, उनकी एक टीम बना दें ताकि वे जगह का चयन कर सकें कि हैण्ड पम्प यहां पर लगाने चाहिये। अभी जैसा पुष्पाजी ने कहा कि जहां-जहां पर प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडल स्कूल्स हैं, सैकण्डरी स्कूल्स हैं, हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं वहां पर लगाये जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : जालौर से आने वाले माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

श्री नानूराम : एक सुझाव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जैसा विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने कहा, यह बात सही है कि वे बुजुर्ग है, समझदार हैं, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं—लेकिन उन्होंने बुराई करना या विरोध करना ही सीखा है। उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया, उनको सुझाव देने चाहियें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगा, माननीय सदस्य, आप बैठ जायं....

(व्यवधान)

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हैण्ड पम्प की जो स्कीम है वह अच्छी स्कीम है इससे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में सहायता पहुंची है लेकिन मेरे क्षेत्र के अन्दर जिस क्षेत्र के अन्दर पानी खारा है वहां पर हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं। क्या यह हैण्ड पम्प वहां पर इसलिये लगाये हैं कि वहां पर रहने वाली जनता को पीने के पानी से वंचित रखा जाय? उन क्षेत्रों को पानी की पाइप लाइन से जोड़ा नहीं जाता है क्योंकि यह कह दिया जाता है कि चूंकि हैण्ड पम्प लगा दिया गया है इसलिए यहां पर पाइप लाइन नहीं लाई जा सकती है।

मेरा निवेदन है कि जिस क्षेत्र के अन्दर पीने का पानी बिलकुल खारा है, मीठा पानी उपलब्ध नहीं है और जहां हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं है उस इलाके के लोगों को पीने का मीठा पानी उपलब्ध हो सके इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या विचार रखती है, इसका उत्तर माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पेयजल के सम्बन्ध में, मैं ऐसा समझता हूं कि जब से हैण्ड पम्प की प्रणाली चालू हुई है पेयजल की समस्या के समाधान में इससे बड़ी मदद मिली है। मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहूंगा कि इस वर्ष यदि हैण्ड पम्प योजना नहीं होती तो गांवों में स्थिति गंभीर हो गई

(श्री रतनलाल ताम्बी)

होती, जिससे मैं समझता हूं कि राहत मिलना कठिन था। हैण्ड पम्प लगे हैं और हैण्ड पम्प के माध्यम से गांवों में राहत मिली है। मैं इस सम्बन्ध में 2-3 बातों का जिक्र करते हुये अपनी बात समाप्त करूंगा।

सबसे पहली बात यह है कि मैं माननीय जन-स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में पेयजल की समस्या के समाधान करने के लिये कोई योजनाबद्ध मास्टर प्लान या कोई निगम जैसी संस्था, जिसके माध्यम से योजना को क्रियान्वित किया जा सकें, बना सके तो उपयुक्त होगा।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग की मशीनों की हालत यह है कि वह हमेशा खराब रहती हैं और काम मन्थर गति से होता है, इसका असेसमेन्ट करें और सारी स्थिति को देखकर निगम के माध्यम से या और किसी माध्यम से ऐसी व्यवस्था करें कि मशीनें खराब न रहें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

मेरा यह निवेदन है कि····मैंने समाप्त नहीं किया है।

(व्यवधान)

। मैं बोल रहा हूं मेरी बात तो सुनें आप···

श्री उपाध्यक्ष : आदमियत से रहना सीखिये, माननीय सदस्य, बैठ जायं, मैंने इनका नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

इसके बाद में आपका नाम है

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : हैण्प पम्प जो है हरिजन मोहल्लों में....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो....

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जहां पर आप हैण्ड पम्प खुदवाते हैं अगर वहां पर पानी नहीं निकलता है तो क्या उन हैंड पंप खोदने वाले ठेकेदारों को पैसा देते हैं?

दूसरी बात यह है कि जैसे एक गांव में 8 हैंड पंप की सैंक्शन दे दी उसमें 4 में पानी निकलता है और 4 में नहीं निकलता है तो जिन हैंड पंप में नहीं निकलता है क्या उनकी जगह उस गांव में दूसरी जगह हैंड पंप खुदवाने की स्कीम है कि वहां पर दुबारा खोदे जायं?

एक माननीय सदस्य : दुबारा खुदवाये जाते हैं?

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : नहीं, मैंने स्वयं अजमेर जिले के बारे में इस सम्बन्ध में कलेक्टर से बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि दुबारा नहीं खुदवा सकते। यह तो गांव वालों की तकदीर है कि वहां पर पानी नहीं निकला। माननीय मन्त्री महोदय, आपको मालूम है कि अजमेर में जब मीटिंग हुई थी तब मैंने आपसे कई बार इस सम्बन्ध में निवेदन किया था और आपने 3 हैण्ड पम्प की सैंक्शन दी थी। उनमें से एक हैंड पंप में तो पानी निकला। क्या आप दो हैंड पंप और खुदवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम....

(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के रूरल सर्वे के अनुसार बहुत से ऐसे गांव है जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है लेकिन अभी जो हैण्ड पम्प लगे हैं उनसे मैं ऐसा मानता हूं कि जो सर्वे था वह बिलकुल ही गलत सर्वे था क्योंकि जहां पर पानी खारा बताते है वहां पर बहुत मीठा पानी निकला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र, खासकर पचपदरा के अन्दर जो हैण्ड पम्प लगे हैं, करीब 50–52 हैण्ड पम्प लगे हैं, वे करीब दो साल से कन्टीन्यू काम कर रहे हैं। उनमें से 2 या तीन खराब हैं--लड़के, ग्वाले वगैरह खराब कर देते है। कई पीढ़ियों में लोगों ने यह नहीं सुना था कि यहां पर पानी की कोई बून्द होगी आज वहां पर हैण्ड पम्प लगे हैं हम हमेशा टैंकरों से वहां पर पानी भेजते थे। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आपने 28 गांवों में हैण्ड पम्प लगाने की बात कही थी लेकिन 16 गांवों में ही लगे हैं और वे सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अच्छी कन्डीशन में हैं मैं खुद जाकर देखकर आया हूं। जिन लोगों ने अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार या राजनैतिक लाभ की वजह से ठेकेदारों से लड़ाई-झगड़ा करके जहां हैण्ड पम्प लगवाये हैं वहां पर जरूर पानी खारा निकला है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि हमारे गांवों के अन्दर जो छोटी-छोटी ढाणियां हैं उनमें 50–60 घरों में लोग रहते हैं वहां पर भी हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति दें, क्योंकि पाइप लाइन आप लगायेंगे नहीं बिजली उनको देंगे नहीं, डीजल उनको मिलेगा नहीं इसलिए मेरा यही निवेदन है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति दें, इतना ही मेरा मंत्री महोदय से निवेदन हैं।

लोग बीच में पाइप लाइन तोड़ देते हैं ऐसी हालत में पाइप लाइन तो सक्सेसफुल नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि जो जमुआ रामगढ़ बांध मेरे इलाके में है वह पूरे जयपुर को पानी देता है।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के मुद्दे नहीं उठा सकते । ऐसे तो हरेक माननीय सदस्य कह सकता है हमारे इलाके में नहीं है । हम डिसिप्लीन में रहना चाहते हैं, नहीं तो....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी बात को समझ गया ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं भी इनकी बात को ताईद करता हूं, इस डिबेट को बन्द कीजिये ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बताना चाहती हूं कि जो जमुआरामगढ़ का बांध सारे जयपुर को पानी पिलाता है उसके इलाके में बिलकुल पानी नहीं है । वहां के गांवों की 80 पर्सेन्ट पंचायतें शिड्यूल्ड ट्राइब्स शिड्यूल्ड कास्ट्स की हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे यहां 13 पंचायतों में 40 गांवों में यह योजना स्वीकृत की गई । मान्यवर, केवल एक गांव में हैण्ड पम्प चालू है बाकी गांवों में खड्डे खुदे पड़े हैं । इन्होंने ड्रिल किया लेकिन न तो वहां पर नल लगाये और न उनको दुबारा दूसरी जगह खोदने की कोशिश की । मेरा यह कहना है आपने मेरे गांवों में जहां खड्डे खुदवाये हैं वहां अगर पानी नहीं निकल सकता तो दूसरी जगह खुदवायें और उन खड्डों को बुरावें जिससे लोग गिरे नहीं । दूसरा गांव सड़वा, जो जयपुर से डेढ़ किलो मीटर दूर है, में बन्ध की घाटी में पाइप लाइन गई हुई है । वहां का पानी बिलकुल खराब है । वहां से डेढ़ किलोमीटर पर पाइप लाइन है उससे पानी पहुंचाया जा सकता है । तो मन्त्री महोदय, किसी भी प्रकार योजना बनाकर सड़वा गांव में पानी पहुंचावें । सारे अधिकारी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, एक सैकण्ड बैठ जाय ।

इस सब्जेक्ट मैटर में अधिकारियों द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित करना है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह बात पूरी कर लूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कोई हैण्ड पम्प मांग रहे हैं, मेरे यहां लगा है या नहीं, यह सब्जेक्ट मैटर नहीं है । अगर कोई हैण्ड पम्प लगवाना चाहें तो मन्त्री महोदय से वहां जाकर मिल लें, यहां हैण्ड पम्प नहीं मिलेगा ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बात पूरी कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पाइंट पर तो आप बोलने नहीं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे सूचना मिली है, हनुमान ट्यूब वैल ने हमारे यहां नलकूप लगाने की कार्यवाही की उसका पेमेन्ट हो गया जबकि नलकूप नहीं लगे। मैं कह रही थी हनुमान ट्यूब वैल कम्पनी को ठेका दिया गया। जिसने खड्डे खोदकर छोड़ दिये पेमेन्ट उठा लिया और नल नहीं लगाये, हैण्ड पम्प नहीं लगाये। यह बात मैं कह रही हूं, आप इस बात की जांच करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गहलोत।

श्री देवेन्द्र सिंह : पाइंट ग्राफ ग्रार्डर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

(व्यवधान)

मुझे हाउस चलाना है, मैंने आपकी राय से इत्तफ़ाक किया है।

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है, दो घण्टे हो गये, मेरे को एक मिनट बोलने का भी अवसर नहीं दिया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार के बारे में स्पेसिफिक चर्चा तो नहीं करना चाहता लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हैण्ड पम्प लगाने की बात तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन कुछ मुद्दे की बात है जो कई माननीय सदस्यो ने यहां पर उठाई है। सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर विभाग के सम्बन्ध में हैण्ड पम्प की बात रखी उसमें दो तीन बातें सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से। एक तो यह है कि राजस्थान सरकार ने पंचायत विभाग को हैण्ड पम्प की मरम्मत का जो काम दिया है, जो बात कही है वह, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग से सम्भव नहीं हो पायेगी क्योंकि पंचायतों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे सही मायनों में हैण्ड पम्पों की मरम्मत करा पायेगी। इसलिए राजस्थान सरकार पंचायत विभाग से इस काम को वापस विथड्रा करे। अभी यहां पर, सही मायनों में, जो हैण्ड पम्प लगाने वाली एजेन्सी है वह दूसरी है और मरम्मत करने वाली दूसरी है। अभी तो विभाग के साथ उसका ही तालमेल नहीं है। मुश्किल यह हो रही है, जो सभी माननीय सदस्यों के सामने है, कि हैण्ड पम्प लगाने वाली एजेन्सी दूसरी है उसके अधिकारी दूसरे हैं और मरम्मत करने

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

वाले दूसरे हैं। सबसे पहले तो मन्त्री, महोदय, उस के साथ तालमेल बिठाने की व्यवस्था करें। आप इतना रुपया लगा रहे हैं, राजस्थान सरकार जगह जगह हैण्ड पम्प लगा रही है, अच्छी सुविधा दे रही है लेकिन उनकी मरम्मत के लिए आज कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए विभाग द्वारा उसके लिए प्रायोरिटी देनी चाहिये। जहां तक दूसरी बात हरिजनों के मोहल्ले की है कई माननीय सदस्यों ने कहा कि....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर कई जातियों का बाहुल्य होता है, लोग लठ लेकर गांवों में खड़े हो जाते हैं और हैण्ड पम्प पर हरिजनों को पानी नहीं भरने देते हैं, इसलिए आपको हरिजनों के मोहल्ले में हैण्ड पम्प की व्यवस्था जरूर करनी चाहिये। खास तौर से मन्त्री महोदय को एक और सुझाव देना चाहूंगा, विभाग के अन्दर प्रॉब्लम विलेजज और नान-प्रॉब्लम विलेजज का रिकार्ड पड़ा हुआ है। वह रिकार्ड बहुत पुराना है इसलिए दुबारा सर्वे कराया जाय स्थिति यह है कि जो प्रॉब्लम विलेज हैं वह नक्शे में, रिकार्ड में नान प्रॉब्लम विलेजज हैं, इसलिए कम से कम इसका सर्वे राजस्थान व्यापी करवायें कि आज की तारीख में प्रॉब्लम विलेजज कौन-कौन से हैं ताकि उनको प्राथमिकता दी जा सकें। यही सुझाव देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। आप ठीक तरह से हाउस रेगूलेट नहीं कर रहे हैं, हाउस चलाने का यह तरीका नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाउस कैसे चलाना चाहिये यह मेरा काम है, आपका सुझाव देने का काम है जो आपने दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : डिबेट-अलाउ नहीं करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट अलाउ नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, माननीय सदस्य, कृपया।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से बांसवाड़ा जिले में डिपार्टमेन्ट के द्वारा जिस प्रकार से हैण्ड पम्प खोदे जा रहे हैं उस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिले में बहुत सी जगह

(श्री बहादुर सिंह)

ऐसी हैं जहां पहाड़ी इलाका है, दूर दराज से लोग पानी लाते हैं, ऐसी जगहों पर पहली बात तो हैवी गाड़िया ले ही नहीं जाते हैं और गांव वाले रास्ता बनाकर देते हैं तो ड्राइवर लोग मना कर देते हैं और वहां गाड़ी पहुंचती नहीं हैं। हैण्ड पम्प जो खोदते हैं, वह 80 से 90 फीट तक खोदते हैं उसके बाद में ड्राई एरिया कहकर छोड़ देते हैं। जो दूसरी पार्टी आती है वह प्लेटफार्म बना करके हैण्ड पम्प लगा देती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं प्लेटफार्म बनाने के बाद उन एरियाज में जो सैन्क्शन्ड शुदा हैण्ड पम्प होते हैं अगर उसमें पानी नहीं निकलता है तो भी पैसा दे दिया जाता है। बांसवाड़ा जिले में बहुत सारे हैण्ड पम्प खुदे हैं, नहीं खुदे हों ऐसी बात नही है। खुदे जरूर हैं परन्तु अगर पानी नहीं निकलता हैं तो उनको सही स्थान पर लगा दिया जाना चाहिये। जिन जिन गांवों में ऐसे हैण्ड पम्प खोदे गये हैं, वहां दुबारा कार्यवाही करने के लिये पूछने पर अधिकारी लोग कह देते हैं कि तुम्हारे गांव में हैण्ड पम्प लग गया है, खुद गया है इसीलिये दुबारा हैण्ड पम्प नहीं खोदेंगे। सबसे बड़ी गलत बात तो यह है।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जिस गांव में आबादी 5000 की है....

श्री उपाध्यक्ष : आपके गांव में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका तो बयान कीजिये।

श्री बहादुर सिंह : मैं वही निवेदन कर रहा हूं। उस गांव की आबादी फैली हुई है एक-एक करके मकान फैले हुए हैं। उसके पास में जो सड़क या पठार वगैरह हैं वहां पर तीन चार हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं, लेकिन जहां ढाणी है, मोहल्ले हैं वहां पर कोई हैण्ड पम्प नही लगे हैं। जब मैंने अधिकारियों से पूछा कि आपने वहां पर हैण्ड पम्प क्यों नहीं लगाये तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके गांव में तीन-चार हैण्ड पम्प लगे हुए हैं अब और नहीं लगेंगे। यह डिपार्टमेन्ट के अफसरों की बहुत बड़ी गलती है। मैं अफसरों के बारे में क्या कहूं कई माननीय सदस्यों, जो बोले हैं, ने उनको कमियां बतायी हैं। अधिकारियों के बारे में तो जंगल के पत्थर मीठे हैं तो फिर खाने की दावत में शामिल कर देने वाली बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है, मन्त्री महोदय, कि आप उन पर कडी नजर रखें, अपने डिपार्टमेन्ट पर कड़ी नजर रखें। यही मेरा निवेदन है।

श्री नाथूसिंह : यह जो कालिंग अटेंशन मोशन है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है।

There will be no debate. केवल छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने ढाई घण्टे का समय खराब करवा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक प्रश्न करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि क्या आपने

(श्री नाथूसिंह)

राजस्थान में हैण्ड पम्प लगाने के लिये विभिन्न विभागों के हिसाब से सर्वेक्षण करवाये थे। यदि हां तो उसके आधार पर आपने जो रूल्स हैण्ड पम्प लगाने के बनाये हैं क्या उन रूल्स का वायोलेशन करके जहां हैण्ड पम्प नहीं लगने थे वहां भी ठेकेदारों को हैण्ड पम्प लगाने के लिये कहा गया? यदि हां, तो जो गलती हुई है, जिन्होंने रूल को तोड़कर वहां हैण्ड पम्प लगाये उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या आप कार्यवाही करेंगे? यह जो सारा हैण्ड पम्प का प्रकरण है उसमें कितना कितना कमीशन दिया गया यदि आप चाहें तो मैं आपको अलग से बता सकता हूं सदन में भी जानकारी दे सकता हूं। दो-तीन पर्सेंट कमीशन जे. ई.एन. से लेकर चीफ इंजीनियर तक ने बांध रखा है। क्या मन्त्री महोदय यह जांच करवायेंगे कि कितना-कितना पर्सेंट कमीशन किस-किसने खाया? और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुजानसिंह।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण से पहले उनसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला तो यह है कि जिस फाइनेंशियल कमेटी ने राज्य में ड्रिलिंग की निर्धारित की थी रेट का निर्णय किया था क्या उसमें सीनीयर मोस्ट टैक्निकल इंजीनियर को बुलाया गया था? अगर उन्होंने रेट का निर्धारण किया था तो उस कमेटी के सामने भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ होगा कि इसकी रेट क्या हो। दूसरा, मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, वहां पर 97 प्रतिशत हैण्ड पम्प कामयाब हुए हैं। कारण यह है कि ज्यों ही मुझे असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यह बताया कि आपके गांव में हैण्ड पम्प लगने जा रहे हैं, तो मैंने गांव वालों को इकट्ठा करके इस बात का प्रचार किया। पंचायत बिठायी और उस पंचायत में यह कहा कि आप स्वयं चयन करिये कि कहां-कहां हैण्ड पम्प लगने हैं। यह उन्होंने तय किया इससे मेरे गांव में कोई प्राब्लम नहीं हुई। तीसरे, मैंने गांव वालों के सामने यह प्रश्न रखा था कि आप इसकी निगरानी रखें, जहां तक यह बोर हो जाये वहां तक पाइप जाता है। हालांकि इसमें गड़बड है कि पाइप किस गेज का है और लगा कितने गेज का है। चार गेज का होना चाहिये और लगा दिया दो गेज का। इसमें जबर्दस्त घोटाला है। चौथा, मैंने यह कहा कि पानी की जो गहराई है उससे भी 10-12 फीट नीचे तक जमीन खोद करके पाइप डालें इससे पूरा पानी मिलेगा और पम्प खराब भी नहीं होंगे। वे हैन्ड पम्प इतने बढ़िया हैं कि छोटे बच्चे, पांच साल का बच्चा भी उससे पानी खींच सकता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, हैन्ड पम्प लगाने के समय किसी विधायक महोदय ने ध्यान नहीं दिया पंचायत के हाथ में छोड़ दिया। मेरे इलाके में हैण्ड पम्प इसीलिये ज्यादा कामयाब हुए हैं कि मैंने अपने सामने उनको लगवाया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री छोगालाल बकोलिया

श्री छोगालाल बकोलिया (रेवदर) : मैं उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक प्रश्न के बारे में निवेदन करूंगा । इन्होंने यह बताया कि 76 डिपार्टमेंटल रिग्स हैं । वह रिग्स सोफस्ट्रेटा से कार्य नहीं कर सकती हैं, यदि ड्रिलिंग के अन्दर वह नयी रिग्स नहीं बैठती तो क्या मंत्री महोदय इसके लिये कोई नयी रिग्स खरीद की योजना बनायेंगे ? अगर डिपार्टमेंट ड्रिलिं नहीं करता है तो प्राइवेट ठेकेदारों को ठेका देता हैं । वह काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से यह ड्रिलिंग नहीं होती । ऐसी स्थिति में नये रिग्स खरीदने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री देवीसिंह भाटी: जोधपुर शहर के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : आप सहयोग दीजिये, इतना समय हो गया....

(व्यवधान)

कृपया मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये

श्री देवीसिंह भाटी : आपके निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सहयोग करें ।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिसिप्लीन में रहता हूं तो कोई मेरी बात नहीं सुनता ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझसे चेम्बर में मिल लें । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री मेघराज तावड़ : मैंने इतनी देर में तो कह दिया होता । मेरी मदद रामसिंह जी करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी देखा-देखी दूसरे सदस्य भी खड़े हो गये हैं । आप कृपया बैठ जायें । साढ़े तीन घन्टे हो गये और भी बोलने के मौके मिलेंगे । आपको कोई शंका रह जाये तो जवाब आने के बाद उसे आप व्यक्त कर सकते हैं ।

मन्त्री जी !

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1980 में सितम्बर के महीने में बोर्ड की फाइनेंस कमेटी ने प्राइवेट रिग्स आनर्स की जो रेट निर्धारित की उस सम्बन्ध में नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था और उस सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा का मुझे नोटिस मिला था । खारची से आने वाले माननीय सदस्य का भी कालिंग अटेंशन का नोटिस मुझे मिला था, उन्होंने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया उसके बाद में कई सदस्यों के कालिंग अटेंशन बिजनेस में ले लिये गये और कुल मिलाकर 24 माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जितना कन्डेमनेशन हैण्ड पम्प्स के लिये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुआ है उतना किसी का भी नहीं हुआ होगा।

एक माननीय सदस्य : बन्द करवा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्स्टालेशन ग्राफ हैण्ड पम्प्स में ग्राउट राइट कन्डेमनेशन हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि हैण्ड पम्प्स का आउट राइट कन्डेमनेशन हुआ है और उनकी कोई उपयोगिता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं कहा, मैंने।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन आप जानते हैं जोधपुर में और जिस विधान सभा क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं वहां इस साल पानी की किल्लत रही। बिजली कुछ घण्टों तक उपलब्ध नहीं होने के कारण रीजनल पाइप लाइन से पूरी मात्रा में फिल्टर्ड पानी की सप्लाई नहीं की जा सकती थी और अण्डर ग्राउन्ड वाटर के सम्बन्ध में लोगों की कितनी जबर्दस्त मांग थी और 400 हैण्ड पम्प्स खोदने के बाद लोगों को कितनी राहत मिली है।

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : वह तो आपने नगरपालिकाओं के चुनावों के कारण किया।

श्री परसराम मदेरणा : भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य और सोजत से आने वाले माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जिन शहरों में सूखे के कारण पानी की हालत खराब थी वहां पर हैण्ड पम्प का ड्रिलिंग किया गया।

यहां पर रेट के सम्बन्ध में और कान्ट्रेक्ट के सम्बन्ध में तीन चार बातें उठायी गई हैं। पहली बात तो यह कही कि मार्केट रेट कम थी और बहुत ऊंची रेट निर्धारित की गई है। नम्बर एक। विभाग के पास जो रिग्स थीं उनकी क्या केपेसिटी थी और रिग्स पूरी केपेसिटी से काम में ली गयीं या नहीं। नम्बर दो। जिस डेप्थ तक खोदा जाना चाहिये उतनी डेप्थ तक उसको खोदा गया या नहीं। अगर डेप्थ तक नहीं खोदा गया तो जो पाइप डाला गया वह अन्दर तक बैठाया गया या नहीं। दूसरे, डिपार्टमेन्टल रेट जो आज भी 180 या 140 रुपये है वह रेट 240 रुपये किस बात की हुई। मैं इस सदन को इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्यों को एक-एक बिन्दु का जवाब दूंगा। पहला कि 140 रुपये की रेट पर कोई भी कान्ट्रेक्टर आने को तैयार हो. अभी स्टे है मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं 18 सितम्बर को पेशी है. और विभाग अजमेर में डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज कोर्ट में अपील में गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह स्टे कब से है? इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी समझ में यह एक साल भर से है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आप सुनिये। मुंसिफ कोर्ट में स्टे वैकेट नहीं हुआ, दुबारा गये ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि स्टे आर्डर वैकेट होवे नहीं और एक ही कम्पनी सारे राजस्थान में लूट मचा दे यह कहां का न्याय है? गवर्नमेंन्ट एडवोकेट वहां पर एडजोर्नमेंट सीक करते रहें। आप चाहें तो कोर्ट की प्रोसिडिंग्स मंगाकर देख लीजिये, आपके गवर्नमेन्ट एडवोकेट ने लगातार सिवाय एडजोर्नमेन्ट सीक करने के कुछ भी नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में मैंने स्वयं पी. एच. ई. डी. सेक्रेटरी को आज से कम से कम दो महीने पहले यह कहा था और वह इस बात के लिये एग्री भी हो गये थे। मैंने उनसे कहा था कि आपको चाहे एडवोकेट जनरल को ही इस स्टे को वैकेट कराने के लिये क्यों नहीं भेजना पड़े आप उन्हें भेजिये और स्टे को वैकेट करवाइये। यह बार बार इतना लम्बा स्टे क्यों हो रहा है। मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि स्टे आर्डर वैकेट हो, इसको वैकेट कराने के लिये चाहे हमें कोई लीडिंग लायर को भी एन्गेज क्यों नहीं करना पड़े। मैंने कहा है, आप एडवोकेट जनरल साहब को वहां पर भेजिये और ऊपर की कोर्ट से स्टे वैकेट कराइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अगर ऊपर की कोर्ट में जाते तो अपने आप ही स्टे वैकेट हो जाता। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह विरोधी दल के नेता महोदय बीच बीच बीच में इन्ट्रप्शन कर रहे हैं। आप बीच बीच में इन्ट्रप्ट मत कीजिये। जब आप बोल रहे थे तब हम बैठे बैठे शान्ति से सुन रहे थे। हम तो बीच में नहीं बोल रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह विरोधी दल के नेता महोदय बीच बीच में बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय। मैं तो इतना ही जानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर मुख्य सचेतकजी की बजाय कोई दूसरा माननीय सदस्य बोलता तो मैं कुछ भी नहीं कहता पर उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन में जो बोलने के लिये नियम बने हुए हैं उसमें यह प्रावधान है कि कोई भी माननीय सदस्य अगर बोलना चाहता है तो वह अपनी सीट पर ही बैठ कर बोले। आप इनको ताड़ना दीजिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चीफ व्हीप होते हुए भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो चीफ व्हीप जितने दिन तक हूं तब तक तो बोलूंगा। मैं कहीं से बोल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक की जगह है आप वहीं से बोलें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, आर्डर प्लीज। It is more than enough.

श्री मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम तो यह निवेदन करूंगा कि रेट्स के बारे में जो कहा है उसमें रेट्स क्या उचित हैं या नहीं है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन में आब्जर्वेशन किया था कि चार इन्च की मशीन नहीं है 8 इन्च की मशीन है जो कि कि ग्रण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की है और उसके अनुसार 286 रुपये प्रति मीटर रेट है। एक फाइनेन्स कमेटी का उस समय के जो टैक्निकल मेम्बर और चीफ इन्जीनियर थे उन्होंने इसकी रेट केलकूलेट करके 266 रुपये दी थी। दो टेण्डर दिये गये मैंने पूरी परिस्थिति देखी है। दो टेण्डर दिये गये। हैं। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि हमारे सामने प्रोग्राम क्या था और उसको शिड्यूल्ड टाइम में हमें किस तरह से पूरा करना था। एक प्रश्न यहां पर माननीय सदस्य, जो नाथद्वारा से आते हैं, पूछा कि इसकी वाइड पब्लिसिटी हुई कि नहीं, तो मैंने उनको बताया कि इसकी वाइड पब्लिसिटी हुई है। वह कब-कब किन किन अखबारों में हुई है उस संबंध में जो उसका ब्यौरा है वह मैं सदन की मेज पर रखता हूं। इसके अलावा जिन 12 पार्टीज ने उस वक्त अलग-अलग टैण्डर अलग-अलग जिलों के लिये दिये और उसमें भी जो कच्ची और पक्की जमीन के लिये टैण्डर दिये और उनमें क्या रेट थी उसका भी विवरण सदन की मेज पर रखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में यह कहना चाहता हूं यह कहा गया कि डिपार्टमेन्टल रिग्स की रेट 180 रुपये है। डिपार्टमेन्ट रिग्स की रेट 1980 में केलकूलेट करके जब 266 रुपये प्रति मीटर बतायी तो 180 रुपये की हम कैसे मानें। जो हमारी टैक्निकल विंग है उसने रिग्स की डेप्रीशियेशन, प्रोटो कैपीटल डेप्रीशियेशन और फ्यूल और लूब्रीकेशन एक्सेक्ट्रा, एक्सेक्ट्रा की बात की थी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि डिपार्टमेन्ट ने डेढ़ दो साल पहले निर्णय लिया था कि पूरी रेट के अन्दर अगर कमर्शियल लाइन पर एकाउन्ट तैयार किया जायें तो रिग का डेप्रीशियेशन आयेगा वह क्या आयेगा यह तो उस वक्त देखा जायेगा पर जो नार्म्स इसके अन्दर है, जब बुक खर्चा होता है इस विंग का अलग-अलग लेकर वह तो रेवेन्यू में बताई जाती है और वह फिर बाद में कसोलिडेटेड फन्ड में जाकर डिपोजिट हो जाती है और एक्सटेन्शन जनरल पीने के पानी का जो

(श्री परसराम मदेरणा)

हो गया है यह रेट ठीक नहीं है। मैंने अभी आदेश दिये हैं कि यह जो सभी एलीमेन्ट और कम्पोनेन्ट हैं उनकी रेट क्या है और जैसा कि मैं सदन में आश्वासन दे चुका हूं मैंने यह पत्रावली फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को भेज दी है।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि पांच हजार में, आठ हजार में काम हो सकता है। तो मैं इस बात के लिये आदेश देता हूं कि आठ हजार या पांच हजार में अगर कोई हैण्ड पम्प खोदे तो उसको प्राथमिकता दी जायेगी। मैं यहां पर यह भी निवेदन करूंगा कि 300 रुपये प्लेट फार्म बनाने में लग जाते हैं और मुझे मालूम नहीं जैसा कि मुझे बताया गया है प्लेटफार्म में सोकपिट भी होता है, उसमें खेली बनायी जाती है और....

एक माननीय सदस्य : सभी जगह नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : कहीं कहीं पर है। जो खेली है उसका खर्चा 1200 रुपया आयेगा और उसके साथ एक सोकपिट बना है या नहीं बना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देखने गये?

श्री परसराम मदेरणा : और खेली बनी है या नहीं बनी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देखने गये थे? दिखाया हो पर्टीकूलर तो यह कहिये।

श्री परसराम मदेरणा : वह पर्टीकूलर प्लेस दिखायें तो मैं दूसरी प्लेस भी देख लूंगा। 1200 का जो एस्टीमेट था वह मैं देखने गया था 1200 रुपये के एस्टीमेट का सोकपिट है या नहीं। मैंने गांव के लोगों से पूछा कि सोकपिट है या नहीं। वहां पर पूरे पाइप लगा हुआ है, पाइप के साथ में खेली है, खेली भी पत्थर की बनी हुई थी, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, खेली के पास एक फुटपाथ बना दिया गया था ताकि उसमें कीचड़ न हो। क्योंकि यह काम छोटा काम है, बहुत नजदीक हो सीमेन्ट एक जगह से ले जाने में 6 बोरी सीमेन्ट, तो स्टोर स्टोर नजदीक होगा तो वहां रेट कम हो सकती है, बहुत दूर होगा तो रेट ज्यादा हो सकती है। खेली छोटी बनायेंगे तो कम खर्च आ सकता है। सोकपिट नहीं रखें तो कम खर्च आ सकता है। जो टाइम टू टाइम प्लेटफार्म का खर्चा बदलता गया है वह भी इसमें लिखा हुआ था, जो समझौता हुआ था उसमें 50 पर्सेन्ट बी. एस. आर. का इन्क्रीज करके प्लेटफार्म बनाया जायेगा। इसलिए इसमें कोई गलती नहीं हुई है।

जहां तक इसकी जांच कराने का प्रश्न है, मैंने जो बात कही थी इसकी जांच के अन्दर और प्लेटफार्म हटाने की बात जो आप कह रहे थे मैं केसिंग पाइप के बारे में कह रहा था। केसिंग वहीं लगती है जहां रेत हो। रेत तक केसिंग की रेट है 150 रुपया। केसिंग लगेगी तो 10 गज तक 150 रुपया ही मिलेगा। 10 गज तक 150

(श्री परसरामा मदेरणा)

रुपया ही उसको मिलेगा और 10 गज के बाद में 175 रुपया मिलेगा, उसमें पाइप सम्मिलित है। राक के अन्दर 240 की रेट है, तो वह पाइप कम क्यों लगायेगा ? अगर उसमें उतनी रेट है तो 240 वाली खोदना पसन्द करेगा, रेत वाली पसन्द नहीं करेगा ? रेत वाला करेगा तो उसको कमीशन करने के लिए पाइप उतारना पड़ेगा उतना ही। इसलिए मैं कह रहा था कि वह सम्भव नहीं है। जो छोटा पाइप है उसका मैगनेट के जरिये डैप्थ को मालूम किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिन जिलों के अन्दर हैण्ड पम्प की शिकायतें आई हैं उन जिलों में मैं निश्चित तौर पर जांच कराऊंगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह 100 पर्सेन्ट काम कर रहे हैं लेकिन दो जगह की मेरे पास में सूचना जरूर है। एक कोटा की पूरे जिले की मेरे पास में सूचना है। अगस्त के महीने में चैकिंग की गयी थी। उसमें मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 25 पर्सेन्ट हैण्ड पम्प खराब थे और 75 पर्सेन्ट हैण्ड पम्प काम कर रहे थे। जो लिस्ट मुझे दी गयी है, जो कि वहां के एक्स. ई एन. की दस्तखतशुदा है वह भी मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

इसी प्रकार मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने विधान सभा को आहूत करने के तुरन्त बाद ही यह कालिंग अटेन्शन मोशन दिया था। मैं समझता हूं कि शायद इनका दूसरा या तीसरा कालिंग अटेन्शन मोशन आया था। मैंने मारवाड़ खारची के हैण्ड पम्पों को भी दिखाया है, 109 में से 13 हैण्ड पम्प बन्द हैं उनके लिये भी आदेश दिये गये थे। जब मैं जोधपुर गया था, राष्ट्रपति आये तब, उस समय यह सूचना आ गयी थी वहां पर मैंने कहा था कि इनकी रिपेयर कराई जाये, जल्दी से जल्दी। इसलिए यह सूची भी मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूं और सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। यह सही इन्फार्मेशन है या नहीं है, उस सम्बन्ध में अगर सही इन्फार्मेशन नहीं है तो जिन्होंने गलत इन्फार्मेशन दी है उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, 3 करोड़ की, 8 करोड़ की और कोई 7 करोड़ की बात कही। जब एक डिपार्टमेन्ट, ड्रिलिंग डिवीजन 266 की रेट की बात करता है, उनकी केपेसिटी थी या नहीं थी इस सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वह मैं कहने की पोजीशन में नहीं हूं। लेकिन एक सूचना मुझे अभी दी गयी है और वह सूचना यह दी गयी है कि एक पार्टी, जिसको कान्ट्रेक्ट दिया गया है कुछ जिलों का, के पास में रिग्स थीं। सप्लाई उद्योग भवन भीलवाडा, और मध्य प्रदेश में वह काम कर रही थी। उसके पास रिग्स थीं यह तो मुझे जानकारी है क्योंकि उन्होंने किसी लैटर के साथ में यह दिया है। कैशमीमो लाकर के, जो कुछ पेमेन्ट हुआ है उस संबंध में लाकर दिया है डिपार्टमेंट को बाकी मैं सब के बारे में नहीं कह सकता लेकिन मुझे बताया गया है कि कइयों के पास रिग्स निश्चित तौर पर थीं, जो दूसरे प्रान्तों में

(श्री परसराम मदेरणा)

भी काम कर थीं कुछ गुजरात में काम कर रही थीं और कुछ मध्य प्रदेश में काम कर रही थी। यह बात भी नहीं थी। संख्या के संबध मे एक बात आई थी कि यहां संख्या बता रहे है, यह बहुत गलत बता रहे हैं। अभी बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे उनके साथ ही साथ अन्य माननीय सदस्य और प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी कह रहे थे कि मेरे सरपंच कह रहे थे वहां 3 की जगह 1 ही है। एक हैण्ड पम्प खोद दिया गया है और 3 की संख्या वह बता रहे है। तो मैं निश्चित रूप से आपकी कांस्टीट्यूएन्सी में और जिले में पूरी चैकिंग कराने के आज ही आदेश दे रहा हूं कि वह तीन कौनसे हैं। सरपंच का नाम आप मुझे बता देना ताकि यह मालूम किया जा सके कि वह कैसे गलत नाम बता रहे हैं। यह हो सकता है हैंड पम्प फेल हो जाय। अब जो मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उसका 25 मीटर का गेज रखा जाय ताकि पम्प डूबा रहे और पानी फेंकता रहे लेकिन खारची की पोजीशन यह है कि यहां अलग अलग स्ट्रेटा है और अलग अलग पानी की कन्डीशन्स है। कई ऐसे स्थान हैं जहां हैंड पम्प आप गहरा खोद दोगे तो पानी कड़वा हो जायेगा। तो एक स्थान तक ही हैण्ड पम्प ड्रिल कराना पड़ता है कई स्थानों पर, जहां कि नीचे पानी खारा है और बीच मे मीठा है। अब प्रश्न रहा यह....

(व्यवधान)

सब टैक्निकली नहीं, मैं तो खारची की बात कर रहा हूं। निश्चित तौर पर कई स्थान ऐसे हैं वहां कड़वा पानी आता है, ऊपर का पानी ठीक है उनका। उनके लिये कह रहा हूं मैं। मैं सबके लिये नहीं कह रहा हूं।

श्री रामकंवार बैरवा : कई जगह हरिजन मोहल्लों को वंचित रख दिया गया है। हरिजन मोहल्लों में नहीं लगाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप नोट कर लीजिए जो कुछ पूछना है, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : अभी निर्देश दिये हैं कि 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प खोदा जाये, भारत सरकार के निर्देश यह मिले हैं कि सोर्स आफ पानी एक गांव में हो। इस सम्बन्ध में बराबर लिखा पढ़ी कर रहे हैं। मैं स्वयं लिखा पढ़ी कर रहा हूं कि राजस्थान में एक सोर्स कोई मायने नहीं रखता। यहां अलग अलग ढाणियों में लोग बसते हैं, अलग अलग मौजों में हैं इसलिए वह आबादी बहुत दूर रह जाती है, एक जगह हैंड पम्प खोदने से, इसलिए राजस्थान में गांवों के अन्दर हमको निश्चित रूप से खोदने पड़ेंगे। इस सम्बन्ध में हम एक मीटिंग भी करने वाले थे। यहां हमने आमंत्रित भी किया था राजस्थान की स्थिति से अवगत कराने के लिए वर्क्स एण्ड हाउसिंग डिपार्टमेन्ट को, इस सम्बन्ध में कार्यवाही और प्रयास हम कर रहे हैं।

जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, यह मैं मानता हूं कि हैंड पम्प की व्यवस्था में

(श्री परसराम मदेरणा)

क्योंकि इतने लार्जस्केल पर हैण्ड पम्प ड्रिल किए गए सब के सब हैंड पम्प अभी नहीं चल रहे हैं। राज्य सरकार की निर्णय लेने के पीछे भावना यही थी कि 150 रुपया प्रति हैण्ड पंम्प अनुदान दे देते हैं पंचायत समिति को तो वह देख सकेंगे और उनका मिस्त्री स्पेयर पार्टस लेकर गांव में अपनी खुद की जिम्मेदारी समझेगा। पूरे राजस्थान में हैंड पम्प चैक कराने के लिए रवाना करूं और मैं मेरी गाड़ियां भेजूं तो कम से कम जिले में तीन--चार हजार हैंड पम्प खोदूंगा उतना खर्चा उन गाड़ियों के फ्यूअल का हो जायेगा। इसलिये उसको चैक कराने के सम्बन्ध में हमने यह ट्रांसफर किया था। यहां पर सजेशन आया था करौली से आने वाले माननीय सदस्य का कि हैण्ड पम्प पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिये गये है, इस पर पुनर्विचार करें। इस समय तो इस निर्णय पर पुन: विचार करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं लेकिन अन्य कोई परिस्थिति हुई तो उस समय देखा जा सकता है। यह हमारे आदेश हैं कि हरिजन बस्तियों को हैण्ड पम्प में प्राथमिकता दी जानी चाहिये....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में बाधा न डालें। नोट कर लीजिये कुछ कहना है तो।

श्री रामकंवार बैरवा : एक मिनट के लिये निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : No, I will not allow, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

कृपया बाधा न डालें

मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। कृपया बैठ जाइये। मन्त्रीजी का भाषण पूरा हो जाये उसके बाद कोई प्रश्न हो तो पूछें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी रिग्स की बात है फुल केपेसिटी में वह काम कर रही हैं। फोर्टनाइटली उसका स्पेशल सैक्रेटरी प्लानिंग करते हैं। उनकी कमेटी बनी हुई है। भारत सरकार की हाउसिंग एण्ड वर्क्स मिनिस्ट्री ने नार्म्स निर्धारित किये हैं, कितने साल की मशीन उसमें हो, एक साल में एक डी. जी. एस. डी. मशीन को कुल मिलाकर 60 हैण्ड पम्प खोदने चाहिये। हैण्ड पम्प के लिये डी. जी. एस. मशीन है दूसरी वाली मशीनें ट्यूब वैल्स और उसके लिये हैं। उसके अनुसार आप देखेंगे जुलाई तक जो हैण्ड पम्प खोदे गये हैं उसमें प्राइवेट पार्टी और गवर्नमेंट का सिर्फ 100 का ही फर्क है। 1300 और 1400. पिछले दो साल के आंकड़े मैंने इसलिये दिये थे कि बराबर मशीनें भी आती गईं और मैं भी इस स्थिति में था, सब बातों को सुनकर, आज किसी भी प्राइवेट पार्टी को न देकर एकदम एक ही आदेश से बन्द कर दूं, लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं राजस्थान का बहुत बड़ा अहित हो जायेगा।

आज जो प्रोग्राम हाथ में लिया गया है वह 2700 गांवों का नहीं है 500 गांव

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्रौर बढ़ा दिये गये हैं । 3500 गांवों का प्रोग्राम है । पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये यूनाइटेड नेशन ग्रार्गेनाइजेशन ग्रौर ग्रन्य जो दूसरे देश हैं वे भी हमारी मदद कर रहे हैं । इसलिये इस प्रकार का स्नेप डिसीजन करके यह कहने के लिये कि किसी प्रकार के घोटाले को हम बचाना नहीं चाहते मैने फाइनेन्स कमेटी के सामने जांच के लिये भेजा है । इनका वापस चैक कराने के लिये मैं टैक्निकल कमेटी मुकर्रर कर रहा हूं । माननीय सदस्यों को जहां कहीं पर भी शक है कि पाइप पूरा लोग्रर नहीं किया गया है, इस प्रकार की ग्रगर शिकायत की जायेगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही की जायेगी । एक्स. ईएन. मंगलानी वगैरह ने क्या बात कही, मेरे पास यह सूचना नहीं है । मैंने पूछा भी था । उसने कहा होगा पूरी केपेसिटी में रिग्स यूटिलाइज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उस सम्बन्ध में सूचना ग्रभी मेरे पास में नहीं है । मैं ग्रापको बाद में जानकारी करके इस संबंध में बात कह सकूंगा ।

जहां तक प्रतिपक्ष के नेता ने माडा स्कीम के बारे में कहा– माडा स्कीम में जो काम हो रहा है वह तो ग्राउन्ड वाटर बोर्ड कर रहा है, पी. एच. ई. डी. की स्कीम नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई ।

(व्यवधान)

ग्रापको कोई शंका है तो ग्राप बता दें ।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो प्रश्न केवल इतना ही है, माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि पिछले तीन साल से यह प्रोग्राम राजस्थान में चल रहा है ग्रौर इस प्रोग्राम के लिये केन्द्र सरकार ने करोड़ों रुपया मदद के रूप में राजस्थान सरकार को दिया है । माननीय सदस्यों ने विधान सभा के ग्रन्दर प्रश्न उठाया कि यहां पर बहुत बड़े घपले या घोटाले हुए हैं । क्या ग्रापने इससे पहले कोई कार्यवाही की है ? एक तो मेरा प्रश्न यह है ।

दूसरा, ग्राज चाहे भीलवाड़ा हो चाहे उदयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे नागौर हो जहां पर भी ग्रापने जो प्रक्रिया ग्रपनाई है ट्यूब वैल खोदने की क्या ग्रापके एक्स. ईएन. ग्रौर ए. ईएन. को मालूम था कि यहां पर खोदेंगे तो सक्सेसफुल हो जायेंगे ? क्या कोई एम. एल. एज. की कमेटी के माध्यम से खोदे गये है ? मैं पूछता हूं, कौनसी प्रक्रिया से खोदे गये हैं ? साथ ही यह भी बता दें कि खुदाई के बारे में कितने पर्सेन्टेज में फेल्योर हैं ? पर्सेन्टेज बतायें । मान लीजिये, हमको पूछा नहीं है, किसी सर्वे रिपोर्ट ने बोल दिया या फिर किसी को ज्यादा देने के लिये प्राइवेट पार्टी को दे दिया, मेरा निवेदन है कि कौनसी प्रक्रिया ग्रपनाई है जिसके ग्राधार पर ये ट्यूब वैल खोदे हैं ?

तीसरा मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महो-

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दय, यह निवेदन है, मैं आपको इतना ही बता दूं कि हमारे वस्सी फार्म के अन्दर गडरे में एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ है उसमें हैण्ड पम्प लगा हुआ है। उस हैण्ड पम्प में केवल 2500 रुपये लगे हैं। ढाई हजार की कीमत में जो हैण्ड पम्प बना हुआ है वह तो चल रहा है और 20 हजार में जो गवर्नमेंट ने खोदा है वह बन्द पड़ा है, कल जाकर आप देख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज : आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने हैण्ड पम्प को सुधारने के लिये डेढ़ सौ रुपया पंचायतों को देने का जो सुझाव दिया है उसमें मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विभाग द्वारा ही सुधार लिया जाय तो बहुत अच्छा है। पंचायतों में तो यह न लावें। पंचायतों के द्वारा अगर यह किया गया तो काम नहीं होगा, असफलता रहेगी और कभी हैण्ड पम्प चलेंगे नहीं।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ पूछना है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है आपने उठाया है।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सवा दो घंटे की बहस के बाद मैं अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं कि यह आधा घंटे की चर्चा किसलिये उठाई गई है। बात बहुत स्पष्ट थी कि आधा घंटे की चर्चा में...

श्री उपाध्यक्ष : सारी रामायण पढ़ ली और समझ में नहीं आया....

एक माननीय सदस्य : कि रावण कौन था ?

श्री देवेन्द्र सिंह : आप सुनने की कोशिश कीजिये, जो स्पेसिफिक चार्जेज इस हाउस में लगाये गये, हम आशा करते थे कि माननीय मन्त्री महोदय उनका जवाब देंगे और एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते इस आगस्ट आउस के माननीय सदस्य इस सारे क्रम में अगर यह कहें कि बहुत गंभीर घोटाला है तो किसी जांच कमेटी की घोषणा करेंगे। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या आज भी, इसके बाद भी उनकी इच्छा है कि किसी कमेटी का निर्माण करके इतने माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की है उसकी जांच करवायेंगे ? भीलवाड़ा जिले में जैसा अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा जो प्लेटफार्म बनाये हैं उसके साथ खेली और सोकपिट भी बनाये गये हैं। मैं दूसरे जिलों की तो नहीं जानता....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : Not at all.

श्री देवेन्द्र सिंह : उसके 1200 रुपये आये हैं....

श्री परसराम मदेरणा : कई जगह खेली बनाई गई है और कई जगह प्लेटफार्म बनाये हैं।

श्री देवेन्द्रसिंह : मैं इसलिये निवेदन कर रहा था आखिर किस जगह बनाये गये? निश्चित रूप से भीलवाड़ा जिले के किसी भाग में तो बनाये ही जाने चाहियें थे। या तो फिर यह है कि विभाग वालों ने हमारे जिले के साथ सौतेला व्यवहार रखा और एक भी गांव में कहीं भी हैण्ड पम्प के साथ खेली नहीं बनायी और न सोकपिट बनाया। खाला जरूर बनाया है और उसका पानी सीधा गांव तक जाता है। मन्त्री महोदय, या तो यह कहें कि भीलवाड़ा जिले में कहीं भी नहीं बनाया है। कहीं भी नहीं बनाया है तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है और यदि विभाग यह कहता है खेली बनाई है, सोकपिट बनाया है तो मैं कहता हूं जांच करा लीजिये, एक भी नहीं बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक खतरा और महसूस हो रहा है उसकी ओर भी मैं संकेत कर देना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुझाव दे रहे हैं, माननीय सदस्य, सवाल करिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : आप इसको सुझाव मान रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप एक सवाल कर लीजिये। वक्तव्य आ गया। आपको क्या पूछना है, वह पूछ लीजिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मुझे खतरा महसूस हो रहा है और इस मारे वातावरण में ऐसा लगता है कि राजस्थान दो हिस्सों में बंट गया है, इस हैण्ड पम्प के प्रश्न को लेकर। एक तो ईस्टर्न राजस्थान और दूसरा वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान के लोग हैण्ड पम्प के बिलकुल खिलाफ हैं और हम लोगों के यहां पर पानी की बहुत दिक्कत है वहां पर तो Hahd pump is only the answer. अगर कहीं उसमें फोड़ा हो गया है तो उसको तुरन्त ठीक किया जाय। स्कीम को नहीं हटाया जाय। इसलिए राजस्थान की गवर्नमेन्ट को यह घोषणा करनी चाहिए कि हैण्ड पम्प स्कीम निरन्तर चालू रहेगी, हैण्ड पम्प सुचारू रूप से खुदवाये जायेंगे और जो भ्रष्टाचार है तो उसको समाप्त किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोशी। Ple se sit down, माननीय सदस्य। श्री जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सदन का ध्यान आकर्षित किया है कुछ कांक्रीट पाइन्ट्स पर। मुझे आपके सामने यह कहते हुए दुख है कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया जो आंशिक ट्रूथ उनके सबओर्डिनेट स्टाफ ने दिये हैं, वह तो आपने एनलाइट कर दिया उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं मन्त्री

(श्री सी. पी. जोशी)

महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, यदि वे हाउस के अन्दर एक घोषणा करें कि 240 की रेट हम खतम कर रहे हैं, तो आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राजस्थान के अन्दर 140 रुपये प्रति मीटर में ड्रिलिंग करने के लिए अन्य निवासियों के पास मशीनें अवेलेबल हैं। जो पास्ट में किया है उसका जस्टिफिकेशन आप करना चाहते हैं, आपके कागज यह बोलेंगे कि फाइनेंशियल कमेटी से आपने कांक्रीट ली। मुझे कागजों से कुछ नहीं बोलना ! हकीकत यह है कि आज भी जो आदमी 240 की रेट में ले रहा है, वह 140 में सबलेट कर रहा है। आप जस्टीफाई करना चाहते हैं इस बात को कि 100 रुपये पर मीटर ज्यादा नहीं दे रहे हो। आप जस्टिफाई करना चाहते हैं इस बात को कि जो वहां पर जो हैण्ड पम्प खोदे हैं, उसमें साइंटिफिक बेस पर, जियालॉजिकल आधार पर किसी ने पाइन्ट आउट नहीं किया कि यह हैण्ड पम्प खुदने चाहिए या नहीं खुदने चाहिये। हैण्ड पम्प मस्ती में खुद गया और पानी निकल गया, यह जस्टिफिकेशन चाहते हैं, आप। मन्त्री महोदय, मुझे आपकी एफीशियेन्सी, आपकी कार्य क्षमता पर कोई शक नहीं है लेकिन इस बात का जवाब दीजिए कि राजस्थान की जनता की एकाउन्टेबिलिटी, पालिटिकल विजिलेन्स इस सदन में बैठने वाले सदस्यों की है, हमारी पालिटिकल विजिलेन्स के कारण यदि आप यह मानते हैं कि एक मीटर पर 100 रुपये हम ज्यादा दे रहे हैं तो 23 हजार हैण्ड पम्प पर आपने लगभग 24 करोड़ रुपया ज्यादा दिया है। इस पालिटिकल विजिलेंस को मना करना चाहते हैं, आप ? आप यह मना करना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर चन्द ब्यूरोक्रेट ने बैठ कर कान्ट्रेक्टर से मिलकर इतना बड़ा सौदा किया है कि 240 रुपये पर मीटर पर दे देंगे, हम इसका न्याय कराना चाहते हैं। आप भी यह कहना चाहते हैं कि 1250 रुपये में सोकपिट बना है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो आपने बताया वह नहीं बना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो अप्रोच है, उस अप्रोच से, पास्ट एक्सपेरीयेंस से हम सबक लेना चाहते हैं। आपके कान्ट्रेक्ट की धारा है, आप सदन में घोषणा कर दीजिए कि आपने जो कुछ कहा 180 की रेट बनती है या नहीं बनती है। आप किसी की भी इण्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी बैठा दीजिए, यह राजस्थान के जो मैम्बर हैं, जिन्होंने 240 दिया है उनकी नहीं, आप कहेंगे उनको बिठाने से कोई फायदा नहीं। एक इण्डिपेंडेट कमेटी बिठा दीजिए अगर वह जस्टिफाई कर दे कि इसकी रेट 240 आती है तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन आप जांच कराना चाहें उनसे, जिन्होने बैठकर फैसला किया है कि 240 की रेट होनी चाहिए तो वह जांच सही नहीं होगी। सितम्बर 79-80 की रेट आप कोट कर रहे हैं, 260 रुपये प्रति मीटर। आज हालत क्या है ? रेट को कोट कौन कर रहा है ? जिन्होंने

(श्री सी. पी. जोशी)

टेण्डर दिये, पास किये उन्हीं से रेट आप कोट करवाना चाहते हैं। माननीय मन्त्री महोदय, जो पास्ट में हो गया है यदि आप ईमानदारी से जांच करना चाहते हैं तो राजस्थान का फाइनेन्स कमिश्नर, स्पेशल सैक्रेटरी, आपका चीफ इंजीनियर इसमें न्याय नहीं करेगा। आप किसी भी इण्डिपेन्डेन्ट आदमी, स्टेट से बाहर के आदमी को बुला लीजिए, आज एम पी. में भी स्कीम चल रही है, आन्ध्र प्रदेश में स्कीम चल रही है, वहां की रेट मंगवाकर देख लीजिए, वहां के इंजीनियरों को बुलाकर जांच कराकर देख लीजिए। यदि इसमें आपको विश्वास हो जाय, हमारे कहने में सत्यता है तो कम से कम पोस्टेरिटी कहेगी कि हमने सदन के अन्दर बैठकर काल अटेन्शन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप....

श्री सी. पी. जोशी : एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, यह साइड ट्रेक हो रहा है इश्यू इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, कांक्रीट रखना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने हैण्ड पम्प खाद रहे हैं, 30 हजार समथिग, उस हर हैण्ड पम्प के अन्दर आप 100 रुपये पर मीटर ज्यादा दे रहे हैं। मैंने उसमें काउण्ट किया था 50 मीटर एवरेज डैप्थ है, जबकि कहीं 60–70–80 और कहीं 200 है तब मैंने केलकुलेट किया जो रकम आती है 24 करोड़ रुपये इसलिए खाली यह आपके पेपर आपके ब्यूरोक्रेट जो कहना चाहें मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय पालिटिशियन की अकाउन्टेबिलिटी सदन के सामने है, उन ब्यूरोक्रेट की अकाउन्टेबिलिटी नहीं है, उन ब्यूरोक्रेट्स ने कान्ट्रेक्टर से मिलकर राजस्थान की जनता के साथ मजाक किया है, उसको आप माफ मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष जी, एक प्रश्न।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्त क्यों हुई ?

श्री रामप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अपोजीशन लीडर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया विराज जाइये

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सौभाग्य से माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में उपस्थित हैं। मेरा विश्वास है कि उन्होंने चेम्बर में बैठकर सदन में हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो अपनी भावना व्यक्त की हैं, उनको निश्चित रूप से सुना होगा। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ कहा था कि हैन्ड पम्प लगाने की प्रक्रिया में जो अनियमितताएं हुई हैं, उनका इस सदन द्वारा आउट राइट कन्डैमनेशन हुआ है। एक आदमी ने भी उसका समर्थन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह कहकर नहीं किया कि इस योजना में कोई गड़बड़ नहीं है। योजना अच्छी है, इस योजना का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन योजना की क्रियान्विति में कितनी किस प्रकार की अनियमितताएं हैं, जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में इस बात को कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मैं भी पिछले 20–30 वर्ष से विधान सभा को देखता आ रहा हूं, किसी क्वेश्चन पर इस प्रकार का आउट राइट कन्डेमनेशन का नजारा आज तक मेरे सामने नहीं आया। मैं समझता हूं, पुराने जो माननीय सदस्य हैं वे भी इस बात को स्वीकार करेंगे। इसके उपरान्त माननीय मन्त्री महोदय ने जो जांच की व्यवस्था की है कि मैं फाईनस कमेटी को आर्डर दे रहा हूं कि वह फाइनेंशियल के आसपेक्ट को देखें. मैं टैक्निकल कमेटी को आर्डर दे रहा हूं वह टैक्निकल आसपेक्ट को देखें, यह दोनों बातें इस सदन का अपमान हैं। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना कि उनकी भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी जहां इन्वाल्व्ड भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की कम्पनियां भी जहां गड़बड़ कर रही हों और जो भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्लेटफार्म का मामला रखकर यह बताया कि हमारे यहां इस प्रकार के प्लेटफार्म नहीं बने भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की एजेन्सी है जिसको एक साल भर से कोर्ट से स्टे मिला हुआ है जिसके माध्यम से उसका एन. ओ. सी. चलता है, गवर्नमेन्ट का एन. ओ. सी. नहीं चलता, इस सारे मसले की उपयुक्त जांच करायें उस उपयुक्त जांच के लिए मेरा ऐसा सुझाव है कि इस सदन के माननीय सदस्यों की, चाहे आपके दल के सदस्य हों, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, आप अपने दल में तो विश्वास रखते हो, आप अपने दल के सदस्यों की एक समिति गठित कर दें, जो इस मामले की जांच करके विधान सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पहले भी ऐसी कमेटी बनी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए कह दूं, बाड़मेर में एक बार ऐसा मसला हुआ था कि बीमारी के कारण कितने आदमी मरे। इस सदन में काफी चर्चा हुई। स्वर्गीय मोहन लाल जी सुखाडिया उस समय मुख्य मन्त्री थे, गिरधारी लाल व्यास की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी, मैं भी उसका सदस्य था, उस समिति ने रिपोर्ट भी दी। परम्परा रही है इस प्रकार की।

श्री उपाध्यक्ष : कितने आदमी मरे इसकी जांच करना तो बहुत आसान है मगर यह ऐसा टैक्निकल और फाइनेन्शियल..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, इस मन्त्रिमन्डल में बैठा हुआ कोई टैक्निकल आदमी नहीं है गवर्नमेन्ट चला रहे हैं। मैं बात कह रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इनके नीचे है, वाटर वर्क्स इनके नीचे है, जितने भी टैक्निकल डिपार्टमेन्ट हैं वह इन लोगों के नीचे हैं जो कोई टैक्निशियन हैं एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है दूसरे लोगों से मदद ले सकते हैं। दूसरे लोगों की मदद लेंगे।

(व्यवधान)

किसी चीज को नापने या टैक्निकल देखने का सवाल है तो टैक्निकली ही देखी जायेगी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, अगर सदन की कमेटी को कोई जरूरत होगी तो वह टैक्निशियन्स की मदद लेगी, जिस टैक्निकल आदमी, मैकेनिकल आदमी की आवश्यकता होगी उसको लेगी और उससे राय लेगी। आखिर मैं कोई टैक्निकल मैटर में स्पेशलाइज या एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता जो एक्सपर्ट होंगे वहीं ओपिनियन देंगे। सदन की पावरफुल कमेटी को एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आयेगी मैं चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी सदन की इस सारी बहस में माननीय सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कमेटी की निश्चित रूप से घोषणा करेंगे। यदि ऐसी कमेटी वह पसन्द नहीं करते तो कम से कम ऐसी व्यवस्था या कमेटी की घोषणा करें जिसमें सब लोगों का विश्वास हो जाय और असलियत बाहर आ जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा टैक्निकल कमेटी से मतलब कोई नीचे के अधिकारियों से नहीं था। जैसा मुझे बताया गया कि हरेक हैण्ड पम्प का एक स्ट्रेटा, चार्ट होता है, जिसको वैल लाग बुक कहिये, उसमें बन्द करके उसको जे. ई. एन. सर्टिफाई करता है और उसके बाद ए. ई. एन. वैरिफाई करता है और उसके बाद पेमेण्ट होता है। यह चार्ट बना हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कह रहा था जब आप यहां पर कह रहे हैं तो ऐसे टेक्नोक्रेट सीनियर मोस्ट चीफ इंजीनीयर लेवल के जिनकी इन्टेग्रिटी के सम्बन्ध में कोई अंगुली नहीं उठा सकता, आदमियों को किस किस डिपार्टमेन्ट से लेकर मुख्य मन्त्रीजी से बात करके निश्चित तौर से टैक्निकल कमेटी बनायेंगे, टैक्निकल कमेटी से मेरा मतलब यह नहीं था कि कोई टैक्निकल कमेटी ए. ई. एन. या एक्स. ईएन. या एस. ई. को बना रहे हैं या इसी डिपार्टमेन्ट की बना रहे हैं।

फाइनेंस की मैंने इसलिए बात कही थी कि फाइनेन्स इसका रीएग्जामिनेशन करे, जिन हालत में बैक ग्राउन्ड में और जिस प्रोग्राम को लेकर यह पाया गया, और यह बात प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य मानेंगे कि जिन लोगों का मैंने उस कमेटी के अन्दर उल्लेख किया है, जो कमेटी के मेम्बर थे, उनके सम्बन्ध में आप स्वयं जानते हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

कि उसमें ईमानदार आदमी हैं आनेस्ट हैं और वह बोल्ड हैं, इन्टेग्रिटी के हैं। ऐसी सूरत में उस कमेटी ने रिकमण्डेशन क्यों की, और कमेटी ने तो उसके सामने हालात थे। इसलिए मैंने टेण्डर इस सदन की मेज पर रखे हैं कि ये टेण्डर आये थे, यह नेगोसिएशन्स हुई थीं, यह ग्राउन्ड वाटर वोर्ड की रेट है, यह उस वक्त ड्रिलिंग डिविजन की वर्क आउट की हुई है, जो भी रेट दी थी उस पर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की काकरेंस थी। अगर ड्रिलिंग करने के अन्दर ठेकेदारों ने बेईमानी की है तो इस सम्बन्ध में जांच कराऊंगा। इसका सर्वेक्षण कराने के सम्बन्ध में मैं हाई पावर टैक्निशियन कमेटी बिठा रहा हूं, उस कमेटी से जांच कराऊंगा और उस जांच को इस सदन के समक्ष भी रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : That is sufficient

संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन हेतु संकल्प। श्री बृजसुन्दर शर्मा।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल वैद : Please, sit down

श्री भंरू सिंह गुर्जर : मैंने सवाल उठाया था और आप मुझे ही बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मुझे पहले भी अवसर नहीं दिया। अभी भी बराबर कह रहा हूं, आप समय नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

श्री भंरू सिंह गुर्जर : सिर्फ दो मिनट का सवाल है

श्री उपाध्यक्ष : अनुसमर्थन करने हेतु संकल्प।

श्री भंरू सिंह गुर्जर : आप सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद।

श्री भंरू सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down.

श्री भंरू सिंह गुर्जर : आप यह तो कहलवा दीजिए कि इस बोर्ड को भंग कराया जाएगा या नहीं। जनता के मेम्बर इसमें आयेंगे या नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं पहले। आसन पैरों पर है....

श्री भंरू सिंह गुर्जर : सवाल पूछने का मेरा राइट है

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल कर चुके हैं। आप घड़ी घड़ी खड़े हो रहे हैं।

श्री भंरू सिंह गुर्जर : सवाल पूछने का मेरा राइट है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मौका दिया जा चुका है।

श्री भंरू सिंह गुर्जर : सवाल पूछने का मौका नहीं दिया है। सवाल पूछने का मेरा राइट है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाइये, प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : ग्रान ए पाइंट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : छोटे से दो सवाल हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये । Sict down.

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ग्राप डरा धमका कर बिठाना चाहते हैं तो बैठ जाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विनती कर रहा हूं, ग्राप बैठ जावें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : विनती तो मेरी भी है ग्रापसे । मेरे सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय नष्ट न कीजिए । बहुत कुछ हो गया है ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : दो छोटे छोटे सवाल हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत टाइम हो गया । मैं ग्रब ग्रनुमति नहीं दूंगा....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ग्राप बैठ जाइये ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मुझे सवाल पूछने का ग्रधिकार है । ग्राप मुझे ग्रधिकार नहीं दे रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : शासन पैरों पर है, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सवाल पूछने का मुझे....

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप ग्रच्छे शब्दों का उच्चारण कीजिए । ग्रापको इस तरह से डांटने की जरूरत नहीं है । ग्राप मधुर शब्दों का उच्चारण करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सवाल पूछने का ग्राप मौका दीजिए । मुझे दो सवाल पूछने हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप सवाल कर लेना चेम्बर में जा करके....

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ग्राप मेरा निवेदन तो सुनिये ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : सवाल यहां होते हैं, चैम्बर में नहीं होते ।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इसका मतलब तो यह हुग्रा कि हम हमारी बात यहां नहीं पहुंचा सकते । हम हमारी बात सरकार तक विधान सभा में नहीं पहुंचा सकते । तीन काल ग्रटेंशन मोशन लगातार तीन सैशन्स से मैं दे रहा हूं । इस बार ग्राया है फिर भी मुझे केवल दो सवाल नहीं पूछने दिए जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया है ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन भी सुनिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अनुशासन भी कोई चीज है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : फिर मुझे मौका कब मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है और आप खड़े खड़े बोल रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मंत्रीजी भी खड़े है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : तीन सेशन बाद तो मौका मिला है उसके बाद भी आप सवाल नहीं पूछने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप चेम्बर में मिलिये मुझ से।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : चेम्बर में क्या होगा। मंत्रीजी से मेरा सम्बन्ध है। आपके चेम्बर से मेरा सम्बन्ध नहीं है। ऊपर से आप डांटते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

संवैधानिक प्रश्न

संविधान 46 वां संशोधन विधेयक 1982 के लिये प्रस्तुत किये जा रहे संकल्प का विधान द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह तरीका नहीं है।

श्री नाथूसिंह : आज जो वित्त मंत्रीजी.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Pleace, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : यह कांस्टीट्यूशन का 46 वां अमेंडमेंट, रेटिफिकेशन का जो प्रस्ताव मूव कर रहे हैं माननीय वित्त मंत्रीजी....

श्री उपाध्यक्ष : अभी मूव किया नहीं है।

श्री नाथूसिंह : वह करने जा रहे हैं उस पर ही पाइंट आफ आर्डर है मेरा। यह जो प्रस्ताव करने जा रहे हैं उस संबंध में पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है यह बता दीजिए।

श्री नाथूसिंह : वही बता रहा हूं। आप बोलने तो दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कौन से रूल में ?

श्री नाथूसिंह : आर्टिकल 368...

श्री उपाध्यक्ष : कांस्टीट्यूशन का ?

श्री नाथूसिंह : कांस्टीट्यूशन का।

श्री उपाध्यक्ष : कांस्टीट्यूशन दीजिए, भाई।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

हां बोलिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 368 में....

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री नाथूसिंह : कांस्टीटयूशन का जो अमेंटमेंड होता है उसके सम्बन्ध में आर्टिकल 368 (2) के प्रोविजो की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। कांस्टीटयूशनं में जो अमेंडमेंट होता है वह अमेंडमेंट होकर स्टेट में रेटिफाई करने के लिए आता है उसमें उसकी रेंज दे रखी है। उपाध्यक्ष महोदय इसके (ए) से लेकर (ई) तक आप देखें जो इससे सम्बन्धित हैं। यह 46 वां अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें आर्टिकल 269, 286 में संशोधन किया है और आर्टिकल 366 में और शिडयूल में आर्टिकल 368 (2) के सी में है।

"(c) any of the lists in the seventh schedule, or" और यह जो प्रस्ताव रख रहे हैं, जो इसके परव्यू में आ सकते हैं उनके सम्बन्ध में कांस्टीट्यूशन में संशोधन होंगे तो इसको रेटिफाई करने के बाबत में ही स्टेट असेम्बली में लाया जा सकता है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंड है 46 वां अमेंडमेंड बिल इसमें पांच क्लाज हैं। 5 क्लाज तक इन्होने अमेंडमेंड है बताये है कि फलां फलां आर्टिकल में होगा, दूसरे में आर्टिकल 269 में है, तीसरे में आर्टिकल 286 में है, फिर उसके बाद 366 में है।

श्री उपाध्यक्ष : कहना क्या चाहते हैं ?

श्री नाथूसिंह : लेकिन जो क्लाज 6 है, आप देखिये, इस क्लाज 6 में किसी भी कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल में अमेंडमेंट नहीं है और न ही जो 368 (2) का प्रोविजो है, उसके परव्यू में आता है इसलिये इसको रेटिफाई करने के लिए इस हाउस में नहीं लाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हम वही पास कर सकते हैं जो इसके परव्यू में आए उसी को रेटिफाई करने के लिए यहां भेज सकते हैं। इसके अलावा यदि वह रेटिफाई करने के लिये हमारे पास आता है, जिसका अधिकार लोक सभा को है, राज्य सभा को है तो वह उसको पास करे और सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दे लेकिन यदि यहां रेटिफाई करने के लिए भेजें तो हमें रेटिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कर नहीं सकते।

(40–7 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

यदि इसको रेटिफाई करते है जैसा कि इस प्रस्ताव में कहा गया है, तो जो क्लाज 6 (1) में कहा गया हैं।

"For the purposes of every provision of the Constitution in which the expression "tax on the sale or purchase of goods" occurs,"

(श्री नाथूसिंह)

For she purposes of every provision of the Constitution, तो आर्टिकल 368 (2) के प्रोविजो में जो दिया है उसके आधार पर हम उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कोई कारण नहीं है कि हम इसको रेटिफाई करें। मैं समझता हूं कि वह अमेंडमेंट लाये हैं यह स्टेट्स के इंट्रेस्ट में है लेकिन चूंकि यह वेल ड्राफ्ट नहीं किया गया है और इसके परव्यू में नहीं लाया गया है इसलिए यह हाउस, सदन इसको रेटिफाई करके नहीं भेज सकता। मंत्री महोदय अभी डेफ्थ में जा रहे हैं, इसलिए यह हो सकता है कि जो इसके परव्यू में हैं उन्हीं को हम अमेंड कर दें। इस अमेंडमेंट बिल का क्लाज छ: आप पढ़िये। इसकी पहली लाइन पढ़िये : "For the purposes of every provision of the Constitution in which the expression "tax on the sale or purchase of goods" occurs, and for the purposes of any law passed or made, or purporting to have been passed or made, before the commencement of this Act, in pursuance of any such provision...."

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि काई भी अमेंडमेंट किया जाता है उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि किस सेक्शन के या किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया जाएगा। इसमें वेग बात कह दी गई कि जहां जहां ये शब्द प्रयुक्त हैं कांस्टीट्यूशन में वहां-वहां अमेंडमेंट मान लिया जावे। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह बिल, जिसको कहना चाहिये, इस तरह की वेग बातें कह कर पेश किया गया है। आगे देखें, इसमें लिखा हैं उन्होंने :

"and for the purposes of any law passed or made or purporting to have been passed or made, before the commencement of this Act, in pursuance of any such provision"

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता, any such provision क्या हैं। क्या-क्या होंगे। इसको कहां-कहां जोड़ेंगे। कांस्टीट्यूशन के किस आर्टिकल में कहां पर जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे या बाद में जोड़ेंगे। इसको जोड़ने का क्या अर्थ निकलेगा। उससे क्या रूप बनेगा। यह बात इसमें स्पष्ट नहीं है। इसलिए जब तक इसमें क्लाज 6 रहता है तब तक हम इसको रेटिफाई नहीं कर सकते है। यदि इस क्लाज 6 को आप रेटिफाई करना चाहते हैं तो फिर क्लाज 6 में दिया है any such provision, जहां-जहां शब्द प्रयुक्त हो, "tax on sale or purchase of goods" वहां-वहां कांस्टीट्यूशन के एक्सप्रेशन में यह इन्क्लूड मान लिया जाये। तो यह एक वात हो गई, कहां-कहां यह शब्द आया है हमें मालूम नहीं है। उसको यदि हम ढूंढ भी लें तो इस प्रोविजन को लागू करने के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से कार्य-

(श्री नाथूसिंह)

वाही की गई है, इसको रिट्रासपेक्टिव इफैक्ट से करने की बात की गई है इसको स्पष्ट किया जाना चाहिये। विधिमान्यकरण और छूट कहां-कहां हमें करनी पड़ेगी, किस-किस आर्टिकल में इसको जोड़ना पड़ेगा, कहां-कहां इस शब्द का क्या-क्या रूप होगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि इस 46 वे अमेंडमेंट बिल को रेटिफाई करने के लिये विचारार्थ नहीं लिया जाना चाहिये। अब आप क्या करेंगे इसके बारे में, हम नहीं समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसको वापस भेजें, ठीक करवाकर फिर लायें हाउस में।

श्री अहमदबक्श सिंधी (उपाध्यक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: मैं ही कर दूं तो बात समाप्त हो जायगी।

श्री अहमदबक्श सिंधी: अच्छा फिर ठीक है।

श्री अध्यक्ष: बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से एक संवैधानिक प्रश्न उठाया है कि आर्टिकल 368 (2) के अनुसार जो संशोधन बिल हमारे संसद के दोनों सदनों ने पास किया है, उसमें जो संशोधन हैं वह ठीक नहीं हैं, उचित नहीं हैं। उसमें कानूनी दृष्टि से कुछ खामियां हैं। यही है आपका कहना?

श्री नाथूसिंह: यह नहीं है, साहब, बिलकुल नहीं है। आप थोड़ा लेट पधारें।

श्री अध्यक्ष: मैं सुन रहा था। खैर, आपका मतलब यह है कि इसमें जो प्रक्रिया दी हुई है ...

श्री यदुनाथ सिंह: यह भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मुझे पूरा सुनिये। Perhaps I was not clear to you.

संविधान को संशोधित करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स को यदि संशोधन किया जाये तो जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनमें से आधे से अधिक विधान सभाओं को उसको अनुमोदित करना होता है। लेकिन यह संशोधन कैसा हो, क्या हो, क्या नहीं हो, इस पर विचार करने का विधान सभाओं को अधिकार नहीं है। अगर वह उसको उचित समझती हैं तो रेटिफाई कर दें, उचित नहीं समझती हैं तो रेटिफाई नहीं करें। इसके लिए एक संकल्प प्रस्तुत होता है कि उसमें क्या गुण दोष हैं उन सबका वर्णन आप सदन के प्रांगण में कर दीजिये। उसके बाद संकल्प मतदान हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा। सदन उसको तय करेगा। उसमें अमेंडमेंट कैसा है, उसके गुण दोष कैसे हैं, इस पर अपने यहां पर कोई अमेंडमेंट या संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। केवल हां या ना होता है, उसको अनुमोदित करें या नहीं करें, यह प्रश्न हमारे सामने आता है। तो उस प्रश्न पर आप अपने विचार व्यक्त कर दीजिये। दूसरे माननीय

(श्री ग्रध्यक्ष)

सदस्य हैं, वह विचार व्यक्त कर देंगे। समय ग्रायगा उस वक्त मतदान करा लिया जायगा। ऐसी स्थिति में यहां पर संकल्प के रूप में जो ग्राता है, उस संकल्प में ग्राप संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके क्या गुण दोष हैं इसकी व्याख्या भी ग्राप कर सकते हैं। उसके ग्राधार पर ग्रगर ग्रापकी बात में बात में कोइ वजन होगा, कोई तथ्य ग्रापके ठीक होंगे तो लोक सभा उस तरह से निर्णय ले लेगी। यह उसमें व्यवस्था है। ग्रापका जो व्यवस्था का प्रश्न है उसको मैं निरस्त करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : निरस्त हो गया है।

श्री नाथूसिंह : मेरा पाइन्ट ग्रलग था।

श्री ग्रध्यक्ष : मेरा पाइन्ट यह है यहां संकल्प प्रस्तुत करना होता है या संकल्प पर मतदान करना होता है। ग्रपना ग्रधिकार इतना ही है। इसके गुण दोष क्या हैं, वह उस वक्त ग्राप कह दीजिये। ठीक नहीं लगता है तो ना कह दीजिये।

श्री नाथूसिंह : गुण दोष के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : ग्रध्यक्ष महोदय, एक बार ग्रापका निर्णय हो गया। पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पर बार-बार बहस नहीं होगी। ग्रापका पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर निरस्त हो चुका है।

श्री नाथूसिंह : मेरा विरोध नहीं है 46 वें ग्रमेंडमेंट बिल के बारे में। मैं प्रक्रिया से सम्बन्धित बात कह रहा हूं। ग्रध्यक्ष महोदय, गुण दोष के बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : प्रक्रिया के बारे में माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया है।

श्री नाथूसिंह : नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रध्यक्ष महोदय खड़े हैं। ग्राप विराज जायं। ग्रध्यक्ष महोदय, गुण दोष के बारे में जब विचार होगा तो उस समय मैं समर्थन करूंगा। मैं फेवर करता हूं। ऐसी बात नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं ग्रापसे यह प्रक्रिया के सम्बन्ध में है। ग्रध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन में पार्लियामेंट, राज्य सभा, लोक सभा कोई ग्रमेंडमेंड पास करके रेटिफाई करने के लिए उसे विधान सभाग्रों में भेजती है, यह बिलकुल ठीक बात है। कांस्टिट्यूशन के ग्रार्टिकल 368 (2) के प्रोविजो में व्यवस्था है कि विधान सभा उन्हीं ग्रमेंडमेंड को रेटिफाई करेगी जो, प्रोविजो के ए, बी, सी, डी, में ग्राते हैं यह मैं पढ़ दूं ग्रापके सामने।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं समझ गया। जिस वक्त संकल्प प्रस्तुत हो उस वक्त जो ग्रमेंडमेंड प्रस्तुत किया है उसके गुण दोष के बारे में निवेदन कर दीजिये। सभा ग्रापकी बात में वजन देखेगी तो ग्रापके हक में मतदान कर देगी ग्रौर ग्रगर ग्रापकी बात में वजन नहीं होगा तो ग्रन्य बात कहेगी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कांस्टट्यूशन के आर्टिकल 368 के 2 का प्राविजो देखें।

श्री अध्यक्ष : मैंने पढ़ लिया।

श्री नाथूसिंह ; मैं समझ नहीं पाया।

श्री चन्दनमल बैद : जब तक आप इनके पाइन्ट से एग्री नहीं कर लेंगे तब तक यह बोलते जायेंगे। दो बार माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि मैंने समझ कर निर्णय दे दिया, फिर भी आप जिद कर रहे हैं। जब तक आपकी बात नहीं मान लेंगे आप कहते जायेंगे।

श्री नाथूसिंह : नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझा नहीं पाया आपको।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 46 वें अमेंडमेंड में जो कोई दोष है, जब संकल्प प्रस्तुत हो जाये उस वक्त आप कह दीजिए। सभा से प्रार्थना कीजिये, इसमें यह दोष है, इसलिए सभा संकल्प पारित नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, रूल्स के अनुसार इस बिल को इस फार्म में रेटिफाई कर ही नहीं सकते हैं। सवाल इस बात का है।

श्री अध्यक्ष : संकल्प पारित कर सकते हैं। संकल्प पर जो कोई निर्णय सभा देगी वह मान्य होगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन का जो प्रोविजो है इसमें छठा क्लाज जोड़ा हुआ है। यह राष्ट्रपति के....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया है उस कानून के गुण दोष, अमेंडमेंड ठीक है या नहीं हैं या संविधान की परिधि के बाहर है, या उसके किसी अनुच्छेद के परिधि के बाहर है यह सब प्रश्न जब संकल्प प्रस्तुत हो जाये उस समय कह दीजिये। सभा से अपील कर दीजिये। सभा जो कुछ ठीक समझेगी, निर्णय ले लेगी। आपके समक्ष जब यह संकल्प प्रस्तुत हो जाये तब सब बातें आप विस्तार से कह दें।

श्री नाथूसिंह : सवाल ऐसा नहीं है। विधान सभा रेटिफाई इस परव्यू के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : जब ही तो मैं कह रहा हूं। आपका कहना यह है रेटिफाई नहीं चाहिये ?

श्री नाथूसिंह : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो फिर क्या कहना चाहते हैं।

श्री नाथूसिंह : इस रूप में जो रेटिफाई—

श्री अध्यक्ष : अगर कानून में गुण या दोष हैं तो वह भी संकल्प पर विचार के समय कह सकते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया में कोई दोष है तो भी उस वक्त

(श्री अध्यक्ष)

कह सकते हैं। संकल्प प्रस्तुत हो जाये उसके पश्चात् उसके जितने गुण दोष हैं, उसकी व्याख्या कर दीजिये। उसके बाद यदि सदन ठीक समझता है तो उसको अनुमोदित कर देगा, ठीक नहीं समझता है तो अनुमोदित नहीं करेगा। इतना सा ही सवाल है।

शासकीय संकल्प

संविधान (46 वां संशोधन) विधेयक, 1982 का अनुसमर्थन

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन भारत के संविधान के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और जो संविधान (छियालिसवां संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, द्वारा किये जाने के लिए प्रस्थापित है।"

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूं, इसके बारे में अपने विचार प्रकट करें मैं संक्षेप में ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन क्या है। संविधान के इतिहास में दूसरी बार इस तरह का संशोधन किया जा रहा है। पहले संसद में इसी तरह का एक संशोधन किया था जिससे कि राज्यों को जो वित्तीय अधिकार हैं, वित्तीय सुविधा है वह ज्यादा उपलब्ध हो सके। ऐसा संशोधन पहले किया जा चुका है, कांस्टीट्यूशन में 1956 में। उसके बाद दूसरी बार ऐसा संशोधन किया जा रहा है जिससे राज्यों की आय के स्रोत बढ़ें और वित्तीय साधन बढ़ें। इस वास्ते निवेदन करना चाहता हूं, न केवल हमारे लिये बल्कि राष्ट्र के सारे प्रदेशों के लिये मैं समझता हूं, यह जरूरी है कि इस संविधान संशोधन, जो हमारे साधनों को बढ़ाने के लिये संसद ने पारित किया है, का हमें अनुसमर्थन करना चाहिये। इसमें क्या किया गया है कि बिक्री और खरीद सेल आफ गुड्स एक्ट के नीचे परिभाषित होती थी क्योंकि संविधान में सेल और पर्चेज को डिफाइन नहीं किया हुआ है। अब चूंकि सेल आफ गुड्स एक्ट के नीचे जो परिभाषा है उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी कि संविधान के नीचे जो भी टैक्स लगा रहे हैं उनमें सेल की परिभाषा वही होगी जो सेल आफ गुड्स एक्ट में दी हुई है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खरीद और बिक्री की परिभाषा में आती हैं लेकिन सेल आफ गुड्स एक्ट में जो परिभाषा दी गई है उसमें कवर नहीं होती हैं इसलिये उनको कवर करने के लिये यह संशोधन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें पहली बात तो यह है कि जो कंसाइनमेंट आफ गुड्स है, कोई अपने गुड्स को यहां से बाहर बेचने के लिये ट्रांसफर करता है उस पर हम टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि सेल आफ गुड्स एक्ट में वह सेल नहीं माना जाता है। अगर एक कंपनी करोड़ों का माल बनाती है, वह

(श्री चन्दनमल बैद)

अपना माल अपनी ब्रांच को ट्रांसफर करती है तो वह कहेगी कि सैल नहीं किया है इस वास्ते आपको टैक्स नहीं मिल सकता। इसी प्रकार कोई ब्रान्च अपने प्रिंसिपल आफिस को माल ट्रांसफर करती है तो कह सकती है कि यह सैल नहीं है इस वास्ते आपको टैक्स नहीं मिल सकता। तो कंसाइनमेंट आफ गुड्स को कवर करने के लिये 7 वें शिड्यूल में संसद ने यह अधिकार दिया है कि कंसाइनमेंट आफ गुड्स पर टैक्सेशन का अधिकार यूनियन लिस्ट में लिया जा रहा है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का अधिकार होगा, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 269 को संशोधित करके यह कहा गया है कि कंसाइनमेंट आफ गुड्स पर टैक्स लगाने का अधिकार तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का होगा लेकिन उसको वसूल करने का अधिकार राज्यों को होगा। तो टैक्स लगाने का अधिकार अपने हाथ में लेकर तो अच्छी बात यह की कि कंसाइनमेंट आफ गुड्स पर स्टेट्स मनमाने तरह के टैक्स न लगा सकें। मान लीजिये कोई सामान ऐसा है जो एक ही प्रदेश में होता है उस प्रदेश वाले अपनी मर्जी का टैक्स लगा दें तो सारे देश में वह चीज महंगी हो सकती है। इस वास्ते अधिकार सेन्ट्रल ने ले लिया है कि हम तय करेंगे लेकिन वह पैसा आपको मिलेगा। इससे सारे देश में एकरूपता होगी। साथ ही यह भी कह दिया है कि इस पर टैक्स होगा तो हम वसूल करेंगे लेकिन इससे जो आमदनी होगी वह हम प्रदेशों को देंगे। इसी तरीके से, अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे कंसाइनमेंट आफ गुड्स हैं जो टैक्स में शामिल नहीं हैं, उदाहरण के रूप में मैं निवेदन करना चाहता हूं आज अगर एक जगह मैं नकद देकर सामान खरीद रहा हूं तो टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं नकद नहीं दे रहा हू उधार लेकर पांच साल में पैसा दूंगा, पांच साल बाद गुड्स ट्रांसफर होंगे तो मुझे पांच साल बाद डेप्रिशियेटेड वेल्यू पर पैसा देना होगा। बड़े ताज्जुब की बात है, नकद पर ज्यादा टैक्स और उधार सामान खरीद रहा हूं उस पर टैक्स कम लग रहा है। इस तरह की कई अनामोलीज हैं। एक आदमी ने सामान तैयार करके दिया, उसने मुझे ट्रांसफर किया, अब वह कहता है कि लेबर भी लगा, स्किल भी लगा और सामान भी लगा हुआ है इस वास्ते उस चीज का टैक्स नहीं ले सकते। तो इसमें प्रोविजन किया जा रहा है ताकि इस तरह के जो कांसिक्वेंसेज न हों। फूड आर्टिकल्स और भी हैं, उदाहरण के तौर पर कहूं कि जब लेवी सिस्टम लगा था तो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों की रजामंदी होनी चाहिये थी। बेचने वाला अगर कहे कि मेरी तो रजामन्दी नहीं, मेरे से तो माल लिया गया है उसमें मेरी रजा-मंदी नहीं थी। ऐसी कंजम्पशन की चीजों को कवर करने के लिहाज से देश में होना चाहिये, जो नहीं है। इस वास्ते टैक्स आन सैल्स एंड पर्चेज आफ गुड्स क्या क्या

(श्री चन्दनमल बैद)

इन्क्लड होगा यह इसमें किया है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा है कि कहीं बेतहाशा टैक्स न लगा दें, इस वास्ते इसमें जो जरूरी बातें हैं, सेल ग्राफ गुड्स एक्ट में जो ग्रार्टिकल है उसमें उन्होंने वह शामिल कर दी हैं। उसमें ग्रमेण्डमेन्ट कर दिया है। यह बात स्पेशल इम्पार्टेंस की होगी क्योंकि पहले भी, ग्रध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने तय कर रखा है कि उन पर चार प्रतिशत से ज्यादा टैक्स स्टेट नहीं ले सकती। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं जैसे सीरियल्स है, राइस, पैड्डी, ज्वार, बाजरा, बारले, क्रूड ग्राइल, सीड्स, जूट, मूंग, मोठ काटन, वूलन ग्रौर रैयन फेब्रिक्स, शूगर, टोबेको, कोक ग्रादि ऐसी चीजें है जिन पर चार प्रतिशत से ज्यादा टैक्स कोई स्टेट नहीं ले सकती ग्रौर दो बार नहीं ले सकती। स्टेट से बाहर जाय तो दुबारा टैक्स नहीं ले सकती। केवल एक बार लगा सकेगी ग्रगर बाहर जाती हैं तो वह टैक्स ग्रापको वापस देना पड़ेगा। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन संविधान में हो रहा है वह स्टेट के भले, फायदे के लिये हो रहा है। हमें ज्यादा वित्तीय साधन देने के लिये यह रखा है। इससे हमारे वित्तीय साधन बढ़ेंगे ग्रौर ग्रधिक पैसा ग्रायेगा तो विकास के काम ज्यादा होंगे। हमें विकास के कार्यों के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाने को कहा जाता है। हम महसूस कर रहे हैं कि हम पैसा जुटा नहीं पा रहे हैं। हमारे जो खजाने के साधन हैं उनमें इरोजन हो रहा है। हम खुद, ग्रपना प्रदेश इस बात को महसूस करता है कि कोटा में कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो करोड़ों का माल उत्पादन करती है ग्रौर टैक्स नहीं दे रही हैं। सीमेन्ट फैक्ट्रीज हैं, ग्राज इतनी सीमेंट फैक्ट्रीज बन रही हैं वह भी ग्रपना माल बाहर भेज रही हैं उस माल पर टैक्स नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों को सेन्ट्रल गवर्नमेंट जब तय कर देगी, इस पर कितना टैक्स लगना चाहिये, यह तय हो जायेगा उसके बाद, मैं समझता हूं, सारे प्रदेश में बहुत सी चीजों के बारे में एकरूपता ग्रा जायेगी। इससे सारी स्टेट को फायदा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे सदन से निवेदन करता हूं कि यह रेटिफिकेशन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसको सर्व सम्मति से स्वीकार करें।

श्री राजबहादुर : ग्रध्यक्ष महोदय, छियालीसवां संविधान संशोधन विधेयक संपुष्टि के लिये सदन के सामने ग्राया है, प्रस्तुत हुग्रा है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस पर कुछ कहा है। जहां तक रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का, साधन बढ़ाने का सवाल है क्या प्रक्रिया हो, क्या तरीका हो उसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। लेकिन कैसे हो, कहां तक हो ग्रौर यह करते समय पार्लियामेंट के क्षेत्र में जो सेवन्थ शिड्यूल में ग्राते हैं, यूनियन लिस्ट,

(श्री राजबहादुर)

स्टेट लिस्ट और कानकरेन्ट लिस्ट है उसमें कहां तक औचित्य है, कहां तक नहीं है, यह तो देखने की बात हुई। मैं सदन को गहराई से इस पर गौर करने के लिये, जो विश्लेषण अभी वित्त मंत्रीजी ने किया है और जो मेरी निगाह में है उन पर अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

कांस्टीट्यूशन में जो स्टेट लिस्ट है उसकी एन्टरी 54 में है कि सेल और पर्चेज आफ गुडस के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। इसका अधिकार है। एन्टरी 92-ए यूनियन लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट का अवलोकन करें उसमें सेल और पर्चेज शब्द है, कन्साइनमेन्ट का लफ्ज नहीं है। कन्साइनमेन्ट का लफ्ज पहली बार आ रहा है। जब यह सामने आता है तो गहराई से सोचें कि जो वित्तीय साधन अपने आप बन सकते हैं, वह सारे वित्तीय साधन केन्द्र पर छोड़ दें। तो एक आरगुमेन्ट दिया गया, हो सकता है कि कोई स्टेट में उद्योग जो माल पैदा करते हैं उस सब के सब माल पर यह लागू कर दें परन्तु कन्साइनमेन्ट का जो शब्द है वह अभी तक डिफाइन नहीं है। आर्टिकल 269 को पढ़ दूं तो ठीक रहेगा। दो क्लाज हैं 269, में एक में एक सब क्लाज और डाल दिया गया है वह मैं पढ़ देना चाहता हूं क्योंकि इससे कुछ स्पष्ट हो जायेगा। नया सब क्लाज है 269 है वह इस प्रकार है :—

"(h) taxes on the consignment of goods (whether the consignment is to the person making it or to any other person), where such consignment takes place in the course of inter-State trade or commerce."

इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं क्रेडिट लेने के लिये नहीं, स्मृति ताजा करने के लिये कह दूं कि बजट सैशन में मैंने यह रेज किया था, जैसे कोटा में जितने बड़े उद्योगपति हैं वे अपना माल भेजते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। वे इस प्रकार चोट करते हैं स्टेट को। जहां तक इन्टर स्टेट का ताल्लुक है, मेरी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इन्टर स्टेट और इन्ट्रा स्टेट में फर्क है। कन्साइनमेन्ट केवल इन्टर स्टेट के लिये इस्तेमाल नहीं होता है। कन्साइनमेन्ट का अर्थ जानने के लिये मैंने कोशिश की है, रिसर्च की है और वेबस्टर डिक्शनरी और आक्सफोर्ड डिक्शनरी को कन्सल्ट किया है। कन्साइनमेन्ट का मतलब है इन दोनों से, जनरली ही मैं कह रहा हूं, यह बहुत लम्बा है : "To hand over formally, to make over, to deliver, to hand over to any person for custody or trust." कन्साइनमेन्ट का मतलब इतना है, किसी गुड्स को जयपुर से बीकानेर को भेजते हैं तो भी वह कन्साइनमेन्ट है। आज उस पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपकी स्टेट लिस्ट की एन्टरी 54 को बदला नहीं गया है। आपकी एन्टरी 54 ज्यों की ज्यों रह गई है, कन्साइनमेन्ट का शब्द नहीं जोड़ा गया है इस संविधान के

(श्री राजबहादुर)

संशोधन में इसलिये ग्राप कन्साइनमेन्ट पर नहीं लगा सकते हैं । इनकम के रिसोर्सेज ले सकते हैं । ग्रापको यह देखना पड़ेगा कि ग्रापके इन्ट्रा स्टेट के ग्रन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल जायेगा उसके ऊपर टैक्स लग सकता है या नहीं लग सकता है । टैक्स लगायेंगे, यह ग्रधिकार इसके द्वारा नहीं मिलने वाला है । वह ग्रधिकार कन्साइनमेन्ट का ग्राता है यूनियन गवर्नमेन्ट को । मैं यह जानना चाहूंगा कि इस संशोधन के द्वारा यूनियन लिस्ट में ग्रगर एक ताकत बढ़ती है, कोई क्षेत्र बढ़ता है टैक्सेशन का सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का, चाहे वह टैक्स हमको वापस मिलता हो, लेकिन वापस मिलने में कौन ग्राड़े ग्राता है ? फाइनेन्स कमीशन तय करेगा, प्लानिंग कमीशन तय करेगा । फाइनेन्स कमीशन प्लानिंग कमीशन को ग्रोवर रूल करता है या नहीं, यह पता नहीं है । फाइनेन्स कमीशन तय करेगा, उस समय क्या होगा । उस समय यह होगा कि जहां तक ग्रापका क्षेत्र है टैक्सेशन का वह सीमित रहा जहां का तहां । उसके बाद ग्रागे चलिये । चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया, सेल ग्रौर गुडस् की डेफीनेशन नहीं है कांस्टीट्यूशन में इसलिये एक नया संशोधन इसमें ग्राया है वह 29-ए करके बोला जायेगा । ग्राटिकल 366 (37) में डेफीनेशन है, ग्राटिकल है उसमें ग्राप देख लीजिये । उसमें जितना भी दे रखा है वह सब का सब टैक्सेज के बारे में है जो स्टेट लगा सकता है, ऐसा नहीं है । जो यूनियन लगा सकती है ।

(a) a tax on the transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;"

यह ग्रपना स्टेट लगा सकता है ।

(b) a tax on the transfer of property (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract."

यह भी हम लगा सकते हैं ।

"(c) a tax on the delivery of goods on hire purchase or any system of payment by instalments."

यह भी हम लगा सकते हैं । यह डिफाइन नहीं करते हैं इन्टर स्टेट, यह पांच, छः एन्टरिज हैं, यह सबकी सब इसमें ग्राती हैं ।

इसके ऊपर ग्राटिकल 286 के (3) को इसके द्वारा बदला है । ग्राटिकल 366 के सब क्लाज हैं उनमें बी, सी, डी, तीनों क्लीग्ररली स्टेट ग्राथोरिटी की हैं । ग्रधिकार है स्टेट को इन चीजों के ऊपर, फिर से दोहरा देता हूं :

"(b) a tax on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involed in the execution of a works contract;

(c) a tax on the delivery of goods on hire purcha e or any system of payment by instalments;

(श्री राजबहादुर)

(d) a tax on the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration."

जैसे होटल वगैरह के ऊपर, सर्विसेज होती है इन चीजों के ऊपर टैक्स लगायेंगे तो 286 (3) अमेन्डेड हुआ है, सब क्लाज (बी) के द्वारा :

"(b) a tax on the sale or purch se of goods, being a tax of the nature referr d to in sub-clause (b), sub-clause (c) or sub clause (d) of clause (29 A) of article 366 "

जो नया मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है, अगर उसके अन्दर टैक्स लगाते हैं तो सेन्ट्रल को अधिकार होगा रेस्ट्रिक्ट करने का, कन्डीशन्स लगाने का। यह क्यों? यह जुरिसडिक्शन हमारा है इन्टर स्टेट में आता है, आप कर सकते हैं, अधिकार है। अगर हायर पर्चेज है बाहर की स्टेट में तो कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में टैक्स लगा रहे हैं तो क्या अधिकार है? सावरेनिटी और आटोनोमी का जो कन्सेप्ट है, how can you violate it? You cannot violate it. यह क्लीअर बात है कि दोनों तरफ से कन्साइनमेन्ट आफ गुड्स को रेस्ट्रिक्टेड करना है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि रेटिफिकेशन आप आंख मूंद कर न करें। मुझे खेद है कि बहुत से सज्जनों ने इसको गहराई से नहीं पढ़ा है। मैंने इसको बहुत गहराई से, ईमानदारी से पढ़ा है। इसमें बहुत से डाउट हैं। मेरा यह कन्फर्म्ड व्यू है, जहां तक यूनियन लिस्ट का ताल्लुक था उसमें एन्टरी 54 है उसके अनुसार कन्साइनमेन्ट आपका रहा कहां।

फिर एक बात है। चाहे गवर्नमेन्ट की पालिसी डिस्कस हो रही हो, यह बात चली थी कि सेल आफ गुडस पर टैक्स को खतम कर दिया जाये। एक तरफ यह चर्चा चल रही थी, यह एक तरफ मांग थी कि सेल आफ गुड्स पर टैक्स को खतम करो। यह मांग स्वीकार होनी चाहिये थी। सब लोग इसके लिये गुडविल लेना चाहते थे। अब सेल आफ गुड्स को बढ़ा कर कन्साइनमेंट और ऐड कर रहे हैं। अब यह होगा कि यहां से कोई चीज भेजते हैं भरतपुर तो आपको अधिकार नहीं होगा परन्तु उनको अधिकार होगा कि उस पर टैक्स लगा दें। इसलिये मैं यह विनती करूंगा, मंत्री महोदय, आप इसको क्लीअर कर दें। आपको कोई आथोरिटी नहीं है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इन्ट्रा स्टेट ट्रेड को इन्क्लूड करे, यह क्लीअर नहीं है। मैंने डिबेट पढ़ी है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस पाइंट को क्लेरिफाई नहीं किया है, वित्त मन्त्री जी अब बता दें। आरगुमेन्ट कैसा होगा? लोक सभा की डिबेट तो मैंने पढ़ी है राज्य सभा वाली नहीं पढ़ी है। कुछ भी जवाब दें। उन्होंने

(श्री राजबहादुर)

रात को दिन कह दिया तो वह दिन नहीं कहा जा सकता है। जो चीज सामने आती है दो और दो चार कहेंगे, पांच नहीं; I am asking you to count upto four and not upto five. अगर इन्ट्रा स्टेट में आपको अधिकार होता है टैक्सेशन का तो उस अधिकार को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कैसे ले सकती है। आपकी आटोनोमी पर हमला कैसे कर सकती है, जो क्लाज है सेल आफ गुड्स की डेफीनेशन नहीं है टैक्स आन सेल आफ गुड्स है। उन्होंने 366 में रखा है 29 (ए) इसलिये विनती करूंगा, जहां तक सवाल आता है, बी, सी, डी का उसके ऊपर आपको टैक्स लगाने का अधिकार है टैक्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाने का इसलिये है। In article 286 of the constitution the following clause shall be substituted.

"(3) Any law of a State shall, in so far as it imposes, or authorises the imposition of—

(a) a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance...."

स्पेशल इम्पार्टेन्स हैं तो पहले काहे को कर दिया आपने। स्पेशल इम्पार्टेन्स की बात मैं और कह दूं सन् 57 तक यह क्लीयर था कि सेल आफ गुड्स पर टैक्स स्टेट ही लगा सकता है सेल आफ गुड्स पर टैक्स सेन्टर नहीं लगा सकता था। पहली बार जब पन्त जी गृह मंत्री थे यह तय हुआ, कुछ लोगों ने एतराज भी किया था, 57 में यह तय हुआ, कोई स्पेशल कमोडिटी रखी जायं; स्पेशल कमोडिटी में खास खास थे, सूगर था रेयन था, फेब्रिक्स थे, वूलन मैटीरियल था अब तो लिस्ट और बढ़ा दी गयी है जैसा कि अभी आपने पढ़कर सुनायी। लेकिन स्पेशल गुड्स का मतलब क्या है। स्पेशल गुड्स पर आप टैक्स लगा सकते हैं और टैक्स लगाकर रजिस्ट्रेशन टैक्स बढा सकते हैं उसके ऊपर. आर्टिकल 258 में नहीं जाऊंगा, इतना ही कहूंगा, टैक्स आफ गुड्स में स्पेशल कमोडिटीज को छोड़कर बाकी चीजों पर टैक्स लगाते हैं उनमें टैक्स अगर बी, सी, डी में आता है, मैं रिपीट कर रहा हूं उस चीज को इसलिये कि मंत्री महोदय इसका जवाब क्लीयर दें, प्रणव मुखर्जी ने कोई जवाब भी दिया है इसका तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो क्षेत्र हमारा स्टेट का है, स्टेट में आटोनोमी है उसको आप वायरस कैसे कर सकते हैं? इसलिये मैं इस हद तक मानता हूं कि डिसप्यूटेबल पाइंट रहेगा, हमेशा कन्टेक्शियस रहेगा। इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन का भी यह कर्त्तव्य है, हमारा आपका सबका भी यह धर्म है कि अपनी आटोनोमी पर और विशेष तौर पर वित्तीय आटोनोमी पर, फाइनेन्सियल आटोनोमी पर एन्क्रोचमेंट होता है तो उस एन्क्रोचमेंट से रक्षा की

(श्री राजबहादुर)

जाय इस हाउस की, देश की, जनता की इस सरकार की और आने वाली सरकार की भी। इसलिए नेरो एंगिल से पार्टी एंगिल से नहीं देखें। यह देखें कि वास्तव में क्या आप इन्ट्रा स्टेट टैक्स लगाने में सक्षम हैं कन्साइनमेंट के ऊपर? नहीं। क्यों? क्या आप कन्साइनमेंट के लिए स्वयं लॉ बनायेंगे? आप लॉ बना नहीं सकते हैं क्योंकि 64 में चेंज नहीं किया है इन्होंने....

श्री चन्दनमल बैद : कन्साइनमेंट कहां होता है। बीकानेर से जोधपुर माल जायेगा, जोधपुर से उदयपुर जायेगा या कोटा जायेगा, वह तो कहीं न कहीं सेल होगा। स्टेट से बाहर जायेगा तभी तो कन्साइनमेन्ट होगा।

श्री राजबहादुर : मेरे ख्याल में यह ऐसी बात है कि आप इतने बड़े व्यापार, व्यापारी समाज को बिलांग करते है, मुझे आप बता रहे हैं कन्साइनमेंट का मतलब अलग है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेल्स टैक्स लगता है पर्चेज पर टैक्स लगता है और कन्साइनमेंट पर भी टैक्स लग सकता है। और कन्साइनमेंट आप मेरी बात सुन रहे हैं, सेल्स टैक्स की बात को अलग करेंगे और कन्साइनमेंट पर अलग टैक्स लगा देंगे। आपको कन्साइनमेंट का मतलब फिर समझा देता हूं "to hand over, to entrust to somebody, to sell, to send or deliver the goods to be sold."

फिर सेल के बाद सेल्स टैक्स होता है, फिर कन्साइनमेंट पर टैक्स अलग से हो सकता है। यह क्लीयर बात है "send goods to an agent", एजेन्ट को कन्साइन कर लेते हैं तो वह बिका नहीं है, "turn over to agent for sale with the understanding that payment will follow later" यानी मतलब कन्साइनमेंट अलग होता है। कन्साइनमेंट का मतलब यह नही है, ट्रांजिट भी अलग होता है, Transit is not consignment. There is difference between transit and consignment.

इसलिये विनती करूंगा कि आप इसको कोई पार्टी के व्यू से नहीं देखें, नेरो एंगिल से नहीं देखें, इससे फाइनेन्सियल आटोनोमी पर आघात होगा, आप पर इसका असर होगा या नहीं होगा। माकूल जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन धर्म था आपको बताना वह मैंने निभा दिया। यह एन्क्रोचमेन्ट है अगर आपमें साहस है तो रोकें इसको।

श्री चन्दनमल बैद : गलत बात को कहने में क्या साहस हो सकता है। मैं तो आपको अपना बुजुर्ग मानता हूं इस बात को समझने की कोशिश करें।

(4.44 म०प०)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजबहादुर : माननीय मंत्री जी, मुझे आप एक साधारण सदस्य, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते तो मुझे खुशी होती। आपने तो बुजुर्ग कह कर मुझे मेरी उम्र याद दिला दी। आप मुझे डिमोरेलाइज करना चाहते हैं। मेरी बात को आप बुजुर्ग की बात मानते हैं तो एक सुनिये "खता-ए-बुजुर्गां गिरफ्तान खता" बुजुर्ग की बात काटते हैं तो वह भी खता है।

श्री चन्दनमल बैद : गलत बात तो मैं बुजुर्ग की भी नहीं मानूंगा।

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि खता-ए-बुजुर्गां गिरफ्तान खता बुजुर्ग की खता पकड़ना चाहेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह भी एक खता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री राजबहादुर : अब आप एक बुजुर्ग को समाप्त करने के लिये कहेंगे तो यह भी खता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी। अब मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री नाथूसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये तो बोल चुके हैं।

श्री नाथूसिंह : नहीं बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोल चुके हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री भंवरलाल शर्मा : केवल स्पष्टीकरण के लिये बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : भंवरलाल जी, बैठ जाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं केवल प्रश्न करना चाह रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न करना बाद में। मैंने नाम पुकार दिया है। आप तो एडवोकेट हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : Only one question.

श्री उपाध्यक्ष : This is undesirable.

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। Only one question.

श्री उपाध्यक्ष : But this is undesirable. मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप विराज जायें। मैं कह रहा हूं फिर भी आप इनसिस्ट कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब, हमें नहीं बोलने दे रहे हैं जब कि मैं बोलना चाहता चाहता हूं। यह भी अनडिजायरेबल है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान, आप तो एक अच्छे एडवोकेट हैं....

Page No 148

(148)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संविधान का जो संशोधन है....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय; मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय संविधान संशोधन विधेयक पारित होने तक बढ़ाया गया ।

श्री राजबहादुर : और जो आज प्राइवेट मेम्बर डे है, उसका क्या होगा ।

संविधान (46 वां संशोधन) विधेयक, 1982 का अनुसमर्थन

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिद्धान्ततः इस 46 वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : एक बात मेरी सुन लें। आप बतायें आप क्या चाहते है। या तो मेरी समझ में कुछ कमी है या फिर आपकी अक्ल ज्यादा है। अभी आप जब भाषण दे रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था किन्तु मेरे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा कि आप क्या कहना चाहते हैं। या तो मेरी अक्ल कम है या फिर आपकी अक्ल ज्यादा है। आप बहुत ऊंचा उड़ते हैं ।

श्री नाथूसिंह : मैं आपको समझा नहीं पाया ।

श्री उपाध्यक्ष : वही बात है, जो संविधान संशोधन विधेयक है उसी पर आप बोलें ।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धान्ततः मैं इस कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि इसके द्वारा कान्स्टीट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया है वह स्टेट के हित में है । जो टैक्स की चोरी होती थी वह इससे रुकेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने 32 वर्ष में संविधान में 46 संशोधन कर दिये हैं लेकिन यह संशोधन....

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन आपकी पार्टी ने तो 49 वां भी कर दिया था ।

श्री नाथू सिंह : पार्टी का सवाल नहीं है। आप हमेशा पैसे और पार्टी की ही बात समझते हैं। यह बात आप नहीं समझेंगे। यह बात उपाध्यक्ष महोदय ही समझेंगे ।

(**व्यवधान**)

आप तो मुद्रा की ही बात समझते हैं। आई. पी.सी., सी.आर.पी.सी, सी. पी. सी. और जितने भी तरह के जो हमारे यहां पर कानून बने हुए हैं उनमें इतने अमेंडमेंट नहीं किये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : हुए हैं ।

श्री नाथू सिंह : हुए हैं लेकिन कम हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कई कई तो बहुत बड़े-बड़े ग्रमेंडमेंट हुए हैं। सी. पी. सी. में और ग्राई.पी.सी. में।

श्री नाथू सिंह : हुए हैं लेकिन कम।

उपाध्यक्ष महोदय, 32 सालों में हमने संविधान में 46 संशोधन कर दिये हैं परन्तु मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो कानून बनाते हैं उसको लागू नहीं कर पाते हैं। इसलिये इस बात को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक विचार नहीं किया जाता है।

मैं पाइन्ट पर ग्राना चाहता हूं, ग्राप ग्रमेंडमेंट कर रहे हैं, बार-बार, ग्राज भी मैं ग्रापको जो निवेदन कर रहा था वह यह कर रहा था कि ग्रार्टिकल 368 में संविधान में ग्रमेण्डमेण्ट करने की पार्लियामेण्ट को पावर है। उसमें उन्होंने कहा है कि कांस्टीट्यूशन का ग्रमेण्डमेन्ट पार्लियामेण्ट कर सकती है। पार्लियामेन्ट जो कानून बनाती है, उसमें तो ग्रमेण्डमेण्ट कर सकती है, जो यूनियन लिस्ट के एक्ट हैं उनमें ग्रमेंडमेंट करने के लिये बिल पास करती है उसको सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लेकिन जो स्टेट लिस्ट में हैं उनमें ग्रमेंडमेंट करती है तो ग्रमेण्डमेंट बिल के लिये व्यवस्था ग्रार्टिकल 368 के प्रोविजो में है, उसको रेटिफाई करने के लिये विधान सभा को भेजा जाता है। ग्राज जो कान्स्टीट्यूशन ग्रमेण्डमेंट बिल ग्राया है, उसमें क्लाज 6 है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, क्लाज 6 उस प्रोविजो में नहीं ग्राता है। उसके प्रोविजो में क्लाज 6 नहीं ग्राता है, लेकिन उसमें इन्होंने एक लाइन जोड़ दी। क्लाज 6 है, उसमें इन्होंने पहली लाइन में कहा है—

"For the purposes of every provision of the Constitution in which the expression "tax on the sale or purcha·e of goods" occurs ..."

जहां-जहां यह शब्द ग्रायेंगे, वहां-वहां यह इन्क्लूडेड मान लिया जायेगा। कांस्टीट्यूशन में ग्राप जानते हैं, इस तरह का वेग ग्रमेण्डमेण्ट कभी भी नहीं होता है। इसलिये जब तक इसमें क्लाज 6 रहता है, मैं उस समय यह निवेदन कर रहा था जो मैं ग्रापको समझा नहीं सका, तब तक हम इसको रेटिफाई नहीं कर सकते। प्रोसीजरल यह गलत हो जायेगा। मैंने उस समय निवेदन किया था, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वह समय निकल गया। ग्रब हम इस बिल पर विचार कर रहे हैं। सिक्स क्लाज है इसमें। मैं जानना चाहता हूं, इसको कहां-कहां कांस्टीट्यूशन में जोड़ेंगे, यह ग्रमेंडमेंट किस-किस ग्रार्टिकल में होगा? यह, मन्त्री महोदय, मुझे बतायें। इस कान्स्टीट्यूशन ग्रमेंडमेंट बिल में क्लाज 6 है इसके ग्रनुसार कहां-कहां पर ग्राप जोड़ेंगे।

(श्री नाथूसिंह)

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट बिल से आपने सेल की डेफीनेशन को वाइडन कर दिया। क्लाज–4

श्री चन्दनमल बैद : टैक्स आन सेल आर पर्चेज आफ गुड्स इन्क्लूड किया है। सेल की डेफीनेशन को नहीं किया।

— **श्री नाथूसिंह** : वही निवेदन कर रहा हूं।

269 ए द्वारा जो ज[illegible]ा गया है, उसमें ऐसी भी चीजें हैं जो सेल आफ गुड्स एक्ट में नहीं हैं।

दूसरा, जो अमेण्डमेंट किया है, वह क्या है। अभी जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, कन्साइनमेंट आफ गुड्स पर टैक्स लागू कर दिया है, एक तो आपने किया उसमें, वह यह किया है कि वर्क्स कान्ट्रेक्ट के क्रियान्वयन में जो भी माल की सप्लाई होगी, वह भी टैक्सेबल होगा, हायर पर्चेज पर लिया माल टैक्सेबल होगा। कहां कहां माल टैक्सेबल है इसके लिये प्रोविजन है इसमें। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए गवर्नमेण्ट ठेका दे, गवर्नमेण्ट कोई भी चीज बनवाये तो ठेकेदार कहेगा, मेरा माल है, मैं खरीद नहीं रहा हूं, इसलिए इस पर टैक्स लगाया नहीं जा सकता। लेकिन इस अमेंडमेण्ट में कह दिया गया, वह भी टैक्स में आयेगा। खाने पीने की चीजें भी इसमें ले ली गयी। यह बहुत अच्छा है कि स्टेट की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो प्रोविजन रखा गया है, जो प्रोविजन किया क्लाज 6 में, उसमें कह दिया कि रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से लागू होगा। क्या क्या चीजें होंगी, यह डिफाइन नहीं किया है। कहां क्या होगा, यह भी डिफाइन नहीं किया है। उसमें से स्टेट को कितना शेयर मिलेगा, टैक्स का कितना शेयर मिलेगा यह भी नही है। पहले इन्होंने बता दिया कि पूर्व में कौन कौन का कितना कितना पैसा कहां कहां बाकी है, पूर्व में क्या स्थिति थी, जिसको दूर करने के लिये अमेण्डमेंट ला रहे हैं, इसका भी कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। इसमें बहुत बड़ी कमी रह गयी है। हमें बतायें, किस प्रकार से किसमें कहां कहां कितना टैक्स बकाया है, कौन मे टैक्स आयेगा, बकाया के क्या कारण थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 6 (2) जोड़ दिया वह ठीक किया है। इन्होंने क्लाज 6 (1) में व्यवस्था की है वह बड़ी अजीब की है। इसमें इन्होंने कह दिया कि रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से लागू माना जाये। इसको अगर रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से लागू मान लिया जायगा तो कानून का उस समय किसी को पता नहीं था तो उसका पालन कैसे करता, आपने जोड़ दिया क्लाज 6 के द्वारा वह कान्स्टीट्यूशन में कहां जोड़ेंगे, It is simply ordinery enactments एक्ट है इस तरह का ? किस किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया है ? इसमें कहीं भी प्रोविजन नहीं है। यह नहीं

(श्री नाथूसिंह)

है कि किस-किस में अमेंडमेंट किया गया है। इसका प्रोविजन नहीं किया है। इसलिये मैं आशा करता हूं इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय बतायेंगे।

एक और निवेदन करना चाहता हूं यह जो क्लाज 6 का बिल है, इसको सीधा राष्ट्रपति के पास असेन्ट के लिए भेजा जा सकता था, इसको विधान सभा के सामने लाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। अब आ गया है अब इसके सम्बन्ध में भी आप बतायें, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, You support the amendment and still you are....

श्री नाथूसिंह : सपोर्ट तो कर रहा हूं। लेकिन कुछ प्रश्न हैं, माननीय मंत्री महोदय, जिनके बारे में निवेदन कह रहा हूं, तो मंत्री महोदय से इसके बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं भाषण नहीं करूंगा। केवल कुछ प्रश्न हैं, जिनकी मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री महोदय से इस संशोधन के लिए ...

श्री उपाध्यक्ष : Address the Chair.

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपके माध्यम से पूछता हूं वैसे मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं, वह आप कृपया नोट कर लें, 5–7 बिन्दु हैं शायद याद नहीं रहेंगे आपको। इस कानून के पास होने के बाद यदि कोई व्यक्ति विदेश से मशीनरी मंगाता है, वह मशीनरी किसी एक राज्य में लैण्ड होगी, उतरेगी वहां, और फिर दूसरे राज्य में जायेगी, जहां किसी ने मंगायी है, ऐसी मशीनरी पर या माल पर वहां भी टैक्स लगेगा और जिस स्टेट में आयेगी वहां भी उस पर टैक्स लगेगा क्या ? वह जो मशीनरी है, सेल नहीं है वह अपना कारखाना लगायेगा, कच्चा माल मंगायेगा, मशीनरी मंगायेगा, इम्पोर्ट करेगा तो उस पर भी क्या उसको इस तरह का टैक्स देना पड़ेगा, एक प्रश्न तो यह है।

दूसरा यह है कि मेरे पास कोई मशीनरी आयी है, उसको रिपेयर के लिए दिल्ली भेजता हूं, वह रिपेयर होकर वापस आती है, क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा ?

तीसरा यह है कि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में काम करने के लिए ठेका लेता है कान्ट्रेक्ट लेता है, उस काम को पूरा करने के लिए अपने जो भी साधन हैं, सामान हैं, वहां भेजता है और काम करने के बाद वह सारा मैटीरियल वापस अपने स्टेट में आता है, तो क्या इस पर भी टैक्स लगेगा ?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

क्या कोई कच्चा माल एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में तैयार करने के लिए भेजता है, तैयार माल अपने स्टेट में वापस मंगा लेता है, क्या ऐसे माल पर भी इस कानून के अन्तर्गत संशोधन के बाद टैक्स देना होगा ? इस संशोधन के बाद क्या स्थिति बन जायेगी, जिस प्रकार से आज

श्री उपाध्यक्ष : आप चालू रखिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, ऐसे बोलने से कोई मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : No use.

श्री चन्दनमल वैद : सुन रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई बात नहीं, जिद की बात थोड़ी ही है। आप आन्सर करिये ताकि हाउस को, देश प्रदेश सब को समझा दें कि इसका क्या इफैक्ट होगा।

श्री चन्दनमल बैद : आखिरी बात बोल रहे थे आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : जैसे मरम्मत करने वाला लोगों के सामान की मरम्मत करता है। उदाहरण के लिए, घड़ी की मरम्मत होती है, मोटर साइकिल की मरम्मत होती है, क्या इस कानून के आने के बाद उस मरम्मत करने वालों पर भी राज्य सरकार का सेल टैक्स लगेगा ? जब आप लें, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मरम्मत के ऊपर ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जैसे मैंने घड़ी ठीक करने के लिए दी घड़ीसाज ने उसमें पुर्जे लगा कर दे दिये। रिपेयर करने में जो पुर्जे लगाये क्या उस पर भी राज्य सरकार को बिक्रीकर, टैक्स देना पड़ेगा ? यही पूछ रहा हूं, नहीं देना पड़ेगा तो कह देंगे कि नहीं देना पड़ेगा। मान लो, मैंने कपड़ा सीने के लिए दिया आपको, आपने उसमें बटन लगा दिये, जो हर दर्जी करता है। आपने बटन लगाये, मेरा केवल कपड़ा था, बटन इसमें जोड़ दिये आपने बटन को सेल माना जायेगा, क्या उस पर टैक्स लगाया जायेगा ? ये प्रश्न हैं जिनका आप स्पष्टीकरण दें। फिर जैसे हम किराये पर फर्नीचर लेते हैं पी. डब्ल्यू. डी. से, सारे एम. एल. एज. लेते हैं, यह जो फर्नीचर हमको मिलता है आगे जाकर इस अमेण्डमेण्ट के बाद क्या सरकार को यह अधिकार मिल जायगा कि इस पर भी टैक्स लगा सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइन्ट एट इश्यू है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार के इरादे तो हर दृष्टि से देखे जाते हैं, when you are making an amendment, यह बात मेरी समझ में नहीं आई इसलिये मैं पूछना चाहता हूं। ये बुजुर्ग हैं, समझा देंगे। मैं अपने ढंग से मेरी बात कह रहा हूं।

जो साइकिल किराये पर देता है, साइकिल वाला क्या उस पर भी टैक्स लग जायेगा ? यह कुछ ऐसे बिन्दु हैं ऐसे प्रश्न

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हैं जो यह अमेन्डमेन्ड खड़े करता है। आपने अपने ज्ञान से जैसे हमको अभी लाभान्वित किया उसी अर्जित ज्ञान के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर देकर भी इस प्रदेश की जनता को आप जानकारी देंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन हैं.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी क्या आपकी अनुमति है? क्या अनुमति मान लूं?

श्री उपाध्यक्ष : कहिये, कहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि इस संशोधन से हमारे राज्य की आय में अन्तर पड़ेगा। मैं मानती हूं कि अन्तर पड़ेगा लेकिन जो आपने एक और आश्वासन दिया उसे मानने के लिये मन नहीं करता है। एक प्रश्न करना चाहती हू कि आपने खर्चे अभी बढ़ा रखे हैं, कितना ही ओवर ड्राफ्ट है....

श्री चन्दनमल बैद : कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं है। ओवर ड्राफ्ट आप समझ रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है। बजट में जो घाटा है क्या वह पूरा हो चुका है? मैं यह कहना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति में प्रदेश का विकास होगा इसमें मुझे शंका है....

श्री उपाध्यक्ष : सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देगी नहीं.

श्रीमती उजला अरोड़ा : सेन्ट्रल गवर्नमेंट देगी वह हम लेंगे लेकिन यह जो सरकार सामने बैठी है, इसको तो सैक्रेटेरियट के कमरे शीतोष्ण करने और पांच सितारा होटल में ठहरने का प्रावधान करने की आदत रही है। आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगी ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप समझती हैं कि क्या पाइन्टएट इश्यू है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप उसी बात पर बोलिये न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप केन्द्र को सुझाव दें कि वह उत्पादन शुल्क लगाये चूंकि जिस ढंग से सैल्स टैक्स वसूल किया जाता है इससे करों की चोरी होती है। अगर उत्पादन शुल्क लगाते हैं तो यह निश्चित बात है कि कर की चोरी नहीं होगी। साथ ही केन्द्र व राज्य के हिस्से में बंटकर काम दे सकेगा। यह मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : छियालिसवां कास्टीट्यूशन अमेंडमेंड बिल आपने पढ़ लिया है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जी हां, पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद ही मैंने यह बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष : Thank you.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है संविधान में संशोधन जो हुआ है उसका अनुसमर्थन करने के लिये उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं।

यह एक ऐसा अमेंडमेंड हुआ है जिस पर भारत वर्ष की सभी पार्टीज करीब करीब एक मत रही हैं। सन् 1977 से पहले जब कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने इस सिद्धान्त से एग्री किया और कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंड करने का प्रोजल रखा। 1977 के बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई उसके जमाने में सन् 1979 में ज्यों का त्यों यह जो अमेंडमेंट यहां पेश हुआ है पेश किया गया। लेकिन चूंकि पार्लियामेन्ट डिजोल्व हो गई थी इसलिए विचारार्थ नहीं लिया जा सका। अब इस प्रजेन्ट पार्लियामेन्ट में फाइनेन्स मिनिस्टर, श्री प्रणव मुकर्जी ने इसे मूव किया और लोक सभा और राज्य सभा से यह पास किया गया है। इसमें राज्य सरकार के बहुत ही हित की बात है। हित की बात इसलिये है, जैसा कि हमारे वित्त मंत्रीजी बता रहे थे सेल की परिभाषा को तोड़-मरोड करके सैल्स टैक्स इवेजन किया गया। पहले इवेजन होता था कन्साइनमेंट के नाम पर। कन्साइन्मेन्ट का मतलब यह है, कोटा से माल दिल्ली भेजा गया और दिल्ली में डिपो कायम कर दिया। इस प्रकार से जो माल पर इन्टर स्टेट सैल्स टैक्स लगना चाहिये था उसका इवेजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला जब गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेल की भाषा में नहीं माना इसलिये पार्लियामेन्ट ने यह प्रावधान किया है कि इस ट्रांजक्शन को सेल की परिभाषा में लाकर टैक्स लिया जाय। अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि इन्टर स्टेट कन्साइनमेन्ट पर, इन्टर स्टेट सेल पर सैल्स टैक्स लगा रहे हैं। जो स्टेट के अन्दर सेल्स हैं राजस्थान के अन्दर कन्साइनमेंट है उस पर भी टैक्स लगना चाहिये मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि और स्टेट का तो मुझे मालूम नहीं, कम से कम राजस्थान का तो मुझे पता है, मल्टीपाइन्ट सैल्स टैक्स लगाना अभी तक हमने तय नही किया है। अगर कन्साइन्मेन्ट पर टैक्स ले लेंगे तो फिर जो राजस्थान के अन्दर सैल होगी उस पर टैक्स नहीं ले सकेंगे। इसलिए ये कन्साइनमेंट पर टैक्स राजस्थान के अन्दर लगे उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि अगर राजस्थान के अन्दर बिक्री होगी तो उस पर टैक्स नहीं लिया जायगा, मल्टीपाइन्ट टैक्स हम लेंगे नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह बात बताई कि इन्टर स्टेट कन्साइनमेन्ट पर टैक्स का तो इसमें प्रोविजन है किन्तु इन्ट्रा स्टेट कन्साइनमेन्ट के टैक्स का प्रोविजन नहीं है, यह कोई मानने की बात नहीं है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और क्या तरीका निकाला उन्होंने सैल्स टैक्स से बचने के लिए। जितने भी बड़े-बड़े कांट्रेक्टर थे, उन्होंने यह कहा कि जो चीज बनाकर आपको दे रहे हैं, जो बिल्डिंग बनाकर दे रहे हैं उस पर हमारी जो लेबर लग रही है उस पर नहीं, मैटीरियल लग रहा है उस पर आप टैक्स लगा सकते

(श्री हरिसिंह)

हैं, जो लेबर ने बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी उस पर हमसे टैक्स नहीं ले सकते ।

होटल्स ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेन्ट किया कि जो आदमी आकर ठहरते हैं बड़ी-बड़ी होटल के अन्दर, उनको खाने का सामान, पीने का सामान और जो चीजें हम सप्लाई करते हैं वह सेल्स में नहीं मानी जानी चाहिये क्योंकि हम तो मानव मात्र की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं इसलिये हमसे सेल्स टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये । इस प्रकार का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह चीज तो सेल्स में नहीं है। उस पर टैक्स लग सके उसका इसमें प्रावधान किया है । श्रीमन्, एक तो इसमें यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 269 (1) उसमें वह चीजें दी गई हैं जिन पर टैक्स लगेगा और जो स्टेट को मिलेगा । इसमें कन्साइनमेन्ट आफ गुड्स पर टैक्स जोड़ दिया गया है । जितने भी सोर्सेज टैक्स के हैं वह पार्लियामेन्ट के सामने थे । उसने यह प्रावधान और किया है इन्टर स्टेट कन्साइनमेन्ट आफ गुड्स होगा उस पर टैक्स आवेगा वह भी स्टेट को मिलेगा ....

श्री उपाध्यक्ष : आपका बिजनेस किया हुआ है ।

श्री हरिसिंह : मेरा वकालत का धन्धा था, श्रीमन्, बिजनेस मैं नहीं कर सकता । वकालत की थी किसी जमाने में इसलिए अर्ज कर रहा हूं ।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था एक तो 269 (1) में tax on the cousignment of goods का सब क्लाज (एच) बढ़ा करके जो प्रावधान किया गया है उससे हमारी बहुत इनकम बढ़ी है । दूसरी अब तक जो चीजें टैक्स जूरिस्डिक्शन में नहीं आती थीं जैसा मैंने निवेदन किया, होटल्स टैक्स इवेड कर रहे थे, रेस्टरां टैक्स इवेड कर रहे थे, कांटेक्टर्स टैक्स इवेड कर रहे थे, जैसा कि भाई भंवरलालजी शर्मा बता रहे थे, उनका मतलब यह है कि कोई आदमी किसी चीज पर अपना लेबर पुट इन करके उसकी कीमत बढ़ाकर किसी को देता है तो वह सेल्स की परिभाषा में आयेगा या नहीं आयेगा । जवाब तो मंत्री महोदय देंगे लेकिन इस प्रकार के केसेज को सरकमवेन्ट करने के लिए यह कानून लाया गया है ताकि कोई आदमी यह नहीं कह सके कि मैं तो लेबर की कीमत ले रहा हूं प्रॉपर्टी की नहीं । अब जो प्रावधान किया गया है आप मुलाहिजा फर्माइये, इसमें है—"a tax on the transfer of property of goods involved in the execution of a work contract," अब तक जो एक्जीक्यूशन आफ ए वर्क कांट्रेक्ट का नाम लेकर कहते थे कि हमने जो एक्जीक्यूशन आफ ए वर्क कान्ट्रेक्ट किया है, उसके तहत जो सामान लिया, उस पर वर्क करने का कान्ट्रेक्ट लिया है,

(श्री हरिसिंह)

वह चीज बना दी हमने और वह हम आपको वापस कर रहे हैं। अब इस प्रकार की जो चीजें हैं वह भी, श्रीमन्, इसमें आने लगेंगी।

इसके अलावा अब तक फिल्म इण्डस्ट्रीज बहुत कुछ टैक्स इवेड करती थीं। वह कहती थीं कि हम तो फिल्म बेचते नहीं हैं फिल्म को हम प्रॉपर्टी इण्ट्रेस्ट में ट्रान्सफर नहीं करते बल्कि किसी आदमी को उपयोग करने के लिये देते है। जब कुछ दिन तक उपयोग हो लेता है और काम चल जाता है तब उसकी वेल्यू कम हो जाती है तब जा करके उसकी डेप्रिशियेटेड की कीमत पर वह बिक्री दिखा देते हैं। इस प्रकार की फिल्म इण्डस्ट्रीज टैक्स इवेड करती हैं वह सैल्स टैक्स नहीं देतीं। उसको इसके एम्बिट के अन्दर लाया गया है क्योंकि इन्होंने टैक्स को रोका है।

इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी इन्स्टीट्यूशन हैं जो कि इनकार्पोरेटेड बॉडी होती हैं। इनकार्पोरेटेड बॉडी अपना कोई भी माल मैम्बर को देती है तो वह सेल मानी जाती है। कुछ ऐसी भी एसोसिएशन्स हैं जो इनकार्पोरेटेड बॉडी नहीं हैं। जब इनकार्पोरेट बॉडी वह नहीं हैं तो उनकी एण्टिटी उनके मैम्बर से अलग नहीं होती। जब एण्टिटी, श्रीमन्, अलग नहीं होती है तो वह अगर ट्रांसफर करती है अपने मैम्बर को तो वह सेल की परिभाषा में नहीं आती थी। इस प्रकार से जितने भी टैक्स सैल्स के ऊपर नहीं लगते थे उनको पार्लियामेन्ट ने स्टेट के अधिकार क्षेत्र में दिया है। स्टेट जो है उन चीजों के ऊपर अपना कानून बना करके टैक्स लगा सकेगी।

एक दिक्कत आप बता रहे थे इससे तो राजस्थान या अन्य स्टेट की आटोनोमी में फर्क आ रहा है। अब तक तो आइटम नम्बर 54 यूनियन लिस्ट में है और जो स्टेट लिस्ट में है, एक आपत्ति यह कर रहे थे कि इसमें कन्साइनमेन्ट वर्ड यूज नहीं किया है। जैसा मंत्री महोदय ने निवेदन किया, कन्साइनमेन्ट पर टैक्स लगाने से मल्टी पाइंट टैक्स लगेगा और मल्टी पाइंट टैक्स लगाने की राजस्थान स्टेट की नीयत नहीं है। भरतपुर से आये माननीय सदस्य ने दूसरा यह फर्माया था कि इससे राजस्थान स्टेट की आटोनोमी पर फर्क आयेगा। मैं निवेदन करूं इसमें जितने भी गुड्स हैं, स्पेशल गुड्स हैं जितने भी ट्रान्जेक्शन्स हैं कन्साइनमेन्ट हैं वह ऐसी चीजें हैं, श्रीमन्, अगर कोई स्पेशल इम्पार्टेन्स की चीज है उसके ऊपर टैक्स राजस्थान के अन्दर 15 पर्सेन्ट लग जायगा, उसी पर मध्य प्रदेश के अन्दर 4 पर्सेन्ट हो जायेगा और यू०पी० में 12 पर्सेन्ट हो जायगा। इस प्रकार के केसेज से देश के व्यापार में बाधा नहीं डले उसके लिए पार्लियामेन्ट ने चाहा कि हम कन्डीशन या रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसी कन्डीशन इम्पोज करेगी कि स्टेट का रेवेन्यू खत्म हो जायगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बहुत ही स्वागत योग्य अमेन्डमेंट कान्स्टी-

(श्री हरिसिंह)

ट्यूशन के अन्दर किया गया है हमारी स्टेट लेजिस्लेचर को निश्चित रूप से बड़े हर्ष के साथ समर्थन देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी ।

(व्यवधान)

अब टाइम हो गया । I know, you are a good speaker.

श्री सूर्यकुमार : मैं तो दो मिनट में बात अर्ज कर दूंगा । Only two minutes.

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा ।

श्री सूर्यकुमार : बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने एक संवैधानिक आपत्ति, वैधानिक आपत्ति उपस्थित की है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसके सम्बंध में निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उपस्थित की थी उसका प्रत्युत्तर कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दे दिया है । मूलतः बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य की आपत्ति यह थी कि क्लाज 6 कान्स्टीट्यूश्न अमेण्डमेन्ट का पार्ट फोर्म नहीं करता है इसलिए इस सदन को इसका अनुसमर्थन नहीं करना चाहिये । अगर बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य क्लाज 2 और क्लाज 4 में जो अमेण्डमेंट है उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक देखने के बाद समझने की कोशिश करें तो क्लाज 6 अगर इसमें नहीं हो तो क्लाज 2 और क्लाज 4 के द्वारा जो अमेण्डमेन्ट किया गया है वह निरर्थक रह जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है । क्लाज 2 और क्लाज 4 का अमेन्डमेंट आने के बाद में एक ऐसे क्लाज का होना निश्चित रूप से आवश्यक था, नितान्त आवश्यक था जिसके आधार पर पहले किया हुआ जितना भी काम था उसको वेलिडेट करते । एक तरह से यह वेलिडेटिंग क्लाज है, वेलिडेटिंग प्रोविजन है । आपके क्लाज 2 और क्लाज 4 का अमेंडमेंट हो जाने के बाद यह नितांत आवश्यक था । अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कान्स्टीट्यूशन का पार्ट फोर्म करता है या नहीं, या क्या यह पहली बार ही इस प्रकार का संविधान में संशोधन है । इसके सम्बन्ध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कान्स्टीटयूशन सेवन्थ अमेंडमेंट की ओर जो 1956 में किया गया था उस सेवंथ अमेंडमेंट के बाद में उसमें एक सैक्शन जोड़ दिया गया, एक क्लाज जोड़ दी 29 बी, उसका अध्ययन बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य, ध्यानपूर्वक करेंगे तो ज्ञात होगा कि वह भी एक इसी प्रकार का एक वेलिडेटिंग प्रोविजन था, एक इसी प्रकार की वेलिडेटिंग क्लाज था । यह जो क्लाज 6 है यह निश्चित रूप से उसी अमेंडमेंट का पार्ट फोर्म करता है ।

इसके अतिरिक्त एक और....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाद में उन्होंने अपने आपको करेक्ट कर लिया था । उन्होंने संकल्प का समर्थन किया है ।

श्री सूर्यकुमार : जी ?

श्री उपाध्यक्ष : बाद में उन्होंने अपने आपका करेक्ट कर लिया था । उन्होंने संकल्प का समर्थन किया है ।

श्री सूर्यकुमार : नहीं, बिल का समर्थन तो किया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ साथ यह भी आपत्ति थी यह क्लाज 6 संविधान का पार्ट फार्म नहीं करता, इसलिए रेटिफिकेशन नहीं हो सकता । उसी का उत्तर था । उनकी आपत्ति निराधार है ।

श्री उपाध्यक्ष : वे बाद में समझ गये ।

श्री सूर्यकुमार : यही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसमर्थन का जो प्रस्ताव मैंने पेश किया उसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने शंकायें प्रकट की हैं, वैसे उन्होंने समर्थन तो किया है ।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो खैर नहीं किया, वह इस बात को यह समझते थे, वह नहीं हैं, फिर भी रिकार्ड में एक बात आ जानी चाहिये जिससे मालूम हो जाय उन्होंने जो बात कही है वह कितनी भ्रम में आकर कही थी । उन्होंने यह कहा कि स्टेट के अधिकारों का हनन हुआ है । यह जो टैक्सेज आन दी कन्साइनमेन्ट आफ गुड्स है, इसका अधिकार संसद ले रही है या भारत सरकार ले रही है वह एक तो इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स पर है मतलब जो राज्य से बाहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में जायगा ऐसे ट्रेड और कामर्स से जो कन्साइनमेट आफ गुड्स होगा उसके टैक्सेशन का अधिकार संसद या भारत सरकार ले रही है, दूसरे अधिकार को नहीं ले रही है, दूसरी चीजों पर हमारा सैल्स टैक्स है ही । हमारी स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह माल जायगा वह तो सैल्स टैक्स से कवर होता ही है, इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कन्साइनमेन्ट आफ गुड्स होगा उसको कवर कर रहे हैं इस वास्ते हमारे किसी अधिकार का हनन नहीं हो रहा है । हम सैल्स टैक्स लगा सकते हैं, जो स्टेट में लगाना चाहते हैं । एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेड कामर्स जो होता है चाहे सेल के मार्फत हो, चाहे कन्साइनमेन्ट आफ गुड्स के मार्फत हो, चाहे पर्चेज के मार्फत उस पर तो टैक्स भारत सरकार ही लगा सकती है हम नहीं लगा सकते, संविधान से भी नहीं लगा सकते लेकिन उस टैक्स को वसूल हम करते हैं भारत सरकार के बिहाफ पर, वह पैसा भी हम ही रखते हैं क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है । इस वास्ते यह जो कन्साइनमेन्ट आफ गुड्स इन कोर्स आफ इण्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स होगा उस पर टैक्स तो भारत सरकार संविधान के संशो- से लेगी लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जहां उसको देने की बात करते हैं तो हमारे अधिकारों का हनन होता है । जैसे उसको वसूल करने के लिए हमको अधिकार दिया हुआ है यह पैसा भी उनके बिहाफ पर,

(श्री चन्दनमल बैद)

भारत सरकार के विहाफ पर हम ही वसूल करेंगे। क्योंकि हमारे पास यह रेवेन्यू है इस वास्ते हमारे अधिकारों का हनन नहीं बल्कि सारे देश में एकरूपता लाने के लिये यह जरूरी है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि स्पेशल इम्पार्टेन्स के गुड्स की सूची है इसको पूरा देखा तो मालूम पड़ा, उसमें जो आइटम हैं इसमें जूट भी है, आइरन स्टील भी है। जो स्टेट जूट का ज्यादा उत्पादन करती है, जो पटसन का ज्यादा उत्पादन करती है, जो आइरन स्टील का ज्यादा उत्पादन करती है, वह स्पेशल इम्पार्टेन्स के गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगा देगी तो इस बात को हम समझें कि हमारी इकानोमी खराब नहीं हो जाये, और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चरमरा जायेगी। इसका अधिकार भारत सरकार संसद से पास करवा कर अपने पास रखती है तो वह हमारे अधिकारों का हनन नहीं हमारे अधिकारों की रक्षा है।

दूसरी बात स्पेशल इम्पार्टेन्स गुड्स के बारे में कही, उसके बारे में मुझे यही कहना है कि स्पेशल इम्पार्टेन्स के गुड्स को नोटिफाई भारत सरकार नहीं करे तो कोई भी सरकार चाहे वह जूट का उत्पादन करती हो, क्रूड आयल का उत्पादन करती हो, काटन का उत्पादन करने वाली हो, उस पर ज्यादा टैक्स लगाकर हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चरमरा सकती है। इसलिये यह जरूरी है, ऐसा हो कि बेसिक चीजों की लिस्ट बने और उन पर ज्यादा टैक्स कोई स्टेट नहीं लगा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह नहीं हो तो पंजाब कह सकता है, कहेगा नहीं क्योंकि वहां के लोग समझदार हैं, हमारे यहां गेहूं ज्यादा पैदा होता है यह बाहर जायेगा तो हम इस पर 15 प्रतिशत टैक्स लगायेंगे। इसलिये यह तय कर दिया कि इस पर चार प्रतिशत से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। यह हमारे राज्य के हित के लिये भी है। यह हमारे अधिकारों का हनन नहीं, रक्षा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि क्लाज 6 द्वारा संविधान के आर्टिकल में संशोधन कर रहे हैं, इसको रेटिफिकेशन आर्टिकल 368 के तहत नहीं करवा सकते हैं उसको हम रेटिफाइड करवा रहे हैं। माननीय सदस्य, मेरे प्रस्ताव को पढ़ने की कृपा करें। "यह सदन भारत के संविधान के उन संशोधनों का समर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड 2 के अन्तर्गत आते हैं।" हम उन संशोधनों का समर्थन कर रहे हैं जो आर्टिकल 368 के खण्ड 2 में आते हैं। बाकी का क्या है, क्या नहीं है, संविधान का पार्ट बनेगा या नहीं, उसका क्या करेंगे, यह भारत सरकार की चिन्ता है, हमारी नहीं। आर्टिकल 368 के खण्ड 2 के नीचे जो संशोधन हैं उनका हम समर्थन

(श्री चन्दनमल बैद)

करते हैं। अब यह समस्या रहती है कि उनके नीचे कौन से आते हैं? हम समर्थन उन्हीं का करते हैं, जो उसके नीचे आते हैं। जो नहीं आते हैं वह भारत सरकार की चिन्ता का कारण है।

उपाध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने कुछ हवा की बातें कहीं हैं। उन्होंने 5-6 बातें कहीं हैं।

(व्यवधान)

बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि आप 32 साल मे 46 वां संविधान में संशोधन कर रहे है। अरे भाई, आपने तो तीन साल, जब आप राज मे थे, में 49 वां संशोधन कर दिया था। आपने 49 वां संशोधन पेश कर दिया था। हम तो उस 49 वें संशोधन को 46 वां संशोधन कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आप उस समय संसद में थे। आपका कहना यह है कि जो माल बाहर से आयेगा उस पर टैक्स लगेगा या नहीं? कोई माल अगर कांडला में उतरा और जयपुर में आया तो कांडला में टैक्स लगेगा और फिर जयपुर में टैक्स लगेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के मार्फत टैक्स नहीं लगेगा। इसलिये इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है।

आप दूसरी बात कह रहे थे कि अगर कोई मरम्मत कराने जाता है, कपड़े पर बटन टंकाने के लिये जाता है, साइकिल की मरम्मत कराने जाता है तो उस पर टैक्स लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रावधान उस संशोधन में है लेकिन कि कोई भी राज्य की सरकार ऐसी नहीं होगी कि जूता मरम्मत करवाने जो जा रहा है, साइकिल मरम्मत करवाने जो जा रहा है, नावल किराये पर लेने जा रहा है उस पर टैक्स लगाये। अगर लगायेगी भी तो साइकिल मरम्मत पर टैक्स लगाकर कितना कमा लेगी। अगर कोई फिल्म इण्डस्ट्री स्टेट में है तो फिल्म वाले, जिनकी फिल्म है, अक्सर फिल्म क्योंकि पांच छः साल बाद खतम हो जाती है, इसलिये वह फिल्म बेचने के बजाय लीज पर दे देते हैं। तो स्टेट को अधिकार है कि ऐसी चीजों पर टैक्स लगाये यह कोई बुरी बात नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हायर पर्चेज या लीज पर सामान दिया जाता है, जैसा क्लाज बी. सी. डी. में प्रावधान है, यह ऐसे क्लाज हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इनके लिये भारत सरकार नियम बनायेगी कि कितनी चीजों पर किस तरीके से, कितना टैक्स लगेगा। यह भी भारत सरकार द्वारा तय होगा। ऐसा नहीं होगा कि यह हायर पर्चेज है हम इस पर मनमाने तरीके से टैक्स लगा सकेंगे, ऐसी मंशा इस संशोधन की नहीं है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : हायर पर्चेज के बार में थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री चन्दनमल बैद : इसके लिये भारत

(श्री चन्दनमल बैद)

सरकार तय करेगी, स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंस देखते हुए नियम बनायेगी, उन नियमों के अनुसार यह तय होगा कि किस तरीके से टैक्स लिया जायेगा।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : वह क्या होगा ?

श्री चन्दनमल बैद : वह तो भारत सरकार तय करेगी।

कई लोगों ने पूछा कि इससे कितनी आमदनी होगी। अब यह तो भारत सरकार को तय करना है कि कितना टैक्स तय करें जिस हिसाब से तय करेगी तब पता चलेगा कि राज्य सरकारों को कितना टैक्स मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें मुझे जरूरी कहनी है फाइनेंस का मामला है और....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बाते नहीं, आप बाद में कहिये।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ जरूरी बात है जो मैं कहना चाहता हूं, सदन एक ऐसा फारम है जिसके द्वारा बात कहने से वह सारी जनता के पास और देश के पास पहुंचती है। वह कहना मैं मेरा फर्ज समझता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अनजाने में एक बात कही, उनकी कहने की मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप सैल्स टैक्स समाप्त करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सैल्स टैक्स को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई हैं, पहले तीन चीजों पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, सूगर, क्लाथ और टोबेको। अब भारत सरकार पांच चीजों पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाना चाहती है। ऐसा मन्तव्य है, नेशनल टैक्सज कमीशन में तय भी हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी तक जो हमारा अनुभव है एडीशनल एक्साइज ड्यूटी के बारे में, वह हैप्पी नहीं, दुखद है। जो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी चीजों पर लगी थी, 1957 में पहली बार तीन चीजों पर लगी थी। 1961-62 में हमारी रेवेन्यू थी 1 करोड़ 12 लाख और 1981-82 में 20 साल के बाद यह रेवन्यू बढ़ कर हो गई 21 करोड़ 13 लाख, यानी अट्ठारह गुना बढ़ गयी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत जो चीज सेल टैक्स की हमारे पास आती हैं उन पर पहले 4 करोड़ 62 लाख और आज यह रेवेन्यू हो गयी 1981-82 में 185 करोड़ 71 लाख। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चीजें भारत सरकार को सौंपी थीं उन पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी से रेवेन्यू 18 गुना बढ़ा है और जो हमारे पास थीं उनसे रेवेन्यू बढ़ा है 40 गुना। अगर यह चीजें हमारे पास रहतीं तो मेरा अन्दाजा है हमारा रेवेन्यू 40 प्रतिशत बढ़ता और हमें 21 करोड़ के बजाय 48 करोड़ की आमदनी

(श्री चन्दनमल बैद)

होती। यानी 27 करोड़ रुपये का सलाना का हमें नुकसान हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां भारत सरकार स्टेट के रिसोर्सेज, स्टेट की वित्तीय स्थिति सुधारना चाहती है दूसरी तरफ अगर हमारी दूसरी चीजें ड्रग, पेपर बोर्ड, पेट्रोलियम प्राडक्ट, सीमेन्ट और वनस्पति घी, इन पांच चीजों को एडीशनल एक्साइज ड्यूटी के नीचे ले लेगी तो हमारा जो रेवेन्यू हो रहा है वह उतना नहीं होगा जितना सेल्स टैक्स से होता है। इससे हमको नुकसान होगा। इससे स्टेट की रेवेन्यू पर, फाइनेंसियल कण्डीशन पर असर पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज से बहुत साल पहले शायद 1971-72 में एन. टी. सी. की मीटिंग हुई उसमें यह तय किया गया कि एक्साइज ड्यूटी और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का जो अनुपात हैं, क्योंकि एडीशनल एक्साइज ड्यूटी जाती है स्टेट को और एक्साइज ड्यूटी जाती है भारत सरकार को, जिसका अनुपात 2:1 आ गया इससे कम से कम स्टेट को जो हिस्सा मिलता वह 10 से 8 प्रतिशत तो मिलता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी हमारी कामांडिटी जो है उनसे हमको करीब करीब 13 प्रतिशत या 14 प्रतिशत मिलता है। तो एक तरफ तो सामान उन्होंने एडीशनल एक्साइज ड्युटी के नीचे ले लिये उसकी तुलना में करीब हमको 6 या 7 प्रतिशत ट्रेड इन्क्रीज मिल रहा है और हमारे पास जो कामोडिटीज हैं उसका हमें 14 प्रतिशत या 15 प्रतिशत मिल रहा है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद सोच सकते हैं कि एक तरफ तो स्टेट की वित्तीय स्थिति सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं दूसरी तरफ हमसे वह चीज ले लीं तो निश्चित रूप से हमारी वित्तीय स्थिति पर विपरीत असर पड़ने वाला है।

अब जहां तक सवाल है कि एकरूपता आवे उसके लिये भारत सरकार के पास अधिकार है। वह चाहे जिस सामान को, कामोडिटी को स्पेशल इम्पार्टेन्स की कामोडिटी डिक्लेअर कर सकती है और उस पर टैक्स की मात्रा बढ़ा सकती है। उसको अगर यह मालूम हो जाये कि राजस्थान में आज सीमेन्ट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और राजस्थान सरकार में सीमेन्ट पर ज्यादा टैक्स ले रही है तो वह सीमेन्ट को स्पेशल इम्पार्टेन्स कामोडिटी लेकर सारे कन्ट्री में, सारे देश में सीमेन्ट पर टैक्स में एकरूपता ला सकती है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में उन्होंने जूट को ले रखा है। जिन चीजों के बारे में उनको शंका हो तो वह उनको स्पेशल इम्पार्टेन्स की कामोडिट की केटेगरी में लेकर टैक्स की मात्रा तय कर सकती है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उन पर पाबन्दी लगा सकती है। इस वास्ते मेरा यह निवेदन है कि एक तरफ तो हमारे रिसार्सेज को बढ़ाने की बात हो रही है दूसरी तरफ हमारे जो रिसोर्सेज है उनको कम करने की बात हो रही है व नहीं होनी चाहिये स्टेट के रिसोर्सेज बढ़ाने

(श्री चन्दनमल बैद)

की बात की जानी चाहिये । यही बात कहते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसका सदन अनुसमर्थन करे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन भारत के....

एक **माननीय सदस्य** : एक सवाल, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनटा माननीय सदस्य, आप बोल सकते हैं ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । नहीं माननीय सदस्य, रिप्लाई हो चुका है । अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न चूंकि इसमें आया है....

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order. It is too late. Please, sit down. Order. Order.

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अमंड मेन्ट बिल है उस पर सुझाव तो दे ही सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पहले ही मुझे कहना चाहिये था कि मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मन्त्रीजी ने जवाब दे दिया है तमाम प्रश्नों का तो फिर प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है । आर्डर आर्डर ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्टेट का उत्पादन है । एक बार उस पर अगर स्टेट में टैक्स लग गया, वह सामान दूसरी स्टेट में जायेगा तब क्या वहां पर दुबारा टैक्स नहीं लगेगा ? इसके कारण दूसरी स्टेट में जो ज्यादा प्रोडक्शन होता है वह हमारे स्टेट में आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे स्टेट को लाभ होगा । मैं कहता हूं कि हमारे स्टेट को नुकसान होगा, इसमें हमारे स्टेट में इनकम घटेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit, down, माननीय सदस्य ।

प्रश्न यह है कि यह सदन भारत के संविधान के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड 2 के परन्तुक के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और जो संविधान (छियालीसवा संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, द्वारा किये जाने के लिये प्रस्थापित है, उसको स्वीकार किया जाय । स्वीकृति संकल्प स्वीकार किया गया ।

सदन की बैठक कल दिनांक 18 सितम्बर, 1982 के प्रातः काल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.34 बजे शनिवार दिनांक 18 सितम्बर, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 267 की तालिका

क्रमांक	योजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य का प्रतिशत हिस्सा	लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	कोटा थर्मल पावर			
	स्टेशन, यूनिट–I	110 मेगावाट	100%	अक्टूबर, 82
	यूनिट–II	110 मेगावाट	100%	मार्च, 1983
	यूनिट–III] द्वितीय	210 मेगावाट	100%	सितम्बर, 85
	यूनिट–IV] चरण	210 मेगावाट	100%	मार्च, 1986
2.	माही जल परियोजना			
	पावर हाउस–I			
	यूनिट–I	25 मेगावाट	100%	नवम्बर, 1984
	पावर हाउस–II			
	यूनिट–I	45 मेगावाट	100%	अगस्त, 1985
	पावर हाउस–I			
	यूनिट–II	25 मेगावाट	100%	मई, 198[illegible]
	पावर हाउस–II			
	यूनिट–II	45 मेगावाट	100%	फरवरी, 1986
3.	पलाना थर्मल पावर स्टेशन			
	यूनिट–I	60 मेगावाट	100%	मार्च, 1987
	यूनिट–II	60 मेगावाट	100%	सितम्बर, 1987
4.	अनूपगढ़ लघु परियोजना	4.5 मेगावाट	100%	जून, 1985
	(I व II)	4.5 मेगावाट		दिसम्बर, 1985
5.	देहर जल परियोजना			
	यूनिट–5	165 मेगावाट	20%	जून, 1983
	यूनिट–6	165 मेगावाट	20%	नवम्बर, 1983

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 268 की सूची

बीकानेर जिले में सत्र 1981–82 एवं अगस्त, 1982 तक
भरे गये एवं रिक्त पद

नाम पद	कुल भर्ती	अनु० जाति	अनु० जन जाति	भूतपूर्व सैनिक	अन्य	रिक्त पद
वनपाल	17	4	3	1	9	18
वनरक्षक	26	2	1	0 (शून्य)	23	13

Page No 166

(166)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 273 की सूची

वन मण्डल पाली द्वारा जनवरी, 81 से अगस्त, 82 तक
नियुक्त/पदोन्नत किए गये वनपाल एवं वन रक्षकों की सूची

नाम	पद एवं नियुक्ति की तिथि	कैसे की गई
1—श्री कमलकुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेशचन्द्र शर्मा	वनपाल (3–8–81)	सीधी भर्ती से
2—श्री कैलाशचन्द्र गुर्जर पुत्र श्रीरामकुमार	वनपाल (24–9–81)	सीधी भर्ती से
3—श्री रमेशचन्द्र [illegible]णावत पुत्र श्री मोहनलाल	वनपाल (14–10–81)	चिकित्सा विभाग से स्थानान्तरण
4—श्री नाथी श्रीराम मीणा पुत्र प्रभुलाल मीणा	वनपाल (22–11–81)	सीधी भर्ती से
5—श्री नटवरलाल पुरोहित पुत्र श्री रूपाजी (भूतपूर्व सैनिक)	वनपाल (28–11–81)	सीधी भर्ती त्याग-पत्र देकर चले गये
6—श्री जयराम मक्कड पुत्र श्री भूरामल (भूतपूर्व सैनिक)	वनपाल (18–3–82)	सीधी भर्ती से
7—श्री सुखदेव पुत्र श्री मूलदान	वनपाल (24–12–81)	तदर्थ पदोन्नति से
8—श्री देवीसिंह पुत्र श्री रावतसिंह	वनपाल (24–12–81)	तदर्थ पदोन्नति से
वन रक्षक		
1—श्री जगदीशप्रसाद पुत्र श्री संपतराम हरिजन	वन रक्षक (1–10–81)	(नियुक्ति) छोड़ कर चले गये
2—श्री नारायणलाल	वन रक्षक (4–10–81)	नियुक्ति से
3—श्री नजीर मोहम्मद कुरेशी पुत्र श्री महमूद बख्श (विकलांग)	वन रक्षक (24–11–81)	नियुक्ति से
4—श्री विजयसिंह पुत्र श्री चरणसिंह (अनु० जाति)	वन रक्षक (10–4–82)	नियुक्ति से
5—पूरणसिंह आत्मज लालचंद (अनु० जाति)	वन रक्षक (10–4–82)	नियुक्ति से

1	2	3	4	5
6. पौंग जल परियोजना				
यूनिट-5	60 मेगावाट	58.5%	दिसम्बर, 1982	
यूनिट-6	60 मेगावाट	58.5%	मई, 1983	
7. सिंगरोली सुपर थर्मल पावर स्टेशन				
यूनिट-2	200 मेगावाट	3/17 वाँ	अगस्त, 1982	
यूनिट-3	200 मेगावाट	,, हिस्सा	मई, 1983	
यूनिट-4	200 मेगावाट	,,	अगस्त, 1983	
यूनिट-5	200 मेगावाट	,,	फरवरी, 84	
यूनिट-6	500 मेगावाट	,,	जुलाई, 86	
यूनिट-7	500 मेगावाट	,,	जनवरी, 87	

———

168

परिशिष्ट 14

तारांकित प्रश्न संख्या 269 की सूची

राज्य को आवंटित खाद्य तेल का मानचित्र

(मात्रा टनों में)

क्र. सं. नाम माह	आवंटित आयातित खाद्य तेल			दिनांक आवंटन (तार द्वारा)
	आर. बी. डी पाम आयल	रेपसीड/ रिफाइन्ड	योग	
1. नवम्बर, 81	100	60	160	30.10.81
2. दिसम्बर, 81	100	20	120	7.12.81
3. जनवरी, 82	206	–	206	4.1.82
4. फरवरी, 82	206	–	206	4.2.82
5. मार्च, 82	270	–	270	27.2.82
6. अप्रैल, 82	300	–	300	1.4.82
7. मई, 82	300 अति. 100	– –	300 100	1.4.82 27.5.82
8. जून, 82	450	–	450	27.5.82
9. जुलाई, 82	500	–	500	22.6.82
10. अगस्त, 82	550	–	550	3.8.82
योग	3082	80	3162	

माह नवम्बर, 1981 से अगस्त, 1982 तक आवंटित आयातित खाद्य तेल की प्राप्ति का विवरण

(1 टीन 15.5 के. जी.) (मात्रा टीनों में)

क्र. सं.	एस. टी. सी. डी. ओ. नं. व दिनांक	प्राप्ति की मात्रा	
		पाम आयल	रेपसीड़ तेल
1	2	3	4
	नवम्बर, 81		
1.	5537/12-11-81	3960	–
2.	5538/16-11-81	2490	–
	योग	6450	–
		99.975 एम. टी.	–
	दिसम्बर, 81		
1.	5539/15-12-81	1320	–
2.	5540/18-12-81	660	–
3.	6901/19-12-81	1980	–
4.	6902/21-12-81	1320	–
3.	6903/26-12-81	660	–
6.	6904/28-12-81	511	–
7.	5550/29-12-81	–	660
8.	5593/30-12-81	–	640
9.	5594/30-12-81	–	1980
	योग	6451	3280
		99.9905 एम. टी.	50.840 एम.टी.

Page No 170

(16) (170)

1	2	3	4
		जनवरी, 1982	
1.	6905/23-1-82	1320	–
2.	6906/28-1-82	3960	–
3.	6907/29-1-82	4620	–
4.	6908/30-1-82	1320	–
		योग 11220	–
		– 175.910 एम. टी.	–
		फरवरी, 1982	
1.	6909/9-2-82	2640	–
2.	6910/10-2-82	1980	–
3.	6911/15-2-82		
4.	6912/20-2-82	4620	–
5.	6913/25-2-82	3300	–
6.	6914/26-2-82	1980	–
		योग 14520	–
		225.060 एम. टी.	–
		मार्च, 1982	
1.	6915/6-3-82	3960	–
2.	6916/12-3-82	3300	–
3.	6917/19-3-82	3300	–
4.	6918/25-3-82	3300	–
5.	6919/30-3-82	4400	–
		योग 18260	–
		– 283.030 एम. टी.	–

1	2	3	4
	अप्रेल, 1982		
1.	6920/13-4-82	2640	–
2.	6921/16-4-82	2640	–
3.	6922/20-4-82	2640	–
4.	6923/21-4-82	2300	–
5.	6924/27-4-82	3300	–
6.	6925/28-4-82	4290	–
	योग	18810	–
	–	291.555 एम. टी	–
	मई, 1982		
1.	6926/11-5-82	5940	–
2.	1759/18-5-82	1980	–
3.	6927/25-5-82	2970	–
	योग	10890	–
	–	168.795 एम. टी.	–

जून, 1982

नोट–जून माह में एस. टी. सी. के जयपुर स्थित डिपो पर खाद्य तेल उपलब्ध न होने के कारण नहीं उठाया जा सका।

जुलाई, 1982

1.	6928/15-7-82	3630	–
2.	6929/17-7-82	2640	–
3.	6930/19-7-82	1320	–
4.	6931/20-7-82	3300	–
5.	6932/26-7-82	3960	–

1	2		3	4
6.	6933/28-7-82		3300	–
7.	6934/29-7-82		1320	–
8.	6935/29-7-82		3960	–
9.	6936/30-7-82		2640	–
		योग	26070	–
		–	404.085 एम. टी.	–
		अगस्त, 1982		
1.	6937/9-8-82		3300	–
2.	6938/17-8-82		4290	–
3.	6939/19-8-82		50	–
4.	6940/24-8-82		2640	–
5.	5551/31-8-82		1320	–
		योग	16500	–
		–	255.750 एम. टी.	–

परिशिष्ट-5

तारांकित प्रश्न संख्या 271 की सूची

भीलवाड़ा जिले को किये गये सीमेन्ट आवंटन का विवरण

क. सं.	नाम तिमाही	पब्लिक से[illegible] हेतु	लघु सिंचाई हेतु	गोबर गैस हेतु	राहत कार्यों हेतु
1.	प्रथम तिमाही, 1982 (जनवरी, 82 से मार्च, 82)	1064 मै. टन (1400 मै. टन का 76 प्रतिशत)	45 मै. टन	—	—
2.	द्वितीय तिमाही, 1982 (अप्रेल, 82 से जून, 82)	840 मै. टन	35 मै. टन	40 मै. टन	200 मै. टन
3.	तृतीय तिमाही, 1982 (जुलाई, 82 से सितम्बर, 82)	700 मै. टन	35 मै. टन	—	—
	योग	2604 मै. टन	115 मै. टन	40 मै. टन	200 मै. टन

Page No 174

(174)

परिशिष्ठ 6

तारांकित प्रश्न संख्या 272 की सूची

सूची काश्तकारान जिनके द्वारा श्री दिलीप सिंह को ग्राम मोतीपुरा के खसरा नं० 213 की सीलिंग काश्त के अन्तर्गत अवाप्त शुदा भूमि कम की गई।

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम आसामी जिनका बेचान कर अवैध तरीके खाते बताई थी।
1.	मोतीपुरा	गोबिन्दा सा० श्योबक्स धाकड़ सा० मोतीपुरा
2.	बगली	कालू पुत्र रामचन्द्र, मदन पुत्र रामचन्द्र धाकड़ सा० बगली
3.	मोतीपुरा	कालू, गोपाल हरमल पुत्र रामचन्द्र तेलीखां मोतीपुरा
4.	,,	किशना कान्त पुत्र देवा कुम्हार सा० मोतीपुरा
5.	पिपलोद	धन्नालाल पुत्र भूरा लाल मीना सा० पिपलोद
6.	काकडदा	रूपसिंह पुत्र अनारसिंह राजपूत सा० काकडदा तह० किशनगंज
7.	मोतीपुरा	मथुरा पुत्र हीरा मीना सा० मोतीपुरा
8.	अरनिया	मांगिया पुत्र गोपीलाल मीना सा० अरनिया
9.	अरनिया	माधो पुत्र बाला गडरिया सा० अरनिया
10.	,,	देवा पुत्र बाला गडरिया सा० अरनिया
11.	,,	सीताराम पुत्र बगरा गडरिया सा० अरनिया
12.	,,	पन्ना पुत्र नारायण, धन्ना पुत्र विशना चमार मोतीपुरा
13.	,,	विशना पुत्र रामबक्सा मीना
14.	,,	धन्ना पुत्र विशना, पन्ना पुत्र देवकरण चमार
15.	,,	धन्नी खोजेमाधो गडरिया अरन्या
16.	,,	पराजोजे गोप्या मीना अरन्या
17.	मोतीपुरा	माडया जगन्नाथ गमल्या चमार मोतीपुरा
18.	पिपलोद	रावट पुत्र रामचन्द्र ईसाई

————

Page No 175

(175)

परिशिष्ट 7

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके प्रश्न एवं उनके उत्तर

जिला उदयपुर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को स्वीकृत वाहन

277. **श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :** क्या यातायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये परिवहन वाहन उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष योजना प्रारम्भ की थी ? यदि हां, तो उदयपुर जिले के विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति, जिनको वाहन स्वीकृत हुए, कृपया उनकी तत्सम्बन्धी सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त व्यक्ति कुल लाभान्वित व्यक्तियों का कितना प्रतिशत है ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योजना राजस्थान वित्त निगम एवं परिवहन निगम द्वारा संयुक्त रूप से प्रारम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत वित्त निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को वाहन खरीदने एवं बॉडी निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत किया गया था तथा परिवहन निगम द्वारा स्वयं के कोटे से चेसिस दिये जाकर वाहनों को अनुबन्ध पर 4 वर्ष के लिए लिया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत उदयपुर जिले के व्यक्तियों को स्वीकृत किये गये वाहन सम्बन्धी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त व्यक्ति कुल लाभान्वित व्यक्तियों का 2·53 प्रतिशत है।

उदयपुर जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को वाहन आवंटन की सूची

क्र.सं.	नाम
1.	मैसर्स श्री प्यार चन्द एवं सोहन लाल हरिजन जक्कर बान कालोनी, सूरजपोल बाजार, उदयपुर
2.	मैसर्स सुन्दर लाल चौथमल यादव, यादव मोहल्ला देलवाड़ा जिला उदयपुर।

———

तहसील प्रतापगढ़ में चरनोट की भूमि पर कब्जे

278. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील प्रतापगढ़ में कितनी चरनोट की भूमि पर कृषकों ने कब्जा कर रखा है ?

(2) क्या राज्य सरकार का अतिक्रमियों को बेदखल करने का विचार है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किन किन क बेदखल किया गया ? कृपया पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ में 426 एकड़ चरनोट भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।

(2) जी हां। गत दो वर्षों में 225 अतिक्रमियों को बेदखल किया गया है, जिनकी पंचायतवार सूची सदन को पटल पर रख दी गई है ।

सूची चरनोट भूमि गत दो वर्षों में जिन काश्तकारों ने कब्जे किये उनको बेदखल किये

1. पंचायत धमोत्तर

1. श्री नारायण पिता हुक्का मीणा
2. ,, रामा पिता जग्गा मीणा
3. ,, नारू पिता डेमता मीणा
4. ,, रोड़ा पिता तेजा मीणा
5. ,, कुशाला पिता खुमा मीणा

2. पंचायत पीलु

1. श्री मोहन पिता मूलचन्द्र
2. ,, भंवरसिंह राजपूत
3. ,, गुलाब पिता रामा
4. ,, सज्जनसिंह पिता रतनसिंह राजपूत
5. ,, गोरधनसिंह पिता अनुपसिंह
6. ,, अम्बालाल पिता चुन्नीलाल
7. ,, केशुराम पिता चुन्नीलाल
8. ,, कुमरसिंह पिता जीवनसिंह
9. ,, बगदीराम, भेरू, रामचन्द्र पिता नारछी गावरी
10. ,, लाला पिता चुन्नीलाल बावरी
11. श्री उमरावसिंह पिता जोधसिंह
12. ,, उमरावसिंह पिता रतनसिंह
13. ,, रामसिंह पिता तेजसिंह
14. ,, मोतीसिंह पिता भेरूसिंह
15. ,, कालूसिंह पिता तेजसिंह
16. ,, गोरधनसिंह पिता तेजसिंह
17. ,, रामलाल पिता रतनलाल

3. पंचायत पिळलाड़

1. श्री तेजिया पिता दोला चमार
2. ,, भोगलाल पिता नाथु मीणा
3. ,, देवा पिता रक्खा मीणा
4. ,, मानिया पिता नारू मीणा

4. पंचायत नारायण खेड़ा

1. श्री पिरिया पिता लाला मीणा
2. श्री वेस्ता पिता नाथु मीणा
3. ,, बिहारी पिता भापज बंजारा
4. ,, जालमा पिता घूला मीणा
5. ,, दीपा पिता पाचिया मीणा

4. पंचायत पानमोड़ी

1. श्री भैरू पिता शंकर मरूणा
2. ,, लच्छा पिता गौतम मीणा
3. , पूना पिता गणेश मीणा
4. ,, गमेश पिता लाला मीणा
5. ,, नाराण पिता परशा मीणा
6. ,, रामा पिता ऊंकार मीणा

6. पंचायत धड़ा

1. श्री नानुराम पिता भगवान कुमावत
2. ,, मोतीलाल पिता रतनलाल कुलमी
3. ,, रामा पिता केवल चमार
4. ,, अमृतलाल दगरू चमार
5. ,, गंगाराम
6. ,, अजीज पिता खान बहादुर
7. ,, रामलाल पिता गमेरा
8. ,, अम्बागीर पिता अम्पागीर
9. ,, भैरू अम्बा पिता लाला चमार
10. ,, राधेश्याम पिता अम्बालाल शर्मा
11. ,, गोरधनलाल पिता रतनलाल
12. ,, मोहनलाल पिता हीरालाल
13. ,, देवा पिता नन्दा कीर
14. ,, बरदा पिता भीमा कीर

7, पंचायत पीलु

1. श्री गुमाना पिता जेतराम
2. ,, उदा पिता हीरा गुजर
3. ,, रामसिंह पिता रूपसिंह
4. ,, गोरधन पिता देवीसिंह
5. ,, उम्मेदसिंह पिता देवीसिंह
6. ,, गुमानसिंह पिता केशरसिंह
7. ,, भंवरसिंह पिता रणसिंह
8. ,, मोहनसिंह पिता भुवानसिंह
9. श्री बाला पिता भैरा सुथार
10. ,, मन्ना पिता नाराण बन्जारा
11. ,, बालू पिता केशुराम धाणका
12. ,, भैरा पिता गुलाब बंजारा
13. ,, मोती हेमा बंजारा
14. ,, बिहारी पिता मेघा बंजारा
15. ,, दुर्गालाल पिता हीरालाल सुथार
16. ,, सुजानसिंह पिता भंवरसिंह
17. ,, भैरू पिता भुवान बलाई
18. ,, शंकर पिता अमृतलाल सुधार
19. ,, केशा पिता लाला बंजारा

8. पंचायत रठांजना

1. श्री सालगराम पिता दुला बलाई
2. ,, मामु, किशन, शंकर, कन्हैयालाल
3. श्री देवीसिंह पिता मेताबसिंह
4. श्री ऊंकारलाल पिता नानुराम
5. श्री नाथु पिता देवा गावरी
6. श्री नानुराम पिता देवा चमार
7. श्री भंवरलाल पिता शंकर कुमावत
8. श्री माणक पिता नानूराम कुमावत
9. श्री कवरु पिता पतरा गावरी
10. श्री अमृतराम पिता नाथु चमार
11. श्री रगनाथ पिता नानूराम लुहार
12. श्री जुबन पिता गुटबा राजपूत
13. श्री दवरु पिता गोकल गावरी
14. ,, बरदा पिता गोरधान कुमावत
15. ,, लक्ष्मण पिता हमेरा कुम्हार
16. ,, उदा पिता मोती मीणा
17. ,, उमर पिता असफर खां
18. ,, नन्दा पिता रामा गुजर
19. ,, देवराम पिता गिरधारी

20. श्री रामा पिता भैरू दर्जी
21. ,, धन्ना पिता ऊंकार कुमावत
22. ,, बगदीराम पिता मोड़ा कुमावत
23. ,, गमेरा पिता भैरा मीणा
24 ,, विधान पिता धन्ना कुमावत
25. ,, कवरु पिता विधान कुमार
26. ,, भमरसिंह पिता दलपतसिंह
27. ,, मोहन, बजराय पिता लालु ढोली
28. ,, बरदा पिता हीरा मीणा
29. ,, भैरू पिता मुवान कुमावत
30. ,, केशुराम पिता मोहन कुमावत
31. ,, बरदीचन्द्र पिता गोपाल
32. ,, लक्ष्मण पिता हमे●
33. ,, नाथु पिता देवा गावरी
34. ,, कवरु पिता दल्ला
35. ,, बाला पिता रूपा

9. पंचायत गादोला

1. श्री नाना पिता लल्लु
2. ,, रामू पिता जामा
3. ,, रोड़ा पिता राजू
4. ,, राधु पिता भीमा

10. पंचायत अचलपुर

1. श्री रामा पिता बरदा गावरी
2. ,, छोरिवया पिता जीवा मीणा
3. ,, हीरा पिता खान्या मीणा
4. ,, फुला पिता खान्या मीणा
5. ,, कवरु पिता चोखा मीणा
6. ,, कालु पिता लाला मीणा
7. ,, लालिया पिता बालिया मीणा
8. ,हकरिया पिता पाच्या मीणा
9. श्री हीरा पिता दाखा मीणा
10. ,, उदा पिता रूपा मीणा

11. पंचायत देवगढ़

1. श्री पाचिया पिता मालिया
2. ,, भागला पिता देवा मीणा
3. ,, रूपलाल पिता धन्ना मीणा
4. ,, मोतिया पिता देवजी

12. पंचायत गादोला

1. श्री रुगनाथसिंह पिता रतनसिंह
2. ,, गंगाराम पिता जयकिशन राजपूत
3. ,, भवरसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत
4. ,, चेनसिंह मुवानसिंह पिता गुमानसिंह
5. ,, प्रतापसिंह, रुघनाथसिंह, नवलसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत
6. ,, शंभूसिंह पिता भुवानसिंह
7. ,, भागिया पिता गुलाब
8. ,, बरदा पिता नन्दा मीणा
9. ,, भागिया पिता भगा मीणा
10. ,, चुनिया पिता गुलाब
11. ,, कनीराम पिता मथरा

13. पंचायत बरड़िया

1. श्री भगतराम पिता धनराज कुलमी
2. ,, दाखी पत्नी नन्दा नायक
3. ,, रामलाल पिता सीताराम
4. ,, भागीरथ पिता सवा चमार
5. ,, हीरालाल पिता भागीरथ गावरी
6. ,, भैरूलाल, मोतीराम पिता रूपा कुलमी
7. ,, घासी पिता हरिराम रैगर
8. ,, रामलाल पिता सवा कुलमी

9. श्री ऊंकारलाल पिता फूलचंद्र
10. ,, शिवलाल पिता धुरा गावरी
11. ,, रामचन्द्र पिता धुरा गावरी
12. ,, भागीलाल पिता भुवान चमार
13. ,, बालमुकुंद पिता मोडराम कुलमी
14. ,, मथरालाल पिता धनीराम कुलमी
15. ,, बाबुलाल पिता देवचन्द्र कुलमी

14. पंचायत खोरिया

1. श्री मेहता पिता देवा मीणा
2. ,, भैरूलाल पिता नारू मीणा

15. पंचायत बाराबरक्ष

1. श्री बालगा पिता सवा मीणा
2. ,, थावरा पिता चम्पा मीणा
3. ,, धुला पिता नाथु मीणा
4. ,, राजमल पिता नाथु मीणा
5. ,, देवा पिता रतन मीणा
6. ,, भोमा पिता नगरजी मीणा

16. पंचायत पण्डावा

1. श्री मांगू पिता कुशाला मीणा
2. ,, नाजी पिता हरजी मीणा
3. ,, भुवाना पिता धारिया मीणा
4. ,, बचला, लक्ष्मण, बस्वा मीणा
5 ,, राजजी पिता शंभू मीणा
6. ,, धोखली पिता नगजी
7. ,, शंकरनाथ पिता नगजीनाथ
8. ,, लाडनाथ पिता हेमनाथ
9. ,, धनजी पिता मानिगा मीणा
10. ,, धारिया पिता कालिया मीणा
11. ,, पूसा पिता धारिया मीणा

12. श्री जोखिया देवजी
13. ,, मलिया पिता मोत्या
14. ,, बीजिया पिता धारिया

17. पंचायत बाजली

1. श्री ऊंकार पिता भैरा मीणा
2. ,, गोरधनसिंह पिता मेतावसिंह
3. ,, गेटु पिता चतरा मीणा
4. ,, नानुराम पिता भैरा मीणा
5. ,, जीवणा पिता रूपा मीणा
6. ,, बालु पिता भगा कुमावत
7. ,, हरिराम पिता नन्दा कुमावत
8. ,, भंवरलाल पिता रामचन्द्र कुमावत
9. ,, भुवान पिता मन्ना मीणा
10. ,, सरदारा पिता मन्ना मीणा
11. ,, नागुडा पिता पूना मीणा

18: पंचायत सेवना

1. श्री भैरूनाथ पिता पूनानाथ
2. ,, शकर पिता भ्रमरा मीणा
3. ,, रुकमा पिता धुला मीणा
4. ,, फूलजी पिता हरजी मीणा
5. ,, रामा पिता लक्ष्मण मीणा
6. ,, रकमा पिता लक्ष्मण मीणा
7. ,, कारू पिता नाथु मीणा
8. ,, चमनजी पिता धुला मीणा
9. ,, बेस्ता पिता नारजी मीणा
10. ,, हुकरिया पिता भैरा मीणा
11. ,, हिन्दुडा पिता भैरा मीणा

19. पंचायत कोटडी

1. श्री बावड पिता भैरा सांसरी

20. पंचायत रायपुर

1. श्री चमना पिता उदा मीणा
2. ,, कमरु पिता चमना मीणा
3. ,, दल्ला बेलिया पिता राजिया मीणा
4. ,, श्री थावरा पिता धोपा मीणा
5. ,, रतना पिता बिरधा मीणा
6. ,, राजेन्द्रकुमार पिता दुबरिया मीणा

2 ... त अजनारा

1. श्री रामदास पिता छगनदास बैरागी
2. ,, सीता पत्नी घुला हरिजन
3. ,, बनदीराम पिता भैरा मीणा
4. ,, अकबर मुसलमान
5. ,, ग्यारसी पिता नन्दा सुनार
6. ,, भुग्रार पिता जीवा मीणा
8. ,, मांगीलाल पिता चुन्नीलाल मीणा
8. ,, छोटूलाल पिता हुसैन हरिजन
9. ,, गंगाराम पिता भुवान चमार
10. श्री बाबूलाल पिता भैरा मीणा
11. ,, काना पिता कारू मीणा
12. ,, लक्ष्मण पिता देवीजी मीणा
13. ,, नानुराम पिता नाथु मीणा
14. ,, मोहन पिता नाथु मीणा
15. ,, मंगला पिता जीवा मीणा

22. पंचायत बेड़मा

1. श्री भैरा पिता काना मोग्या
2. ,, हुका पिता कारु कबारची
3. ,, गौतम पिता मोती मीणा
4. ,, रामलाल पिता बगदीराम मीणा
5. ,, मोहन पिता रणछोड़ मीणा
6. ,, हरिराम पिता नन्दा मीणा
7. ,, गौतम पिता मोती मीणा
8. ,, प्रभू पिता बगदीराम मीणा
9. ,, गोविंद पिता गौतम मीणा
10. ,, हीरा पिता खेमा मीणा

वन विभाग नर्सरी जयपुर के श्रमिकों की मांगें

279. श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है वन विभाग नर्सरी लेबर यूनियन, जयपुर ने नर्सरी श्रमिकों का जीवन स्तर सुधारने के लिये एक मांग-पत्र वन वन विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया है ?

(2) क्या यह सही कि इस मांग पत्र पर श्रम विभाग द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत बुलाई गई समझौता-वार्ता में कोई अधिकारी सम्मिलित नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मांगें मंजूर नहीं किये जाने व समझौता वार्ता में विभाग द्वारा हिस्सा नहीं लिये जाने से वहां के श्रमिक पिछले कई दिनों से आन्दोलित हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस आंदोलन से क्षुब्ध होकर अधिकारियों द्वारा 4 श्रमिकों को नौकरी से हटा दिया गया है

(श्री त्रिलोकसिंह)

और श्रमिकों की रोजमर्रा की समस्याओं के बारे में भी उनसे बात नहीं करते ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) श्रमिकों छटनी सम्बन्धी विवादों के बारे में समय समय पर यूनियन द्वारा विरोध प्रकट किया जाता रहा है।

(4) जी नहीं।

ग्राम कुड़की (पाली) में प्राइवेट हेतु सड़क निर्माण उपयोग

280. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पाली जिले की तहसील जैतारण के ग्राम कुड़की के भूतपूर्व सरपंच के फार्म तक अढ़ाई किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कब ? प्राइवेट उपयोग हेतु सड़क निर्माण के क्या कारण हैं ?

उत्तर

पाली जिले की तहसील जैतारण के ग्राम कुड़की के भूतपूर्व सरपंच के फार्म में अढ़ाई किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु कोई भी स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं दी गई। अतः प्राइवेट उपयोग हेतु सड़क निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्यावर-लाम्बिया-कालू-बिलाड़ा मार्गों का राष्ट्रीयकरण

281. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है ब्यावर लाम्बिया, ब्यावर-कालू, ब्यावर बिलाड़ा मार्ग पर प्राइवेट बसें चलती हैं तथा इनमें भारी भीड़ रहने की वजह से जनता द्वारा इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की गई है ?

(2) यदि हां, तो इन मार्गों का कब तक राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जनता द्वारा इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने की मांग नहीं की गई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

तहसील चाकसू के ग्रामों का विद्युतीकरण

282. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील चाकसू जिला जयपुर के ग्रामों का वर्ष 1980–81 में विद्युतीकरण करने की स्वीकृति हो जाने

(श्री महाराम चौधरी)

के बावजूद भी ग्रामों के किसानों को अभी तक भी कृषि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ? क्या राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। तहसील चाकसू में कृषि कार्य हेतु कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बंभोर (टौंक) की सड़क का निर्माण कार्य

283. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील टौंक के ग्राम बंभोर में सड़क निर्माण कार्य किसके माध्यम से किस सन् में चालू किया गया था तथा उक्त सड़क का कार्य अब तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इस सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील टौंक के ग्राम बम्भोर में सड़क निर्माण का कार्य वर्ष 70–71 में टौंक बनेठा वाया बम्भोर के नाम से अकाल राहत कार्य के ही अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। इसके पश्चात् अकाल राहत कार्य के ही अन्तर्गत 72–72, 73–74, 78–79, 80–81 वर्ष 81–82 एवं 82–83 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत टौंक बम्भोर नाम से कार्य किया गया। अकाल राहत कार्य समाप्त होने के कारण यह कार्य अपूर्ण रहा ?

(2) योजनान्तर्गत नहीं होने के कारण सड़क निर्माण कार्य पूरा कराये जाने हेतु कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

केकड़ी–जयपुर मार्ग पर द्रुतगामी बस सेवा

284. श्री तुलसीराम (केकड़ी) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पथ परिवहन निगम की बस सेवा में द्रुतगामी बस की दिन के समय व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रकार की द्रुतगामी सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। उक्त मार्ग पर द्रुतगामी सेवा के लिए वांछित सीधा यात्री भार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण द्रुतगामी सेवा का संचालन अनार्थिक है। जी नहीं।

राम प्रकाश छवि गृह भवन, जयपुर

285. **श्री नानालाल** (राजसंमद) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में रामप्रकाश छविगृह का भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया था ? यदि हां, तो उक्त भवन में चलचित्र कौन और कब से चलाता है तथा इस समय यह भवन किसके अधिकार में है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त छवि-गृह किसी अन्य व्यक्ति को ठेके पर दिया गया है ? यदि हां, तो किस दर और आधार पर कितने वर्ष के लिए दिया गया है ? कृपया शर्त-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह भवन सरकार के पास पुरानी जयपुर रियासत से प्राप्त नजुल सम्पत्ति है। इस भवन में हसन चांद एण्ड सन्स सन् 1944 से चलचित्र चलाते रहे हैं। इस भवन पर राज्य सरकार का स्वामित्व है।

(2) जी हां। यह मैसर्स हसन चांद एण्ड सन्स को ठेके पर दिया हुआ है व जनवरी, 1950 से 6100/- प्रतिमाह 5 वर्ष के लिए खुली नीलामी के आधार पर दिया गया था। वर्तमान में आर्बीट्रेटर के नियर्णानुसार 2250/- प्रतिमाह किराया निर्धारित हुआ है।

ग्राम शिवदासपुरा (जयपुर) में 132 के० वी० ग्रिड स्टेशन

286. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1979 में जयपुर जिले के ग्राम शिवदासपुरा के लिये एक 132 के० वी० ग्रिड स्वीकृत किया गया था ?

(2) क्या यह ग्रिड बनकर तैयार हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। शिवदासपुरा की अपेक्षा सांगानेर व उसके आस पास विद्युत भार अधिक केन्द्रित होने के कारण शिवदासपुरा के स्थान पर सांगानेर में 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका कार्य पूर्ण कर सब-स्टेशन चालू कर दिया गया है।

माजरी-निहालपुरा (अलवर) सड़क निर्माण

287. **श्री सुजानसिंह यादव** (पिडावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार माजरी से निहाल-पुरा, तहसील बहरोड़ जिला अलवर की

(184)

(श्री सुजानसिंह यादव)

अधूरी सड़क को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण से बहरोड़ से नारनोल (हरियाणा) आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर माजरी से कायसा तक की 9 किलोमीटर लम्बाई में डामर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष लम्बाई में सड़क निर्माण की योजना धनाभाव के कारण अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां।

सड़क बनने से सुविधा ही होती है।

सींथल जसरासर गांव में सड़क निर्माण पर व्यय

288. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सींथल-जसरासर के बीच क्या सन् 1979-80 तक ग्रेवल्ड रोड अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बनाई गई थी ?

(2) अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत इस ग्रेवल्ड रोड पर कुल कितना खर्च किया गया ?

(3) क्या इसी पथ पर बाद में बी. टी. रोड का निर्माण किया गया है ?

(4) उक्त बी. टी. रोड का तकमीना बनाते समय इस सड़क पर स्थित कुचोर क्वेरी से माल की ढुलाई का किस दर से व किस आधार पर प्रावधान रखा गया था ?

(5) उक्त बी. टी. रोड के निर्माण कार्य के समय कि. मी. 20% से 40% का अनुबन्धन किस ठेकेदार के साथ किन दरों पर किया गया था उसे भुगतान अनुबन्ध के अनुसार दरों पर ही किया गया या भुगतान दरों में कोई परिवर्तन किया गया ? यदि परिवर्तित दरों पर किया गया, तो क्यों ?

(6) वास्तविक अनुबन्ध की दर की अपेक्षा परिवर्तित दर पर भुगतान करने से विभाग को कितना अधिक भुगतान करना पड़ा ?

उत्तर

(1) जी हां (कुछ हिस्सों में)

(2) इस रोड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 45,000/- खर्च किया गया।

(3) जी हां।

(4) उक्त बी० टी० रोड का तकमीना बनाते समय इस सड़क पर स्थित कुचोर (आथूनी) क्वेरी से माल की ढुलाई की दरों का प्रावधान (पत्रक "क") सदन के पटल पर रख दिया गया है तथा इन दरों का बीकानेर वृत प्रथम के 1979 के बी.

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

एस. आर. के आधार पर पक्की सड़क मानकर प्रावधान रखा गया था।

(5) उक्त बीट० टी० रोड के निर्माण कार्य के समय कि० मी० 20/0 से 40/0 का

(6) अनुबन्ध श्री रामदासनारायण क्लास "ए" ठेकेदार के साथ जो शिड्यूल से 12·70 प्रतिशत ऊपर की दर पर किया गया था। उसे मुगतान अनुबन्ध के अनुसार ही किया गया था। ढुलाई की भुगतान दरों में कि० मी० 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39 व 40 में वास्तविक अनुबन्ध की दर की अपेक्षा परिवर्तित दर पर मुगतान करने से विभाग को 59,270/– का अधिक मुगतान करना पड़ा तथा डामर बीकानेर पी. डब्ल्यू० डी० स्टोर की बजाय सूरतगढ़ स्टोर से ढुलाई करने के कारण 5862/– का अधिक मुगतान करना पड़ा। अधिक मुगतान के औचित्य की तुरन्त जांच हेतु आदेश दिये गये हैं।

"प्रपत्र—क"

कि० मी०	दर
1	21·35
2	20·35
3	19·95
4	19·25
5	18·55
6	17·85
7	17·15
8	16·45
9	15·75
10	15·00
11	14·25
12	13·50
13	12·75
14	12·00
15	11·25
16	10·50
17	9·75
18	9·75
19	10·50
20	11·25
21	12·00
22	12·75
23	13·50
24	14·25
25	15·00
26	15·75
27	16·45
28	17·15
29	17·85
30	18·55
31	19·95
32	19·95
33	20·65
34	21·35
35	22·05

कि०मी०	दर
36	22·75
37	23·35
38	23·95
39	24·55
40	24·55

कोटा ताप बिजली घर से व्यावसायिक रूप से विद्युत उपलब्धि

289. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत मण्डल एवं राज्य सरकार ने कोटा ताप बिजली घर के प्रथम चरण के 110 मेगावाट के प्रथम यूनिट से व्यावसायिक रूप से बिजली उपलब्ध होने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो कब-कब एवं कौन-कौन सी तिथि को ?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युत मंडल घोषणाओं के अनुसार कार्य पूरा नहीं कर सका ? यदि हां, तो क्यों ? अब कोटा ताप बिजली घर के प्रथम चरण के प्रथम एवं द्वितीय यूनिटों से कब बिजली उपलब्ध हो जायेगी ?

(3) कोटा ताप बिजली घर के द्वितीय चरण के प्रथम व द्वितीय 210 मेगावाट के यूनिटों पर राज्य सरकार अभी तक कितना व्यय कर चुकी है एवं इनसे बिजली कब तक उपलब्ध करादी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1976 में स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम इकाई के जुलाई, 1981 तक प्रारम्भ होने की संभावना आंकी गई थी। माह मई, 1980 में की गई प्रगति समीक्षा के आधार पर प्रथम इकाई को मार्च 1982 के अन्त तक प्रारम्भ करने के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। बाद में इस इकाई को मई, 1982 के अन्त तक प्रारम्भ करने के प्रयत्न किये गये।

(2) जी हां। विद्युत मण्डल उक्त घोषणा के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं कर सका है। विलम्ब के कुछ मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(क) मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एवं अन्य कई मुख्य ठेकेदारों के श्रमिकों का वर्ष 1981 के पूर्वार्द्ध में लम्बी हड़ताल पर रहना।

(ख) मैसर्स भारत हैवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा लगाये गये एसिड सर्क्यूलटिंग पम्प्स' का सन्तोषप्रद कार्य न करना जिसके कारण बायलर की (एलकेली बायल आउट) गतिविधि में लगभग तीन सप्ताह का विलम्ब होना।

(ग) टरबो–जेनरेटर के पाइपिंग कार्य को मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा समय पर पूर्ण न करना।

(घ) एच. पी. सिलेण्डर रोटर की की (Key) एवं कपलिंग वोल्टस के कारण

(ऊर्जा मंत्री)

टरबाइन की "बाक्स अप" गतिविधि में विलम्ब होना।

(ड.) मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की हैदराबाद एवं तिरूची स्थित इकाइयों से बायलर एवं टरबोजेनरेटर के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण उपकरणों (कुल 73) की प्राप्ति में विलम्ब। (विद्युत मन्डल द्वारा लगातार प्रयत्न करने के उपरान्त भी, मार्च 1982 के प्रथम सप्ताह तक 17 उपकरण प्राप्त नहीं हो सके)

(च) मैसर्स रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा "कोल हैण्डलिंग प्लांट" के कार्य को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं करने से।

रोलिंग के लिए दिनांक 28 मई, 1982 को पूर्ण तैयार कर ली गई थी परन्तु टरबाइन के एल. पी. सिलेण्डर एवं कन्डेन्सर के बीच लगे एक्सपेंशन जोइन्टस के असफल हो जाने से, यह सम्भव नहीं हो सका। मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की हरिद्वार इकाई में निर्मित नये "एक्सपेंशन जोइन्टस" अब लगाये जा चुके हैं एवं आशा है कि प्रथम इकाई का रोलिंग चालू माह (सितम्बर, 1982) में ही एवं सिन्क्रोनाईजिंग का कार्य अक्टूबर, 1982 में सम्पन्न हो जायेगा। द्वितीय इकाई का सिन्क्रोनाईजिग जून, 1983 में सम्भावित है।

(3) कोटा ताप बिजली घर के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आने वाले कार्य पर मार्च, 1982 के अन्त तक 10·67 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इस चरण की प्रथम एवं द्वितीय इकाई को सप्तम पंचवर्षीय योजना में कार्यशील करने का लक्ष्य रखा गया

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से स्वीकृत अनुदान का उपयोग

290. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की ओर स्वीकृत अनुदान का राजस्थान में सबसे कम उपयोग होता है क्योंकि यहां समाज कल्याण की सबसे कम योजनाएं एवं कार्यक्रम चल रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय अनुदान राशि का उपयोग कम करने के कारण राज्य को दिया जाने वाला अनुदान अन्य राज्यों को चला जाता है?

(3) कृपया वित्तीय वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं एवं कार्यक्रम हेतु स्वीकृत अनुदान राशि, उसमें से राज्य द्वारा प्राप्त कर उपयोग की गई राशि का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से प्राप्त राशि का यथा सम्भव उपयोग किया गया है।

(3) विवरण सदन के पटल पर दिया गया है। (परिशिष्ट क)

		वर्ष 1980-81		वर्ष 1981-82	
	कार्यक्रम	केन्द्रीय बोर्ड द्वारा आवंटित अनुदान राशि	राज्य बोर्ड द्वारा केन्द्रीय बोर्ड से प्राप्त कर उपयोग की गई राशि	केन्द्रीय बोर्ड द्वारा आवंटित अनुदान राशि	राज्य बोर्ड द्वारा केन्द्रीय बोर्ड से प्राप्त कर उपयोग की गई राशि
		रु०	रु०	रु०	रु०
1.	एक वर्षीय अनुदान	3,20,000.00	3,12,000.00	3,20,000.00	2,48,000.00
2.	पोषाहार	4,00,000.00	3,37,419.00	3,00,000.00	2,77,785.00
3.	महिला मण्डल	2,60,000.00	2,20,556.00	2,60,000.00	2,51,298.00
4.	बाल अवकाश शिविर	1,30,000.00	99,833.00	1,00,000.00	48,000.00
5.	प्रौढ़ शिक्षा संक्षिप्त पाठ्यक्रम	4,32,475.00	79,000.00	दो पाठ्यक्रम	17,100,00
6.	परिवार कल्याण प्रेरणा प्रशिक्षण शिविर	5,000 00	4,876.00	60 शिविर	7,000.00
7.	समाज कल्याण योजना (सी० डी0)	7,20.000.00	5,63,500.00	7,20,000.00	6,95,467.00
8.	समाज कल्याण योजना (सीमा क्षेत्र)	7,76,016.00	7,28,750.00	8,16,358.00	6,38,050.00
	केन्द्रीय बोर्ड द्वारा संस्थाओं को सीधे ही स्वीकृत एवं निर्गत				
1.	योजना अवधि अनुदान	16,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00
2.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	11,65,505.00	9,52,305.00	12,00,000.00	2,00,000.00
3.	शिशु पालना गृह	1,60,146.00	—	1,67,908.00	1,03,957.00

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई योजनायें

291. **श्री छोगाराम बकोलिया** (रेवदर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं के माध्यम से अधिक एरिया सिंचित करने का भी लक्ष्य है ? यदि हां, तो राज्य की कितनी मध्यम सिंचाई योजनाएं विचाराधीन हैं और वे किस-किस स्तर पर हैं ?

(2) क्या सूकली मध्यम सिंचाई योजना तहसील रेवदर, जिला सिरोही भारत सरकार से स्वीकृत हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक इसे स्वीकृत कराने हेतु राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान में विभिन्न सतही जल योजनाओं से, वर्ष 1982-83 में 64950 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। निर्माणाधीन योजनाओं के अतिरिक्त राज्य मे 29 मध्यम सिंचाई योजनाएं विचाराधीन हैं। इनमें से चार योजनाओं को योजना आयोग तकनीकी सलाहकार समिति ने अनुमोदित कर दिया है। एक सूकलो सिंचाई योजना, योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति के विचाराधीन है। चार योजनाएं केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन हैं। इनके अतिरिक्त 20 योजनाओं पर आकलन बनाने एवं सर्वेक्षण की कार्यवाही चल रही है।

(2) सूकली मध्यम सिंचाई योजना को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की जाकर अनुमोदन हेतु योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत की जा चुकी है।

सीकर जिले के अवशिष्ट गांवों का रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज

292. **श्री नारायणसिंह** (दांतारामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर जिले में कितने गांव ऐसे हैं जिनका रेवेन्यू रिकार्ड में नाम नहीं है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन गावों को अलग से रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सीकर जिले में ऐसा एक भी गांव नहीं है जिसका रेवेन्यू रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं हो।

(2) यह सही है कि तहसील दांतारामगढ़ क्षेत्र की कुछ ढाणियों को अलग से रेवेन्यू रिकार्ड में नाम दर्ज कराने हेतु क्षेत्रीय विधायक द्वारा मांग की गई है।

(राजस्व मन्त्री)

उक्त प्रस्ताव पर जिलाधीश सीकर की टिप्पणी भेजने हेतु लिखा गया है, जो प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

बारां नगर की बाढ़ समस्या का समाधान

293. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जिला कोटा का बारां नगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत आता है?

(2) क्या बारां में बाढ़ की समस्या हल करने के लिये कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितना धन व्यय किया गया?

(3) गत पन्द्रह वर्षों में बारां नगर कितनी बार बाढ़ की चपेट में आ चुका है? इसमें कितनी धन हानि हुई?

(4) क्या यह सही है कि अगस्त, 1982 में भी बारां नगर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी?

(5) क्या सरकार बारां को बाढ़ से बचाव के लिये बनाई गई योजना को समुचित समझती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अब तक इस पर लगभग 89,42,000 रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(3) पिछले 15 वर्षों में बारां नगर का कुछ भाग चार बार बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जिसमें सन् 1975 में अनुमानतः 9.71 लाख रुपये की निजी सम्पत्ति की हानि हुई है।

(4) अगस्त, 1982 में बारां नगर का कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित हुआ था।

(5) विश्वास यही है कि योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् बारां नगर को बाढ़ से मुक्ति हो जावेगी।

पंचायत समिति राजगढ़ व रैणी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

294. **श्री समर्थ लाल** (राजगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, राजगढ़ व पंचायत समिति, रैणी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब स्वीकृत हुई थी, तथा वर्षवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना तय किया गया था?

(2) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार वर्षवार विद्युतीकरण न होने के क्या कारण रहे हैं?

(श्री समरथलाल)

(4) अब उक्त योजना के अन्तर्गत दोनों पंचायत समितियों के ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति राजगढ़ की श्रो. बी. श्रेणी की एक योजना जिसमें, 111 पोटेन्शियल तथा 17 नोन पोटेन्शियल ग्राम सम्मिलित हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वर्ष 1980–81 में स्वीकृत की गई थी। योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का है। योजना के प्रथम वर्ष में 41, द्वितीय वर्ष में 39 एवं तृतीय वर्ष में 31 ग्राम व 17 नोन-पोटेन्शियल ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था।

(2) पंचायत समिति रेंणी की दो योजनायें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण सहायतार्थ वर्ष 1980–81 में स्वीकृत की गई थी। प्रथम योजना एस०यू० श्रेणी की है जिसमें 50 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का है। योजना के प्रथम वर्ष में 25 एवं द्वितीय वर्ष में 25 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था। दूसरी योजना एस०पी० श्रेणी की है जिसके अन्तर्गत 31 पोटेन्शियल एवं 2 नोन-पोटेन्शियल ग्राम एवं 13 विद्युतीकृत ग्राम सम्मिलित है। योजनानुसार प्रथम वर्ष में 21 तथा दूसरे वर्ष में 10 पोटन्शियल तथा 2 नोट-पोटेन्शियल ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था।

उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत पंचायत समिति राजगढ़ के 21 एवं पंचायत समिति रेंणी के 23 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इन सभी ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 81–82 में किया गया है।

(3) विद्युत मण्डल के वित्तीय साधन सीमित होने के कारण विद्युतीकरण पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार नहीं हो सका।

(4) इन ग्रामों का विद्युतीकरण कब पूरा कर लिया जावेगा, इसके बारे में निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है। वित्तीय साधनों की उपलब्धि के आधार पर ही राज्य की सभी स्वीकृत योजनाओं के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अगले वर्षों के कार्यक्रम निर्धारित किये जावेंगे।

कामां निर्वाचन क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन्स

295. श्री चाव खां (कामां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भरतपुर के कामां निर्वाचन क्षेत्र की किस किस पंचायत के किन किन गांवों में वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 में बिजली के कनेक्शन दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस वर्ष कामां निर्वाचन क्षेत्र की कुछ पंचायतों में बिजली के कनेक्शन देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री चाव खाँ)

(3) क्या सरकार कांग्रेस (आई) तथा विपक्ष के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में बिजली प्रदान करने में पक्षपात करती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर के कामां निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के 44 ग्रामों में वर्ष 1980-81 तथा 81-82 में बिजली के कनेक्शन दिये गये। ग्रामों की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

कामां निर्वाचन क्षेत्र के उन ग्रामों की सूची जिनमें वर्ष 80-81 व 81-82 में बिजली के कनेक्शन दिये गये।

क्र० सं०	ग्राम का नाम	क्र० सं०	ग्राम का नाम
1	2	1	2
1.	कामां	17.	सुनहरा
2.	जुरहरा	18.	घिलावटी
3.	गढ़ अजान	19.	वादीपुर
4.	विलंग	20.	सतवास
5.	कन्वाडा	21.	ऐंचवाडा
6.	जुरहरी	22.	सोनोखर
7.	गुरगुरिया	23.	पाई
8.	मुल्लाका	24.	बामनी
9.	घाटा	25.	नौगावा
10.	नेतवारी	26.	नोन्हेरा
11.	लाडलका	27.	ऊन्धन
12.	कलावटा	28.	मूसेपुर
13.	दादेंरा	29.	भन्डारा
14.	उदाका	30.	सहसन
15	अकासा	31.	केकोल
16.	राधानगरी	32.	थलबाना

1	2	1	2
33.	बामनवाड़ी	39.	सतवाड़ी
34	ग्रहलवाडी	40.	सामलेर
35.	घीमरी	41.	इन्डोली
36	लुहेसर	42.	करमुका
37.	विलोंद	43.	नन्देरा
38.	बालखेडा	44.	छिछरवाड़ी

यमुना नदी के पानी में राजस्थान का हिस्सा

296. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) ग्रन्तर्राज्यीय स्तर पर यमुना नदी के पानी में राजस्थान का हिस्सा कब तक निश्चित हो सकेगा ?

(2) क्या यह सत्य है कि यमुना नदी के पानी के बंटवारे का निर्णय नहीं होने से राजस्थान को भारी हानि हो रही है, ग्रौर हरियाणा व उत्तर प्रदेश ग्रपनी-ग्रपनी ग्रावश्यकताग्रों के ग्रनुसार पर्याप्त पानी इस नदी से ले रहे हैं तथा उस पानी पर ग्रपना ग्रधिकार जमा रहे हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि यमुना नदी से सिंचाई के लिए पानी लेने के लिए व तीनों राज्यों को पानी देने हेतु इस नदी पर विशाल बांध बनाने की योजना टाली जा रही है जिससे राजस्थान को गम्भीर हानि हो रही है ?

(4) क्या राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में यमुना नदी का पानी लेने के लिये जो नहरें खोदी गई हैं वे निर्जल पड़ी हुई हैं ग्रौर जो नहरें खोदी जायेंगी उनकी योजना भी ग्रनिश्चित है ग्रौर उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाने से राजस्थान के पूर्वी जिलों की सिंचाई के मामले में ग्रनदेखी ग्रौर ग्रवहेलना हो रही है ?

(5) पिछले दो वर्ष में राजस्थान सरकार ने यमुना नदी से ग्रपने हिस्से का पानी लेने के लिये क्या क्या ग्रौर कब कब प्रयास किये हैं ।

उत्तर

(1) बताना सम्भव नहीं है । मामला केन्द्रीय स्तर पर विचाराधीन है ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं । बांधों का निर्माण पानी के बंटवारे के ग्रलावा, वित्तीय साधनों व कुछ ग्रन्य कारणों की वजह से शुरू नहीं किया जा सका है ।

Page No 194

(१९४)

(सिंचाई मंत्री)

(4) जी नहीं। कोई अनदेखी व अवहेलना नहीं हो रही। जो नहरें खोदी गई हैं या जो खोदी जा रही हैं उनमें केवल वर्षा ऋतु में यमुना नदी से अतिरिक्त उपलब्ध पानी का उपयोग करने का प्रावधान है। समय-समय पर इन नहरों में पानी उपलब्ध कराया गया है। निर्माणाधीन ओखला बैराज पूरा होने पर पानी की उपलब्धि में निश्चितता आ जायेगी।

(5) राजस्थान सरकार द्वारा प्रयत्न कर सिंचाई मंत्रालय से इस मसले पर विचार कराया गया। फिर सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक 28 अप्रेल, 1981 को आयोजित कराई। इस मीटिंग के निर्णयानुसार गठित तकनीकी समिति को समय समय पर राजस्थान के हितों को ध्यान में रखते हुए तर्क प्रस्तुत किये। तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय को जुलाई, 1982 में पेश कर दी है और जल्दी ही मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलायी जायेगी।

———

परिशिष्ट 3

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

भरतपुर में आवंटित किये गये मकानों के आवंटियों की सूची मय पते

क. सं. 1	मकान सं० 2	मकान का माप 3	आवंटी का नाम व पता 4
1.	1-क-7	25×50	श्री भजन लाल अग्रवाल, रीडर, मुसिंफ न्यायालय डिण्डोन, सिटी सवाईमाधोपुर
2.	1-क-8	..	श्री चन्द्रभान गुप्ता, 53 मधुवन, वेस्ट किशन मार्ग, टौंक फाटक, जयपुर।
3.	1-क-16	..	श्री अतुल भार्गव, मार्फत प्रोजेक्ट अधिकारी स्माल फारमर्श डवलपमेन्ट एजेन्सीज, भरतपुर।
4.	1-क-22	..	श्री कृष्ण गोपाल, भरतपुर।
5.	1-क-2	..	श्री सुजानसिंह, सब इन्सपेक्टर पुलिस वायरलैश, जयपुर।
6.	1-क-15	..	श्री कु. भूपसिंह अत्रीयां कोतवाली रोड, भरतपुर।
7.	1-क-13	..	श्री एन. एन. भार्गव, भरतपुर।
8.	1-क-19	..	श्री थानसिंह, भरतपुर।
9.	1-क-12	..	श्री बृजकिशोर गर्ग, पुराने डाकखाने के पीछे, भरतपुर।
10.	1-क-12	..	श्री गोरधन सिंह, बासन दरवाजा, भरतपुर
11.	1-क-6	..	श्री ओ. ई. एल्कजेण्डर, जनाना हास्पिटल, जयपुर।
12.	1-क-17	..	श्रीमती कला, पशुपालन विभाग, भरतपुर
13.	1-क-11	..	श्री गिरीश शर्मा, भरतपुर।
14.	1-क-3	..	श्री मनोहर लाल. किराना मर्चेन्ट हाटी बाजार नदबई, भरतपुर।
15.	1-क-20	..	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, फूढ कारपोरेशन आफ इण्डिया, सुभाष मार्ग, जयपुर।

Page No 196

(196)

1	2		3	4
16.	1–क–24	25×50		श्री श्याम सुन्दर, जलदाय विभाग मिस्त्री खाना, जयपुर।
17.	1–क–5	..		श्री प्रमोद कुमार, पुलिस इंसपेक्टर, पुरोहित मोहल्ला, भरतपुर।
18.	1–क–1	..		श्री ओम प्रकार, भरतपुर।
19.	1–क–29	30×60		श्री एम. एल. सिंगल डी-59 शांती पथ पत्रकार कालोनी, जयपुर।
20.	1–क–31	..		श्री बालस्वरूप माथुर, मार्फत घासमण्डी कोतवाली भरतपुर।
21.	1–क–36	..		श्री सुदामा प्रसाद शर्मा, मेलनर्स, देहीवाली गली, भरतपुर।
22.	1–क–25	..		श्री मोजी, लाल जिला कृषि अधिकारी, टोंक
23.	1–क–26	..		श्री अमीर चन्द जैन. मेकेनिकल इंजीनियर सीमको लि० भरतपुर।
24.	1–क–27	..		श्री भगवान दास गुप्ता 1-क-27, भरतपुर
25.	1–क–38	..		श्री श्याम मोहन कटारा, मार्फत पशुपालन अनुसंधान केन्द्र, बस्सी
26.	1–क–32	..		श्री सुभाष चन्द्र, सी-37 तिलक नगर, जयपुर
27.	1–क–28	..		श्री त्रिलोकी नाथ, भरतपुर।
28.	1–क–30	..		श्री जगदीश लाल, वार्ड. 7 पंजाबी मोहल्ला, भरतपुर।
29.	1–क–41	..		श्री दिनेश चन्द्र, भरतपुर।
30.	1–क–37	..		श्री गिरीश शर्मा, महासचिव रोडवेज (ऐटक सिन्धी कैंप जयपुर।
31.	1–क–35	..		श्री आर० बी० बन्सल, भरतपुर।
32.	2–क–9	20×50		श्री अशोक कुमार, भरतपुर।
33.	2–क–14	..		श्री अरविन्द भार्गव, गुलाब कुण्ड, भरतपुर
34.	2–क–7	..		श्री दुर्गादत्त शर्मा, भरतपुर।

(197)

1	2		3	4
35.	2–क–6		25×50	श्री जीवतराम, बहादुर सिंह की गली भरतपुर।
36.	2–क–4		..	श्री प्रेमप्रकाश गुम्बर, गुम्बर स्टोर गली, रेखा नानगा, भरतपुर।
37.	2–क–5		..	श्री सुरेश कुमार, गुम्बर स्टोर, भरतपुर।
38.	2–क–11		..	श्री राजेन्द्र सिंह 2-क-11 भरतपुर।
39.	2–क–8		..	श्री विश्वामित्र, गुम्बर गली रेखा नानगा, भरतपुर।
40.	2–क–10		..	श्री महेश चन्द्र जैन, 109, कृष्णा नगर कालोनी, भरतपुर।
41.	2–क–12		..	श्री घनराज, गोलबाग रोड, भरतपुर।
42.	2–क–13		..	श्री छोटे लाल गुप्ता, सतेजा अस्पताल के पास, भरतपुर।
43.	2–क–15		..	श्री महेन्द्र सिंह, एम. एस. जे. कालेज, भरतपुर।
44.	2–क–2		..	श्री लक्ष्मीनारायण, गंगा मन्दिर, भरतपुर
45.	1–ग–2		13×38	श्री गिरधारी लाल, भरतपुर।
46.	1–ग–12		..	श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, न्यू मण्डी, भरतपुर।
47.	1–ग–13		..	श्री नेमीचन्द्र, नई मण्डी, भरतपुर।
48.	1–ग–11		..	श्रीमती मीराबाई पत्नी स्व० श्री चिमन लाल सहगल, निमडागेट, भरतपुर।
49.	1–घ–11		..	श्री ओम प्रकाश, गंगा मन्दिर, भरतपुर
50.	1–ग–8		..	श्री बीना बन्सल, नीमडा गेट, भरतपुर।
51.	1–घ–9		..	श्री शकुन्तला देवी, भरतपुर।
52.	1–ग–4		..	श्री रमेश चन्द्र, सूरजपोल दरवाजे के पास, भरतपुर।

Page No 198

(198)

1	2		3	4
53.	1-ग-5	13×36	श्री विद्याराम मार्फत, भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक, भरतपुर।	
54.	1-च-3	..	श्री नवल किशोर यादव, 1-च-3 भरतपुर।	
55.	1-ज-2	..	श्री चन्द्र प्रकाश, कुमेर गेट, भरतपुर।	
56.	1-ग-1	..	श्रीमती सुख देवी, बी-128 जनता कालोनी जयपुर।	
57.	1-च-1	..	श्री घनश्याम सारस्वत, मार्फत सीमको लि. भरतपुर।	
58.	1-ग-10	..	श्री शिव कुमार अग्र, रंजित नगर, भरतपुर	
59.	1-च-10	..	श्री विनोद कुमार गुप्ता, गोपालगढ़, भरतपुर	
60.	1-ग-16	..	श्री बच्चु सिह मीणा, वील एण्ड पोरल कुम्हा, भरतपुर।	
61.	1-च-8	..	श्री उदय प्रताप, 226 कृष्णा नगर, भरतपुर	
62.	1-ग-3	..	श्री कन्हैया लाल, पाईबाग. भरतपुर।	
63.	1-च-2	..	श्री यशपाल कुमार, गुम्बर स्टोर, लोहो बाजार, भरतपुर।	
64.	1-ग-15	..	श्री सुगन सिह, मार्फत कृषि उपज मंडी समिति, भरतपुर।	
65.	1-ग-9	..	श्री पीयूष कान्त, बीनारायण गेट, भरतपुर	
66.	1-ग-14	..	श्री हरीओम गुप्ता, खण्डेलवाल आयरन ट्रेडर्स, भरतपुर।	
67.	1-च-7	..	श्री खेमचन्द्र गुप्ता, घासमण्डी बासनगेट भरतपुर।	
68.	1-च-4	..	श्री मोहनलाल, भरतपुर।	
69.	1-च-6	"	श्री प्रभुदयाल, शर्मा एण्ड कं० बयानीया का मोहल्ला, भरतपुर।	
70.	1-ग-6	..	श्री विजय श्रीवास्तव, मथुरागेट के अन्दर, भरतपुर।	

1	2	3	4
71.	1-ग-7	13×38	श्री रामसिंह मीणा, ग्रा. पो. नेकपुर त० रूपवास जि० भरतपुर ।
72.	1-च-5	,,	श्री रामअवतार, भरतपुर ।
73.	1-क-4	25×50	श्री किशन प्रसाद, भरतपुर ।
74.	1-क-14	..	श्री खानचन्द अम्भवानी, कृष्णा कालोनी, भरतपुर ।
75.	1-क-1	..	श्री बलवीर सिंह, भरतपुर ।
76.	1-क-18	..	श्री हजारी लाल, बयानीयन मोहल्ला, भरतपुर ।
77.	1-क-27	..	श्री कलावती मलानी, रेसानानका की गली, भरतपुर ।
78.	1-क-34	30×60	श्री महेन्द्र सिंह, विद्युत मण्डल मार्ग, मालपुरा, टोंक ।
79.	1-क-33	..	श्री रामचन्द्र खन्नानपुर, कोटा ।
80.	1-क-40	..	श्री गोपाल प्रसाद, मार्फत भ० एवं जल प्रबन्ध योजना पो. बाईकुई
81.	2-क-21	9.2×18 वर्ग मी.	श्री तनुमल, मार्फत हिमाचल प्रदेश विद्युत मण्डल, सुनन्नर नगर जि० मंडी हिमाचल प्रदेश
82.	2-क-17	,,	डा० रामकुमार आचार्य, गोपाल पुरा रोड, जयपुर ।
83.	2-क-23	,,	श्री भगवत लाल पाठक, कृषि उपज मण्डी, समिति, रामगंज मंडी, कोटा ।
84.	2-क-19	,,	श्री बुध प्रकाश गोयल, तहसील डीग, जिला भरतपुर ।
85.	2-क-1	..	श्री रमेश बहादुर एफ-177, सुभाष मार्ग सी-स्कीम, जयपुर ।
86.	1-क-31	,,	श्रीमती सतीश वाला, जामा मस्जिद के पीछे भरतपुर ।

Page No 200

(200)

1	2	3	4
87.	1–द–5	13×38	श्रीमती प्रेमवती चौहान, पुराने बिजली घर के पास, भरतपुर ।
88.	1–द–10	,,	श्री गिरीराज प्रसाद शर्मा मार्फत रोडवेज, भरतपुर ।
89.	1–द–9	,,	श्री अमरनाथ गुलाटी, लोहा बाजार, भरतपुर
90.	1–द–8	,,	श्री अशोक कुमार छाबड़ा मार्फत गुम्बर स्टोर, भरतपुर ।
91.	1–त–10	,,	श्रीमती उषा गुप्ता, पाई बाग, भरतपुर
92.	1–द–2	,,	श्री विमल किशोर मार्फत सीमको लि० भरतपुर ।
93.	1–द–1	,,	श्री मोहन सिंह, कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर ।
94.	1–द–13	,,	श्री जगेन्द्र कुमार अरोड़ा, रेखा नानगा की गली, भरतपुर ।
95.	1–त–7	,,	श्री बुरी सिंह, पो० कुम्हेर जि० भरतपुर ।
96.	1–त–4	,,	श्री अशोक कुमार, नारायण गेट, भरतपुर
97.	2–त–3	,,	श्री श्यामलाल खण्डेलवाल, मु० पो. अजाम भरतपुर ।
98.	1–त–1	,,	श्री हुक्म चन्द, खण्डेलवाल मार्फत पशुपालन विभाग, भरतपूर ।
99.	1–त–11	,,	श्रीमती मोहनी, अनाहा गेट, भरतपुर ।
100.	1–त–5	,,	श्री रामस्वरूप मीणा ग्राम सिटुकी, पो. सालिमपुर त० महुआ जि. सवाई माधोपुर
101.	2–क–16	9.2×18	श्री बाबूलाल गोयल, जी–830, गांधी नगर जयपुर ।
102.	2–क–18	,,	श्री गणेश प्रसाद शर्मा, नदियां मोहल्ला, भरतपुर ।
103.	2–क–22	,,	श्री हरिशंकर गुप्ता, सी. ए. डी. कोठी एम. 8, बीकानेर ।

Page No 201

(201)

1	2	3	4
104.	2–क–20	9.2 × 18	श्री प्रकाश मोहन चौहान, मार्फत कृषि विभाग, अलवर ।
105.	1–क–1	,,	श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, मार्फत कैनरा बैंक, जयपुर ।
106.	1–ज–1	5.25 × 8.50	श्री भागचन्द, जामा मजिस्द के पास, भरतपुर
107.	1–ट–8	,,	श्री हरिमोहन, जामा मजिस्द, भरतपुर ।
108.	1–ट–3	,,	श्री प्रताप सिंह, 1–ट–3, कृष्णा कालोनी, भरतपुर ।
109.	1–ट–6	,,	श्री राधा कृष्ण खण्डेलवाल, कोडियान मोहल्ला, भरतपुर ।
110.	1–ट–2	,,	श्री सुरज भान गुप्ता, आर्य समाज रोड, भरतपुर ।
111.	1–ज–10	,,	श्री अयोध्या प्रसाद, गनवाड़ी ग्राम पो. जि. भरतपुर ।
112.	1–ट–1	,,	श्री हरिचन्द्र, तांगा स्टेण्ड, भरतपुर ।
113.	1–ज–8	,,	श्री निरंजन लाल गुप्ता, मथुरा गेट, भरतपुर
114.	1–ट–7	,,	श्री राधारमण, मार्फत पान मर्चेन्ट, मथुरा गेट, भरतपुर ।
115.	1–ज–9	,,	श्री राधामल, कपडे के व्यापारी, गुड़ की मण्डी, भरतपुर ।
116.	1–ज–11	,,	श्री नरेन्द्र कुमार. 1539, बाबा हरीश चन्द्र मार्ग, जयपुर ।
117.	1–ट–4	,,	श्री रोशन लाल, 5 छ 16 जवाहर नगर, जयपुर ।
118.	1–त–2	13 × 38	श्री नन्दलाल, भरतपुर ।
119.	1–ट–11	,,	श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, श्याम बाबू शर्मा नगर विकास न्यास, भरतपुर ।

1	2	3	4
120.	2–च–3	13×38	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, श्याम बाबू शर्मा, नगर विकास न्यास, भरतपुर ।
121.	1–ज–7	,,	श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री लीलाराम, द्वारा लक्ष्मी साड़ी भण्डार, जामा मस्जिद, भरतपुर
122.	1–ज–6	,,	श्री रामजीलाल पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद, द्वारा राधेलाल घनश्याम दास, बासनगेट, भरतपुर ।
123.	2–ग–6 सी	,,	श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, स्वराज्य प्रिन्टिंग प्रेस, कोटवाली के पास. भरतपुर ।
124.	2–च–5 सी	,,	श्री रमेश चन्द मिश्रा, द्वारा ए. जी. ई. एम ई. एस. कालोनी लाइन, भरतपुर ।
125.	1–न–5	,,	कु. भगवान देवी, पुत्री श्री देवीराम, मोरी घाट, बाग भरतपुर ।
126.	1–ज–13	,,	श्री भगवान दास, पुत्र श्री फतनमल, द्वारा बंशीलाल चन्दुमल, बहादुर सिंह की गली, मोरी चार बाग, भरतपुर ।
127.	1–ज–4	,,	श्री धर्मवीर पुत्र श्री ठाकुरदास, मकान नं. 473, वार्ड नं. 7 बीनारायन गेट, भरतपुर
128.	1–त–8	,,	श्री दीवान चन्द पुत्र श्री जेवाराम द्वारा श्री गोविन्द टी स्टाल, कुम्हेर गेट, भरतपुर
129.	1–न–3	,,	श्री गोविन्दराम, पुत्र श्री रामचन्द, द्वारा गोविन्द टी स्टाल, कुम्हेर गेट, भरतपुर ।
130.	1–च–4	,,	श्री जगदीश चन्द्र, प्लास्टिक जूते वाला, मथुरा दरवाजा, बातर, भरतपुर ।
131.	2–ग–7	,,	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द शर्मा, रामप्रधीन निवास, नमक का कटरा भरतपुर ।
132.	1–द–10	,,	श्रीमती किस देवी शर्मा. पत्नी श्री रमन लाल शर्मा. बसवीश्यान गंगा मन्दिर भरतपुर

1	2	3	4
133.	1–च–5	13×38	श्री पंजूमल पुत्र श्री नथूमल, स्टेशन रोड भरतपुर ।
134.	2–च–2 सी	,,	श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री शांता राम द्वारा श्री गोवर्धन सिंह अरोड़ा, 1-क-23, हाउसिंह बोर्ड, कृष्णा कोलोनी, भरतपुर
135.	1–त–9	,,	श्रीमती शारदा सारस्वत पत्नी श्री प्रकाश सारस्वत, सारस्वत भवन, जैन मन्दिर के पास, वासन गेट, भरतपुर ।
136.	1–ट–7 सी	,,	श्रीमती शकुन्तला शर्मा, पत्नी श्री श्याम बाबू शर्मा, खीरपुरी के मकान के पास वासन गेट, भरतपुर ।
137.	2–ग–2 सी	,,	श्रीमती सुमित्रा देवी जैन, द्वारा श्री एच. सी. जैन पी. ए. कलेक्टर, भरतपुर ।
138.	1–ज–3	,,	कु. विघा देवी पुत्री श्री गांधी सिंह, मोरी मोहल्ला, चार बाग भरतपुर ।
139.	2–च–6	,,	श्री केदारनाथ द्वारा पवन प्रधान, 1-क-5, हाउसिंग कालोनी कृष्णा नगर, भरतपुर ।
140.	2–च–4 सी	,,	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, पुत्र श्री वचनलाल द्वारा महेश चन्द्र अग्रवाल, मथुरा दरवाजा बाहर, भरतपुर
141.	1–ज–5	,,	श्रीमती प्रेमा देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जनरल हॉस्पिटल, भरतपुर ।
142.	1–ज–14	,,	श्री मांगीलाल पुत्र श्री बाबूलाल, परचूनिया मथुरा गेट, भरतपुर ।
143.	1–द–3	,,	श्री लालचन्द द्वारा श्री गोरधन सिंह अरोड़ा 1-क-23, कृष्णा कालोनी, हाउसिंग बोर्ड, भरतपुर ।
144.	1–च–14	,,	श्री शिवराम सिंह पुत्र श्री गोरधन सिंह अरोड़ा, 1-क-23, कृष्णा कालोनी, भरतपुर

1	2	3	4
145.	2-ग-4	13×38	कु. शकुन्तला पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह. बाबू ज्ञानचन्द दफ्तर अध्यक्ष. डाक घर भरतपुर
146.	2-ग-3	,,	श्री सुरेश चन्द गुप्ता, गुप्ता जनरल स्टोर मथुरा गेट, भरतपुर ।
147.	2-ग-1 सी	,,	श्री चम्पालाल सहायक अभियन्ता. राज0 राज्य विद्युत मण्डल, भरतपुर
148.	1-च-9 सी	,,	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री गणेशी लाल पान वाला, होटल टूयूरिस्ट कम्पलेक्स, गोरधन गेट, भरतपुर ।
149.	1-त-6 सी	,,	श्री भूवन मोहन स्वरूप, 3327. छिगनलाल जी का मकान. नील कण्ट महादेव जी की गली, जयलाल मुन्शी का रास्ता, जयपुर
150.	1-च-13	,,	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री किशनलाल स्वर्ण कार. वासन गेट. छिपी मोहल्ला. भरतपुर
151.	1-न-4	,,	श्री वासदेव भट्ट पुत्र श्री गिरधर लाल भट्ट, अनाज दरवाजा, बजरीया के पीछे, भरतपुर ।
152.	1-न-8	,,	श्री दर्शन सिंह. मेरी मोहल्ला, वार्ड नं० 4. बहादुर गली, चार बाग, भरतपुर ।
153.	2-च-1	,,	श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री हुक्म चन्द. दाल मोठ वाले, पुरानी गुड़ की मंडी, भरतपुर ।
154.	2-ग-5	,,	श्री कमल किशोर, गोरधन दरवाजे के पास, पाई बाग, भरतपुर ।
155.	2-ग-8	,,	अस्थाई रूप से आरक्षण/आवंटन किया गया है पत्रावलियां पत्राचार में हैं अतः पता अलग से भेज दिया जावेगा ।
156.	1-न-9	,,	श्रीमती त्रीवेनी देवी ,,
157.	1-द-6	,,	श्री नीहाल चन्द ,,

1	2	3		5
158.	1–द–12	13×38	श्री लक्ष्मी चन्द	अस्थाई रूप से आरक्षण आवंटन किया गया है पत्राव किया पत्राचार में है अतः पता अलग से भेज दिया जावेगा।
159.	1–च–12	..	श्री प्यारे लाल	,,
160.	1–द–5	..	श्री सज्जन सिंह	,,
161.	1–न–10	..	श्री चत्तरपाल सिंह	,,
162.	1–क–39	30×60	श्री के० के० मित्तल, द्वारा श्री आर० पी० सिंघल डी० 111, बापू नगर, जयपुर।	
163.	2–क–3–जी	20×50	श्री डी० डी० खण्डेलवाल, उद्योग भवन, बुसासर 321406 भरतपुर।	
164.	1–द–4	13×38	श्री सत्यनारायण गुम्बर भवनुर 2–क–8 कृष्णा नगर, भरतपुर।	

————

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 260 की सूची

वर्तमान मे जयपुर शहर में प्राइवेट मिनी बसों (स्टेज कैरिज वाहनों) की स्वीकृति स्थाई/अस्थाई परमिटों सम्बन्धी विवरण

क्र०सं०	रूट का नाम	निर्धारित स्कोप	कुल स्वीकृत परमिट		कुल उठाये गये परमिट		योग
			स्थाई	अस्थाई	स्थाई	अस्थाई	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**मार्ग संख्या–1**						
	रेल्वे स्टेशन से जवाहर नगर वाया निगम कार्यालय रेजीडेन्सी, कर विभाग, रामबाग चौराहा, यू० आई० टी० आफिस, यूनिवर्सिटी, सैक्टर नं० 4 जवाहरनगर	14	—	14	—	—	—
2.	**मार्ग संख्या–2**						
	रेल्वे स्टेशन से जवाहरनगर पुलिया नं० 1 वाया खासा कोठी, विधायकपुरी गोपाल बाड़ी, एयर इण्डिया आफिस, राजकीय मुद्रणालय, बिजलीघर, स्टेशन, बगड़िया भवन, स्टेच्यू सर्किल, पृथ्वीराज रोड, नारायणसिंह चौराहा, पुलिस मेमोरियल, इन्द्रा सर्किल, लालबहादुर शास्त्री कॉलेज, राजापार्क, जवाहर नगर।	17	17	—	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	**मार्ग संख्या–3**						
	रेल्वे स्टेशन से चांदपोल वाया राम मन्दिर, आई०टी०आई० स्कूल, पानीपेच, झोटवाड़ा रोड, चांदपोल ।	8	1	4	1	4	5
4.	**मार्ग संख्या–4**						
	रेल्वे स्टेशन से अजमेरी गेट वाया पोलोविक्ट्री मोटर गैरेज, शालीमार सिनेमा, अहिंसा सर्किल सेंन्ट जैवियर चौराहा, अशोक मार्ग, एम०जी०डी० स्कूल, अजमेरी गेट ।	12	—	12	—	1	1
5.	**मार्ग संख्या-5**						
	जोरावर सिंह गेट से 22 गोदाम, डूंडलोद हाउस वाया सुभाष चौक, बड़ी चौपड़, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, एस०एम०एस० हास्पिटल, नारायणसिंह का चौराहा, रामबाग सर्किल, कर भवन, 22 गोदाम चौराहा, डूंडलोद हाउस ।	24	22	2	22	2	24
6.	**मार्ग संख्या–6**						
	बड़ी चौपड़ से ट्रान्सपोर्ट नगर वाया सुभाष चौक, जोरावरसिंह गेट, करबला चुंगी, ईदगाह, गलता दरवाजा, ट्रांसपोर्ट नगर ।	8	8	—	7	—	7

1	2	3	4	5		6		7
7.	**मार्ग संख्या–7**							
	अजमेरी गेट से जवाहर नगर सैक्टर नं० 5 वाया सांगानेरी गेट, घाटगेट, ट्रांसपोर्ट नगर, पागल खाना, सिन्धी बर्फखाना, शापिंग सेन्टर, सैक्टर–5 ।		16	—	—	—	—	—
8.	**मार्ग संख्या–8**							
	अजमेरी गेट से डूंडलोद हाउस वाया अशोक मार्ग, अहिंसा सर्किल, राजकीय मुद्रणालय, चौमूं हाउस, सिविल लाइन्स, रेल्वे क्रासिंग, राज भवन, हवा सड़क, डूंडलोद हाऊस ।		10	—	10	—	—	—
9.	**मार्ग संख्या–9**							
	विश्वविद्यालय से शास्त्रीनगर वाया रामबाग चौराहा, कर भवन, 22 गोदाम चौराहा, रेजीडेन्सी, राजकीय मुद्रणालय, बनस्थली मार्ग, सिन्धी कैम्प, पारीक कालेज मार्ग, पीतल फैक्ट्री, शास्त्री नगर ।		9	2	5	2	5	7
10.	**मार्ग संख्या–10**							
	सांगानेरी गेट से सांगानेर टाऊन वाया खरबूजा मण्डी, नायला हाऊस, पुलिस मेमोरियल, नगर विकास न्यास कार्यालय, चौराहा-		12	8	2	8	2	10

1	2	3	4	5	6	7	7
	युनिवर्सिटी, मालवीया कॉलेज, क्लार्क आमेर रोड, सांगानेर थाना, सांगानेर टाऊन ।						
	स्थाई मार्ग योग :	130	58	49	41	14	55
	अस्थाई मार्ग						
11.	ब्रह्मपुरी से जवाहर नगर वाया जोरावरसिंह गेट, सुभाष चौक, बड़ी चौपड़, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, एस० एम० एस० हास्पिटल, रामबाग चौराहा, जनता स्टोर, विश्व विद्यालय, यू० आई० टी० सर्किल, तिलक नगर, (वाटर टैंक) जवाहर नगर सैक्टर नम्बर 1, 15, 7 व 11, शेरसिंह का चौराहा, मिल्क बूथ मन्दिर, धर्मवीर का बंगला, टूटी-फूटी पुलिया ।	26	—	26	—	26	26
12.	गांधी नगर स्टेशन से शास्त्री नगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी वाया ए०जी० कालोनी, डाक तार कालोनी, बजाज नगर मोड़, कामर्स कालेज, कानोडिया कालेज, विश्व विद्यालय, जनता स्टोर, लाल कोठी, रामबाग चौराहा, उद्योग भवन, सचिवालय भवन, बगड़िया भवन, चौमूं हाऊस, सब स्टेशन, गवर्नमेन्ट प्रेस, शालीमार सिनेमा, मोटर गैरेज, पोलोविक्ट्री, जनाना हास्पिटल, चांदपोल, झोटवाड़ा रोड, पीतल फैक्ट्री, शास्त्री नगर, हाऊसिंग बोर्ड ।	16	—	16	—	16	16

(209)

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	**मार्ग संख्या–13**						
13.	सांगानेरी गेट से सांगानेर टाउन वाया खरबूजा मण्डी, नायला हाउस, पुलिस मेमोरियल, नारायणसिंह का चौराहा, रामबाग सर्किल, गांधीनगर मार्ग, गांधीनगर स्कूल, नेहरू गार्डन, टोंक रोड, टोंक फाटक, सांगानेर थाना ।	24	—	24	—	24	24
14.	**नया मार्ग संख्या–1**						
	अजमेरी गेट से अनीता कालोनी वाया एस.एम.एस. हास्पिटल, रामबाग चौराहा, गांधी नगर मोड़, टोंक फाटक, गांधीनगर स्टेशन, अनीता कालोनी, जलदाय विभाग चौकी, राजेन्द्र मार्ग, दुर्लभजी का हास्पिटल, रामबाग चौराहा, एस. एम. एस. हास्पिटल, अजमेरी गेट ।	15	—	15	—	14	14
15.	**नया मार्ग संख्या–2**						
	अजमेरी गेट से मालवीया नगर वाया एस.एम.एस. हास्पिटल, रामबाग चौराहा, दुर्लभजी हास्पिटल, जनता स्टोर, विश्वविद्यालय, कानोडिया कालेज, राजस्थान कॉलेज, एम आर.ई. कॉलेज, मालवीया नगर ।	10	—	10	—	10	10

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	**नया मार्ग संख्या–3**						
	अजमेरी गेट से जवाहर नगर वाया एस. एम. एस. हास्पिटल, रामबाग चौराहा, दुर्लभजी हास्पिटल, इन्दिरा सर्किल, पानी की टंकी, तिलक नगर, एल. बी. एस. कॉलेज, पत्रकार कालोनी, सैक्टर संख्या 5, 4, 3, 2, जवाहर नगर।	6 (एक भी अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किया गया)	—	—	—	—	—
17.	**नया मार्ग संख्या–4**						
	सिरहड्योढी से ज्योतिनगर, इमली फाटक वाया बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, किशनपोल बाजार, अजमेरी गेट, एस. एम. एस. हास्पिटल, पृथ्वीराज रोड, स्टेच्यू सर्किल, पाली हाउस, सचिवालय के पीछे वाली सड़क, उद्योग भवन, ज्योति नगर मोड़, विधायक नगर, बरकत नगर कालोनी, इमली फाटक।	7	—	7	—	7	7
18.	**नया मार्ग संख्या–5**						
	अम्बाबाड़ी से मालवीया नगर वाया अम्बाबाड़ी शापिंग सेन्टर, पानी पेच, आई० टी० आई० स्कूल, जिलाधीश कार्यालय, कबीर मार्ग, जयपुर मैटल फैक्ट्री, रेल्वे स्टेशन, खासा कोठी, पोलो-विक्ट्री, अमरापुरा, गवर्नमेंट होस्टल, गवर्नमेंट प्रेस, अशोक मार्ग,	15	—	15	—	14	14

1	2	3	4	5	6	6	8
	अहिंसा सर्किल, सैन्टजैवियर चौराहा, एम० जी० डी० स्कूल की बाल वाली सड़क, एस०एम०एस० हास्पिटल, रामबाग चौराहा, लालकोठी, बजाज नगर, केन्द्रीय स्कूल, बजाज मार्ग, ओ० टी० एस० स्कूल, मालवीया नगर ।						
19.	नया मार्ग संख्या–6						
	सिरहड्योढी से तिलक नगर, वाटर टैंक वाया बड़ी चौपड़, चौड़ा रास्ता, अजमेरी गेट, महारानी कॉलेज, सूचना केन्द्र के सामने की रोड से मेडिकल कालेज, पुलिस मेमोरियल, आदर्श नगर चौराहा, माहेश्वरी स्कूल, ध्रुव मार्ग, एल० बी० एस० कॉलेज, तिलक नगर, पानी की टंकी ।	7	—	7	—	—	—
	अस्थायी मार्गों का योग	126	—	126	—	111	111
	कुल योग	256	58	175	41	125	166

परिशिष्ट १०

अतारांकित प्रश्न संख्या 262 का विवरण

1–मरु विकास कार्यक्रम:–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिमी राजस्थान के 11 मरुस्थलीय जिलों में, जहां वर्षा की निरन्तर कमी के कारण पेयजल, जलाऊ लकड़ी एवं चारे का निरन्तर अभाव रहता है और रेतीले टीबों के उड़ने तथा धूल भरी आंधी के कारण मृदाक्षरण की विकट समस्या रहती है, वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न कार्य किये जा रहे हैं:–

(अ) **फार्म फोरेस्ट्री:–** ग्रामीणों के सहयोग से उनके खेतों पर वृक्षारोपण कराना।

(ब) **ग्रामीण ईंधन एवं चरागाह वृक्षारोपण:–** पंचायत अथवा राजस्व पड़त भूमि पर वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास कार्य करना।

(स) मिश्रित वृक्षारोपण एवम् सिल्वी पास्टोरल वृक्षारोपण।

(द) रेतीले टीबों का स्थिरीकरण।

(ड) सड़कों के किनारें वृक्षावली वृक्षारोपण।

2–सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम:–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 10 जिलों तथा जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उदयपुर में परिभाषित वनों का पुनरारोपण, नहरों के किनारें वृक्षावली वृक्षारोपण रेतीले टीलों का स्थिरीकरण, जलाऊ लकड़ी प्लान्टेशन एवं फॉर्म फोरेस्ट्री आदि का कार्य किया जाता है।

3–सामाजिक वानिकी

मरु क्षेत्र के अतिरिक्त बचे हुए 16 पूर्वी जिलों में इस योजना के अन्तर्गत परिभाषित वनों का पुनरारोपण, सड़कों के किनारें वृक्षावली वृक्षारोपण, पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण एवं फार्म फोरेस्ट्री का कार्य किया जा रहा है।

4–राजस्थान नहर परियोजना:–

उड़ते हुए रेत से राजस्थान नहर की रक्षा करने के लिए वृहद पैमानें पर नहरों एवं सड़कों के किनारे वृक्षावली वृक्षारोपण तथा चरागाह विकास एवं टीबा स्थिरीकरण का कार्य इस योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

5–परिगणित क्षेत्र उपयोजना:–

इस योजना में वृक्षविहीन पहाड़ियों एवं पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के अधीन चयनित आदिवासी परिवारों के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य तथा वृक्षों की खेती का कार्यक्रम कराया जाता है।

6–भू संरक्षण परियोजनाओं के अधीन राज्य में विभिन्न नदी घाटी योजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र में बृहद पैमानें पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चम्बल के कन्दरा क्षेत्रों में हवाई बीजारोपण का कार्य भी कराया गया है।

———

परिशिष्ट ११

अतारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूची

मण्डल वन अधिकारी अजमेर द्वारा वितरित पौध की सूची

अवधि	फलदार पौध		फलदार पौध		किस को दिये गये	कहां लगाने हेतु दिये गये
	शुल्क	निःशुल्क	शुल्क	निःशुल्क		
1	2	3	4	5	6	7
1-4-8 से 31-3-81	21,500	—	—	—	स्कूलों, पंचायत समितियों मिल्ट्री आदि	अजमेर जिला
1-4-81 से 31-3-82	10,898	910	2,795	98	स्कूलों, पंचायत समितियां, मिल्ट्री आदि	अजमेर जिला

परिशिष्ट १२

अतारांकित प्रश्न 267 की सूची

वर्ष 1982-83 में बंद कर दिये गये अनुदानित छात्रावासों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	छात्रावास का स्थान	संस्था का नाम जिसके द्वारा संचालित है।	स्वीकृत छात्र संख्या
1.	भीलवाड़ा	1-माण्डलगढ़	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	25
2.	चित्तौड़गढ़	2-कपासन	भवानीशंकर नन्दवाना समिति, कपासन	30
		3-बड़ी सादड़ी	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	25
3.	सीकर	4-सीकर	कृष्णा छात्रावास, सीकर	50
		5-नीम का थाना	राजस्थान विद्या मंदिर छात्रावास, नीमका थाना	42
4.	टोंक	6-निवाई	रेगर जाति उत्थान समिति, निवाई	40
5.	उदयपुर	7-ऋषभदेव	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	30
		8-सेमारी	,, ,,	30
		9-गोगून्दा	,, ,,	25

(216)

परिशिष्ट १३

अतारांकित प्रश्न 268 का परिशिष्ट

परिशिष्ट "क"

जयपुर जिले की तहसीलों में सांसी जाति की संख्या
(जनगणना 1971 के आधार पर)

क्र० सं०	तहसील का नाम	संख्या
1-	बैराठ	76
2-	आमेर	225
3-	फुलेरा	180
4-	जयपुर	94
5-	जमवा रामगढ़	27
6-	दूदू	9
7-	सांगानेर	170
8-	बस्सी	387
9-	दौसा	117
10-	फागी	9
11-	चाकसू	79
12-	अन्य	—
	योग	1373

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 271 की सूची

अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशाषी अभियन्ताओं के रिक्त पदों की सूची।

अधीक्षण अभियन्ता :--

1. अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, वास्ते मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
2. ,, ,, ,, (कार्य)
3. ,, ,, ,, (विशिष्ट योजनाएं)
4. ,, ,, ,, (चम्बल)
5. ,, ,, ,, (प्रशासन)
6. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं भू-मापन, वृत्त कोटा।
7. अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक वास्ते मुख्य अभियन्ता, माही परियोजना, बांसवाड़ा।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मोनेटरिंग) कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता, हनुमानगढ़ वृत, सिंचित क्षेत्र वि., रा० न० प०, हनुमानगढ़।
10. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र वि० राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर।

अधिशाषी अभियन्ता

1. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता एवं मोरेल बांध निर्माण खण्ड, सवाई माधोपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक वास्ते अति० मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, कोटा।
4. अधिशाषी अभियन्ता, मास्टर प्लान खण्ड, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा।
6. अधिशाषी अभियन्ता, भू-मापन एवं अनुसंधान खण्ड, उदयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, रा० नहर परियोजना संगठन, बीकानेर।
8. ,, ,, ,, ,,
9. ,, ,, ,, ,,
10. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, रा० न० प० संगठन, बीकानेर।
11. ,, ,, ,, ,,
12. ,, ,, ,, ,,
13. ,, ,, ,, ,,

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 277 के आंकड़े

गलवा बांध से वास्तविक सिंचाई का विवरण ।

आधुनिकीकरण प्रारम्भ करने के पहले :—

वर्ष	वास्तविक सिंचाई
1975-76	5378 एकड़
1976-77	5594 एकड़
1977-78	5553 एकड़

आधुनिकीकरण कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् :—

वर्ष	वास्तविक सिंचाई
1978-79	6318 एकड़
1979-[illegible]	7573 एकड़
1980-81	10500 एकड़
1981-82	8155 एकड़

———

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 268 की सूची

सूची आवंटन कस्टोडियन भूमि वर्ष 1981-82.

क्रमांक	नाम अलोटी	खसरा नं०	रकम	नाम ग्राम जहां का रकबा
1	2	3	4	5
1.	श्री बसीर पुत्र सजराद मेव सा० कठोल	1828 मि०	1)	कठोल
2.	श्री बनेसिंह पुत्र नहना मेव सा० कठोल	1828 मि०	1)	कठोल
3.	श्री सुमेर पुत्र नगरूप मेव सा० घोलेट	270 मी०	॥)2	घोलेट
4.	श्री ईशाक पुत्र कलुवा मेव सा० घोलेट	667	।)	सरबरका
5.	श्री मंगला पुत्र सरक जरानी सक्का सा० सरबरका	205	।।।)1	सरबरका
6.	श्री दीनू पुत्र फजरू मेव सा० घीमरी	428, 900 मि० 11·3	2॥)	घीमरी
		569	॥)3	,,
			1।)	
7.	श्री कलुवा पुत्र सहजाद मेव सा० करमका	900	3)	,,
8.	श्री रहमत पुत्र उमराव मेव साशे नागल	406	21)3	नागल
		407	2)10	,,
9.	श्री इलयास पुत्र मोजू 2 हीरा, जोमा, हिम्मत पि० जगमाल जुगल पुत्र नवीखां मेवान सा० कठोला	2397	21)3	कठोला
		2622	2॥)	,,
		2886	1।॥)2	,,
		2880	॥)2	,,
		2416	1।)1	,,
10.	श्री सुमेर पुत्र सवाई मेव सा० कठोल	1189	2)	,,

1	2	3	4	5
11.	श्री अब्दुलसत्तार अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान पि० गरीबा फकीर सा० कठोल	1429 1431	1।))3	कठोला "
12.	श्री सुमेर पुत्र हिम्मत मेव सा० कठोल	1385 मि०	1।।)	"
13.	श्री बसीर पुत्र रूजदार मेव सा० कठोल	2426 2376 2577 1737	।) 1) 2) 2।।)	" " " "
14.	श्री बदलू पुत्र परताप मेव सा० घोलेट	1823	।।)	घोलेट
15.	श्री इब्राहीम पुत्र खिल्लू पि० सिताप मेव सा० घोलेट	1825	।।)2	"
16.	श्री फतेह मोहम्मद पुत्र जुम्मा मेव घीसेडा	1593	।।)2	"
17.	श्री नवाब पुत्र रहमत मेव सा० घालेट	2085	।)2	"
18.	श्री भगवानदास पुत्र अमीचन्द वैश्य सा० कठोल 1981-82	1061 मि०	2)	कटोल
19.	श्री जंगली पुत्र किशन आगमी सा० जसौती	130	4)3	जसाती
20.	श्री रसीद पुत्र इसराइल सक्का सा० सरबरका	290 मि०	1)	सरबरका
21.	शमसुद्दीन पि० वगैरह इसमाइल सक्का सा० सरबरका	290 मि. 132 मि०	1) 1)	सरबरका
22.	भजन, सुला, लहरसिंह पि० मोतीलाल आगरी सा० जसोती	91 मि० 2503 86	11) ।।)4	जसोती जसोती "
23.	अजमत पुत्र वक्सू सक्का सा० सरवरका	290 मि०	।)3	सरबरका

(221)

1	2	3	4	5
24.	शिम्भू पुत्र घीसा आगरी सा० जसोती	132 मि.	5)	जसोती
25.	श्री जसवन्तसिंह पुत्र हरिया आगरी सा० जसोती	312 मि.	2)	,,
		58	11)4	,,
26.	श्रीभयराज पुत्र घीसा आगर सा० घीमरी	1107 मि.	4)	घीमरी
27.	आस मोहम्मदपुत्र चनू मेव सा. घीमरी	6648	3)3	,,
		670	1।।)01	,,
28.	श्री अब्दुलगनी पुत्र हुसेनवली सा० घीमरी	699	।।।)4	,,
28.	श्री सोहन पुत्र नसद मेव सा० फलहपुर	846	1।)	,,
		1922	71)	,,
		789	21 3	,,
30.	श्री नानवाहकर पुत्र महबूब मेव सा० कठोल	1261	4)	कठोल
		962	1)	,,
31.	श्री लियाकत-पुत्र सुबान खां मेव सा० कठोल	1261 मि०	4)	,,
		963 मि०	।।)	,,
32.	श्री अनिलकुमार पुत्र अमीचन्द वैश्य सा० कठोल	1260	।।)	,,
		1477 मि०	2)	,,
33.	श्री दिलावर पुत्र बुद्धि मेव सा० कठोल	1187 मि०	2·00	,,
34.	श्री सोराय पुत्र चाव खां मेव सा० कठोल	2416 मि०	1)	,,
35.	श्री दीन पुत्र चावखां मेव सा० कठोल	1187 मि०	2)	,,
		1164 मि०	3)	,,
36.	श्री कासम पुत्र सुकेया मेव सा० कठोल	1553	2)	,,
37.	श्री नूरमोहम्मद पुत्र रहीमखां मेव, बल्लू पुत्र फजेंद हासन पुत्र बल्लू मेव सा० कठोल	1462	9)	,,
		1477	2।।)	,,
		1464 मि०	।।)	,,

1	2	3	4	5
39.	श्री अब्दुल मजीद पुत्र नजरबी मेव सा० कठोल	180 मि०	1(II)3	कठोल
40.	श्री दयाराम पुत्र घमण्डी आंगरी सा० कठोल	2764	II)2	,,
41.	श्री गफूर पुत्र श्री बदलू सिक्का सा० कठोल पहाड़ी	1477/3·15 ब०क० = 3·15		,,
42.	श्री हरमत पुत्र फतेमोहम्मद मेव कठोल	1732/3·00 ब० क० = 3·00		,,
43.	श्री घर्मा, मन्नू पि० गंगली अगरी जसोती पहाड़ी	2707/7.2 – 2606/0.5 – 2709/0 3 — 7.10		,,
44.	श्री जस्सू पुत्र रामजीलाल आगरी कठोल	2704/5.5 – 2726/2.00 – गै.मु.ख. 7.10		कठोल
45.	श्री लल्लू पि० अकलू अगरी कठोल	2613/1.5 – 2537/0.3 – 2625/0.8 2610/3.5 – 2604/1.3 – 2605/0.4 = 6.10		,,
46.	श्री मल्लू समरू गहरुद्दीन खरशेद–पि. मिजरा मेव कठोल	2602/0.2 बंजर खरीद		
	तहसील पहाड़ी	2577/1.0 मि० ब.क. 1.00		,,
47.	श्री जोरेखा पुत्र निजरा मेव कठोल	2577/3.00 मि. ब. क. = 3.00		,,
48.	श्री ननू पुत्र हरचन्द्र अगरी	3027/6.00 मि. ब. क. = 6.00		,,
49.	श्री बाबूलाल पुत्र हरचन्द अगरी कठोल	3027/6.00 गैर.मु. खरीद 6.00		,,
50.	श्री बच्चू-परसराम पि. रामचन्द कठोल	2741/2.00 – 2737/2.9 – 2737/0.12 10.8 2133/2.8 – 2749/1.00 – 2143/1.10 बंजर खरीद		कठोल

Page No 223

(223)

1	2	3	4	5
51.	श्री सम्मा पुत्र जम्मा अगरी सा० जसोती पहाड़ी	2997 मि० / 3.00	3.00	बंजड़ खरीद
52.	श्री रामपाल पुल ठुल्ली अगरी जसोती	2701 मि० / 3.10, 2703 मि० / 3.00	= 6.10	,,
53.	श्री भगवत–भगवानदास पि. पांच्या कठोल अगरी	2761 / 0.16 – 2762 / 1.4 व.क.	2.00	,,
5 .	श्री बशीर पुत्र रहीम मेव कठोल पहाडी	2577 / 1.7, 2564 / 1.3 व.क.	2.10	,,
55.	श्री शंकर पुत्र मंगल मेव अगरी जसोती पहाड़ी	2703 / 2.13, 2695 / 3.00 व.क.	5.13	,,
56.	श्री इलियास पुत्र गफूर शेख कठोल पहाड़ी तह. कामां	1477 / 3.00 व.क.	3.00	कठोल
57.	श्री नसरूद्दीन पुत्र राजगार मेव कठोल	2376 / 1.7 व.क.	1.7	,,
58.	श्री रहमत मगरू पि० जुहक नाई मेव कठोल	2677 / 3.17 गै.मु.ख.	3.17	,,
59.	श्री इस्लाम हुसन पि. नुहक नाई कठोल	2677 / 3.17 मि० गै. मु. ख.	3.17	,,
60.	श्री अजमत–इमरत पि० नुहअ नाई कठोल	2677 / 3,17 गै. मु. ख.	3.17	,,
61.	श्री अजमत–इमरत पि० गुहअ नाई कठोल	2677 / 3.17 गै. मु. ख.	3.17	,,
62.	श्री लखन–भीमसिंह पि० रामसिंह अगरी कठोल पहाड़ी	2997 / 6.00 मि. गै. मु	6.00	,,
63.	श्री कमरूद्दीन पुत्र रूजदार मेव कठोल	1735 / 0.16, 1754 / 1.4	2.00	,,
64.	श्री वल्लू पुत्र मुरली अगरी कठोल	2816मि. / 1.10, 2962मि. / 3.10	5.00	,,
65.	श्री इजराइल फजरूदीन पि. जुमन फकीर रबेल	1477 / 5,00	5.00	,,
66.	श्री अख्तर रसीद रफीक पि० फकीर (मुसलमान)	1477 / 5.00	5.00	,,

1	2	3	4	5
67.	श्री दीन मोहम्मद पुत्र जेनावा मेव कठोल	1270/5.00 गं. मु. ख.	5.00	,,
68.	श्री इलियास पुत्र जनेवा मेव कठोल	1262/5.00 मि.	5.00	,,
69.	श्री दीनमोहम्मद पुत्र षाव खां मेव कठोल	1464/3-00 1850/0 10 व.क.	3.10	,,
70.	श्री मोहम्मद इसाक पुत्र मुराद मेव धीमरी ढाना	1706/1.1 1702/2 2 1364/3.1		
		1440/2.12 व. क.	8.16	धीमरी
71.	श्री फजरू पुत्र अजमत सक्का सरवरका	1421/1.6 मि.	1.6	सरवरका
72.	श्री राजदार पुत्र रहमत सक्का पहाड़ी तहसील कामा	1421/2.00 मि.	2.00	,,
73.	श्री खुशीखां रहमखा सा० सोदाबास मगरा घोलेट	2233/1.6	1.6	घोलेट
74.	श्री शादी पुत्र कमला मेव घोलेट	2298/1.4 व.क.	1.4	घोलेट
75.	श्री रहमत पुत्र नूरनाल गोमी मा० ग्राम घोलेट	2028/1.7 व.क.	1.7	घोलेट
76	श्री नुरूदीन पुत्र सुफेदा मेव का नांगल	318/1.13 व.क.	1.13	नांगल
77.	श्री जसरूदीन पुत्र फतू मेव नागल	163/5,00 मि०	5.00	
78.	ताजखां, इसमाइल पि० सहस माला 2/3 की, मुहम्मद खां, नूर अली मुहम्मद पि० ईसर 1/3 सा० अरवर	1666 व. क.	2.14	,,
79.	सुमानखां, अब्दुल रहीम, हकीमुद्दीन पि० रहमत मेव सा० खोहरा म० घोलेट	1006 व. क.	2.00	,,

Page No 225

(225)

1	2	3	4	5
80.	इसमाइल, अब्दुल खलील अब्दुल वसीद, अब्दुल हनीक मि० हमीदा व मुनीमखा सयद खां पि० इसमायल खां, खोरा म० घोलेट	1000 मि 1342 मि	5.00 8.00	नागल ,,
81.	श्री असम पुत्र सुबराती कमरूनियज पि० सुबराती मेवान सा० घोलेट	1006 मि	6.00	,,
82.	श्री मुबीम पुत्र अल्लादीन शेख सा० फतेहपुर	270 मि 462	4.1 5.00	,, ,,
83.	श्री शरीक पुत्र अल्लादीन शेख सा० फतेहपुर	272 मि 272 मि	3.13 15.00	,, ,,
84.	श्री नूरमोहम्मद पुत्र शेरखां मेव सा० फतहपुर ।	2 मि.गै.मु. पहाड़ी	15.00	नागल
85.	श्री रज्जाक पुत्र नूरमोहम्मद मेव सा० फतहपुर	2 मि	15.00	,,
86.	श्री चतद पुत्र सुकेदा मेव सा० फतहपुर	2 मि	15.00	,,
87.	श्री रहमान पुत्र सद्दीक सा० सरबरका	683 मि 696	0.17 1.07	सरबरका ,,
88.	श्री यादराम पुत्र धनयाला आगदी सा० जसोती	316 मि 480 321	1.10 0.10	जसोती ,,
89.	श्री सिवाव रहमान सुलेमान पि० चाहत सा० धनाडीपुर	730 मि	9.00	धीमरी
90.	श्री खुशीखान पुत्र कमरु मेव सा० धीमरी	807 मि	5.00	,,
91.	श्री अब्दुल रहमान पुत्र जुगल्ला मेव सा० माधानेर	100 मि	0.4	माधानेर

1	2	3	4	5
92.	श्री शब्बीर पुत्र धुवर मेव सा० फतहपुर	2 मि०	15.00	नागल
93.	श्री ग्रातू पुत्र मन्दूस मेव सा० फतहपुर	163 मि०	15.00	,,
94.	श्री मुहम्मद इब्राहीम पुत्र कमरूद्दीन शेख सा० कठोल	1187 मि०	6.00	कठोल
95.	श्री जरमेखां पुत्र सुबेदार मेव सा० कठोल	2468 मि०	1.00	,,
96.	श्री प्रभूदयाल पुत्र घमडी	2701 मि०	2.10	,,
	ग्रागदी सा० कठोल	2732 मि०	1.14	,,
97.	श्री दयाराम पुत्र घमण्डीसिंह	2729 मि०	1.2	,,
	ग्रागदी सा० जुसोती	2701 मि०	2.00	,,
		2780	3.4	,,
98.	श्री चावखां जुम्मा पि०	1827 मि०	0.6	,,
	सूरजमल केथ सा० कठोल	2416	0.14	,,
99.	श्री हारुन पुत्र रहीमखां मेव सा० कठोल	2809	4.10	,,
100.	श्री ईस्माइल पुत्र छीतर मेव सा० घीमदी	1492	4.3	घीमदी
101.	श्री ग्रब्दुलगनी पुत्र हुसेनखां	1094	0.14	,,
	ग्रवीन पुत्र इस्माइल व रहीस्सा वरावर मेव सा० घीमदी	1036 मि०	0.10	,,
102.	श्री ग्रब्दुला ग्रब्दुलगनी	1617 मि०	6.6	,,
	मि० हुसेनखां सा० भण्डीपुर	1499 मि०	1.4	,,
103.	श्री लहरा पुत्र ईमाधखां मेव सा० भण्डीपुर	333 मि०	4.00	,,
104.	श्री ग्रलीम पुत्र इस्माइल मेव	844	0.17	,,
	सा० घीमदी	1177	1.00	,,
		836	1.02	,,
105.	श्री रहमान पुत्र भूल्लू मेव	912	0.10	,,
	सा० घीमदी	836	6.00	,,

Page No 227

(227)

1	2	3	4	5
106.	श्री सूबानखां पुत्र घुगध मेव सा० धीमदी	729	2.4	धीमदी
107.	श्री असगरखां पुत्र हमरत मेव सा० घारमीका	921 मि०	4.00	,,
		160 मि०	1.00	,,
		245 मि०	5.5	,,
108.	श्री मोहम्मदखाँ पुत्र अब्दुल्ला मेव सा० घोलेट	463 मि०	5.8	,,
		1593 मि०	0.15	घोलेट
109.	शेखां छीनू, आशा हसनू मि० चन्दरखां मेव सा० कठोल	892	4 6	कठोल
		919 मि०	8.00	,,
110.	ईसर पुत्र मोहम्मदखां मेवं सा० कठोल	1446	[illegible]10	,,
111.	आसमोहम्मद पुत्र मोहरखाँ तराही हुसेन पुत्र घडर मेव कठोल	963 मि० 964 मि० 0.15 0.5	1.00	,,
112.	हरीसिंह पुत्र प[illegible]ा नाई आगरी कठोल	2997 मि० 3.00	3.00	,,
113.	कुन्दन पुत्र लादूराम गाख कठोल	1261 मि० 4.00	4.09	,,
114.	शाकर पुत्र आमीन खां मेव सा० कठोल	1553/2 मि० 1606/1.00 मि.	3.00	,, ,,
115.	कन्मी नूपरमा किशोरी पुत्र घनश्याम ठाकुर सा० कठोल	2707/1.16 मि० 2704/0.15 2710/0.15 2997/10,00 369 मि./1.14	15	,,
116.	रामजीलाल पुत्र बंशी आगदी कठोल	2601 मि./3.00	3.00	,,
117.	घायल पुत्र चन्दरखान मेव सा० कठोल	2601 मि./3.00	3.00	,,
118.	इब्राहीम मुबीन पि० रहमान मेव सा० झण्डीपुर	921 मि०/1.10	1.10	धीमदी

1	2	3	4	5
119.	सन्तासिंह पुत्र भन्डासिंह सिख जसोती	460 मि० / 2.00	2.00	जसोती
120.	इशाक पुत्र मेदा मेव कठोल	1737 मि० / 2.10, 1735 / 0.10	3.00	कठोल
121.	बसन्ता पुत्र प्रेमा जाटव	2619 / 1-9, 2511 / 2-13, 2515 / 1-5, 2517 / 1-8	7.15	कठोल
122.	छतरिया पुत्र सुब्बी मेव सा० कठोल	1477 मि०	10.00	कठोल
123.	मुन्शी पुत्र ज[illegible]ू मेव सा० कठोल	1477 मि०	15.00	,,
124.	शमरसिंह पुत्र खवासी जाति मंगी सा० कठोल	2908 2906	2-11 3-16 6-7	,, ,,
125.	ग्रब्दुलसुबान पुत्र ग्रादीन मेव	2516	1-00	,,
126.	ग्रहमदमुन्शी पि० रहीमखां मेव सा० कढोला	1440 1482	3.00 2.00	,, ,,
127.	लक्षमा पुत्र फतेराम वैश्य कठोल	1388	2.00	,,
128.	भवानी पुत्र ग्रब्दुलखां	434	3.00	,,
529.	भगवानसिंह पुत्र धर्मसिंह ग्रागदी सा० जसोती	2789	3.9	,,
130.	रमनलाल पुत्र धनपाल जाति ग्रागदी सा० जसोती	2715, 2723 2722, 2716	7.14	,,
131.	इसलाम पुत्र रमजानी सक्का सा० कठोल	1457	2.00	,,
132.	तीरोज हरनारायण पि० मंगी ग्रागदी सा. जसोती	2751·2752 2754·2755 2698·2699	10·6	कठोल
133.	किशन पुत्र मंगला ग्रागदी सा. जसोती	2774·2775·2776	6·3	,,

1	2	3	4	5
134.	गफूर पुत्र छटटू मेव सा. कठोल	1479 मि. 1480 मि.	6·00	,,
135.	चिरजी पुत्र मोहरसिंह आगदी सा. जसोती	466 मि.	1·10	,,
136.	माले पुत्र सुखिया आगदी सा. जसोती	2909,2910,2911, 2912,2913,2914,	8·11	,,
137.	मोहरासिंह पुत्र करकल्ली आगदी सा. जसोती	273 मि. 275 मि. 298 मि.	3·10	जसोती
138.	अल्लादीन पुत्र रमजान व अलीम पुत्र सेडू मेवान सा. कठोल	2888,2819 2612,2613,2621 2822	12·8	कठोला
139.	हीरासिंह मानसिंह पि. रामस्वरुप आगदी सा. कठोल	2745,2748,2741 2746,2736	10·10	,,
140.	हनीफ पुत्र हसमल मेव सा. मल्हाका	556,588,590	6·16	सरबरका
141.	रामनारायन पुत्र पदमसिंह आगदी सा. जसोती	91 मि.	2·10	जसोती
142.	इलीमान आस मोहम्मद पि. लुहरां मेव सा. घीमदी	247 मि.	2·10	घीमदी
143.	बशीर पुत्र चतरु मेव सा. फतहपुर	712	3·2	,,
144.	मदन पुत्र मोहरसिंह आगदी सा. जसोती	2893,2891,2896 2889,2890,2894, 2888	16·16	कठोल
145.	छोटा पुत्र अब्दुल शहीद पुत्र इमरत मेव घमीका	299 मि. 92 मि. 128 मि.	13·10	,,
146.	ईशव वगै. मेवान धीमती	719,721,717 128	8·15	,,
147.	मजीद मेवान घीमती	1858,44	1·17	,,
148.	भीमसिंह वगै. आगरी जसोती	2930–2934	16·17	,,
149.	ईशाक पुत्र सूखा सावरका	667	0·10	सरवरका

150.	श्री दीन पुत्र ईसाक सा. सरवरका	644	2)	सरवरका
151.	श्री रमन पुत्र गानू आजकी जलोती	132 मि.	6	जसोती
152.	बेनीप्रसाद पुत्र हीरा छागकी जसोती	132 मि.	6/	,,
153.	सम्मा पुत्र कुका, आगकी जसोती	132 मि.	6/	,,
154.	ज्वाला पुत्र जानकी आगकी जसोती	132 मि.	6/	,,
155.	चेतराम पुत्र मोहरसिंह आगकी जसोती	383	1॥/	,,
156.	अतरसिंह पुत्र होतमल आगकी जसोती	369 मि.	1)	,,
157.	गिरधर पुत्र रामसिंह आगकी जसोती	91 मि.	1॥/	,,

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न 282 की प्रतियां

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ।

क्रमांक/एफ । (30) बी.आर /एल.आर./एल.एल.सी./81–82/10981 दि० 5-11-81

निविदा सूचना

राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा "पशुगणना प्रतिवेदन ग्रामवार" का मुद्रण कार्य हेतु मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। मुद्रण कार्य 8 पाइन्ट इटेलिक व बोल्ड टाइप का है और 18 × 22 आकार में टेब्यूलर कार्य है । इसके अतिरिक्त जानकारी कार्यालय से प्राप्त हो सकेगी । निविदा दिनांक 25-11-81 को दोपहर बाद 3 बजे तक निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर) में दी जावे अथवा पहुंच जानी चाहिये । निविदाएं उसी दिन शाम 4·00 बजे निविदा प्रस्तुतकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष (जो उपस्थित होंगे अथवा नहीं) खोली जावेगी ।

निविदा हेतु फार्म व छपाई का पूर्ण विवरण एवं शर्तें राजस्व मण्डल, अजमेर से व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा रुपये 5/– बतौर फीस निविदा के साथ "अर्नेस्ट मनी" के रूप में 4000/–नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जो संयुक्त निदेशक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के नाम से भरकर मण्डल के कैशियर के पास जमा करवाकर रसीद अथवा रसीद नम्बर एवं दिनांक निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी । अन्यथा निविदा स्वतः रद्द मानी जावेगी ।

संयुक्त निदेशक एवं
पशुगणना अधिकारी,
राजस्व मण्डल, राजस्थान,
अजमेर ।

टेण्डर की शर्तें

1. प्रत्येक निविदादाता के टेण्डर के साथ रुपये 4000/– सिक्योरिटी नकद या बैंक ड्राफ्ट में पूर्व जमा करानी होगी । चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे । यह राशि टेण्डर अस्वीकृत होने पर वापिस लौटा दी जावेगी ।

Page No 232

232

2. निविदा स्वीकृत हो जाने पर जिस प्रेस की निविदा स्वीकृत होगी उसे कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य आदेश का 10% धरोहर जमा करानी होगी । इस राशि में स्वीकृत निविदा के निविदादाता द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी शामिल है, इस कुल राशि पर मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की ब्याज की राशि नहीं दी जावेगी ।

3. मुद्रण होने वाली सामग्री जो कि लगभग 6500 पृष्ठ तक हो सकती है, कम्पोजिंग कर ड्राफ्ट इस विभाग द्वारा अनुमोदित कराना होगा । मुद्रण के बाद ही इसे जिलेवार बाइण्ड कर देनी होगी ।

4. सामग्री मिलने के 28 फरवरी, 1982 तक मुद्रण कार्य समाप्त करना होगा ।

5. पीछे अंकित दरों के अलावा कोई पेशगी नही दी जावेगी ।

6. पीछे अंकित दरों के अलावा कोई अन्य व्यय या टैक्स आदि राजस्व मण्डल नहीं देगा ।

7. मुद्रण हेतु कागज इस कार्यालय से दिया जावेगा परन्तु इस कार्यालय से प्रेस तक कागज ले जाने का व्यय एवं पुस्तक छापने के बाद पुस्तक को कार्यालय तक पहुंचाने का व्यय निविदा दाता को वहन करना होगा । यदि राजकीय मुद्रणालय से कागज कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा कागज की सप्लाई सम्भव नहीं हो सकेगी उस स्थिति में निविदादाता को स्वयं की तरफ से वांछित साइज का उपलब्ध कराना होगा जिसकी कीमत भी निविदा फार्म में यथा स्थान अंकित करनी होगी । कागज का पूरा हिसाब देना होगा । वेस्टेज के लिये एक प्रतिशत से अधिक कागज नहीं दिया जावेगा ।

8. मुद्रणकार्य में विलम्ब होने, मुद्रण त्रुटि होने या कार्यसंतोषजनक न होने पर होने वाली हानि का दण्ड का दायित्व निविदादाता पर होगा । इसके लिये निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा । हानि दण्ड की धरोहर राशि या बिल से काटी जा सकेगी ।

9. टेक्स्ट के साथ यदि कोई ब्लाक छपेगा तो उसके लिये अतिरिक्त व्यय नहीं दिया जावेगा ।

10. कार्य संतोषजनक न होने पर अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को होगा ।

11. निविदादाता व इस कार्यालय के बीच कोई विवाद खड़ा हो जाने पर पुस्तक के लिये गठित समिति द्वारा विचार किये जाने के उपरान्त निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्णय लिया जावेगा वह अंतिम होगा ।

(233)

12. निविदादाता से आयकर एवं बिक्री कर के बकाया न होने का प्रमाण पत्र मय संबंधित सर्कल अधिकारी से प्राप्त प्रेषित करना होगा इसके बिना कोई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
13. तमाम वैधानिक समस्याएं यदि किसी तरह की पैदा होती हैं दोनों की पार्टी की तरफ से (राज्य सरकार को निविदा दाता) न्यायालय क्षेत्र अजमेर ही रहेगा ।
14. यदि निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निविदा सम्बन्धी प्रचार करता हुआ पाया गया जो उनकी निविदा निरस्त की जावेगी ।
15. निविदादाता का टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात किसी अन्य को अपने स्तर पर कार्य का ठेका नहीं दे सकेगा ।
16. उक्त शर्तों के अलावा कोई शर्तें मान्य नहीं होंगी ।

निबंधक,
राजस्व मण्डल, राजस्थान,
अजमेर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
BOARD OF REVENUE (L. R.) AJMER.
COMPARATIVE STATEMENT

Items.	Chawla Printers New Khailand Market, Ajmer.	Keshav Art Printers, Hathi Bhata Ajmer.	Print House Babu Mohalla, Ajmer.	Fine Art Printing Press, Ajmer.	Modern Painting House, Ajmer.	Time Printing Press, Ajmer.	Job Printing Press, Ajmer.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Composing-Imposing Per form of 8 pages.	424.00	424.00	480.00	350.08	440.00	424.00	424.00
-do- 4 pages.	212 00	212.00	240.00	175.04	220.00	212.00	212.00
-do- 2 pages.	106.00	106.00	120.00	87.52	110.00	106 00	106.00
-do- 1 pages.	53.00	53.00	60.00	43.76	55.00	53.00	53.00
2. Printing work per 100 copies.							
1. Ordinary Page per form 8 pages.	40.00	40.00	80.00	60.00	80.00	40.00	40.00
2. -do- 4 pages.	20.00	20.00	40.00	30.00	40.00	20.00	20.00
3. -do- 2 pages.	10.00	10.00	30.00	15.00	40.00	10 00	10.00
4. -do- 1 pages.	5.00	5.00	25.00	7.50	20.00	5.00	5.00

1	2	3	4	5	6	7	8
(2) Printing on Art Paper per form							
2 pages.	100.00	100.00	40.00	10.00	40.00	100.00	100.00
1 pages.	50.00	50.00	30.00	10.00	20.00	50.00	50.00
(3) Block Printing Half Tone or cut off or line block.	—	—	30.00	15.00	30.00	—	—
3. Cover composing & Printing							
(1) Composing 4 pages.	120.00	120.00	60.00	10.00	80.00	120.00	120.00
(2) 1 & 4 page in one colour.	20.00	20.00	40.00	15.00	30.00	20.00	20.00
1 & 4 page in 2 colour.	60.00	60.00	80.00	30.00	60.00	60.00	60.00
1 & 4 page in 3 colour.	100.00	100.00	120.00	45.00	150.00	100.00	100.00
(3) 2 & 3 page in 1 colour	20.00	20.00	40.00	10.00	25.00	20.00	20.00
2 & 3 page in 2 colour.	60.00	60.00	80.00	20.00	60.00	60.00	60.00
2 & 3 page in 3 colour.	100.00	100.00	120.00	30.00	120.00	100.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Binding with cover pesting.	2.00 (per page)	2.00 (p. pages)	12.00 (for 4 pages)	8.00 (per form of 4 pages or part three of)	10.00 (for 4 pages)	2.00 (per page)	2.00 (per page
5 Block making per Sq. Cms. with S. T. (1) Half T one Block.	0.30 (M. M. charges Rs. 20/-)	0.30 (M.M. charges Rs. 20/–)	0.30 (per Sq. cms)	0.26 (per sq. cms)	0.30 (per sq. cms)	0.30 (per sq. cms)	0.30 (per sq. cms)
(2) Line Block.	0.30 (M.M. charges Rs. 20/-)	0.30 (M.M. charges Rs. 20/-)	0.25 (per sq. cms)	0.22 (per sq. cms)	0.28 (per sq. cms)	0.30 (per sq. cms)	0.30 (per sp. cms)
6. Paper sige 18 × 22 per rim.	(1) 6 kg. orient. 80.00	(1) 7.6 kg. orient. 80.00	7.6 kg. white printing @ 85/-	(1) 7.6 kg. Orient 78.00	(1) 7.6 kg. Orient. 85.00	(1)7.6 kg. Orient. 80.00	(1)7.6kg. Orient. 80.00

237

1	2	3	4	5	6	7	8
	(2) 9.0 kg. J.K. 115.00	(2) 9.0 kg. J.K. 115.00	—	(2) मैपोलियो 12.5 kg. J.K. 180.00	—	(2) 9.00 kg. J.K. 115.00	(2) 9.0 kg. J.K. 115.00
1) White Print per rim	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	—do—
2) Cartage Paper per rim.	—	—	Card sheet J.K. per Gross @ 240/-	22×28- 12.5 kg. कार्ड शीट कवर हेतु J.K. Rs. 1.50sheet.	12.5 kg. कार्ड शीट कवर हेतु J.K. 250/- प्रतिग्रोस	-	-
Remarks, if any.	उक्त कार्य अन्य प्रेसों से भी कराने की अनुमति दी जाय।	कार्य अधिक है अतः अन्य प्रेसों से कराने की अनुमति दी जाय।	-	Blank pages, if any, will be charged full.	--	We can print 2000 pages & if given permission to get it print from other presses we can do the full work.	यह कार्य हमें अन्य प्रेसों से भी कराने की अनुमति दी जाय।

प्रतिलिपि पत्र दिनांक 8-12-81 ओर से केशव आर्ट प्रिन्टर्स, अजमेर, निमित श्रीमान्, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।

विषयः—पशुगणना प्रतिवेदन के मुद्रण के संबंध में।

प्रिय महोदय,

संयुक्त निदेशक एवं पशुगणना अधिकारी, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकाशित निविदा दैनिक नवज्योति दिनांक 5 नवम्बर, 1981 द्वारा सूचित किया गया है कि लगभग 6500 पृष्ठ पशुगणना प्रतिवेदन समाचार के 18 × 22 के साइज में 8 पाइन्ट बोल्ड एवं इटेलिक टाइप में छापने हैं।

(1) यह कार्य 18×22 "साइज के बदले में अब 9" × 11" साइज में हो रहा है। जबकि निविदा 18×22 साइज में टेब्यूलर कार्य करने की है।

(2) 8 पाइंट बोल्ड एवं स्टेलिक टाइप के स्थान पर 8 पाइंट रोमन टाइप में कार्य हो रहा है जो कि निविदा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

(3) निविदा के अनुसार 6500 पृष्ठों की छपाई लागत लगभग 3,50,000 रुपये होती है एवं धरोहर राशि 10 प्रतिशत के हिसाब से 35,000 रुपये होती है जबकि प्रेस से केवल 20,000 रुपये ही धरोहर राशि ली गई है।

(4) यह कार्य जिस प्रेस को दिया गया है वह प्रेस चाहे गये समय में यह कार्य करने में असमर्थ है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि इस प्रकार निविदा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं सरकारी खजाने का लाखों रुपया अधिक व्यय हो रहा है जो कि उचित नहीं है। यह कार्य जिन दरों पर दिया गया है वह लगभग 100 प्रतिशत से अधिक है। अतः निवेदन है कि सरकारी अपव्यय को रोकने हेतु इस कार्य की पुनः स्पष्ट निविदाएं उसी टाइप व साइज की मांगी जावें जिनमें कार्य होना है, साथ ही अनुमानित पृष्ठ संख्या भी ठीक ठीक वर्णित की जावे।

प्रतिलिपि पत्र दिनांक 14-12-81 ओर से धर्मेन्द्रसिंह चौधरी, महामंत्री अजमेर नगर जिला कांग्रेस (आई) अजमेर निमित्त श्री जे० एम० लालवानी, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।

मान्यवर लालवानी साहब,

सादर नमस्ते। मेरी जानकारी में लाया गया है कि पशुगणना प्रतिवेदन ग्रामवार की मुद्रण निविदा 25-11-81 को खोली गई तथा उसको आधार बनाकर कार्यादेश दिया गया।

यह निविदा दैनिक नवज्योति में प्रकाशित हुई थी तथा उसमें 18 × 22 आकार के मुद्रण कार्य को निविदाएं मांगी गई थी व इसको मुद्रण 8 पाईंट इटेलिक व बोल्ड में चाहा था तथा इसके 6500 पृष्ठ मुद्रण करवाने की बात लिखी गई थी। लेकिन जिस प्रेस को यह कार्यादेश दिया गया। वहां यह कार्य 9 × 11 में छाप रहा है। तो क्या निविदा में आई 18 × 22 की दो के बजाय 9 × 11 से यानी दो चौगुनी दरों पर कार्यादेश दिया गया है। वह मुद्रक इस कार्य को 8 पाईंट इटेलिक व बोल्ड में न छापकर 8 पाईंट रोमन सादे टाइप में छाप रहा है, जो कि सस्ता होता है तो क्या चाहे गये टाइप में न छापने पर उसका कार्यादेश रद्द किया जायेगा।

मुझे यह भी जानकारी मिली है कि यह कार्य न्यूनतम दरों पर न देकर द्वितीय न्यूनतम (सैकण्ड लोऐस्ट) को लगभग पौने दो गुनी अधिक दरों पर दिया गया है। जिन्हें आपके विभाग ने द्वितीय न्यूनतम (सैकण्ड लोऐस्ट) माना है। वे अपनी दरें 11 × 18 की बताते हैं तथा वे अपनी दी गई दरों में 11 × 18 साइज में यह कार्य छापने को तैयार थे जो कि दिए गए कार्यादेश की रकम से लगभग आधी होती और इस प्रकार राज्य की जनता के पौने दो लाख रुपये बचाये जा सकते थे। क्या आप कृपा करके यह बतायेंगे कि जब लगभग आधी दरों पर अन्य मुद्रक यह कार्य करने को तत्पर थे तब यह कार्य दुगुनी दरों पर क्यों दिया गया।

अजमेर नगर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपको आग्रह करूंगा कि आप कृपया तत्काल व्यक्तिगत पूरी रुचि लेकर जनता की गाढ़ी कमाई की रकम का दुरुपयोग न होने दें। निश्चय ही उपरोक्त कार्य में षड़यन्त्र की झलक मिलती है। अन्यथा क्या कारण है कि हर साल एक ही प्रेस से मनमाने तरीके से मनमानी दरों पर यह कार्य कराया जाता है और आधी दरों पर काम करने के इच्छुक प्रेसों को काम नहीं दिया जाता।

आपसे तत्परता पूर्वक हस्तक्षेप करने व उचित निर्णय की अपेक्षा में।

निवेदक,

धर्मेन्द्रसिंह चौधरी

प्रतिलिपि पत्र दिनांक निल और से अभय कुमार जैन निमित्त श्री जे० एम० लालवानी० अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।

———

आदरणीय लालवानी साहब,

सादर जय हिन्द। पशुगणना प्रतिवेदन ग्रामवार के मुद्रण के संबंध में होने वाली अनियमितताओं को कांग्रेस समाचार के माध्यम से उजागर करने से पूर्व मैं आपकी सेवा में कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है, आप जिज्ञासा को शान्त करने की कृपा करेंगे :—

(1) पशुगणना प्रतिवेदन के मुद्रण का कार्य षड़यन्त्र पूर्वक प्रतिवर्ष एक ही प्रेस को क्यों दिया जाता है ?

(2) इस वर्ष यह कार्य न्यूनतम दरों पर न देकर लगभग दुगुने दरों पर उसी प्रेस को क्यों दिया गया जिसको कि गतवर्ष दिया गया था ?

(3) निविदा में वर्णित शर्तों को मनमानी पूर्वक नजर अन्दाज कर कार्य को चौथाई आकार तथा सस्ते टाइप में कराया जा रहा है। क्या इस तरीके के तहत षड़यन्त्र स्पष्ट साक्षित नहीं होता ?

यदि निविदा में वर्णित आकार, टाइप काम में लिए जाये व उतने ही पृष्ठ छपें तो वर्तमान मुद्रक कभी भी उपरोक्त कार्य पूर्ण न कर सके। यह तो केवल अफसरों की मिली भगत से सब कुछ अनुचित तरीके से हो रहा है।

आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस षड़यन्त्र का पर्दाफाश करें और राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग होने से बचाएं।

मैं स्पष्टतः चाहूंगा कि आप फिलहाल वर्तमान प्रेस को कार्य करने से रोक कर अन्य समर्थ प्रेसों से निविदा आमंत्रित करने की कृपा करें। उनकी दरों से आपको स्वयं प्रमाण मिलेगा कि इस कार्य मे पौने दो लाख के लगभग घोटाला है।

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 284 की सूची

परिशिष्ट "क"

सन् 1982–83 में स्थापित नई उप तहसीलों की सूची ।

क्र.सं. 1	नाम जिला 2	नाम तहसील 3	प्रस्तावित उप तहसील 4
1.	अजमेर	अजमेर	पुष्कर
2.	बांसवाडा	बागीडोरा	भुखिया
3.	बांसवाड़ा	घांटोल	पीपलखूंट
4.	भीलवाड़ा	शाहपुरा	फूलियाकला
5.	भीलवाड़ा	मांडल	करेडा
6.	बीकानेर	बीकानेर	पुंगल
7.	कोटा	लाडपुरा	मन्डाना
8.	नागौर	नावां	कुचामनसिटी
9.	नागौर	परबतसर	पिलवा
10.	जयपुर	सांभर	किशनगढ रेनवाल
11.	जैसलमेर	जैसलमेर	फतेहगढ़ (सागड़)
12.	जैसलमेर	पोकरण	भिनियाणा
13.	जालौर	भीनमाल	रानीवाड़ा
14.	झालावाड़	झालरापाटन	असनावर
15.	झालावाड़	पिड़ावा	सुनेल
16.	झुंझुनू	झुंझुनू	मलसीसर
17.	जोधपुर	शेरगढ़	बालेसर
18.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	चौथ का बरवाड़ा
19.	बाड़मेर	शिव	गडरारोड
20.	सीकर	दांतारामगढ़	पलसाना
21.	सीकर	श्रीमाधोपुर	खन्डेला
22.	भरतपुर	धौलपुर	मनिया

1	2	3	4
23.	चित्तौड़गढ़	बेगू	परसोली
24.	सिरोही	पिंडवाड़ा	भांवरी
25.	अलवर	राजगढ़	रेणी
26.	बूंदी	बूंदी	तालेड़ा
27.	चूरू	राजगढ़	सिद्धमुसा
28.	चूरू	सुजानगढ़	बीदासर

सन् 1982-83 में निम्नलिखित चार उपतहसीलों के मुख्यालय परिवर्तन किये गये।

क्र.सं	नाम जिला	तहसील	उप तहसील के मुख्यालय में परिवर्तन
1.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	बसाड़ के स्थान पर देवगढ़
2.	गंगानगर	नोहर	फेफना के स्थान पर रावतसर
3.	अजमेर	ब्यावर	सथाना के स्थान पर विजयनगर
4.	अजमेर	ब्यावर	राजगढ़ के स्थान पर टाटगढ़

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न 288 की सूची

तहसील :—कोटपुतली

जिला :—जयपुर

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	हैण्ड पम्प नलकूपों की संख्या						
			स्वीकृत	वर्ष 81–82 से पूर्व लगाये गये	वर्ष 81–82 में लगाये गये	वर्ष 82–83 में 8/82 तक लगाये गये	शेष रहे	चालू	बंद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	01
1.	कल्याणपुरा खुर्द	73	6	5	1	–	–	4	2
2.	कंवर पुरा	74	7	4	3	–	–	4	3
3.	मोहन पुरा	75	6	3	2	–	1	5	–
4.	खेडलीमुकर	44	4	1	3	–	–	4	–
5.	मालपुरा	48	4	2	2	–	–	4	–
6.	मोडा	49	5	1	4	–	–	5	–
7.	रामसिंहपुरा	57	4	3	1	–	–	2	2
8.	अमरपुरा	20	3	2	1	–	–	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	तापरी	52	4	3	1	—	—	4	—
10.	चतुरमुज	63	4	3	1	—	—	4	—
11.	करयास	18	4	1	3	—	—	3	1
12.	खुर्दी	67	3	3	—	—	—	3	—
13.	ममाई	68	4	3	1	—	—	4	—
14.	मांजूकोट	93	5	1	—	—	4	1	—
15.	बंका	43	2	1	1	—	—	2	—
16.	शेखुपुरा	53	2	1	1	—	—	2	—
17.	खरारी	55	3	2	2	—	—	3	—
18.	राहेरा	71	2	2	—	—	—	2	—
19.	किरथपुरा	72	2	1	1	—	—	2	—
20.	चामचक	60	2	—	—	—	2	—	—
21.	दादूका	116	2	—	—	—	2	—	—
22.	पिजूंका	118	2	1	1	—	—	2	—
23.	ग्रजीतपुरा कलान	80	4	—	—	—	—	—	—
24.	बैनर	10	7	—	—	—	7	—	—
25.	संगेतडा	52	7	—	—	—	7	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	कल्याणपुरा कलान	2	5	—	—	—	5	—	—
27.	पालावाला राजपुरा	4	3	—	—	—	3	—	—
28.	देवली	13	3	—	3	—	—	3	—
29.	हसनपुरा	14	2	—	—	—	2	—	—
30.	बखराना	16	5	—	—	—	5	—	—
31.	नागलचेचिका	19	4	—	4	—	—	4	—
32.	जिगोर	31	3	—	—	—	3	—	—
33.	बैरी	35	6	—	—	—	6	—	—
34.	पुरननगर	40	3	—	3	—	—	3	—
35.	अजीतपुरा खुर्द	41	2	—	2	—	—	2	—
36.	केशरना गुजर	46	2	—	—	—	2	—	—
37.	खेरा निहालपुरा	39	6	—	—	—	6	—	—
38.	जगदीशपुरा	59	4	—	3	—	1	3	—
39.	गोपीपुरा	65	2	—	2	—	—	2	—
40.	रूपपुरा	88	4	—	—	—	4	—	—
41.	किरारोध	102	4	—	4	—	—	4	—
42.	कल्याणपुरा	111	2	—	2	—	—	2	—
43.	जोधपुरा	112	5	—	5	—	—	5	—
44.	पंचपहाड़ी	114	2	—	—	—	4	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	जाहिदपुरा	119	2	—	2	—	—	2	—
		योग :—	167	42	59	—	66	91	10

तहसील : बैराठ जिला : जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चिमनपुरा	48	7	1	6	—	7	—	—
2.	छतरपुरा	89	2	1	1	—	2	—	—
3.	नाथावाला	51	5	1	4	—	5	—	—
4.	भिडोरिया	130	4	—	—	—	—	4	—
5.	बिचपुरी	54	4	—	—	—	—	4	—
6.	जीतपुरा	73	5	—	—	—	—	5	—
7.	धानकावास	52	3	—	—	—	—	3	—
8.	छापरा कलान	2	6	—	6	—	6	—	—
9	बसरी गणेशपुरा	3	2	—	—	—	—	2	—
10.	राजूनाथपुरा	17	2	—	—	—	—	2	—
11.	सौथना	20	3	—	—	—	—	3	—
12.	मुजफ्फरपुरा	24	2	—	—	—	—	2	—
13.	स्वरूपपुरा	36	4	—	4	—	4	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	गोबिन्दपुरा धोली	37	8	–	–	–	–	8	–
15.	रामचन्द्रपुरा	43	2	–	2	–	2	–	–
16.	जसवन्तपुरा	46	3	–	3	–	3	–	–
17.	माजीपुरा	75	3	–	3	–	3	1	–
18.	जोधपुरा	59	2	–	2	–	2	–	–
19.	श्योसिंहपुरा	76	4	–	4	–	4	–	–
20.	अनोता धोलरी	77	3	–	–	–	–	3	–
21.	गौना का सर	79	3	–	3	–	–	–	3
22.	मामखोरी कलान	82	4	–	–	–	–	4	–
23.	पीपलोद नाथू	84	2	–	–	–	–	2	–
24.	पीपलोद नारायण	86	2	–	–	–	–	2	–
25.	लखनी	94	3	–	3	–	3	–	–
26.	कान्ट	95	8	–	7	–	7	1	–
27.	भाभीपुरा	97	5	–	4	–	4	1	–
28.	गोला का वास	107	2	–	–	–	–	2	–
29.	पाण्डु	110	3	–	–	–	–	3	–
30.	खामावास	115	3	–	–	–	–	3	–
31.	खाजावाला	118	3	–	3	–	3	–	–
32.	मामतोरी खुर्द	119	2	–	–	–	–	2	–

247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	नवलपुरा	120	7	–	–	–	–	7	–
34.	राजपुरा	92	6	–	3	–	3	3	–
35.	अमलोदा	126	5	–	–	–	–	5	–
36.	कल्याणपुरा	127	2	–	–	–	–	2	–
37.	हरिकिशनपुरा	128	3	–	3	–	3	–	–
38.	बेवटा	129	2	2	2	–	2	–	–
	योग–		140	3	63	–	63	74	3
तहसील : दौसर								जिला : जयपुर	
1.	बैजवाडी	223	5	4	–	–	1	2	2
2.	धारनवास	234	3	3	–	–	–	2	1
3.	धरमपुरा	26	4	4	–	–	1	2	1
4.	किकरिया	147	5	3	–	–	2	1	2
5.	मानपुरा	211	4	3	–	–	1	1	2
6.	रानिवास	212	5	4	–	–	1	2	2
7.	अभयपुरा	222	3	3	–	–	–	2	1
8.	कोटापट्टी	154	3	–	–	–	3	–	–
9.	टिटोली	210	2	1	–	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	रलावता	114	3	–	3	–	–	2	1
11.	सिहपुरा	224	2	–	2	–	–	2	–
12.	हरियाणा	169	2	2	–	–	–	2	–
13.	उदयपुरिया	208	2	–	2	–	–	2	–
14.	झाझापावाला	9	2	–	–	–	2	–	–
15.	मोटलावास	116	2	–	–	–	2	–	–
16.	तितरवाला कलान	19	7	–	–	–	7	–	–
17.	जोपाडा	36	4	–	–	–	4	–	–
18.	चन्दीपुरा	54	2	–	–	–	2	–	–
19.	वावी	45	6	–	6	–	–	4	2
20.	विहारीपुरा	49	3	–	–	–	3	–	–
21.	मालपुरा	57	4	–	–	–	4	–	–
22.	खुरी कलान	53	5	–	4	–	1	4	–
23.	हाजिया का वास	58	2	–	–	–	2	–	–
24.	मांगा भाटा	60	2	–	–	–	2	–	–
25.	वाणा का बरखेडा	66	6	–	–	–	6	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	खीचावास	37	2	–	–	–	2	–	–
27.	रोडा	78	3	–	1	–	2	1	–
28.	हरिपुरा	79	4	–	–	–	4	–	–
29.	मालगवास	80	2	–	2	–	–	2	–
30.	भण्डाना	89	6	–	–	–	6	–	–
31.	जिरोता कलान	90	2	–	–	–	1	–	–
32.	मलारना	95	5	–	5	–	–	4	1
33.	जिरोता खुर्द	93	6	–	–	–	6	–	–
34.	सिगवाडा	96	5	–	5	–	–	3	2
35.	नांगल गोविन्दपुरा	99	4	–	–	–	4	–	–
36.	खेरला खुर्द	107	3	–	–	–	3	–	–
37.	गांगल्या वास	110	3	–	–	–	3	–	–
38.	राजवास	112	2	–	–	–	2	–	–
39.	सूरजपुरा	117	4	–	4	–	–	3	1
40.	गणेशपुरा	118	2	–	2	–	–	2	–
41.	भगलाई	112	4	–	–	–	4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	रामपुरा कलान	123	2	—	2	—	—	2	—
43.	भागलो	128	3	—	—	—	3	—	—
44.	श्यालावास	130	6	—	—	—	6	—	—
45.	नांगल चेपा	131	3	—	—	—	3	—	—
46.	खरण्डी	132	2	—	—	—	2	—	—
47.	विरासना	133	2	—	—	—	2	—	—
48.	देवलदा	138	2	—	2	—	—	2	—
49.	सराय	139	3	—	—	—	3	—	—
50.	मूंड गिसया	141	3	—	—	—	3	—	—
51.	ग्रनन्तपुरा	155	2	—	—	—	2	—	—
52.	देवरी	160	2	—	2	—	—	2	—
53.	प्रहलादपुरा	161	2	—	2	—	—	1	1
54.	गुढ़ा किरतवास	164	2	—	2	—	—	2	—
55.	गनोली	167	2	—	2	—	—	2	—
56.	मूसली	168	2	—	2	—	—	2	—
57.	मडरेता सुगनपुरा	170	3	—	2	—	1	2	—
48.	भण्डला मूतपुरा	173	2	—	2	—	—	2	—
59.	देलवास	186	2	—	2	—	—	2	—
60.	बिदरखां	191	2	—	2	—	—	2	—

(251)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	खानवास	176	5	—	4	—	1	2	2
62.	राजपुरा	198	2	—	2	—	—	2	—
63.	दादू का वास	209	2	—	2	—	—	2	—
64.	जोन	231	3	—	3	—	—	2	1
65.	थापावास	235	5	—	5	—	—	3	2
66.	देवरो	236	2	—	2	—	—	1	1
67.	कालेरी	238	2	—	2	—	—	—	—
68.	वालावास	237	3	—	3	—	—	1	2
69.	सर्रे	240	2	—	—	—	2	—	—
		योग —	218	26	81	—	111	79	28
तहसील : लालसोट								जिला : जयपुर	
1.	दयालपुरा	121	2	2	—	—	—	2	—
2.	बडना का वास	138	2	2	—	—	—	2	—
3.	टोडाभीम चक	225	2	1	1	—	—	2	—
4.	नगरियावास	226	2	2	—	—	—	2	—
5.	सोनड़	18	5	2	—	—	3	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	सिण्डोली	20	4	3	–	–	1	3	–
7.	कोलीवाडा	70	4	3	1	–	–	4	–
8.	श्यामपुरा कलान	153	4	3	–	–	1	–	3
9.	तलाव गांव	176	5	4	5	–	1	2	2
10.	अजबपुरा	177	3	3	–	–	–	2	1
11.	समेर	184	5	4	–	–	1	4	–
12.	मटलाना	189	3	3	–	–	–	2	1
13.	हेमल्यावाला	2	3	2	–	–	1	2	–
14.	रामगढ़ खेरी	24	2	1	1	–	–	2	–
15.	जीतपुरा	33	2	1	2	–	–	3	–
16.	राजपुरा	190	3	2	–	–	1	2	–
17.	किशनपुरा	260	3	2	1	–	–	3	–
18.	नालावास	150	3	1	–	–	1	–	1
19.	भीमावास	264	2	–	–	–	2	–	–
20.	स्वरूपपुरा	28	2	–	–	–	2	–	–
21.	बिदरखान	13	4	–	–	–	4	–	–
22.	मनवा का वास	15	2	–	–	–	2	–	–
23.	बड बडवा	19	3	–	–	3	–	2	1
24.	बीलका	20	2	–	–	–	2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	जौन	47	2	–	–	–	2	–	–
26	बुरजा	58	3	–	3	–	–	1	2
27.	रामसर	64	3	–	2	–	1	2	–
28.	कुथलावास	72	5	–	5	–	–	3	2
29,	नहरी जसवन्तपरा	99	2	–	2	–	–	–	2
30,	कंवरपुरा	104	2	–	–	–	2	–	–
31.	नौरंगपुरा	112	2	–	–	–	2	–	–
32,	कुशालपुरा	113	3	–	–	–	3	–	–
33.	देहलाल	118	3	–	–	–	3	–	–
34.	नया का वास	123	3	–	3	–	3	2	1
35.	चैनपुरा	144	2	–	–	–	2	–	–
36.	रहमलपुरा	147	2	–	–	–	2	–	–
37,	जैसिहपुरा	157	2	–	2	–	–	1	1
38.	थालोज	164	3	–	–	–	3	–	–
39.	चांदसेन	167	4	–	3	–	1	3	–
40.	सालगरामपुरा	168	2	–	2	–	–	2	–
41.	नारायणपुरा	173	2	–	–	2	–	1	1
42.	बर का पारा	175	2	–	–	2	–	1	1
43.	पृथ्वीसिहपुरा	180	2	–	–	2	–	2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	होदायली	181	4	–	–	–	4	–	–
45.	भोजयारा	186	2	–	–	–	2	–	–
46.	रूपपुरा	187	3	–	–	–	3	–	–
47.	विजयपुरा	193	2	–	–	–	2	–	–
48.	सुखचैनपुरा	197	2	–	–	–	2	–	–
49.	करनपुरा	199	2	–	–	2	–	1	1
50.	गोबिन्दपुरा	200	2	–	2	–	–	1	1
51.	मंडया	205	2	–	–	2	–	2	–
52.	श्रीरामपुरा	206	3	–	2	–	1	2	–
53.	घोली	207	6	–	4	–	2	4	–
54.	भगवतपुरा	212	3	–	3	–	–	1	2
55.	प्रहलादतुरा	213	2	–	2	–	–	2	–
56.	खेरली	214	2	–	2	–	–	2	–
57.	नांगल अभयपुरा	218	3	–	3	–	–	2	1
58.	किराडी	215	2	–	2	–	–	2	–
59.	राजोली	220	4	–	–	–	4	–	–
60.	इण्डावा	222	6	–	–	–	6	–	–
61.	श्री सुखचैनपुरा	232	2	–	2	–	–	2	–
62.	रामपुरा खुर्द	233	2	–	2	–	–	2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.	कांकरिया	238	2	–	–	–	2	–	–
64.	दवालगो	239	2	–	–	–	2	–	–
65.	कल्याणपुरा	241	3	–	–	–	3	–	–
66.	राजपुरा	244	2	–	–	–	2	–	–
67.	कानलोदा	254	2	–	–	–	2	–	–
68.	बाडा	255	2	–	–	–	2	–	–
69.	दाउसदा	251	2	–	–	–	2	–	–
70.	किशोरपुरा	255	5	–	–	–	5	–	–
71.	थानपुरा	266	2	–	–	–	2	–	–
72.	महाराजपुरा	269	2	–	–	2	–	2	–
73.	रामसर	274	2	–	–	2	–	2	–
74.	खेरला खूर्द	275	5	–	4	–	1	2	2
75.	खानपुरा	276	3	–	3	–	–	3	–
		योग	209	41	64	12	17	22	26

तहसील बसवा जिला जयपुर

1.	शाहपुरा	104	3	2	1	–	–	3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	सूमेलखुर्द	101	2	2	–	–	–	2	–
3.	द्वारापुरा	98	4	–	–	2	2	2	–
4.	गोलारा	141	8	–	–	4	4	4	–
5.	भानावत	14	9	–	–	–	9	–	–
6.	अगवाली	25	3	–	–	–	3	–	–
7.	हरिपुरा	87	2	–	2	–	–	2	–
8.	शामपुरा	48	3	–	–	1	2	1	–
9.	रोहारियां	1	4	–	–	–	4	–	–
10.	उरवारी	2	2	–	–	–	2	–	–
11.	छादरा	3	3	–	–	–	3	–	–
12.	चांवडीवाला	5	2	–	–	–	2	–	–
13.	दुर्बी	6	2	–	–	–	2	–	–
14.	बगदारा	7	3	–	2	–	1	2	–
15.	नारंग वाडा	13	2	–	2	–	–	2	–
16.	रामपुरा	15	3	–	2	–	1	2	–
17.	गिदारवाल अगुआफरान	16	3	–	3	–	–	3	–
18.	गादाडी	17	2	–	–	–	2	–	–
19.	दिलवारपुरा	20	3	–	–	–	3	–	–
20.	रेवासविथचक	31	2	–	–	–	2	–	–

Page No 258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	खोरा	23	2	—	2	—	—	2	—
22.	जयसिंह पुरा	28	2	—	—	—	2	—	—
23.	झाझीरामपुरा	31	2	—	—	—	2	—	—
24.	उपरेडा	32	2	—	—	1	1	1	—
25.	जयपुरा	33	4	—	—	1	3	1	—
26.	केशरीसिंह पुरा	34	4	—	4	—	—	4	—
27.	विशनपुरा	35	2	—	2	—	—	2	—
28.	फुलाल	37	4	—	4	—	—	4	—
29.	छानपुरा	40	2	—	2	—	—	2	—
30.	छापनवाला कलान	41	3	—	3	—	—	3	—
31.	छापवान खुर्द	42	2	—	—	—	2	—	—
32.	तिहारी	44	2	—	—	—	2	—	—
33.	जैतपुरा	45	3	—	—	3	—	3	—
34.	मालोनाई	46	2	—	2	—	5	2	—
35.	खेतरा दावदा	47	2	—	—	—	2	—	—
36.	चांदवास	49	2	—	2	—	—	2	—
37.	दुलाईका	50	2	—	2	—	—	2	—
38.	कोलवा	52	2	—	2	—	—	2	—
39.	विजयपुरा	53	3	—	—	—	3	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	भोजवारा	55	4	–	3	–	1	3	–
41.	गादरवाडा ब्राह्म्मन	57	2	–	1	–	1	1	–
42.	मानुली	59	2	–	2	–	–	2	–
43.	मितरवाड़ी	60	3	–	3	–	–	3	–
44.	किरथपुरा	62	4	–	2	–	2	2	–
45.	कूकरपुरा	65	4	–	3	–	1	3	–
46.	नागवास	66	3	–	3	–	–	3	–
47.	बडियाखुर्द	68	5	–	5	–	–	5	–
48.	बदविशनपुरा	70	2	–	2	–	–	2	–
49.	हरनाथपुरा	75	2	–	2	–	–	2	–
50.	आनन्दपुरा	75	2	–	2	–	–	2	–
61.	रेवारा	76	2	–	–	–	2	–	–
52.	पारला	77	2	–	–	–	2	–	–
53.	फिरदासपुरा	78	2	–	–	–	2	–	–
54.	सावलाई	79	4	–	–	2	2	2	–
55.	भानपुरा	81	3	–	–	–	3	–	–
56.	केशपुरा	82	2	–	–	–	2	–	–
57.	लिलियो	83	5	–	5	–	–	5	–
58.	किशनपुरा	84	3	–	3	–	–	3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	पामदी	90	5	—	5	—	—	5	—
60.	सूमोईरा	92	5	—	5	—	—	5	—
61.	नारायणपुरा	94	2	—	2	—	—	2	—
62.	श्यामसिंह पुरा	97	4	—	4	—	—	3	1
63.	शेतपुरा	85	2	—	—	—	2	—	—
64.	दालरी	99	4	—	4	—	—	4	—
65.	दरिगरायता	100	3	—	3	—	—	3	—
66.	खोरली	103	4	—	3	—	1	3	—
67.	रानी का बास	107	3	—	3	—	—	3	—
68.	भमयव्री	109	6	—	6	—	—	6	—
69.	जैसीपुरा	110	2	—	—	2	—	2	—
70.	टोरवाडी	111	2	—	2	—	—	2	—
71.	छोरवाडा	115	3	—	2	—	1	2	—
72.	मूंदगाय	116	6	—	6	—	—	6	—
73.	पापरकी	119	2	—	—	2	—	2	—
74.	दूबी	121	3	—	3	—	1	2	—
75.	तूरपुरा भासरा	125	2	—	2	—	—	2	—
76.	राजेरा	126	2	—	2	—	—	2	—
77.	गरहूबलरी	128	4	—	4	—	—	4	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.	रलाबता	129	5	—	5	—	—	5	—
79.	काथीवाडी	131	2	—	2	—	—	2	—
80.	किनापुरा	134	3	—	3	—	—	2	1
81.	खेतपुरा	135	2	—	2	—	—	1	1
82.	जागलपुरा	136	2	—	2	—	2	2	—
83.	पुन्दारपुरा	137	5	—	5	—	—	5	—
84.	मुयुका	139	5	—	5	—	—	5	—
85.	टिकरिया	140	2	—	2	—	—	2	—
86.	काथरिया	143	2	—	2	—	—	2	—
87.	निहालपुरा	147	5	—	5	—	—	5	—
88.	गफरियाकपूर	150	5	—	5	—	—	5	—
89,	खुखेरी	158	3	—	3	—	—	3	—
90.	कनकलान	159	2	—	2	—	—	2	—
91	पाटरखेडा	164	4	—	4	—	—	4	—
	योग		279	4	176	18	81	195	3

261

1	2	3	4	5	6	6	8	9	10
तहसील सिकराय								जिला जयपुर	
1.	घूनना	127	7	4	2	–	1	6	–
2.	भोजपुरा	4	4	1	3	–	–	4	–
3.	मर्यादा	7	5	4	1	–	–	5	–
4.	चंदेरा	20	5	4	–	–	1	3	1
5.	छोदरा	34	4	3	1	–	–	3	1
6.	पांचोल	39	6	4	2	–	–	6	–
7.	सीकरी	42	4	2	–	–	2	2	–
8.	राजपुरा ब्राहम्मन	44	4	2	2	–	–	4	–
9.	निहालपुरा	53	6	4	2	–	–	6	–
10.	पिलवाकलान	56	4	3	1	–	–	3	1
11.	गढी	130	3	3	–	–	–	3	–
12.	मोरेर	99	3	2	1	–	–	3	–
13.	लिकली	8	3	2	1	–	–	3	–
14.	सानवास	43	3	2	1	–	–	3	–
15.	बासरा	44	2	2	–	–	–	2	–
16.	गिरधरपुरा	50	3	1	2	–	–	2	1
17.	पिलवाखुर्द	57	2	2	–	–	–	2	–

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	टोडाकलान	70	2	2	–	–	–	2	–
19.	नहारना	76	2	2	–	–	–	2	–
20.	माडिया खेरा	97	2	2	–	–	–	2	–
21.	जगरामपुरा बाटी	119	2	1	1	–	–	2	–
22.	जयसिंह पुरा	126	2	2	–	–	–	2	–
23.	हीघी	35	2	2	–	–	–	2	–
24.	बारवाईरावाला	115	2	1	1	–	–	2	–
25.	खेरला	38	2	2	–	–	–	2	–
26.	बोलियाँ	47	2	2	–	–	–	2	–
27.	शेखपुरा	72	2	2	1	–	–	2	–
28.	बेराडाखुर्द	73	2	1	1	–	–	2	–
29.	श्यामाभाई फंगावास	78	2	2	–	–	–	2	–
30.	कलाई	88	2	2	–	–	–	2	–
31.	कालाई	3	6	–	–	6	6	–	–
32.	खोरापह्वारपुरा	25	2	–	2	–	–	2	–
33.	मालपुरा	28	4	–	4	–	–	4	–
34.	पाथीसालेसिंह	29	2	–	2	–	–	2	–
35.	खोरी श्यामला	36	2	–	2	–	–	2	–
36.	गूजरबारदा	58	3	–	3	–	–	3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	मालवास	59	3	–	3	–	–	3	–
38.	दलारी	60	5	–	–	–	5	–	–
39.	लाडपुरा ग्रथा	61	2	–	1	–	1	1	–
40.	छापरवास	62	3	–	3	–	–	3	–
41.	गेलारहेरी	86	2	–	2	–	–	2	–
42.	उदावारा	108	2	–	2	–	–	2	–
43.	फिरासपुरा	117	6	–	2	–	4	2	–
44.	बूजात	123	3	–	–	–	3	–	–
45.	पाटन	124	5	–	–	–	5	–	–
46.	गोराता	129	5	–	–	–	5	–	–
47.	कुंदेराडूगर	95	6	–	6	–	–	6	–
48.	बगागरु	133	2	–	–	–	2	–	–
49.	नाहर खुर्द	135	6	–	–	–	6	–	–
50.	टिकर टिकरिया	32	5	–	5	–	–	4	1
		योग	168	67	60	–	41	122	5

तहसील—जमवा रामगढ़ | जिला—जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	लबाना	57	7	—	—	—	7	—	—
2.	चकहाथीया	163	2	—	—	—	2	—	—
3.	सामरेड खुर्द	105	2	—	—	—	2	—	—
4.	रामियावाला	133	2	—	—	—	2	—	—
5.	रानियावास	206	4	—	—	—	4	—	—
6.	जैतपुर खीची	44	3	—	—	—	3	—	—
7.	अनि	67	3	—	—	—	3	—	—
8.	डबोता	127	4	—	—	—	4	—	—
9.	फतेपुरा	241	2	—	—	—	2	—	—
10.	हरचन्दपुरा	26	3	—	—	—	3	—	—
11.	कौशलपुरा	32	2	—	—	—	2	—	—
12.	नांगलबेला	255	3	—	—	—	3	—	—
13.	देवका हरमाड़ा	4	6	—	—	—	6	—	—
14.	टरेलखासी	6	2	—	—	—	2	—	—
15.	अनिया	9	5	—	2	—	3	2	—
16.	बामनवास	12	2	—	2	—	—	2	—
17.	ब्रजपुरा	13	2	—	2	—	—	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	टोडली	17	2	–	–	2	–	2	–
19.	काला का वास	18	3	–	–	3	–	3	–
20.	चिलपिली	29	2	–	–	2	–	2	–
21.	अजबपुरा	21	2	–	–	2	–	1	1
22.	मोजपुरा	22	3	–	3	–	–	2	1
23.	नूरपुरा	23	2	–	–	–	2	–	–
24.	घेलर	24	2	–	2	–	–	2	–
25.	कंवरपुरा	27	6	–	2	–	4	2	–
26.	पिपलदा	28	4	–	–	–	4	–	–
27.	चंदवाजी	29	5	–	–	–	5	–	–
28.	जुगलपुरा	34	2	–	–	–	2	–	–
29.	चांदवास	31	3	–	–	–	3	–	–
30.	सुन्दर का बास	36	5	–	–	–	5	–	–
31.	बीलपुर	37	5	–	–	–	5	–	–
32.	काग्त	39	3	–	–	–	3	–	–
33.	सांगवाला	40	3	–	–	–	4	–	–
34.	कालीघाटी	45	3	–	–	–	3	–	–
35.	ईसरवाला	48	3	–	–	3	3	3	–
36.	भीमपुर	53	4	–	4	–	–	4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	चाकलिया वास	54	3	—	—	—	3	—	—
38.	सांगववाड़ा	55	2	—	—	—	2	—	—
39.	चापडी	56	4	—	—	4	—	4	—
40.	गुनावता	58	6	—	2	—	4	2	—
41.	हरवाल	59	2	—	—	1	1	1	—
42.	अजबगढ़ हरि का बास	61	2	—	—	—	2	—	—
43.	कलवार	69	2	—	—	—	5	—	—
44.	रामपुर बानियावाला	71	2	—	—	—	2	—	—
45.	श्यामपुरा	73	3	—	2	—	1	1	1
46.	बारडेरा	77	2	—	2	—	—	2	—
47.	मांजीपुरा	87	4	—	2	—	2	1	1
48.	राजपुरा वास ताला	88	3	—	3	—	—	3	—
49.	चारणवास काली पहाड़ी	89	2	—	2	—	—	2	—
50.	माया सूला	94	5	—	—	—	5	—	—
51.	लूनेठा	95	3	—	—	—	3	—	—
52.	भाटका वास	96	2	—	—	—	2	—	—
53.	कूंडा	98	2	—	—	—	2	—	—
54.	गोपीनाथपुरा	101	2	—	—	—	2	—	—
55.	नांगल तेजसिंह	103	2	—	—	—	2	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	घटाजलधारी	110	3	–	–	–	3	–	–
57.	नांगल तुलसीदास	111	3	–	–	–	3	–	–
58.	बिसोरी	112	2	–	–	–	2	–	–
59.	पाली	113	2	–	–	–	2	–	–
60.	निभी	114	3	–	–	–	3	–	–
61.	भाउगढ़	117	2	–	–	–	2	–	–
62.	दांतली	121	4	–	–	1	3	1	–
63.	महानगरा	120	2	–	–	–	2	–	–
64.	कानिखोम्रा	122	2	–	–	–	2	–	–
65.	बिसोरी	126	2	–	–	–	2	–	–
66.	निमला	129	3	–	–	1	2	1	–
67.	पातलवास	136	3	–	–	1	2	1	–
68.	भावनी	137	5	–	–	1	4	1	–
69.	खउं	138	3	–	–	1	2	1	–
70.	भिवावास	142	2	–	–	–	2	–	–
71.	नरपतियावास	146	2	–	–	–	2	–	–
72.	कोलियाना	148	3	–	3	–	–	3	–
73.	साईवाड	152	5	–	–	–	5	–	–
74.	साईपुरा	156	6	–	–	2	4	2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.	चंकचैन पुरा	169	2	—	—	2	—	2	—
76.	चकमालाकी नांगल	160	2	—	—	2	—	2	—
77.	रामपुरा वाडीयावाला	164	2	—	—	—	2	—	—
78.	मालावाला	165	2	—	—	1	1	—	1
79.	साईपुरा	173	4	—	—	—	4	—	—
80.	भगवानपुरा	174	2	—	—	—	2	—	—
81.	पुटोलोव	176	4	—	—	—	4	—	—
82.	राम्यावाला	181	5	—	—	1	4	—	1
83.	नाभावाला	182	4	—	—	—	4	—	—
84.	सामोर	185	2	—	—	—	2	—	—
85.	साऊ	194	5	—	—	—	5	—	—
86.	रूपवास	196	3	—	—	2	1	2	—
87.	मूंडला	197	3	—	—	3	—	2	1
88.	धाऊपुरा	198	2	—	—	2	—	2	—
89.	चावंड का मड	201	4	—	—	3	1	3	—
90.	मथुरादासपुरा	203	2	—	—	2	—	2	—
91.	डांगरवाड़ा	205	4	—	—	—	4	—	—
92.	अरवाड़ी	210	3	—	—	3	—	2	1
93.	भाऊपुरा	211	5	—	—	—	5	—	—

(269)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.	दीपपुरा	212	3	—	—	3	—	3	—
95.	चक हुरेला	213	2	—	—	—	2	—	—
96.	पोतली	215	3	—	—	—	3	—	—
97.	दामश्या	217	5	—	—	—	5	—	—
98.	दौलतपुरा गुजर	219	2	—	—	2	—	2	—
99	रामपुरा	220	3	—	—	3	—	2	1
100	झोल	223	2	—	—	2	—	2	—
101.	नन्दपुरा	226	7	—	—	—	7	—	—
102.	सरजाकली	229	5	—	—	—	5	—	—
103.	पारली कलां	231	2	—	—	—	2	—	—
104.	खोरखोड़ा	232	5	—	—	—	5	—	—
105.	पारली खुर्द	233	2	—	—	—	2	—	—
106.	खाराना	235	3	—	—	—	3	—	—
107.	गुस्वास नेवर	239	2	—	—	—	2	—	—
108.	जैसिंहपुरा	246	2	—	—	—	2	—	—
109.	भानपुरा खुर्द	247	3	—	—	—	3	—	—
110.	लालवास	253	4	—	—	—	4	—	—
111.	बर रसूलपुरा	254	2	—	—	—	2	—	—
	योगः—		346	—	33	55	258	79	9

तहसील : बस्सी

जिला जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मोहनपुरा	71	5	4	–	–	1	1	3
2.	टोडाभाटा	76	5	3	–	2	–	5	–
3	ब्रजपुरा	77	3	3	–	–	–	3	–
4.	दामोदरपुरा	73	4	3	–	–	1	3	–
5.	मनोहरपुरा	80	3	2	–	–	1	2	–
6.	कल्याणपुरा	73	2	2	–	–	–	2	–
7.	मीठावाला	151	3	–	–	–	3	–	–
8.	नांगल बोहरा	148	4	–	–	–	4	–	–
9.	विजयमुकन्दपुरा हीरावाला	4	3	–	–	1	2	1	–
10.	कुथाराकला	8	4	–	–	4	–	4	–
11.	केशवपुरा	9	2	–	–	–	2	–	–
12.	कुथरा खुर्द	11	5	–	–	5	–	5	–
13.	दयारामपुरा	14	3	–	–	–	3	–	–
14.	भटेशरी	17	2	–	2	–	–	2	–
15.	भूरथल	18	4	–	3	–	1	3	–
16.	जीतावाला	21	4	–	3	–	3	3	–

Page No 272

272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	दूधावाला	22	2	—	2	—	—	2	—
18,	रामसर पालावाला	23	4	—	2	2	—	4	—
19.	भायसर इसरवाला	26	2	—	2	—	—	2	—
20.	लोरिया गूजरान	27	3	—	2	—	—	2	—
21.	गिरधारी पुरा	30	2	—	—	2	—	2	—
22.	श्री रामपुरा	31	2	—	2	—	—	2	—
23.	अभयपुरा	44	2	—	2	—	—	2	—
24.	अचलपुरा	46	3	—	2	1	—	3	—
25.	खिजूरिया जाटान	49	3	—	2	1	—	3	—
26.	गुढ़ा पगलियावास	50	2	—	2	—	—	2	—
27.	कचोलिया	52	5	—	3	1	1	4	—
28.	राजपुरा	53	2	—	2	—	—	2	—
29.	पथलियावास	54	4	—	3	1	—	4	—
30.	रतनपुरा	55	2	—	2	—	—	2	—
31.	देवपुरा	56	3	—	2	1	—	3	—
32.	लोसिया बिहारीपुरा	62	3	—	3	—	—	3	—
33.	बनियावाला	63	3	—	3	—	—	3	—
34.	श्यामपुरा	64	3	—	—	—	3	—	—
35.	चैनपुरा	65	3	—	—	—	3	—	—
36.	दूधली	69	5	—	2	3	—	5	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	सुजानपुरा	70	3	–	3	–	–	2	1
38.	रोहितासपुरा	72	2	–	2	–	–	2	–
39.	रामपुरावा देघुली	74	2	–	1	–	1	1	–
40.	चौरवाल	75	2	–	–	–	2	–	–
41.	सखेपुरा	81	2	–	2	–	–	2	–
42.	बालूपुरा	82	2	–	2	–	–	2	–
43.	चक भापुजुरा	83	2	–	2	–	–	2	–
44.	किशनपुरा	85	3	–	2	–	1	2	–
45.	भाकरी	79	2	–	2	–	–	2	–
46.	ढ़ीनाढ़ल	87	2	–	–	2	–	2	–
47.	पीलिया	89	2	–	–	–	–	2	–
48.	पालावाला जाटान	90	5	–	2	2	1	3	1
49.	चतरपुरा	91	3	–	3	–	–	3	–
50.	खिजूरियान तिबोरियान	92	2	–	2	–	–	2	–
51.	खेरामलिकपुरा	96	2	–	–	2	–	2	–
52.	झिन्झा	97	2	–	–	2	–	2	–
53.	मूंडली	98	5	–	–	–	5	–	–
54.	रामपुरा देवगांव	104	2	–	2	–	–	2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	रामरखपुरा	105	2	–	–	2	–	2	–
56.	घनाउ खुर्द	108	3	–	3	–	–	3	–
57.	चैनपुरावास खेमराज	106	3	–	–	3	–	3	–
58.	घनाउ कलां	109	5	–	2	2	–	5	–
59.	विमलपुरा	110	3	–	3	–	–	2	–
60	देव गांव	111	5	–	–	3	2	3	–
61.	खातीपुरा	112	5	–	–	3	2	3	–
62.	रामसिंहपुरा	113	2	–	–	2	–	2	–
63	रुपपुरा	114	2	–	–	2	–	2	–
64.	मारफड़ी	115	2	–	3	–	2	–	1
65.	तुंगी	120	3	–	–	2	–	2	–
66.	कंवरपुरा	122	2	–	–	2	–	2	–
67.	छापरिया	125	2	–	–	–	2	–	–
68.	गढ़	126	8	–	–	3	5	3	–
69.	चारणवास	131	2	–	–	2	–	2	–
70.	चितारी	133	2	–	–	2	–	2	–
71.	निमारा	135	4	–	–	–	4	–	–
72.	जगवार	141	4	–	–	1	3	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.	कणेता	142	2	–	–	2	–	2	–
74.	भ्रपरेटा	143	2	–	–	1	1	1	–
75.	किशनपुरा	144	2	–	–	–	2	–	–
76.	बोराई	146	3	–	–	–	3	–	–
77.	लक्ष्मीपुरा	152	2	–	–	2	–	2	
78.	दयालपुरा	155	3	–	–	–	3	–	
79.	खेरावास जटवारा	156	3	–	–	3	–	3	–
80.	गारोली	159	3	–	–	–	3	–	–
81.	श्रीनगर	166	2	–	–	1	1	1	–
82	टेकचन्दपुरा	168	2	–	–	2	–	1	1
83.	चरणगल	169	2	–	–	–	2	–	–
84.	राजपुरा पालावाला								
		190	6	–	–	–	6	–	–
85.	तिलपट्टी	174	3	–	–	3	–	3	–
86.	लालावाला	175	2	–	–	2	–	2	–
87.	घोली	181	2	–	–	–	2	–	–
88.	पृथ्वीपुरा	182	2	–	–	2	–	2	–
89.	राजावास	185	3	–	–	–	3	–	–
90.	ग्वालिनी	189	4	–	–	4	–	4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91.	दूबली	191	3	—	3	—	—	1	2
92.	मूधरपुरा	195	2	—	—	2	—	2	—
93.	बल्लूपुरा	196	2	—	—	2	—	2	—
94.	लालपुरा	197	2	—	—	2	—	2	—
95.	अभयपुरा	198	2	—	—	2	—	2	—
96.	हिम्मतपुरा	200	3	—	2	1	—	2	1
97.	चक घाटी	207	2	—	—	1	1	1	—
98.	करमगढ़	123	2	—	—	—	2	—	—
		योग—	283	17	89	92	85	188	10

राजस्थान सरकार

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, जयपुर

वर्ष 1981–1982

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	कोड नं०	जनसंख्या 1971	स्वीकृत किये गये हैण्ड पम्पों की संख्या	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या	शेष हैण्ड पम्पों की संख्या	बन्द पड़े हैंड पम्पों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सूरजपुरा टूटली	चाकसू	130	1012	6	6			
2.	कोथून	"	178	1315	7	7			
3.	बारली	"	176	582	3	3			
4.	काडेरर	"	140	1190	6	6			
5.	भोज्यारा	"	129	845	5	5			
6.	समारिया	"	149	979	5	5			
7.	सनवालिया	"	-189	828	[illegible]	5			
8.	रामनिवास	"	210	557	3	3			
9.	मरड़वाड़ी	"	220	892	5	5			
10.	रामगनीपुरा	"	41	357	3	2			
11.	गौड का वास	"	44	344	2	2			
12.	पनवार खुर्द	"	109	476	3	3			

(277)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	कनवाटा उर्फ रघुनन्दनपुरा	चाकसू	192	386	2	2			
14.	कृपारामपुरा	,,	1215	414	3	3			
15.	रूपवास	,,	160	394	2	2			
16.	हादेड़ खुर्द	,,	72	264	2	2			
17.	भवानीपुरा	,,	82	560	3	3			
18.	मैल की डूंगरी	,,	97	184	2	2			
19.	रामपुरा बुजुर्ग	,,	107	185	2	2			
20.	आजमनगर	,,	185	185	2	2			
21.	भोज्या डंड	,,	117	226	2	2			
22.	गोगरावास	,,	127	168	2	2	—	—	—
23.	साराराममपुरा	,,	135	177	2	2			
24.	मुमारक्या	,,	138	174	2	2			
25.	कीरतपुरा	,,	142	229	2	2			
26.	जयपुर	,,	151	195	2	2			
27.	लवारिया	,,	169	242	2	2			
28.	महाचन्दपुरा	,,	180	222	2	2			
29.	भूरटिया	,,	186	157	2	2			
30.	किशनपुरा	,,	187	203	2	2			
31.	देवकीनन्दनपुरा	,,	191	206	2	2			
32.	आभीकपुरा चोडिया	,,	205	204	2	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	मोहम्मदपुरा	चाकसू	206	227	2	2			
34.	रथपुरा	,,	209	189	2	2			
35.	राजपुरा	,,	219	173	2	2			
36.	महाराजपुरा बादशान	,,	226	192	2	2			
37.	महापुरा डूंगरी	,,	103	190	2	2			
38.	आमेरापुरा उर्फ किशनपुरा	,,	141	186	2	2			
39.	बृजराजपुरा	,,	179	195	2	2			
40.	रामपुरा बुजुर्ग	,,	181	171	2	2			
41.	महादेवपुरा	,,	190	197	2	2			
42.	साम्पला	,,	202	178	2	2			
43.	जयसिंहपुरा	,,	182	637	4	4			
44.	श्योसिंहपुरा उर्फ श्योपुरा	जयपुर	40	781	4	4			
45.	फतेहपुरा	,,	45	572	3	3			
46.	गजसिंहपुरा	,,	87	546					
47.	बासेड़ी	,,	39	448	2	2			
48.	चकरामपुर	,,	53	301	2	2			
49.	केश्यावाला	,,	55	428	2	2			
50.	चकबासेड़ी	,,	14	188	2	2			
51.	नारीकावास	,,	28	183	2	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	नन्दगाँव बरसाना	जयपुर	58	164	2	2			
53.	श्रीरामपुरा-लिवासवाड़ी	,,	56	226	2	2			
54.	श्री रामपुरा	,,	81	136	2	2			
55.	गिरधारीपुरा	,,	85	229	2	2			
56.	रामलाकावास	,,	4	246	2	2			
57.	बादरवाड़ा (प्लाड़)	,,	88	—	2	2			
58.	परवन	फागी	88	404	2	2			
59.	रसनपुरा	,,	94	394	2	2			
60.	रकदावास	,,	131	351	2	2			
61.	जबार	,,	19	364	2	2			
62.	जयसिंहपुरा	,,	75	412	2	2			
63.	मंडी	,	96	493	3	3			
64.	रूपाहूरीकला	,,	43	379	–	–			
65.	मुकुन्दपुरा	,,	147	399	2	2			
66.	गोविन्दपुरा उर्फ पन्डलिया	,,	149	377	2	2			
67.	रतवाला	फागी	18	225	2	2			
68.	नारीखेरा	,,	61	157	2	2			
69.	फतेरामपुरा	,,	133	244	2	2			
70.	जानकीनाथपुरा	,,	43	167	2	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	पालड़ी	फागी	60	269	2	2			
72.	खेड़ा हनुमानजी	,,	106	220	2	2			
73.	मन्डप	,,	111	262	2	2			
74.	मुस्ताफावास	,,	132	234	2	2			
75.	श्रीरामजीपुरा	,,	135	279	2	2			
76.	सलामपुर	,,	27	258	2	2			
77.	पवारपुर खेरा	,,	108	254	2	2			
78.	मानसरगेट	,,	122	523	3	3			
79.	गनेशपुरा	,,	124	350	2	2			
80.	मोटवतपुरा	,,	128	978	5	5			
81.	दोरेरा	,,	138	711	4	4			
82.	मन्डोर	,,	25	625	4	4			
83.	थाली	,,	55	981	5	5			
84.	रामलिया	,,	84	501	4	4			
85.	भांकरोटा	,,	117	731	3	3			
86.	प्रतापपुरा	,,	120	562	3	3			
87.	बसदीजोगियांन	,,	127	590	3	3			
88.	सुनड़या बुजुर्ग	,,	140	662	4	4			
89.	शंकरपुरा	,,	33	398	2	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	छापरी	फागी	62	292	3	2	1	—	—
91.	गुमानपुरा	,,	36	184	2	1	1		
92.	प्रतापपुरा	फुलेरा	80	553	3	3			
93.	आधनकावास	,,	89	221	2	2			
94.	चारन का वास	,,	90	225	2	2			
95.	चिरनोदा	,,	93	285	2	2			
96.	मुरलीपुरा	,,	94	762	5	4	1		
97.	ठाकुरसीका वास	,,	95	263	2	2			
98.	गुढा मानसिंह	,,	98	636	4	4			
99.	जोरपुरा	,,	101	591	4	4			
100.	बीका वास	,,	106	201	2	2			
101.	हरीपुरा	,,	112	116	2	2			
102.	खोरी अलुपुरा	,,	114	391	3	3			
103.	एडनकावास	,,	115	376	3	2	1		
104.	गुढ़ातकनवता	,,	116	213	2	2			
105.	बस्सी झाजेस	,,	117	151	2	2			
106.	रामपुरा	,,	118	342	2	2			
107.	धाकावास	,,	119	171	2	2			
108.	पीपलाका वास	,,	134	500	3	3	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109.	सांभर रूरल	फुलेरा	136 (ग्र)	1219	7	6	1	—	—
110.	इटावा	,,	137	500	3	3			
111.	श्रीरामपुरा	,,	144	531	3	3			
112.	नागल	,,	161	319	3	3			
113.	चेनपुरा	,,	172	551	3	3			
114.	मोरसर	,,	173	384	3	3			
115.	खुडियानका वास	फुलेरा	99	399	3	3			
116.	बेनाका वास	,,	41	346	2	2			
117.	बीलपुरा	ग्रामेर	74	641	4	3	1		
118.	भाटन की गली	,,	113	619	4	4			
119.	खन्नीपुरा	,,	122	513	3	3			
120.	समरपुरा	,,	164	642	4	4			
121.	सेवापुरा	,,	207	516	3	3			
122.	बरना	,,	101	483	3	2	1		
123.	सुन्दरश्यामपुरा	,,	120	415	3	3			
124.	मिरसी	,,	123	430	3	3			
125.	देवरी का वा	,,	6	429	3	3			
126.	मलेरा	,,	158	335	2	2			
127.	डाबरा	,,	161	444	3	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128.	राजारामपुरा	आमेर	178	229	2	2			
129.	बीरानगढ़	,,	206	199	2	2			
130.	डिसान	,,	43	251	2	2			
131.	हरवंसपुरा	,,	70	224	2	2			
132.	राधाकिशनपुरा	,,	73	266	2	2			
133.	अकबरपुरा	,,	201	189	2	2			
134.	महेशपुरा (रावन)	,,	152	196	2	2			
135.	बीचपरी	,,	129	568	4	4			
136.	लूनीवास	,,	200	336	2	2	—	1	—
137.	हवरीवारी	,,	208	383	3	3			
138.	रायसिंह का वास	,,	12	374	2	2			
139.	मदरामपुरा	सांगानेर	113	743	4	4	—	1	—
140.	पुरुषोत्तमपुरा	,,	124	500	3	3			
141.	किशकारपुरा	,,	136	582	3	3			
142.	गोविन्दपुरा उर्फ जोशपुरा	,,	161	597	3	3			
143.	बमाला	,,	139	652	4	4			
144.	चरपुरा	,,	162	525	4	31	—	1	—
145.	कोदार	,,	12	490					
146.	बागोन रावन	,,	13	351	2	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147.	टीलावास	सांगानेर	41	332	2	2			
148.	झानी	,,	53	300	2	2			
149.	अमरपुरा	,,	66	415	3	3			
150.	गणपतपुरा	,,	75	320	2	2			
151.	कल्याणपुरा	,,	79	407	3	3			
152.	मानपुरा उर्फ बालावाला	,,	107	390	2	2			
153.	अभयपुरा	,,	110	422	2	2			
154.	जयसिंहपुरा उर्फ जाटावाला	,,	137	198	2	2			
155.	नरसिंहपुरा उर्फ राप्या	,,	173	303	2	2			
156.	किशनपुरा उर्फ खालीपुरा	,,	100	389	2	2			
157.	सिखपुरा	,,	114	375	2	2			
158.	सीतारामपुरा उर्फ सीतापुरा	,,	180	314	2	1	1	—	—
159	रामचन्द्रपुरा	सांगानेर	198	427	3	3			
160.	श्योसिंहपुरा	,,	16	334	2	2			
161.	चीरोटा	,,	35	288	2	2			
162.	नारोटलामपुरा	,,	72	202	2	2			
163.	रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा	,,	73	242	2	2			
164.	अर्चनपुरा उर्फ देवालिया	,,	42	530	3	3			
165.	काथवाड़ा	,,	54	584	3	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166.	मानपुरा डूंगरी उर्फ गजवास	सांगानेर	77	548	3	3			
167.	महल,	,,	148	363	2	2			
168.	रामसिंहपुरा	,,	76	286	2	2			
169.	किशोरपुरा	,,	102	295	2	2			
170.	चैंसीपुरा	,,	168	168	2	2			
171.	खेरी गोकुलपुरा	,,	132	259	2	2			
172.	श्योसिंहपुरा	,,	184	163	2	2			
173.	खेजापुरा	,,	189	219	2	2			
174.	बासीकावास	,,	191	218	2	2			
175.	रामसिंहपुरा	,,	76	286	2	2			
176.	सवाई जयसिंहपुरा	,,	108	264	2	2			
177.	रामनगरिया	,,	149	273	2	2			
178.	श्योसिंहपुरा	,,	184	163	2	2			
179.	गोपालपुरा	दूदू	67	615	3	3			
180.	मगलवारा	,,	96	894	5	5	—	—	—
181.	लोरड़ी	,,	111	521	3	3	—	—	—
182.	किशनपुरा	,,	118	698	4	4			
183.	बड़ा सावरदा	,,	16	307	2	2			
184.	थापलर	,,	13	164	2	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185.	पनवालिया		दूदू	14	209	2	2		
186.	श्रीरामनगर		,,	39	238	2	2		
187.	खेजरियावास खुर्द		,,	78	224	2	2		
188.	मन्डोती		,,	82	190	2	2		
189.	धाधोली		,,	45	1190	87	7	1 —	
190.	पनपाकला		,,	5	462	3	3		
191.	तिगोन		,,	18	223	3	3		
192.	गेटोरा		,,	83	392	3	5	2 —	
193.	गेहलोता		,,	1	352	6	3	3 —	3 हैंड पम्प फेल हो गये ।
194.	मोरदा		,,	768	763	5	5		
195.	सिरोही कलां		,,	21	610	4	2	2 —	2 ,, ,,
196.	कलेरा		,,	33	502	3	3	— —	
197.	चीर		,,	2	537	3	3		
198.	ग्रडोरवास		,,	7	507	3	3		
199.	गेटोर		,,	29	647	4	3	1 —	
200.	सुराड़िया		,,	56	262	6	5	1 —	
201.	रोजरदा		,,	59	932	5	5	— —	
202.	महादेवपुरा		चाकसू	48	527	3	3	— —	
203.	वारोड़िया		,,	212	592	3	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204.	बाडमकसूदपुरा	चाकसू	19	500	3	3			
205.	डबलाकलान	,,	243	566	3	3			
206.	रामनगह चक	,,	247	571	3	3			
207.	भादरवास उर्फ किशनपुरा	,,	251	132	2	2			
208.	बाजडोली	,,	125	466	3	3			
209.	गिरधारीलालपुरा	,,	185	474	3	3			
210.	नरोतमपुरा	,,	232	286	2	2			
211.	अचलपुरा	,,	31	358	2	2			
212.	बाडमुरलीपुरा	,,	218	436	3	3			
213.	बल्लूपुरा	,,	28	202	2	2			
214.	श्री किशनपुरा	,,	55	204	2	2			
215.	भगतासर कावड़िया	,,	63	170	2	2			
216.	फिरोजपुरा	,,	71	214	2	2			
217.	सालगरामपुरा	,,	90	295	2	2			
218.	धार	,,	91	299	2	2			
219.	महेशपुरा	,,	215	288	2	2			
220.	लक्ष्मीपुरा	,,	216	206	2	2			
221.	नरसिंहपुरा	,,	228	115	2	2			
222.	श्यामपुरा	,,	261	273	2	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223.	बिलासपुरा	चाकसू	68	200	2	2	—	—	—
224.	गणेशपुरा	,,	76	222	2	2			
225.	खेजरी खुर्द	,,	278	299	2	2			
226.	राधाकिशनपुरा	,,	144	530	2	2			
227.	दौलतपुरा	,,	160	310	2	2			
228.	खेड़ा जगन्नाथपुरा	,,	217	247	2	2			
229.	बाढ यादगार	,,	222	54	2	2			
230.	झावदा कलान	,,	254	656	4	4			
231.	गिनालाई	दूदू	61	615	4	4			
232.	गंगेती कलां	,,	86	763	5	5			
233.	खेरी युवा	,,	106	367	2	2			
234.	सवाई माधोसिंहपुरा	,,	113	361	2	2			
235.	नीमली	,,	411	425	2	2			
236.	कचोर	,,	34	406	2	2			
237.	गणेशपुरा	,,	97	236	2	2			
238.	गंगेती खुर्द	,,	121	302	2	2			
239.	झांझड़ा भोजपुरा	फागी	32	748	4	4			
240.	चैनपुरा	,,	34	159	2	2			
241.	संवल	,,	11	200	2	2			
242.	द्वारकानाथपुरा उर्फ कंवरिया	,,	91	263	2	2			

289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243.	सेकपुरा	फागी	4	205	2	2			
244.	बूकनी	,,	1	231	2	2			
245.	नथमलपुरा	,,	95	339	2	2			
246.	भानपुरा	फागी	142	372	2	2			
247.	सवाई जयसिंहपुरा	,,	54	153	2	2			
248.	मोहनपुरा रेना	,,	98	297	2	2			
249.	द्वारकानाथपुरा	,,	24	292	2	2			
250.	टीकल नरपन	,,	26	449	3	3			
251.	खेजरावास	फुलेरा	105	308	2	2			
252.	मलेन्डा	,,	142	392	3	3			
253.	मनलपी	,,	143	292	2	2			
254.	रेन्जी	,,	151	292	2	2			
255.	सरकला	,,	154	296	3	1	2		
256.	शिवसिंहपुरा	,,	179	727	4	4			

विद्युत चलित पम्प के नल कूप

क्र०सं०	ग्राम/शहर	तहसील	स्वीकृत नलकूप	81–82 में बनायें गये नलकूप	82–83 में बनायें गये नलकूप	शेष	चालू	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	जयपुर नगर		53	44	1	8	31	शेष पावर कनेक्शन लेकर चालू किये जा रहे हैं।
(2)	बांदीकुई	बसवा	2	–	2	–	–	– ,, –
(3)	बसवा	,,	1	–	1	–	–	– ,, –
(4)	पावटा	बैराठ	1	–	1	–	–	– ,, –
(5)	कोटखावदा	चाकसू	1	1	–	–	–	– ,, –
(6)	सामोद	आमेर	1	–	1	–	–	– ,, –

(291)

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 259 की सूची

तहसील रामगंज मंडी से खराब हैण्ड पम्पों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	खराब हैण्ड पम्पों की संख्या जो नवम्बर, 1982 तक ठीक कर दिये जावेगें	पूर्णतया खराब हैण्ड पम्पों की संख्या
1	2	3	4
1.	सातलखेडी	1	–
2.	बीड मन्डी	–	1
3.	जुल्मी	3	–
4.	हरीपुरा	–	1
5.	खीमच	2	1
6.	लखारिया	–	1
7.	हरिया खेड़ी	1	–
8.	मोडक	1	–
9.	मानपुरा	1	1
10.	सालेडा खुर्द	1	–
11.	अलोद	1	–
11.	नीमोदा	2	–
13.	रींधी	3	–
14.	धाटोली	–	1
15.	खेडारुदा	1	–
16.	हथोना	1	–
17.	सांड़या खेड़ी	2	–
18.	फावा	1	–
19.	खेड़ली	1	1
20	कंवरपुरा	1	–

Page No 293

293

1	2	3	4
21.	गुडाला	1	–
22.	कोटडी	1	–
23.	चेचट	1	–
24.	रघुनाथपुरा	–	1
25.	सोहनपुरा	–	1
26.	डाकिया	–	1
27.	रायखेड़ा	–	1
28.	बेरीना	–	1
29.	उदयपुरा	–	1
30.	अरनिया खुर्द	–	1
31.	कोला	–	1
32.	जोगन खेड़ी	–	1
33.	बास्याहेडी	–	1
34.	पापली	–	1
35.	देवलीखुर्द	4	1
36.	बिसनिया खेड़ी	1	–
37.	हेमल खेड़ी	1	–
38.	भण्डा	1	–
39.	लसुडिया	1	–
40.	बुडन खेडी	1	–
41.	भीमपुरा	1	–
42.	सारंगखेड़ी	–	1
43.	खेराबाद	1	–
44.	उडंवा	–	3
45.	न्यामत खेड़ी	–	1
46.	सुकेत	1	–
47.	दुम्भंकोट	–	1
48.	लक्ष्मीपुरा	–	1

294

1	2	3	4	5
49.	नालोडिया	1	–	
50.	बडोदिया कलां	–	1	
51.	घायपुरा	1	–	
52.	गणेशपुरा	1	–	
53.	हमाउ	–	2	
54.	सोहन खेड़ा	–	2	
55.	सालेडा कलां	–	1	
	कुल :—	41	32 = 73 हैण्ड पम्प	

तहसील लाडपुरा में खराब हैण्ड पम्पों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	खराब हैण्ड पम्पों की संख्या जो नवम्बर, 1982 तक ठीक कर दिये जावेंगे	पूर्णतया खराब हैण्ड पम्पों की संख्या
1	2	3	4
1.	दोल्डा	–	1
2.	पदमपुरा	–	1
3.	रावठा	–	2
4.	कोयला	–	1
5.	कोलपुरा	–	1
6.	कालिया खेड़ी	–	1
7.	भील खेड़ी	–	1
8.	भोपालपुरा	–	1
9.	सिहपुरा	–	1
10.	हीरपुर	–	2

Page No 295

295

1	2	3	4
11.	माडालिया	–	1
12.	धोलुपुरा	–	2
13.	खेड़ा जगपुरा	3	–
14.	तखावा	–	1
15.	पा चनकुई	1	–
16.	गलाना	–	1
17.	भगवानपुरा	–	1
18.	नगपुरा	1	–
19.	भीमपुरा	2	–
20.	जामपुरा	1	–
21.	धाकड खेड़ी	1	–
22.	ताथेड	1	–
23.	वादे बावड़ी	–	2
24.	किशन तकिया	1	–
25.	राजपुरा	1	–
16.	डाहरा	1	–
27.	मोरपा	1	–
28.	पीपल खेड़ी	1	–
	कुल :—	15	20 = 35 हैण्ड पम्प

296

कोटा जिले की तहसील रामगंज मन्डी में 1981–82 में स्वीकृत एवं अगस्त 82 तक लगाये गये हैण्ड पम्पों की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम	वर्ष 1981–82 में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की संख्या	अगस्त 82 तक लगाये हैण्ड पम्पों की संख्या विभाग द्वारा
1	2	3	4
1.	गोयन्दा	6	–
2.	भोलू	3	–
3.	मवासा	2	–
4.	सलेवाद कलां	3	–
5.	हथिया खेड़ी	2	–
6.	भूपपुरा	2	–
7.	झालरा	2	–
8.	मन्डली	2	–

कोटा जिले की तहसील लाडपुरा में 1981–82 में स्वीकृत एवं अगस्त 82 तक लगाये हैण्ड पम्पों की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम	वर्ष 1981–82 में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की संख्या	अगस्त 82 तक लगाये हैण्ड पम्पों की संख्या विभाग द्वारा
1	2	3	4
1.	डोल्या	3	2
2.	धारा	2	3
3.	राजनगर	2	2
4.	रोतेड़ी	2	2
5.	वक्षपुरा	2	2
6.	गंगच्या	2	–

298

1	2	3	4
7.	नोतेना	2	–
8.	गोरधनपुरा	2	–
9.	गोदिया हेड़ी	4	3
10.	भरलया	4	–
11.	धारन हेरी	2	–
12.	कनवरपुरा	2	–

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 290 की सूची

ग्राम पंचायतवार अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची

ग्राम पंचायत बिजनोल	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं
	1.	कियावास	20/7/72
	2.	छाल्या	20/7/76
	3.	उठारडा	20/7/75
	4.	कोचली	20/7/73
	5.	साँगा का खेड़ा	20/7/71
ग्राम पंचायत बामन हेड़ा	1.	ढानी रेवारीयान	20/7/95
	2.	जगला	20/7/94
	3.	जीवा खेड़ा	20/7/74
	4.	श्यामपुरा	20/7/53
	5.	शरह मगरी	20/7/62
ग्राम पंचायत गुंजोल	1.	उमरडा की तलाई	20/7/49
	2.	कलाखेड़ी बीराना	20/7/44
	3.	कलाखेड़ी खरा	20/7/43
	4.	कला खेड़ी बडला	20/7/45
	5.	बांसडा	20/7/52
	6.	बडलावाला	20/7/48
ग्राम पंचायत बिलोता	1.	लीलेरा	20/7/191
	2.	शिकार वाडी	20/7/193
	3.	नेता का गुड़ा	20/7/181
	4.	विलावास	20/7/197

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 293 की सूची

सूची "अ"

तहसील सांगानेर के ऐसे ग्रामों की सूची जो अभी विद्युतिकरण के लिये स्वीकृत नहीं हुये हैं।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं०	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं०
1.	सीतापुरा उर्फ सांझरिया	8/9/1	21.	चतरपुरा	97
2.	श्योसिंहपुरा	16	22.	चक नं० 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14 गिरधारीपुरा	98
3.	झुण्ड	18	23.	सरवालो चक नं० 1 गिरधारीपुरा	99
4.	भांकरोटा खुर्द	22	24.	जैसिंहपुरा उर्फ रूपवास	104
5.	रामदत्तपुरा	23	25.	जगचन्दपुरा	206
6.	बाढ हरिहरपुरा	24	26.	चक गोविन्दपुरा नं० 2	160
7.	हरिहरपुरा	25	27.	बाढ चेला	167
8.	बाढ अजयराजपुरा	26	28.	सिस्यावास	169
9.	जगन्नाथपुरा	112	29.	मुरलीपुरा	172
10.	देवीसिंहपुरा	28	30.	श्रीकिशनपुरा	174
11.	लाखावास	32	31.	जीरोता	8/9/200
12.	जैजसपुरा	33	32.	सवाईजयसिंहपुरा-वास जीरोता	201
13.	वहन रूल कलोर	151	33.	विमलपुरा	202
14.	चिरोटा	35	34.	सालगरामपुरा	203
15.	पालड़ीपरसा	36	35.	चक सालगरामपुरा उर्फ दहला	205
16.	नरसिंहपुरा दाडिया	37			
17.	श्रीरामपुरा वास भांकरोटा	60			
18.	हुसमपुराबास-भांकरोटा	62			
19.	गिरधारीपुरा नं० 6	91			
20.	प्रेमपुरा	8/9/94			

सूची "ब"

चाकसू तहसील के ऐसे ग्रामों की सूची जो विद्युतिकरण हेतु अभी स्वीकृत नहीं हुये हैं।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं०	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं०
1.	सांवलिया	8/14/189	26.	नरसिंहपुरा	228
2.	महादेवपुरा	190	27.	नरोत्तमपुरा	232
3.	देवकीनन्दनपुरा	191	28.	चीमापुरा	233
4.	कनकटा उर्फ रघुनन्दनपुरा	192	29	कुशलपुरा	234
5.	श्रीचान्दपुरा	193	30.	रामचन्दपुरा	236
6.	मालपुरिया	194	31.	जगदीशपुरा मय बाढ जुगलपुरा	237
7.	अजमेरीपुरा	1 5	32.	बाढ़ महाराजपुरा	238
8.	गोविन्दपुरा	196	33.	चक बाढ महाराजपुरा	239
9.	आनन्दपुरा	197	34.	महाराजपुरा	240
10.	जहीरपुरा उर्फ वासड़ा	198	35.	औरंगपुरा	241
11.	भीकरवाड़	199	36.	रघुनाथपुरा उर्फ गोंडकावास	242
12.	बद्रीनाथपुरा	200	37.	डोबला कलां	243
13.	मांडलिया मेड़ा	201	38.	चक विनोदीलालपुरा नं० 2	244
14.	सांपला	202	39.	चक विनोदीलालपुरा नं० 1	245
15.	ताजपुरा	203	40.	विनोदीलालपुरा	246
16.	शंकर खावदा मय जयप्रकाशपुरा	204	41.	रामनगर मय चक	247
17.	आशिकपुरा उर्फ चोरिया	205	42.	रूपनगर	248
18.	मोहम्मदपुरा	206	43.	तालपुर डूंगरी	249
19.	यादगारपुरा	221	44.	हीरापुरा	250
20.	बाढ यादगारपुरा	222	45.	मदनमोहनपुरा थूनी	251
21.	रालावता	223	46.	बिमलपुरा	252
22.	नांगल लाड	224	47.	गढ़ का पाडा	253
23.	पृथ्वीपतपुरा	225	48.	झापडा कलां	254
24.	महाराजपुरा ब्यासान	226	49.	केशोपुरा	255
25.	जैतपुरा उर्फ कुशलपुरा	227	50.	बाढ केशोपुरा	256

1	2	3	1	2	3
51.	बाढ फतहपुरा	257	64.	चक सम्पतपुरा	270
52.	बाढ बदनपुरा	258	65.	बाढ चौहान	271
53.	अजयराजपुरा उर्फ दहलावाला	259	66.	श्री सम्पतपुरा	272
54.	बालमुकुन्दपुरा उर्फ वासड़ा	260	67.	ठीकरिया मीणा	273
55.	श्यामपुरा	261	68.	चक बाढ बदनपुरा	274
56.	ठीकरिया गुजरान	262	69.	त्रिलोकीनाथपुरा	275
57.	बदनपुरा	263	70.	श्री रघुनाथपुरा	276
58.	चक बदनपुरा	264	71.	बाढ परमानन्दपुरा	277
59.	बिशनपुरा	265	72.	खेजडी खुर्द	278
60.	कांकरिया	266	73.	द्वारकापुरा	279
61.	भिड़कियावास	267	74.	श्रीपुरा	280
62.	नन्दकिशोरपुरा उर्फ भूंगड़ावास	268	75.	गूजरहेड़ा	281
63.	धरमपुरी	269	76.	परमानन्दपुरा उर्फ मंडीलया	282

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 295 की सूची

उदय पुर जिले में सम्वत् 2038 के राहत कार्यों पर माह जनवरी 82 से जुलाई 82 तक कार्यरत श्रमिक का मानचित्र

क्र०सं०	नाम पंचायत	जनवरी 82	फरवरी 82	मार्च 82	अप्रेल 82	मई 82	जून 82	जुलाई 82
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मिर्वा	243	402	435	1090	2881	2100	2106
2.	बड़बांव	700	500	300	1000	3000	4000	5000
3.	खाममोर	494	216	366	1019	2580	3500	3168
4.	राजसमन्द	1028	1525	1462	4484	6691	6500	7209
5.	रेलमगरा	561	783	834	1364	4384	4100	4041
6.	कुम्भलगढ़	567	770	1077	2574	4759	5200	5565
7.	आमेट	1531	1874	2572	3559	7542	7500	8525
8	देवगढ़	1254	1570	1977	5160	7408	6500	9163
9.	भीम	889	2213	2525	6860	9803	9800	10855

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	गोगुन्दा	—	—	—	200	--	—	—
11.	झाड़ोल	90	632	849	2257	5994	5100	5038
12.	कोटड़ा	728	1126	1120	1918	3959	3700	3900
13.	'सलूम्बर	380	478	380	1384	3556	4200	5010
14.	सराड़ा	636	589	629	5771	6843	8500	8769
15.	खेरवाड़ा	499	593	804	1318	6027	7100	8431
16.	मावली	223	569	529	1634	2722	2800	3231
17.	भीण्डर	1588	3184	3502	5350	6023	7500	8215
18.	धरियावद	253	408	1289	1460	2908	3300	3963
		11664	17432	20640	48402	86080	93400	102189

(303)

(304)

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 295 का विवरण

जिला उदयपुर में अभावग्रस्त घोषित तहसील वाईज अभावग्रस्त गांवों की स्थिति (सम्वत् 2038)

क्र.सं.	नाम तहसील	कुल ग्रामों की संख्या	प्रभावित ग्रामों की संख्या
1.	गिर्वा	229	41
2.	नाथद्वारा	202	16
3.	गोगुन्दा	147	—
4.	राजसमन्द	143	135
5.	रेलमगरा	94	76
6.	कुम्भलगढ़	161	135
7.	आमेट	138	131
8.	देवगढ़	135	123
9.	भीम	94	94
10.	झाडोल	256	22
11.	सलूम्बर	222	139
12.	कोटड़ा	304	51
13.	सराड़ा	157	124
14.	खैरवाड़ा	238	179
15.	मावली	142	19
16.	वल्लभ	274	181
17.	धरियावद	244	100
	योग :—	3180	1566

सम्वत् 2038 के राहत कार्यों पर माह जनवरी 1982 से जुलाई 1982 तक
कार्यरत श्रमिकों का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	जनवरी, 82	फरवरी, 82	मार्च, 82	अप्रेल, 82	मई, 82	जून, 82	जुलाई, 82
1.	बाड़मेर	12879	30450	25398	43927	76374	84207	81177
2.	जैसलमेर	9419	9666	8746	11720	18078	20288	19980
3.	पाली	15707	9806	11289	34141	46993	62467	46314
4.	सिरोही	682	1559	2381	4637	9591	12110	11269
5.	जालौर	2441	3627	3766	4418	9240	14478	21094

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 297 की सूची

बाढ़ सन् 1981-82 में मृतकों की सूची

क्र.सं.	मृतक का नाम मय पता
1.	प्रमिला पुत्री नथमल महाजन तहसील-सांगानेर
2.	निबी पुत्र सचेन्द्र कुमार, रामपुरिया सांगानेर
3	धन्ना राम पुत्र राम चन्द्र दुर्गापुरा तहसील-सांगानेर
4.	रामचन्द्र पुत्र कानाराम
5.	पूरण पुत्र रामनारायण धाका गोपालपुरा तहसील-सांगानेर
6.	श्रीमति शशिकान्ता पत्नी सुरेन्द्र कुमार
7.	गुड्डी पुत्री घासीराम मीना बोहरा का बास-सांगानेर
8.	श्रीमती माया पत्नि गुलाब सिंह, सांगानेर
9.	कु.बच्छी पुत्री गुलाबसिंह, सांगानेर
10.	सीताराम पुत्र सुवालाल अचरावाला, तह०-सांगानेर
11.	रामकरण पुत्र जगदीश गोकुलपुरा तहसील-सांगानेर
	तहसील – चाकसू
1.	नन्दकिशोर पुत्र कल्याण बलाई, चाकसू
2.	रामफूल पुत्र कल्याण बलाई, चाकसू
3.	स्योराम पुत्र कल्याण बलाई, चाकसू
4.	श्रीमती गेंदा पत्नि गोमा सुनार, ग्राम तामडिया
5.	सांभा पत्नी विजय लाल, ग्राम तामडिया
6.	पेफली पत्नी कल्याण, निवासी बद्रीनाथपुरा
7.	कल्याण पुत्र उदाराम खाती, बद्रीनाथपुरा
8.	कन्हैया लाल पुत्र कल्याण खाती, बद्रीनाथपुरा
9.	ओम पुत्र हजारी बैरवा, ढाणी महाराजपुरा
10.	कु. पारा पुत्री हजारी बैरवा, महाराजपुरा
11.	नारायण पत्नि श्रवण बैरवा, महाराजपुरा

1	2	
12.	श्रवण पुत्र मांगू बैरवा, महाराजपुरा	
13.	भौंरीलाल पुत्र रामचन्द्र, बद्रीनाथपुरा	
14.	मु. धापू पत्नि केसरा, ढाणी महाराजपुरा	
15.	भोपाल सिंह पुत्र भूर सिंह रामनिवास तन राधापुरा	
16.	मु. शान्तिकंवर पत्नि भोपाल सिंह तन राधापुरा	
17.	सोमकंवर पत्नि रतन सिंह तन राधापुरा	
18.	भैरोंसिंह पुत्र भूरसिंह निवासी तन राधापुरा	
19.	गेखा उर्फ दाखा पत्नि मूलचन्द, ढाणी महाराजपुरा	
20.	सोनी पत्नि घासीराम बैरवा, ढाणी महाराजपुरा	
21.	सारू पत्नी छोटू बैरवा, ढाणी महाराजपुरा	
22.	छोटू पुत्र गणेश बैरवा, ढाणी महाराजपुरा	
23.	मु. तीजा पत्नि धन्ना बैरवा, ढाणी महाराजपुरा	
24.	हीरालाल पुत्र धन्ना बैरवा, ढाणी महाराजपुरा	
25.	श्रीमती गुलाब बेवा नारायण, ढाणी महाराजपुरा	
26.	नारायण उर्फ हाबूडा पुत्र धन्ना बैरवा	
27.	जमनालाल पुत्र किशन जाट ढाणी रामकंवार जाट तन रामनिवास	
28.	भौरीलाल पुत्र कल्याण, ढाणी महाराजपुरा	
29.	गोविंदराम पुत्र राम देव	,,
30.	नाथूराम पुत्र रामदेव	,,
31.	छीतर उर्फ बाबू पुत्र शंकर बैरवा, ढाणी भोपाल सिंह रामनिवास	
32.	शंकर पुत्र मोहन बैरवा, ढाणी भोपाल सिंह रामनिवास	
33.	मु. छोटी पत्नि शंकर बैरवा	
34.	मु० नाथी पत्नि नानगा, ढाणी महाराजपुरा	
35.	गंगासहाय पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण, गणेशपुरा	
36.	श्योनारायण पुत्र गंगाराम, महाराजपुरा वालों की ढाणी	
37.	मु० सुन्दरी पुत्री धन्ना	,, ,,
38.	पप्पू पुत्र नारायण बैरवा	
39.	रामकिशोर पुत्र नारायण बैरवा	,, ,,

1	2		
40.	बदाम पुत्री नारायण बैरवा महाराजपुरा वालों की ढाणी		
41.	रामफूल पुत्र धन्ना बैरवा	,,	,,
42.	मांगीलाल पुत्र धन्ना बैरवा	,,	,,
43.	मूलचन्द पुत्र छोटू बैरवा	,	,,
44.	जगदीश सिंह पुत्र छोटू	,,	,,
45.	भंवरसिंह पुत्र रतनसिंह, रामनिवास तन राघवपुरा		
46.	महेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह	,,	,,
47.	भंवर कंवर पुत्री रतनसिंह, ढाणी भोपालसिंह रामनिवास		
48.	बहादुर सिंह पुत्र भैरूंसिंह	,,	,,
49.	मु० रिसालकंवर पुत्री भोपालसिंह		,,
50.	गुड्डी पुत्री भोपालसिंह		,,
51.	सुरेन्द्रसिंह भोपालसिंह		,,
52.	राजेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह	,,	
53.	पप्पू पुत्र केसरा बेरवा ढाणी महाराजपुरा		
54.	रामसहाय पुत्र केसरा	,,	
55.	मंगल्या पुत्र केसरा बैरवा	,,	
56.	जमना पत्नी मूलचन्द कोर, गणेशपुरा		
57.	मु० सुरता पुत्री केसरा कोर	,,	
58.	दापा पत्नी मंगला कोर	,,	
59.	लक्ष्मण पुत्र गणेश बैरवा, बाढ महावतान		
60.	गणेश पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण	,,	
61.	बजरंग पुत्र गणेश ब्राह्मण	,,	
62.	मीठू पुत्र गणेश ब्राह्मण	,,	
63.	सुमिया पुत्री गणेश ब्राह्मण	,,	
64.	रामकंवार पुत्र भैरू जाट ढाणी रामकंवार जाट तन रामनिवास		
65.	रामदयाल पुत्र रामकंवार	,,	
66.	किशन पुत्र रामचन्द्र मीणा राम निवास		

1	2		
67.	नारायण पुत्र केसरा कीर ग्राम गणेशपुरा		
68.	अशोक पुत्र केसरा कीर	,,	
69.	तेज कुमार पुत्र किस्तूर चन्द ढाणी किस्तूरचन्द जैन रामनिवास		
70.	मु० विमला पत्नि कैलाश जैन	,,	
71.	कैलाश चन्द पुत्र किस्तूरचन्द	,,	
72.	पप्पू पुत्र कैलाश जैन	,,	
73.	चन्द्र कांत पुत्र किस्तूर चन्द	,,	
74.	मु० लाडा पुत्री पून्या बैरवा ढाणी महाराजपुरा		
75.	कजोड़ पुत्र रामसहाय राणा, ग्राम ठीकरिया गुजारा		
76.	केसरा पुत्र भूरा नाइ ग्राम मालपुरिया		
77.	पप्पू पुत्र सल्लूराम नाई	,,	
78.	श्रीमती धापू पत्नी सुवा नाई ग्राम छोटा महापुरिया		
79.	श्रीमती छाजी पत्नी छोटू बैरवा ग्राम खेजड़ी खुर्द		
80	श्री छोटू पुत्र भूरा बैरवा	,,	
81	श्रीमती ग्यारसी पत्नी अमरा ग्राम खेजड़ी खुर्द		
82.	श्री लाल पुत्र काना मीणा ग्राम धर्मपुरा		
83.	मांगू पुत्र नानगा बैरवा ग्राम ढाणी भोपाल सिंह		
84.	मु० पांची पत्नी मांगू ग्राम रामनिवास तन राघवपुरा		
85.	सुगना पुत्री मांगू	,,	
86.	मु० बरजी स्त्री नानगा बैरवा	,,	
87.	मु० लक्ष्मी पुत्री नानगा	,,	
88.	रामदेव पुत्र पूनिया बैरवा ग्राम ढाणी महाराजपुरा		
89.	नेहना स्त्री रामदेव बैरवा	,,	
90.	पूनीराम पुत्र मूल्या बैरवा	,,	
91.	मु० बिरदी पत्नि मूल्या बैरवा	,,	
92.	भौंरीलाल पुत्र मूल्या बैरवा	,,	
93.	मु० शांती पुत्री मूल्या ,,	,,	

Page No 310

(310)

1	2	
94.	पप्पू उर्फ जगदीश पुत्र मूल्या ढाणी महाराजपुरा	
95.	कन्हैया पुत्र भैरू ,,	
96.	मु० सुशीला पत्नि कन्हैयालाल बैरवा ,,	
97.	मु. मंगली पुत्री कन्हैयालाल बैरवा ,,	
98.	छाजू पुत्र कन्हैयालाल बैरवा ,,	
99.	रामेश्वर पुत्र कन्हैयालाल ,, ,,	
100.	भूंथी पत्नि भूरा मीणा ग्राम, रलावता	
101	भूरा पुत्र मंगला मीणा ,,	
102.	नाथू पुत्र भूरा मीणा ,,	
103.	मु० मुन्नी पत्नि किशना ग्राम खेजड़ी खुर्द	
104.	धापा पत्नि मूलचन्द बागड़ा, चन्दलाई	
105.	एक औरत नामालूम	लाश की पहचान नहीं ।
106.	नामालूम	
107.	एक बच्चा नामालूम	
108.	एक मर्द नामालूम	
109.	एक मर्द नामालूम	
110.	एक औरत नामालूम	
111.	एक औरत नामालूम	
112.	एक बच्ची नामालूम	
113.	एक बच्ची नामालूम	
114.	अज्ञात मर्द	

जुलाई 1981 में आई बाढ़ से प्रभावितों की सूचना

नाम तहसील	कुए क्षतिग्रस्त		परिवार प्रभावित	कृषि भूमि प्रभावित (हैक्टर में)	पशु मरे
	पूर्ण —	आंशिक			
1	2	3	4	5	6
1– सांगानेर	583	495	4776	2628	1450
2– चाकसू	277	875	18859	11297	10980

(311)

पेंडिंग यात्रा व्यय जिलों की सूची up to 4-8-82 तक Non Plan

तहसील चोहटन

1	2	3	4	5	6
1.	श्री दोलतसिंह	पटवारी सोभाला	1-6-82 से 31-5-82	240.05	
2.	,, चेलाराम	,, पनूरिला	11-7-82 से 23-7-82	185·36	
3.	,, मोहनदास	,, वरानला	1-6-82 से 22-4-82	189·00	
4.	,, -do-	,,	13-5-82 से 1-6-82	153·20	
5.	,, -do-	,,	30-5-82 से 28-7-82	358·60	
6.	,, रेखाराम	प. नाजासर	24-6-82 से 10-7-82	172·60	
7.	,, शंकरपुरी	,, जानप	7-11-81 से 31-12-81	168·00	
8.	,, -do-	-	2-9-81 से 31-10-81	243·60	
9.	,, मदनलाल	प. हाथला	2-6-81 से 4-7-81	156·16	

(A) एतराज करके लोटाने के दूसरी होकर प्राप्त हुए 1·66·17

B. श्री चेक के डोशनारा $\frac{8}{29\text{-}5\text{-}82}$ (LR $\frac{4801}{13\text{-}8\text{-}82}$ को प्राप्त) 3514·35

,, 67/25-3-80 (LR $\frac{4600}{13\text{-}8\text{-}82}$ को प्राप्त 1699·40

श्री चेक के गोशनारो जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त—5213·75

इस माह में कर्मचारियों ने पेश किये

1	2	3	4	5	6
1.	श्री माधुसिंह	प. सेडना	30-6-82 से 13-8-82	30-8-81	188·97
2.	,, खेतसिंह	कुरान कानला	2-7-82 से 28-7-82	24-8-82	84·50
3.	,, शेरसिंह	PS सेडना	2-8-82 से 16-8-82	,,	97·00
4.	,, सूरजाराम	प. सारला	12-7-82 से 25-7-82	17-8-82	175·00
5.	,, शेरसिंह	Rs सेडन	25-6-82 से 12-7-82	21-8-82	160·20
6.	,, राजाराम	प. नरातला	22-7-82 से 10-8-82	-	282·90
7.	,, रतनसिंह	प. नुरान का तला	2-8-82 से 24-8-82	-	117·50

313

परिशिट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 127 की सूची

पेंडिग यात्रा व्यय बिलों की सूची तहसील बाड़मेर (सुधार योजना)

क्र. सं. 1	नाम कर्मचारी 2	पद 3	अवधि 4	राशि 5	वि. वि. 6
1.	श्री शिवसिंह	पटवारी मिदन	2-11-80 से 20-11-80 1-6-81 से 24-11-81	1937·00	
2.	,, दलपसिंह	,, खारडा	1-3-82 से 22-6-82	650.00	
3.	,, भंवरलाल	,, नोला	15-3-80 से 8-6-80	239·90	
4.	,, शंकरलाल	,, धरनी	30-11-78 से 9-5-79 1-4-79 से 23-4-79	1706·00	
5.	,, गणपतसिंह	,, हावदा	5-9-79 से 21-3-80 10-9-80 से 21-3-81	1633.55	
6.	,, तिलोक चन्द	,, नोर	2-11-80 से 6-1-81 2-8-81 से 22-8-81	374·00	
			कुल योग :	65113·85	

पेंडिग भाग जिला Plan तहसील चोहटन वर्ष 82-83

1	2	3	4	5	6
1.	श्री श्रवणकुमार	पटवारी चादासली	24-6-82 से 16-5-82	171·80	
2.	,, -do-		2-4-82 से 14-4-82	166·80	
3.	,, -do-	,,	23-5-82 से 12-6-82	152·80	
4.	,, -do-	,,	15-6-82 से 25-7-82	236·40	
5.	,, लखसिंह पटोक	,,	4-3-82 से 28-3-82	156·45	
6.	,, -do-	–	14-1-82 से 3-2-82	121·15	
9.	,, श्रवण कुमार	–	2-3-82 से 31-3-82	231·10	
8.	,, -do-	–	30-12-81 से 22-2-82	319 00	
			कुल योग	1555·50	

1	2	3	4	5	6
8.	श्री रतनसिंह	प. नुरान का नला	2-8-82 से 21-6-82	–	121·35
9.	,, -do-	,,	1-5-82 से 26-5-82	–	88·80

(C) 1258·21

(B) 5213·75

(A) 1866·17

8338·13

पैंडिग बिलों की सूची तहसील सिवाना जिला बाड़मेर (सुधार योजना)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	पेश करने की दिनांक	दिनांक कब से कब तक	राशि	वि.वि
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री नाथूसिंह	पटवारी	16-8-82	20-2-82 से 2-3-82	56·30	–
2.	श्री ,,	,,	,,	3-1-82 से 3-2-82	70·25	–
3.	श्री शेख मजीद मोहम्मद	,,	8-7-82	17-6-82 से 19-6-82	59·40	–
4.	,,	,,	17-8-82	2-8-82 से 6-8-82	106·40	–
				योग :–	292·35	

पैंडिग यात्रा बिलों की सूची

क्र.सं	नाम कर्मचारी		प्रस्तुत की	कब से कब तक	राशि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री जगदीश चन्द्र (1) मसाठा		14-6-82	3-10-81 से 19-1-82	121·55	–
			,,	2-2-82 से 3-6-82	127·20	

1	2	3	4	5	6
		14-7-82	14-6-82 से 30-6-82	34 00	
		2-8-82	2-7-82 से 21-7-28	54·10	
2.	श्री लूटन (मावरी	14-7-82	6-2-82 से 29-3-82	68.60	
	श्रति रुपया	,,	31-3-82 से 3-5-82	61·60	
		,,	2-6-82 से 21-6-82	61·60	
		,,	4-5-82 से 24-5-82	61·60	
			योग :-	620·65	

पेण्डिग यात्रा बिलों की सूचि तहसील (भू प्र.) पचपदरा माह अगस्त 1982

क. सं	नाम कर्मचारी मय पर	यात्रा बिल पेश करने की तिथि	अवधि	राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री कानसिंह निरीक्षक	2-9-82	1-7-82 से 27-7-82	105·45
2.	,, -do-	-do-	1-6-82 से 30-8-82	143·20
3.	,, गोरखीराम पटवारी	23-8-82	14-6-82 से 29-7-82	156·70
4.	,, दुर्गाराम ,,	19-8-82	2-2-82 से 1-4-82	131·25
5.	,, -do-	-do-	3-4-82 से 30-5-82	133·85
6	,, -do-	-do-	2-6-82 से 27-7-82	269·30
7.	,, पुरखाराम ,,	25-8-82	3-7-82 से 28-7-82	157 00
8.	,, शिवनारसिंह R.I.	16-8-82	1-7-82 से 20-7-82	89·00
9.	,, नाथूसिंह रि. पटवारी	28-8-82	6-8-82 स्थानान्तरण	228.85
10.	,, ,, ,,	,,	17-8-82 से 28-8-82	42.40

1	2	3	4	5
11.	श्री गोरधनराम पटवारी	28-8-82	2-7-82 से 4-8-82	120,25
12.	,, ,, ,,	,,	3-4-82 से 29-6-82	152.00
13.	,, भूराराम ,,	2-9-82	1-8-82 से 28-8-82	154.00
14.	,, महाराम ,,	,,	1-8-82 से 27-8-82	91.10
15.	,, लेखराज ,,	,,	1-8-82 से 30-8-82	104.90
16.	,, भिमनसिंह ,,	,,	2-8-82 से 14-8-82	85·00
17.	,, भंवरसिंह राय	,,	2-8-82 से 4-8-82	37·00
18.	,, सांवलाराम ,,	,,	2-8-82 से 11-8-82	52·05
19.	,, शम्भूराम ,,	3-9-82	1-7-82 से 25-8-82	142·30
20.	,, हरिवल्लभ ,,	,,	2-8-82 से 3-8-82	32·65
21.	,, शिवनाथसिंह RI. पटवारी	,,	2-8-82 से 29-8-82	110·15
22.	,, भंवरसिंह पुरोहित ,,	,,	31-10-81 से 4-12-81	136·00
23.	,, ,, ,,	,,	1-1-82 से 20-2-82	147·00
24.	,, ,, ,,	,,	1-3-82 से 29-5-82	158·00
25.	,, ,, ,,	,,	4-6-82 से 15-7-82	126·40
			योग :-	3105·00

पटवारियों के बकाया बिलों की सूची

तहसील जैसलमेर

क्रमांक	नाम पटवारी	यात्रा भत्ता की राशि	चिकित्सा व्यय राशि	कब से पेण्डिग है
1	2	3	4	5
1.	श्री मुकेशकुमार	1779·08	–	अप्रेल 80
2.	श्री राधाकिशन	142·20	–	अप्रेल 80
		163·90	–	सितम्बर 80
3.	श्री किशनकुमार	122·72	–	अप्रेल 80
4.	श्री रामप्रताप	192·27	–	अप्रेल 80
5.	श्री लक्ष्मणराम	84·90	–	अप्रेल 80
6.	श्री महेन्द्रसिंह	528·80	–	अप्रेल 80
		169·29	–	सितम्बर 80
		404·04	–	अगस्त 82
7.	श्री जेठूसिंह	88·00	–	अप्रेल 80
8.	श्री रामनारायण	170.40	–	अप्रेल 80
		426650	–	फरवरी 81
9.	श्री राजेन्द्रप्रसाद	292.90	–	अप्रेल 80
10.	श्री रामरतन	167.16	–	अप्रेल 80
		–	171.60	जुलाई 82
11.	श्री किशनसिंह	1228.30	–	अप्रेल 80
		75.68	–	दिसम्बर 81
12.	श्री रमणलाल प्रथम	171.00	–	जून 80
		321.70	–	अक्तूबर 81
		261.90	–	मई 82
		233.60	–	अगस्त 82
13.	श्री राजमल	2787.76	–	जून 80
		149.75	–	नवम्बर 80
		230.28	–	जून 81

1	2	3	4	5
14.	श्री रूपचन्द	305.33	–	जून 80
		49.48	–	अक्तूबर 81
15.	श्री रामलाल	415.40	–	जून 80
16.	श्री रामगोपाल	129.10	–	जून 80
17.	श्री रामदयाल	287.24	–	जून 80
		173.28	–	जून 80
18.	श्री मूलचन्द जगा	721.02	–	जुलाई 80
19.	श्री सुलतानचन्द	260.80	–	अगस्त 80
		404.20	–	अप्रेल 81
20.	श्री रमणलाल द्वितीय	164.64	–	सितम्बर 80
		185.50	–	अक्तूबर 80
		56.20	–	अप्रेल 81
21.	श्री मदनलाल	66.92	–	सितम्बर 80
22.	श्री किशनलाल	401.08	–	सितम्बर 80
23.	श्री बाबूलाल सोनी	299 00	–	फरवरी 82
		449.82	99.03	जुलाई 82
24.	श्री अनोपसिंह	551.29	–	अक्तूबर 80
25.	श्री प्रयानसिंह	216.00	–	फरवरी 81
		26.60	–	नवम्बर 81
26.	श्री जुगताराम	636.06	–	अप्रेल 81
		269.60	–	जुलाई 82
27.	श्री प्रेमसिंह	141.50	–	अप्रेल 81
28.	श्री मानसिंह	685.80	–	जून 81
		271.20	–	जुलाई 82
29.	श्री रामाकिसान	663.70	–	जून 81
		344.96	–	अप्रेल 82
		204.36	–	मई 82
		258.92	–	जून 82
		153.19	–	जुलाई 82

1	2	3	4	5
30.	श्री लूणकरण	190.50	–	अगस्त 81
31.	श्री प्रकाशचन्द्र	54.00	–	अगस्त, 81
32.	श्री हराराम	371,30	–	अक्तूबर 81
33.	श्री गेभरसिंह	256.40	–	फरवरी 82
34,	श्री लालचन्द सोनी	196.00	–	फरवरी 82
35.	श्री अमराराम	60.60	–	अप्रेल 82
		242.40	–	जून 82
36.	श्री दलपतसिंह	109.00	–	मई 82
		229.20	–	अगस्त 82
		131.40	–	जुलाई 82
37.	श्री मिश्रीलाल	297.80	–	जून 82
		295.08	–	जुलाई 82
		134.04	–	अगस्त 82
38.	श्री मोहकमसिंह	242.64	–	जून 82
		69.24	–	जुलाई 82
59.	श्री भंवरलाल	255.52	–	जून 82
40.	श्री गोरधनसिंह	483.44	–	अगस्त 82
41.	श्री मूलसिंह	858.76	–	अगस्त 82
		712.44	–	जुलाई 82
42.	श्री राजमकल	696.60	–	अगस्त 82
43.	श्री मोहनराम	704.56	–	अगस्त 82
44.	श्री गोपूराम	321.80	–	अगस्त 82
		82.80	–	अगस्त 82
45.	श्री दीनदयाल सोलंकी	259.00	–	जुलाई 82
46.	श्री पुरूषोत्तमलाल	–	71.70	जुलाई 82
47.	श्री लखपतसिंह	–	89.30	जुलाई 82
	तहसील पोकरण			
1.	श्री सोहनसिंह	873.92	–	अप्रेल 82

1	2	3	4	5
2.	श्री कानसिंह	1128.31	–	अगस्त 82
3.	श्री मूलाराम	142.80	–	"
4.	श्री चन्दनसिं	307.66	–	"
5.	श्री अजयकुमार	349.44	–	"
6.	श्री हदाराम	583·50	–	"
7.	श्री मुलतानाराम	208·36	–	"
8.	श्री वीरमाराम	137·20	–	"
9.	श्री मानाराम	184·74	–	"
10	श्री रेवताराम	460·16	–	"
11.	श्री आईदान	547·40	–	"
12.	श्री उम्मेदसिंह	687·26	–	"
13.	श्री नरपतसिंह	65·36	–	"
14.	श्री प्रतापसिंह	569·68	–	"
15.	श्री गोविन्ददान	274·40	–	"
16.	श्री रमणलाल	112·76	–	"
17.	श्री नन्दलाल	706·24	–	"
18.	श्री देवीलाल	556·96	–	"
19.	श्री भीमसिंह	207·50	–	"
20.	श्री केसरसिंह	663·30	–	"
21.	श्री बगडाराम	103·60	–	"
22.	श्री चिमनाराम	197·50	–	"

———

(321)

परिशिष्ट २६

परिशिष्ट–'क'

अतारांकित प्रश्न 145 की सूची

जनजाति उपयोजना में चलने वाले तृतीय श्रेणी छात्रा वासों में वर्ष 1980–81 व 81–82 प्रवेश दिये गये छात्रों की संख्या प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत संख्या 25 छात्र है ।

क्र.सं.	स्थान मय जिला	1980–81	1981–82
	(1) जिला उदयपुर		
1.	आड़वली	निल	25
2.	सरेरा	निल	25
3.	बाबलवाड़ा	25	25
4.	नालवा	25	25
5.	आंड़ा	8	निल
6.	डेंमा	निल	निल
7.	पाटिया	निल	25
8.	बारापाल	18	21
9.	कल्याणपुर	25	25
10.	टीकर	6	8
11.	पासाल	25	निल
12.	कुराबड़	25	25
13.	परसाद	25	25
14.	झाड़ोल (सराड़ा)	25	25
15.	मावली	25	25
	(2) जिला चित्तौड़गढ़		
16.	कुलधाना	16	16
17.	वारावरदा	17	17
18.	प्रतापगढ़	21	19
19.	पमातर	20	16
20.	सालमगढ़	18	18

1	2	3	4
21.	दलोट	20	20
	(3) **जिला सिरोही**		
22.	ओड़	8	24
23.	पावा	20	11
	(4) **जिला बांसवाड़ा**		
24.	तलवाड़ा	25	25
25.	छोटा डूंगरा	25	23
26.	भीमपुर	23	14
27.	नरवाली	25	25
28.	जगपुरा	12	8
29.	शेरगढ़	25	25
30.	घण्टाली	25	25
31.	फलवा	12	23
32.	छोटी सरवा	21	निल

डूंगरपुर जिले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।